खण्ड–489, अंक–7
शुक्रवार, 06 आषाढ़, शक संवत् 1936
(27 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-50
नत्थी ख के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक प्रश्न में आपत्तिजनक शब्द निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	50-51
बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	51-54
विधान सभा के सत्र की बैठक के समय जिला स्तरीय ब्लाक विकास समिति की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	54-55
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	55-57
जनपद शामली में थाना भवन से लेकर मुल्लापुर रोड पर बने पुल को जोड़ने हेतु नयी सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद मेरठ सहित प्रदेश के जिला पशु चिकित्सालयों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद लखनऊ के ग्राम कुरौनी में भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय की जमीन को ग्राम सभा में दर्ज कराने तथा जालसाजी करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के ग्राम सालपुर स्थित सिद्ध बाबा मन्दिर का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद अलीगढ़ बरौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
जनपद बिजनौर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ की माइनर से हो रहे जल रिसाव को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में दो बन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की कतिपय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत रूपापुर शुगर मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की विभिन्न ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
विधान सभा क्षेत्र घोसी के शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर में कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद लखीमपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद मऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 के घाघरा नदी से होने वाले कटान को रोकने हेतु लूप कटिंग प्लान लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	64-65
जिला योजना समिति के प्रस्तावों में शासन द्वारा कांट-छांट करके मनमाने तरीके से धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65-66
विधान सभा के प्रश्नों के सम्पूर्ण उत्तर, सदन की कार्यवाही तथा विधान सभा की वेबसाइट में उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66-67
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बन्द पड़े नलकूपों एवं जनपद गोण्डा के अन्तर्गत एल्गिन ब्रिज अनुबन्ध घोटाला विषयक सूचनाओं के सम्बन्ध में जानबूझकर जानकारी न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	68
कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13-6-2001-का-1-2013 दिनांक 01 फरवरी, 2013 (सदन के पटल पर रखी गई)	68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का छठवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	68-69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का सातवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	69
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही अन्तर्गत कतिपय सड़कों की तत्काल स्वीकृति जारी करते हुए निर्माण कराये जाने विषयक श्री मा0 अली आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहानपुर से ग्राम बझेड़ा-बझेड़ी तक की कच्ची सड़क का जनहित में डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री उमेश यादव आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	69
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर से जिला पीलीभीत के बार्डर के ग्राम हरैया तक की कच्ची सड़क का जनहित में डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री बांके लाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69-70
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरांवा के अन्तर्गत बढ़ती आबादी के कारण आवागमन की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुनील सागर आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम हरपुर (चीनी मिल रोड) से प्रेम नगवा होते हुए पठखौली (राम जानकी राज्य मार्ग, गोला-उरूवा रोड) तक जनहित में पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम कुमार तिवारी आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मसीत, हातमपुर, खेड़की, अकबरपुर तिगरी, कराल में विद्युत खम्भों, तारों एवं ट्रान्सफार्मर की कमी को दूर करने विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक श्री शाहिद हसन आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	70
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	70-71
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	71-72
नियम-56 के अन्तर्गत बढ़ती सूचनाओं को गम्भीरता से लेते हुए श्री अध्यक्ष द्वारा दलीय नेताओं की बैठक करने का आग्रह	72
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	72-77
आज की कार्य-सूची में प्रस्तुत होने वाले सभी बजटों को एक साथ प्रस्तुत कर एक ही साथ कटौती रखे जाने के सम्बन्ध में सदन की सहमति ...	77-78
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	78-104
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-14 कृषि तथा सम्बद्ध अन्य विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	104-125

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	125-134
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	134-146
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	146-155
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	155-157
जनपद मेरठ के हस्तिनापुर के गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	157-158
जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के ग्राम छाऊ में दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री का वक्तव्य	159
वृहद कनहर सिंचाई परियोजना अमवार दुद्धी सोनभद्र को पूर्ण कराकर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	160-161
मथुरा क्षेत्र के गोकुल बैराज के डूव क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	161
जनपद जौनपुर के बादशाहपुर से तरेहरी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	161
डी0आई0आर0 तथा मीसा में बन्द रहे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाये जाने तथा बसों में सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	161-163
यू0पी0 बोर्ड द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सही तथ्यों को छिपाकर शिक्षा माफियाओं के साथ मिलाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 दलबीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	163

विषय		पृष्ठ-संख्या
किसान इण्टर कालेज कंकर खेड़ा मेरठ की अवैध प्रबन्ध समिति के कारण हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संगीत सिंह सोम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	... ...	163
हरदोई के बिलग्राम मल्लावां अन्तर्गत प्रधानाध्यापक श्री बृजलाल पुत्र स्व0 परसाद निवासी ग्राम रूकनापुर के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके पेंशन सम्बन्धी भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	...	163
जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रूदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर गम्भीर रोग से ग्रसित मरीजों की लापरवाही के कारण हुई मौतों के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	...	163-164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

दिनांक 27 जून, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-323

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री — बरेली
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. *अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
35. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
40. आशीष यादव, श्री — बदायूं
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
43. इकबाल, श्री — बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री — संभल
45. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर

51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री उन्नाव
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
55. उमाशंकर, श्री बलिया
56. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओम कुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
61. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
62. काली चरन सुमन, श्री आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
71. गजराज सिंह, श्री हापुड़
72. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
73. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
74. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
75. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
77. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
78. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
81. गोमती यादव, श्री लखनऊ
82. गोरख पासवान, श्री बलिया
83. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
84. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
85. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
86. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
87. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
88. जगपाल, श्री सहारनपुर
89. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
90. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
92. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
93. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
94. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
97. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
101. तसलीम, श्री बिजनौर
102. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
103. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
104. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
105. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
106. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
107. दलजीत सिंह, श्री बांदा
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
110. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
111. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
114. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस

115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
118. धर्मराज, श्री बाराबंकी
119. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
122. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
123. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
124. नारद राय, श्री बलिया
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
127. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
128. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
129. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
130. *परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
139. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
142. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
143. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
144. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
147. फेरन लाल, श्री ललितपुर
148. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
149. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
150. बदलू खां, श्री उन्नाव
151. बाबू खां, श्री हरदोई
152. बाबूलाल, श्री गोण्डा
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
161. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
162. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
163. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
164. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
165. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
166. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
167. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
168. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
169. मनबोध, श्री देवरिया
170. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
171. मनीष रावत, श्री सीतापुर
172. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. महबूब अली, श्री अमरोहा
175. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
176. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
177. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर

179. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
180. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
182. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
183. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
184. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
187. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
188. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
189. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
190. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
191. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
192. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
193. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
194. यासर शाह, श्री बहराइच
195. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
196. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
197. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
198. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
199. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
200. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
201. रणजीत सुमन, श्री एटा
202. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
203. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
204. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
205. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
206. *राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
207. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
208. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
209. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
210. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
211. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
212. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
213. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
214. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
215. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
216. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
217. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
218. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
219. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
220. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
221. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधे श्याम, श्री अमेठी
223. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
224. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
225. राम करन आर्य, श्री बस्ती
226. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
227. राम गोविन्द, श्री बलिया
228. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
229. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
230. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
231. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
232. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
233. राम मगन, श्री बाराबंकी
234. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
235. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
236. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
237. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
238. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
239. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
240. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
241. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
242. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
243. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर

244. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
245. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
246. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
247. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
248. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
249. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
250. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
251. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
252. *विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
254. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
255. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
256. विजय सिंह, श्री रामपुर
257. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
258. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
259. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
260. वीरपाल राठी, श्री बागपत
261. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
262. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
263. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
264. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
265. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
266. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
267. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
268. शाकिर अली, श्री देवरिया
269. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
270. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
271. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
272. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
273. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
274. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
275. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
276. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
277. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
278. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
279. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
280. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
281. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
282. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
283. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
284. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
285. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
286. संजय कपूर, श्री रामपुर
287. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
288. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
289. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
290. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
291. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
294. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
295. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
296. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
298. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
299. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
300. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
301. सियाराम सागर, डा0 बरेली
302. सीमा, श्रीमती जौनपुर
303. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
304. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
305. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
306. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद

307.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	
308.	सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र	
309.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	
310.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	
311.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
312.	सुरेश राणा, श्री	शामली	
313.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
314.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	
315.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	
316.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	
317.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
318.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
319.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
320.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
321.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
322.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	
323.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत	

नोट :- पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन (राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में दूध में हानिकारक रसायन/डिटर्जेट के मिलावट को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

*01-डा0 धर्मपाल सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, डा0 अरूण कुमार श्री मनीष असीजा तथा श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध में वाशिंग पाउडर, व्हाइटनर, चीनी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एवं अन्य हानिकारक रासायनिक अवयव मिलाकर दूध का निर्माण किये जाने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इससे लोगें के स्वास्थ्य पर गम्भीर असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की गम्भीरता को देखते हुये वर्तमान कानून को अधिक प्रभावी बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां, वर्ष 2013-14 में दूध में संग्रहीत नमूनों के विश्लेषण के उपरान्त 26 नमूनों में हानिकारक रसायन/डिटर्जेन्ट पाया गया है।

जी हां। इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रदेश में जनसाामान्य को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन, छापेमारी तथा नियमित निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम में अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है। उक्त अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम,2011 में समुचित प्राविधान विद्यमान है। अतः और प्रभावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, सिंथेटिक दूध का निर्माण बहुत गम्भीर विषय है। देश में 2006 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी 5 अगस्त, 2011 को फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया। उस फूड सिक्योरिटी एक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को फूड सिक्योरिटी आफीसर, लाइजनिंग आफीसर्स और इंफोर्समेंट आफीसर का जो एक्ट के अनुसार क्वालीफिकेशन दी गयी है उनके अनुसार नियुक्त करना था। अध्यक्ष जी जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें सिर्फ उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रदश में 26 नमूने ऐसे पाये गये हैं जिनमें यह कैमिकल एलीमेंट्स मिले है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि यह जो

26 नमूने मिले यह प्रदेश में कहां-कहां मिले और इसमें दूध में कौन-कौन से रसायनिक एलीमेंट्स मिले। इन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। दूसरा प्रश्न है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2011 में लागू हो गया उसके अनुसार तीन तरह के अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी फूड सिक्योरिटी आफीसर्स, लाइजनिंग आफीसर्स और इंफोर्समेंट आफीसर्स इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार कब तक कर देगी ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)-

यह जो 26 जिलों में नमूने मिले हैं इनके नाम है इलाहाबाद, फतेहपुर, बदायूं, देवरिया, महराजगंज, कानपुर, गाजियाबाद, एटा, सहारनपुर, सीतापुर, जालौन, फिरोजाबाद, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस और रामपुर इनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैंने अधिकारियों के बारे में पूछा था।

श्री कैलाश-

जो अपने अधिकारियों के बारे में कहा था तो अधिकारियों की कमी है इसमें कोई दो राय नहीं है इसके लिये आयोग को लिखा गया हे 334 अधिकारियों की मांग की गई है अगर आयोग द्वारा यह अधिकारी मिल जाते हैं तो इसको पूरा कर लिया जायेगा।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि इसमें कौन-कौन से रासायनिक पदार्थ पाये गये यह माननीय सदस्य ने पूछा था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है इन्होंने जो 26 नमूने लिये हैं हो सकता है कि इनकी जानकारी में सही हों लेकिन मैं उससे असहमत हूं क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका धन्धा हो रहा है दूध का निर्माण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि जो रासायनिक पदार्थ इसमें पाये गये है क्या वह व्यक्ति के लिये स्वाभाविक रूप से हानिकारक है जिसको कहते है कि जीवन के लिये खतरा तो क्या इसमें खतरा पैदा करने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिससे व्यक्ति के जीवन को खतरा भी हो सकता है तो मान्यवर, उसमें कौन-कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ पाये गये और उसके लिये क्या सजा दी गई ? क्योंकि मान्यवर, आपको पता है कि इसके लिये यह-यह सजा है और वह सजा बता दें मान्यवर, और उसके बाद एक प्रश्न और कर लूंगा।

श्री कैलाश-

इसमें जो नमूने लिये जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और दूध में जो मिलावट हो रही है उसके लिये सरकार ने हमेशा इस मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है और समय-समय पर छापे मार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। जहां दूध की मात्रा में कमी पाई जाती हे उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अधिकतम 10 लाख रुपये तक जुर्माना और उसमें आजीवन कारावास का भी प्राविधान है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, चूंकि पहला प्रश्न हुआ था उसका उत्तर नहीं आया। मैंने फिर उस प्रश्न को रिपीट किया लेकिन फिर उत्तर नहीं आया। मान्यवर, आपके माध्यम से, आपका संरक्षण चाहिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उसमें पदार्थ पाये गये है वह व्यक्ति के जीवन के लिये भी हानिकारक होते है। मतलब कई अवसर होते है जब उसको लम्बे समय तक लिया जाय तो उसकी मृत्यु भी हो जाय तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाये जाते है। मान्यर जो एक व्यक्ति को उस हद तक पहुंचाये कि उसके जीवन को खतरा हो, वह मान्यवर, सारे अधिनियम, सारे एक्ट इस पर लागू हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिये। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे पदार्थ है जो उसमें पाये गये, जो नमूने इन्होंने भरे। जो अलग से है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि स्वाभाविक है कि बहुत से नमूने अलग से होंगे। जो इन्होंने बताया कि 26 नमूने पकड़े गये, उसमें कौन-कौन से ऐसे पदार्थ पाये गये। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपापूर्वक प्रश्न को देखने का कष्ट करें उसमें लिखा हुआ है कि दूध में वाशिंग पाउडर, वाइटनर, चीनी, कार्बोहाड्रेट, स्टार्च एवं अन्य हानिकारक रासायनिक उर्वरक मिलाकर दूध का निर्माण करते हैं यह इसमें लिखा है। प्रश्न में यह बात आई है कि यह सारी चीजें उसमें मिलाई जाती है। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो चीजें लिखी है यह उसमें मिलाई गई है जो नमूने पकड़े गये है ? अगर पकड़े गये है तो मान्यवर, वह सजा जो किसी व्यक्ति जो जहर देने के लिये दी जाती है वह सजा उन लोगों पर लागू होगी।

श्री कैलाश-

इसमें डिर्टजेंट और जो तमाम केमिकल मिला हुआ पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वर्ष 2013-2014 में भी कार्यवाही की गई है। 1483 नमूने संग्रहित किये गये थे जिसमें 10 व्यक्तियों को कारावास और 348 व्यक्तियों को अर्थदण्ड। यह एक जो हमारा मानक है दूध का, उसके विपरीत पाये जाने का कार्यवाही की गई।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में ही दिया हुआ है। जी हां। वर्ष 2013-2014 में दूध के संग्रहित नमूनों के विश्लेशण के उपरान्त 26 में हानिकारक रसायन डिटर्जेंट पाया गया है। यह तो जवाब में ही लिखा है। अब प्रश्न क्या बनता है। आप जिस सवाल को बार-बार पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो इसमें है कि डिटर्जेंट पाया गया और वह हानिकारक है। सजा भी आजीवन कारावास है, अब यह काम अदालत का है, सरकार का काम पकड़ने का है, पकड़ कर उसे अदालत के दरवाजे तक भेजने का है, अब अदालत उसके साथ क्या करती है, यह सरकार के अधिकर से बाहर है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मान्यवर, यह जो मिलावटी दूध की समस्या है, यह साधारण मिलावट का मामला नहीं है। बहुत संक्षेप में, जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसको दूध की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिये जरूरी पदार्थ है, दूध। 10 मिनट में केमिकल के साथ, डिटर्जेंट के साथ यह दूध बनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर। पहली बार

26 नमूने मिले है तो कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी है। इसके लिये बड़ा अभियान चलान पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर दूध की मिलावट जहरीले रसायनों के द्वारा नकली दूध बनाने पर इसके रोकथाम के लिये पूरे जिले भर में जैसे आपने 108 की मोबाइल वैन चलाई है, 102 की मोबाइल वैन चलायी है, ए लैबोरेट्री युक्त वैन जो लगातार मोबाइल करें, हर जिले में छापामार कार्यवाही करे और जनता के सामने दूध को टेस्ट करके जारूकता फैलाये, अपराधियों को पकड़ने का काम करें। तो क्या आप ऐसी कोई मोबाइल लैबोरेट्री जन-जागरूकता के लिये और नकली दूध को रोकने के लिये, चलवाने का काम करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जितने नमूने भरे गये हैं और जितने भरे जाते रहे हें, उसका प्रमाण इसमें भी है और माननीय सदस्य भी परिचित हैं। समाज की अच्छाइयों और बुराइयों से आप परिचित है, आप जमीनी व्यक्ति भी हैं और आपका जीवन कैसे करोबार का है, उससे कोई लेना-देना नहीं है, आप बिल्कुल सीधे जमीन से जुड़े हुये व्यक्ति हैं। आप नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और अपने काम और शोहरत की वजह से आज आप विधान सभा में भी है। यह होगा, पिछले सत्र में मैंने कहा था कि मेरे जज दोस्त ने मुझसे यह बतलाया कि अदालत में जब अडल्ट्रेशन का केस आया तो वकील साहब ने यह कहा कि यह धाराएं हम पर गलत लगायी गयी है क्योंकि इसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। पानी में रंग मिलाया गया, यूरिया मिलाया गया तो जज साहब का यह कहना था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि मैं एफ0आई0आर0 क्वैस कर दूं। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं जमानत नहीं दे सकता, हाईकोर्ट जाइये। इसके लिये भी केन्द्र से कोई ऐसा कानून बनना चाहिये। राज्य सक्षम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, राज्य की समस्या नहीं है और यह अमानवीयता का काम है और इससे जुड़ा नीच काम जैसा आपने कहा कि जो मासूम बच्चा दुनिया में पहले दिन आ रहा है उसको हम जहर दे रहे है। हमारी जानकारी में है, हम जहर दे रहे हैं, हम उन्हें पकड़ रहे हैं, जहर देने वालों को, हम उन्हें अदालत के दरवाजे तक भेज रहे रहे हैं। लैबोरेट्री से रिपोर्ट आ रही है कि इसमें क्या-क्या है ? उसके बाद भी उसे कितनी सजा होती है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जैसे दिल्ली में वाकिया हुआ था एक महिला, बहन के साथ, उस पर एक बहुत बड़ा कानून बना। यह अलग बात है कि उस कानून से कितनी रोकथाम हुई या नहीं हुई, इस पर भी एक कड़े कानून की जरूरत है, उम्र कैद का तो प्राविधान है ही, जब पिछले साल मैं इस मामले को रख रहा था तो चीन में दो वाकिये हुये थे, दूध में मिलावट के, एक को उन्होंने चौराहे पर फांसी दी थी और दूसरे को उम्र कैद की थी, लगा कि यह बहुत दहशत का और तानाशाही का अमल हुआ लेकिन सच यह है कि इस तरह के कामों में इतने जघन्य अपराध में जब तक कैपिटल पनिसमेंट नहीं होगा, हालांकि उम्र कैद भी लगभग कैपिटल पनिसमेंट ही है क्योंकि दुनिया अब यह मानती है कि मौत की सजा नहीं देनी चाहिये और यहां भी ऐसा होता, प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी माफ कर दिया जाता है लेकिन आगे नहीं कहूंगा, आपके ही जमाने की बातें हैं। तो मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से चाहूं कि आप एक संवदेनशील और भावुक व्यक्ति है और सच्चे व्यक्ति हैं, राजनीति में, कम लोग है ऐसे, यह अलग बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, आपको मेरे साथ होना चाहिये था तो इसमें सरकार संवदेनशील है और इसमें जितनी सख्ती राज्य स्तर पर की जा सकती है, की जा रही है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही चतुराई और अपनी वाकपटुता से समुचित उत्तर आने से सरकार को बचाने का काम किया। मान्यवर, बहुत छोटे-छोटे 2 प्रश्न मा0 सदस्यों द्वारा पूछे गये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दिया कि रसायन और डिटर्जेंट लिखा हुआ है लेकिन मान्यवर, रसायन विभिन्न प्रकार के होते हैं, अगर रसायन भी मिला हो तो किस प्रकार के वह रसायन हैं, उनका भी उल्लेख होना चाहिये था।

मान्यवर 26 नमूनों की सूचना दी गयी है। मा0 मंत्री जी ने जिले तो बता दिये कि फलां-फलां जिले में कार्यवाही हुयी। लेकिन जो 26 नमूने पाये गये उन 26 नमूनों में कितने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुयी और उनको क्या सजा मिली और कितने प्रकरण अभी विचाराधीन है। यह स्पष्ट होना चाहिये। क्योंकि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी जिस तरीके से प्रश्न पर अपनी गंभीरता प्रस्तुत किये हैं वैसे भी यह प्रश्न गंभीर और महत्वपूर्ण है, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी अपनी भावना इससे जोड़ी है। मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर मा0 मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत करा दिया जाये। जिससे मा0 सदस्यों की शंका का समाधान हो सके।

श्री कैलाश-

मान्यवर, अभी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में नौनिहाल से लेकर बूढ़ों तक जहर परोसने का काम किया जा रहा है लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। इसलिये सरकार की उदासीनता के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(अनुपूरक उत्तर के असंतुष्ट होकर नेता विरोधी दल ने अपने दल के साथ सदन त्याग किया)

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन एवं गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

*01 श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अविलम्ब लागू करते हेतु खाद्य सुरक्षा आयोग, उ0प्र0 का गठन शासन द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसके अध्यक्ष/सदस्य कौन-कौन से लोग हैं तथा आयोग के समक्ष कौन-कौन से बिन्दु विचारार्थ हैं तथा इसकी कोई समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो प्रदेश के गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की कोई प्रभावी नीति सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'')-

जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने तक प्रदेश में वर्तमान में लागू ए0पी0एल0 बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

योजना का नाम/राशन कार्डो का रंग	कार्डधारकों की संख्या (लाख में)	खाद्यान्न का नाम	खाद्यान्न वितरण	
			स्केल प्रतिमाह	मूल्य प्रति किग्रा0
1	2	3	4	5
अन्त्योदय (गुलाबी)	40.94	गेहूं	11.5169 किग्रा0	2.00
		चावल	23.4788 किग्रा0	3.00
बी0पी0एल0 (सफेद)	65.84	गेहूं	15.1662 किग्रा0	4.65
		चावल	19.8364	6.15
ए0पी0एल0 (पीला)	328 (लगभग)	गेहूं	10 किग्रा0	6.60
		चावल	-	8.80

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, [XXX] से प्रत्येक वर्ष लाखों लोग मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

लाखों लोग मर रहे हैं ? पहले संख्या तो सही कर लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, वही कर रहे हैं आप कहने तो दें। मान्यवर, यू0पी0ए0 की सरकार ने 05 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया। और इससे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी को सस्ता अनाज मिलना था जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें। राज्यों को इसके लिये खाद्य सुरक्षा आयोग गठित करके नियमावली बनानी थी जिससे इस कानून को लागू किया जा सके। कई राज्यों ने इसको लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 05 जुलाई तक लागू करने की बात कही थी और एक आयोग के गठन की बात कही थी। मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसमें आयोग के गठन की कार्यवाही चल रही है और अभी प्रक्रियाधीन है। तो मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह यह बता दें कि आयोग के गठन की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी। दूसरा, अभी जो एन0डी0ए0 की सरकार ने इसको तीन महीने आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवाद में रोटी, कपड़ा और मकान की सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है। और यह लोगों की जीविका से जुड़ा हुआ है। तो एन0डी0ए0 की जो सरकार है। समय सीमा को न मानते हुये, क्या आप इसके आयोग का गठन कर देंगे और इस कानून को प्रदेश में कब लागू करेंगे।

नोट :-[XXX] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन् प्रदेश सरकार रोटी, रोजगार और मकान के लिये गम्भीर है, कृतसंकल्प है अनेक ऐसी योजनायें हैं, मा0 सदस्य ने जो कहा कि लाखों लोग [XXX] से मर रहे हैं, तो उनसे विनम्रतापूर्वक मैं कहूंगा कि यह अतिश्योक्ति होगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैंने पूरे देश की बात की है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन् जहां तक आयोग के गठन की बात है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है और शीघ्रातिशीघ्र इस आयोग का गठन कर लिया जायेगा, लेकिन केन्द्र सरकार के बदलने के बाद से हमारे अधिकारियों में, विभाग में एक भ्रम की स्थिति है और अभी तीन महीना चूंकि आगे बढ़ाया भी गया है और हमारे लिये ये सारे नियम बाध्यकारी है, तो तीन महीना बाद या तीन महीने के दौरान केन्द्र सरकार इसमें क्या-क्या परिवर्तन करती है, जब तक वह हमको जानकारी नहीं हो जाती है, तो यह हमारी बाध्यता है कि हम उसको लागू नहीं कर सकते। जहां तक गरीबों को खाद्यान्न का विषय है, वह तो हम सुनिश्चित करा रहे हैं, केन्द्र सरकार की ही दर पर सुनिश्चित करा रहे हैं। अब चूंकि कल ही यह केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है, तो उसका हमको इन्तजार करना होगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक पूछना चाहता हूं कि हमारे धौरहरा विधान सभा क्षेत्र में धौरहरा तहसील में सरकारी सस्ते गल्ले की 60 दुकानों को निलम्बित किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी जांच करा कर प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अनुपूरक पूछने का हमें अवसर दिया। मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो कहा कि लाखों लोग [XXX] के शिकार हैं, तो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, कि आज इस देश में जो भुखमरी के साथ-साथ जो कुपोषण के शिकार हैं, मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कि क्या [XXX]

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, डा0 समझ नहीं रहे हैं, आपरेशन हो कान का तो क्या आप फोड़ दोगे। यह प्रश्न भुखमरी से सम्बन्धित नहीं है, यह प्रश्न योजना को लागू किये जाने से सम्बन्धित है।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, मैं [XXX] का सवाल पूछ रहा हूं कि जो गरीब है, उसका भोजन सिर्फ चावल और गेहूं देने से नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि समाज का जो गरीब और कमजोर वर्ग है।

नोट :-[XXX] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह इससे सम्बन्धित नहीं है, यह प्रश्न नहीं बनता, आप बैठ जाएं। आपकी बात आ गई।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें तो कहीं कोई शंका नहीं है कि मा0 मंत्री जी की भाषा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आप भी करते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

और बहुत चतुराई के साथ जवाब घुमा देते हैं। अब सरकार बदल गई चाहे नहीं बदल गई, सरकार तो मई में बदल गई, अधिनियम तो 2013 में पारित हुआ था, लागू तो उसके पहले हो जाना चाहिये था, अब 05 जुलाई तक समय था, अभी कल जवाब आया केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी का, मा0 अनुग्रह जी कह रहे थे, मा0 खाद्य मंत्री जी का बयान है कि जिस प्रदेश में सबसे अधिक कुपोषित और गरीब रहते है, उस उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के उन्होंने कहा, उस उत्तर प्रदेश का कदम सबसे अधिक लापरवाही भरा है, तो यह तो एक सरकार की टिप्पणी है, बहरहाल मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने एक आंकड़े दिये है कि जब तक यह आयोग गठित नहीं हो जाता। हम यह-यह खाद्य फलाना-फलाना ग्रुप को दे रहे हैं। 2011 में बी0पी0एल0 सर्वे के लिये आया था केन्द्र सरकार से, हम 2014 में आ गये। अभी तक बी0पी0एल0 सर्वे आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी संख्या में नागरिक है जिनका नाम न तो अन्त्योदय सर्वे में शरीक हो पा रहा है, न तो बी0पी0एल0 में शरीक हो पा रहा है क्योंकि आपने 2011 का बी0पी0एल0 सर्वे अभी तक नहीं कराया है तो खाद्य सुरक्षा आयोग जब लागू करियेगा तो करियेगा। हमें यह बताइये कि यह जो बहुत सारे लोग लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं बी0पी0एल0 सर्वे न होने के कारण उनको कब लाभ दे देंगे आप सर्वे कराके।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें प्रदेश सरकार ने तो एक लाभार्थी को बढ़ा सकती है और न एक लाभार्थी घटा सकती है। जो संख्या केन्द्र तय कर लेती है। केन्द्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के 15.51 करोड़ के सापेक्ष 79.56 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 4.49 करोड़ के सापेक्ष 64.43 प्रतिशत को ही इस प्राइऑरिटी स्कीम का लाभ मिलेगा। अन्त्योदय कार्ड धारक जहां के तहां है तो ये हम जरूर उम्मीद करेंगे कि नई सरकार आयी है और जो विसंगतियां पिछली केन्द्र सरकार की रही है उनको आप दूर करेंगे और अन्त्योदय कार्ड धारकों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ायेंगे ताकि जिस वर्ग के लिये मा0 सदस्य चिन्तित है उस वर्ग को हम और लाभान्वित कर सकें और अच्छी तरह से हम उनका पालन पोषण कर सकें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि नई सरकार इसको बढ़ाने की सोच रही है और अभी कानून, कानून होता है। अभी यह ऐक्ट संशोधित नहीं हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम, 2013 अभी लागू है। जिसके अनुसार 5 जुलाई, 2013 तक खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन हो जाना चाहिये। अभी संशोधित नहीं है अभी यह है तो अभी तक एक तो इस अध्यादेश, अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप कब इसका आयोग गठित कर देंगे। दूसरी बात अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि भूखे लोगों को ये भोजन दे ही रहे हैं। 40 लाख 94 हजार लोग अन्त्योदय के है और 65 लाख 84 हजार परिवार बी0पी0एल0 के है। इस प्रकार 1 करोड़ 16 लाख 78 हजार परिवार अन्त्योदय या बी0पी0एल0 के अन्तर्गत है जबकि उत्तर प्रदेश में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग है वे लगभग 8 करोड़ हैं उसमें से केवल 1 करोड़ 16 लाख को हम सस्ता भोजन दे रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक आप ये खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं कर देते हैं तो जो शेष बी0पी0एल0 की श्रेणी में लोग आते है जैसा कि अभी डा0 साहब ने कहा कि अभी उसका सर्वे नहीं हो पाया है बी0पी0एल0 का 2011 से जिसमें आप दोनों तरफ की गलती रही है। इससे पहले जो गरीबों की सरकार थी उसकी भी और आपकी समाजवादी सरकार की भी कि 3 साल से नहीं हो पाया है तो क्या ये जो बाकी बी0पी0एल0 श्रेणी के लोग है तो क्या आप उनकी खाद्य सुरक्षा के लिये उनको सस्ता अनाज देने की व्यवस्था करेंगे। सितम्बर में आपने 5 हजार रुपये तक की आय के लोगों को भारत सरकार ने आपको एक्स्ट्रा फूड दिया था जिसमें आपने सस्ता अनाज दिया था। क्या उसी तरह की योजना लागू करेंगे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन्, मा0 सदस्य उसी बात को घुमा-फिराकर कह रहे है। पिछली सरकार से कई बार पत्राचार किया जा चुका है कि जितनी हमारे बी0पी0एएल0 कार्डधारकों की संख्या है उतने में हम सबको सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पा रहे है। अतः बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या बढ़ायी जाये। अन्त्योदय कार्डधारकों की संख्या बढ़ायी जाये। इस विषय में कई बार मौखिक और लिखित पत्राचार भी हुआ है लेकिन कभी भी केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ये कार्ड बढ़ाये नहीं है। रही बात आयोग के गठन की तो 5 जुलाई तक समय है, 5 जुलाई अभी आया नहीं है तो कहीं से नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है और 3 महीना समय और बढ़ गया है तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि शीघ्र अति शीघ्र आयोग का गठन कर दिया जायेगा।

*02-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सम्बन्धी योजना का विवरण

*03 डा0 अरुण कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या सरकार कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

1-परिपत्र संख्या-1575/30-03-2014-32एम/2013 टी0सी0, दिनांक 16-06-2014 द्वारा ''राज्य सड़क सुरक्षा नीति'' जारी कर दी गयी है।

1-राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नवत् नीतिगत निर्णय लिये गये हैं :-

(i) सड़क सुरक्षा के उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देने हेतु राज्य स्तर पर पूर्व से गठित ''राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्'' में आंशिक संशोधन करते हुये मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया गया है तथा इस हेतु अधिसूचना संख्या-39/1571/30-03-2014-32एम/2013 टी0सी0, दिनांक 16 जून, 2014 निर्गत की गयी है।

(ii) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है तथा इसकी अधिसूचना संख्या-40/1576/30-03-2014-32एम/2013 टी0सी0, दिनांक 16 जून, 2014 जारी कर दी गयी है।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या-41/1577/30-3-14-32एम/2013 टी0सी0, दिनांक 16-06-2014 द्वारा सुरक्षा कोष की स्थापना की गयी है तथा ''उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014'' का ड्राफ्ट रूल प्रकाशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह मामूली मामला नहीं है, सड़क दुर्घटनाओं में, प्रदेश में रोजाना 100 लोगों की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटनाओं में। महीने में तीन हजार और साल में 30-35 हजार के बीच में लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और ये आम तौर पर युवा वर्ग के होते हैं और इससे कहीं ज्यादा गम्भीर रूप से घायल होते हैं, तो इसको हल्के में लेने का नहीं है आपने जो इसमें खाली यह बता दिया कि यह जी0ओ0 हुआ, वो जी0ओ0 हुआ मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या ठोस नीति आपने बनाई है, क्या इन जी0ओ0 के बारे में कुछ प्रमुख बातें मुझे बताएंगे। ये आपके जी0ओ0 कम्प्यूटर पर उपलब्ध नहीं है, आपकी साइट पर उपलब्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें प्रमुख अंश क्या है। क्या इसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये डग्गामार गाड़ियों पर रोक, शराब के नशें में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर कोई पनिशमेंट, मेन रोड पर गाड़ी खड़ी कर देना, सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे होना और उसके साथ-ही-साथ एक्सीडेंट जोन एरिया में सड़क को न ठीक कराना इनक्लूडेड है।

श्री अध्यक्ष-

ये जो आप पूछ रहे है, उसके सम्बन्ध में आपने जी0ओ0 बताया, ये पूछ रहे है कि क्या जी0ओ0 में ये सब बातें हैं।

डा0 अरूण कुमार-

जी हां मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये सब चीजें जी0ओ0 में इनक्लूडेड है, क्योंकि मुझे आपका जी0ओ0 कल भी मैं साइट पर देखता रहा लेकिन नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप जी0ओ0 भिजवा देंगे, मा0 सदस्य आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब मा0 मंत्री जी जो जी0ओ0 की कापी है, आप मा0 सदस्य को भिजवा देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, किस वाहन का लाइसेंस होगा किसका नहीं होगा, किस प्रकार का लाइसेंस होगा, यह काम भारत सरकार का है। हां जो है वो है, राज्य सरकार का काम नहीं है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे और उन्होंने डग्गामार गाड़ियों को गैर-कानूनी तौर पर इजाजत दे दी थी कि वे चल सकती है। जितने एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से बहुत एक्सीडेंट डग्गामार गाड़ियों से भी होते हैं। उस समय के मुख्य मंत्री आज देश के गृह मंत्री है। एन0डी0ए0 की सरकार है, सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम आपसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ, ट्रैक्टर में लगी ट्रालियां, डग्गामार गाड़ियां इनके लिये क्या भारत सरकार से कोई कानून बनवायेंगे ताकि जो मौतें होती है, उनमें बहुत कमी आ जाए। इसमें सहयोग करने के बारे में कुछ डा0 साहब आपसे थोड़े ही कहा है मैंने। आपके पास तो जवाब होगा ही।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, आप निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

वह जी0ओ0 आपको पहुंचा देंगे।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मान्यवर, उत्तर में यह है कि परिपत्र दिनांक 16 जून, द्वारा राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा नीति जारी की गयी। मान्यवर, 16 जून, को यह जारी हुई और आज 27 जून है। तो जब यह प्रश्न लगा था, उसके बाद से नीति बनाई गयी और एक समिति गठित करने का उल्लेख भी इसमें आय है। मान्यवर, यह अच्छी बात है कि सरकार ने इसमें संवदेनशीलता का परिचय दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि 16 जून से दो साल पहले यह सरकार बन गयी थी और उस बीच के अवधि में कोई सड़क सुरक्षा नीति नहीं बनी।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर देख लें। इसमें है कि उसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने परिषद् के गठन का प्रश्न ही नहीं पूछा है। दिनांक 16 जून, 2014 को नीति जारी की गयी। इससे स्पष्ट है कि इससे पहले कोई नीति नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर देख लें, इसमें लिखा है कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् में आंशिक संशोधन करके इसे बनाया गया है।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं नीति की बात कर रहा हूं।

श्री दलवीर सिंह-

श्रीमन् मैं जनपद अलीगढ़ के बारे में अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि पूरे जनपद भर में ओवरलोडिंग वाहनों के चलने से अलीगढ़ कानपुर एटा मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वह एन0एच0 है। मान्यवर, ओवललोडिंग वाहनों से गड्ढे हो गये हैं और दसियों जवान लड़कों की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गयी है। वहां आर0टी0ओ0 ऐसे वाहनों का चालान करके और एक हजार रुपये की रसीद काटकर उन ट्रकों को छोड़ देते हैं। मैंने कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस बारे में कहा है। मान्यवर, क्या संज्ञेय अपराध में इसको मानते हुये क्योंकि राज्य सरकार की सम्पत्ति की इसकी क्षति होती है तो क्या राज्य सरकार ऐसे मामलों में एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराने का इरादा रखती है। मान्यवर, जब तक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होगी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि ओवरलोडिंग ट्रकों के पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज होगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, जो भी ओवरलोडिंग वाहन/ट्रक हमारे प्रदेश में चलते है उन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी निर्देश दिये है कि उस पर कार्यवाही हो। साथ ही साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देशित किया है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों को न चलने दिया जाय। इसलिये हर रोडों पर इस पर कार्यवाही की जाती है और उसके लिये चालान होता है, जो ओवरलोडिंग गाड़ियां है एक टन के हिसाब से जितना रखेंगे उतना जुर्माना लगता है उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होती है। मैं कई बार खुद जा करके, यह पहली बार होगा कि कोई मिनिस्टर रोड पर निकल कर चेकिंग करता है, रोड पर चेकिंग करके ट्रकों को बन्द कराने का काम किया है। मेजों की थप थपाहट। मान्यवर, कोई भी अधिकारी उसमें संलिप्त और दोषी पाया गया है। और जो ऐसे वाहनों को छोड़ने का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी है।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इधर मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं बड़ी सफाई से कुछ मामलों को केन्द्र सरकार की तरफ डायवर्ड करने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विद्यमान कानूनों के बारे में और उनके होने वाले हानि और लाभ के प्रभाव और कुप्रभाव के बारे में चर्चा करता है उसके बारे में हम सभी लोगों के प्रश्न होते हैं और सरकार जवाब देती है। यदि कोई विषय ऐसा है जो केन्द्र सरकार को सुधार की आवश्यकता है नियम केन्द्र सरकार का है तो मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत जो परिस्थिति है उसका जवाब हमको सही-सही मिले और केन्द्र के सम्बन्ध में पत्र लिखे सरकार, हम यह जिम्मेदारी लेते हैं कि उन पत्रों को अगर उपयुक्त होंगे तो कार्यवाही केन्द्र से करायेंगे।

श्री सन्त राम कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो ट्रक ओवरलोड ले जाते हैं वह चाहते हैं कि हमारा चालान हो जाय इसलिये कि चालान की धनराशि बहुत कम होती है और साथ-साथ उसमें एक नियम है कि अगर चालान हो गया तो एक महीने के अन्दर 30 दिन उसी चालान के तहत फिर दोबारा चालान नहीं

होगा। इसलिये अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो चालान की धनराशि है वह बढ़ाई जाय और दूसरे दिन अगर वही ट्रक फिर ओवरलोड में पकड़ा जाता है तो उसका दोबारा चालान हो। माननीय अध्यक्ष जी, यही हमारा कहना है।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा माननीय मंत्री जी ने भी कहा वास्तव में दुर्घटनाओं का कारण डग्गामार बसें हैं। लेकिन यदि यातायात के साधनों पर हम गौर करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यातायात का कोई साधन ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद नहीं है इसलिये मजबूरी के कारण डग्गामार बसों में लोगों को सवार होना पड़ रहा है यह जानते हुये भी कि रोज दुर्घटना होती है फिर भी लोग जान हथेली पर लेकर के डग्गामार बसों पर सफर करते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जो जिला मार्ग है उन पर भी बसों की उपलब्धता नहीं है मेरे यहां मैं कई बार थानाभवन विधान सभा जनपद शामली की बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर से थानाभवन, शामली से थाना भवन इन मार्गों पर भी मैं कई बार बसों की मांग कर चुका हूं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य के छोटे-छोटे राज्यों के मुकाबले भी हमारे पास बसों का बेड़ा नहीं है तो मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आप बसों की उपलब्धता करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल इससे संबंधित नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां एन0एच0 28 पर लगातार जो बड़ी ट्रकें, लोडेड ट्रकें होती हैं वह एन0एच0 28 के किनारे खड़ी कर देते हैं। आये दिन जो सड़क पर छोटा यह बड़े वाहन चलते हैं एन0एच0 28 पर ट्रकें खड़ी होने के कारण वहां दुर्घटनायें होती रहती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो एन0एच0 28 पर ट्रकें खड़ी करके एक्सीडेंट को दावत देती है ऐसी ट्रकों के खिलाफ गम्भीर क्या आप कार्यवाही करने का काम करेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लल्लू जी ने जो सवाल पूछा है यह सही है। चाहे राष्ट्रीय मार्ग हो या नेशनल मार्ग हो, या राजमार्ग हो, इस पर जहां ढाबा होता है, वहां पर ट्रकें लोग खड़ा कर देते हैं। इससे दुघर्टनायें हो सकती है और होती भी है। यह हमारे आर0टी0ओ0 विभाग का नियम है कि जो गाड़ियां चलती है या ओवरलोड आ रही है, उसको चेकिंग करके उसी समय विभाग के लोग पकड़ने का काम करते है। अगर रोड पर खड़ी कर दी है तो उसको पकड़ने नहीं जाते है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि हमारी नियमावली में अगर यह चीज होगी कि जो गाड़ियां खड़ी हो, उसको भी हम पकड़ सकते हैं तो उसके खिलाफ भी हम कार्यवाही करने का काम करेंगे।

श्री देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ओवरलोडिंग पर उनके विचार आये और वह कार्यवाही भी करेंगे। लेकिन एक बहुत गम्भीर मामला है, जिसे मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक कम्पनी है डी0पी0वाई0, उसके पास कितनी ट्रकें है। डी0पी0वाई0 के नाम से गाड़ियां चल रही है, लोग कहते हैं कि यह माननीय मंत्री जी की कम्पनी है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह कहां सूचना उनके पास होगी, यह आक्षेप मत लगाइये, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं इस पर बोलने की कोई इजाजत नहीं देता।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

डी0पी0वाई0 के नाम से कोई भी चला सकता है, हमारी कम्पनी कहां है।

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकाने जाने पर)

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक पूछे जाने का अनुरोध करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, प्रश्न का जवाब आ रहा है। सुधाकर सिंह जी आप भी बैठिये। अरे बैठिये अब हम आगे बढ़ गये।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा अनुपूरक किये जाने का अनुरोध करने पर-व्यवधान)

अरे बैठिये, आप ही की पार्टी के लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के प्रश्न का जवाब आ रहा है। आप अध्यक्ष है, जरा इनको बाहर तो कोई नोटिस दे देते। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा पुनः अनुपूरक किये जाने का अनुरोध करने पर-व्यवधान)

अरे आप इनको संभालिये नेता जी। यह गलत बात है, अब हम कुछ नहीं, सुनेंगे, अब उसमें इतना बड़ा कोई सवाल नहीं है जो यह पूछेंगे। अब मैं आगे बढ़ गया हूं और पीछे नहीं आऊंगा। अब आप बैठिये।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों एवं बेरोजगारों को रोजगार के साथ निवेशकों को आकर्षित करने सम्बन्धी योजना की जानकारी

*04-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2012 से 03-06-2014 तक प्रदेश में कुल कितने उद्योग किन-किन जिलों में स्थापित किये गये और उनमें कुल कितनी धनराशि निवेशित की गयी तथा कितने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये गये ? क्या सरकार द्वारा भविष्य में प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत शरण गंगवार)-

प्रदेश में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 03-6-2014 तक स्थापित उद्योग, निवेशित धनराशि तथा रोजगार सृजन का विवरण निम्नवत् है -

वित्तीय वर्ष	स्थापित उद्योग	निवेश (करोड़ रु0 में)	रोजगार सृजन
2012-13	30933	4157.33	216749
2013-14	45342	3995.48	490820
2014-15 (03-6-14 तक)	4372	689.45	40942
योग	80647	8842.26	748511

जनपदवार विवरण संलग्न है। †

जी हां। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु निम्नानुसार योजनायें संचालित की जा रही हैं-

(1) नयी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 लागू की गयी है, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा प्रोत्साहनात्मक योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

(2) उद्यमियों को सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत आन-लाइन उद्यमी ज्ञापन दाखिल किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) नयी तकनीक के प्रयोग को बढावा देने हेतु तकनीकी उन्नयन योजना संचालित की जा रही है, जिसमें इकाई द्वारा नयी तकनीक की मशीनों इत्यादि की स्थापना हेतु अधिकतम रु0 2.00 तक के अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

(4) नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के क्रम में पूर्वांचल, मध्यान्चल एवं बुंदेलखण्ड में क्रय की गयी भूमि पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट की व्यवस्था की गयी है।

(5) हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत हस्तशिल्पियों द्वारा निर्धारित मेलों में भाग लिये जाने पर उनके द्वारा व्यय किये गये किराये इत्यादि की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु0 10,000.00 राज्य सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

(6) प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में लागू महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत इण्टर पास महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50,000.00 की सीमा तक 5 वर्षों तक ब्याज उपादान दिये जाने की व्यवस्था है।

(7) प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि क्या सरकार द्वारा भविष्य में प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने की कोई योजना है, यदि हां तो उसकी रुपरेखा क्या है। मुझे उम्मीद यह थी कि अभी मा0 मुख्यमंत्री जी ने निवेशक समिट की थी और उसमें निवेशकों को आकर्षित करने के किन चीजों को वहॉ कहा है उसकी जानकारी मिलेगी लेकिन उसकी जानकारी नहीं आई। उसके बाद भी मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बिजली, टैक्स का स्ट्रक्चर, ऋण की सुविधा, कानून-व्यवस्था और जमीन की उपलब्धता, यही चार पॉच चीजें आवश्यक है। मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे भाग में अपनी जो पुरानी परम्परागत छूट है, योजनाएं है, उनकी चर्चा की है, न तो निवेशक समिट की बात आई और न ही कोई उत्साहवर्धक बात आई है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार उत्तराखण्ड ने अपने यहॉ 5 साल और 10 साल की टैक्स में छूट दी थी क्या इस प्रकार की छूट कुछ लघु उद्योगों को देकर नये उद्योगों

की स्थापना पर सरकार विचार करेगी। ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था पर क्या सरकार विचार करेगी? उद्योगों के लिए और जो सब्सिडी है उसकी अनुमन्यता और उसकी अनुमन्यता और उसकी दर क्या होगी? और अन्तिम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि मा0 मंत्री जी ने बिजली के बारे में कुछ नहीं बताया कि अगर कोई उद्योग स्थापित होगा और कोई निवेश होगा तो बिजली आपूर्ति के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री भगवत शरण गंगवार-

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक मा0 बाजपेयी जी ने प्रश्न किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी तो हमारे मुख्य मंत्री जी की और सरकार की सोच थी कि उद्योग ही प्रदेश में बेरोजगारी खत्म कर सकता है और इस क्षेत्र में सबसे पहले 2004 में उद्योग नीति हमारी ही सरकार ने बनाई थी और बीच के समय में इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसी क्रम में सबसे पहले 2012 उद्योग नीति लाई गई और उसी नीति के क्रम में सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, 2012 बनी, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 बनी, सौर ऊर्जा नीति 2012 बनी, चीनी उद्योग को बढ़ावा।

(मा0 सदस्य डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, पहले आप उत्तर सुन तो लीजिए।

श्री भगवत शरण गंगवार-

कुक्कुड़ प्रोत्साहन के लिए नीति बनाई गई। हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरे प्रदेश के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पूरे जिले को फोरलेन से जोड़ने की नीति बनाई और कई जिलों को जोड़ा जा रहा है तो इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और जहां तक बिजली की बात है तो पूरे प्रदेश के अन्दर जितने हमारे स्थान हैं उन स्थानों को इंडिस्ट्रियल स्टेट्स को 24 घण्टे बिजली सप्लाई दी जायेगी यदि कहीं लोकल फाल्ट न हो तो। इसके बाद ब्याज की बात आई तो ब्याज के बारे में उद्योग नीति 2012 स्पष्ट है और उसमें सारी चर्चा है। आप कहें तो उसको पढ़ दूं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने जिस बात को कहा कि उद्योग नीति में स्पष्ट है तो उस उद्योग नीति का स्पैसिफिक भाग एक या दो लाइन में स्पष्ट कर दें कि क्या ब्याजमुक्त ऋण या ब्याज पर सब्सिडी की सरकार की कोई योजना इस उद्योग नीति में है ? दूसरी बात, मैंने पूछा था कि उत्तराखण्ड के पैटर्न पर 05 वर्ष या 10 के लिए करों में छूट नये स्थापित उद्योगों के बारे में है क्या ? इसके अतिरिक्त मैंने पूछा था कि दिल्ली में हुई निवेशक सम्मिट में निवेशकों के सामने किन सुविधाओं के प्रस्ताव रखे गये जिससे निवेशक आकर्षित हो सके मैं ये बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, दिल्ली में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें 10 देशों के राजदूत और लगभग 700 निवेशक आये थे और उसमें लगभग रु0 54 हजार करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं। उसमें सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि 54000

करोड़ रुपये के उद्योग लगेंगे। इससे पहले आगरा में सम्मिट हुई थी उसमें भी बहुत सारे देशों के लगभग 5000 उद्यमी और बाहर से आये लोग सहभागी बने और उसमें भी बहुत सारी सम्भावनायें बनीं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहिए। मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है निवेशक आये, निवेशकों ने एम0ओ0यू0 साइन किये यह बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं न ही उस पर अविश्वास किये जाने का कोई सवाल है। उन निवेशकों के सामने किस प्रकार के प्रस्ताव रखे गये जिससे वह हम पर आकर्षित हुए, यह पहला प्रश्न है। दूसरे, उत्तराखण्ड के पैटर्न पर क्या करों की छूट कुछ वर्षों के लिए देने पर सरकार विचार कर रही है ? तीसरे, ब्याज मुक्त या ब्याज पर सब्सिडी देने पर सरकार विचार कर रही है और जो निवेशक उद्योग लगाने आयेंगे तो उनकी बिजली की उपलब्धता जो इण्डिस्ट्रयल इस्टेट में नहीं लगायेगा, 50 हजार गज जमीन में उसे इण्डस्ट्री लगाना है, इण्डिस्ट्रयल इस्टेट में 50 हजार गज जमीन मिलेगी नहीं तो वह कहीं और लगायेगा, तो उसको भी क्या 24 घण्टे बिजली उपलब्ध होगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि 24 घण्टे बिजली दिया जायेगा।

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, मैंने 24 घण्टे बिजली देने की बात की। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में पूरा विस्तृत ब्यौरा रखा था और यह उन्हीं का विषय है, मैं तो सूक्ष्म और लघु उद्योग से संबंधित हूं। जहां तक आपने पूछा है कल मुख्य मंत्री जी ने जमीन के बारे में बताया था कि चाहे अस्पताल आये हों भारत सरकार से, हमने जमीन दी, बहुत सारे उद्योग के बारे में उन्होंने बताया कि हमने इन-इन शहरों में व्यवस्था की है और यह स्पष्ट है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश का माहौल लगाने के हिसाब से है और इसी हिसाब से बहुत बड़ा सम्मिट दिल्ली में हुआ था, अगर ये लोग उत्तर प्रदेश में भरोसा न करते तो फिर इस सम्मिट में इतने लोग उपस्थित क्यों होते।

(प्रश्न पूछने के लिए कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, यह प्रश्न सूक्ष्म और लघु उद्योगों का है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जवाब दिया, मुझे खुशी है। आपने जनपदवार उद्योगों की सूची भी लगा दी है, यह भी बहुत कारगर जवाब होगा यह मैं स्वीकार करता हूं। मेरा प्रश्न इसी जवाब से है, सरकार यह कह रही है और इस सदन में स्वीकार कर रही है कि 2012-2013 में इस सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्यम में कुल 3837 करोड़ रुपये का निवेश कराया। 3837 करोड़ रुपये का निवेश लघु और सूक्ष्म उद्योग में हुआ। उसके पेज नम्बर तीन पर बनारस, मिर्जापुर, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, आजमगढ़ और फैजाबाद अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश इस 3837 करोड़ में से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल 398 करोड़ का निवेश हुआ यानी 10 प्रतिशत 12-13 में मध्यम

उद्योग 319 करोड़ के लगाए गए इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ का निवेश हुआ 13-14 में 3,042 करोड़ के सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाए गए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 262 करोड़ मध्यम में 953 करोड़ लगाए गए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 107 करोड़ और 14-15 में जितना अब तक हुआ है 474 करोड़ का निवेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 29 करोड़ का निवेश।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछ लीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा सवाल यह है कि तीन साल के निवेश का सरकार ने आंकड़ा दे दिया सरकार ने अपनी नीति भी बता दी कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट देंगे महिला उद्यमियों को पांच प्रतिशत की दर से 50,000 तक की छूट देंगे। प्रश्न यह है कि जब आप आंकड़े दे रहे हैं स्वयं देख रहे हैं कि 40 प्रतिशत की जनसंख्या के पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 प्रतिशत उद्योग धंधे लग रहे हैं अध्यक्ष जी यह आपका भी सवाल है क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो भी नीतियां आपने बनाई है उसके नाते पूर्वी उत्तर में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं क्या आप अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेंगे जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक उद्योग लग सकें।

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिए 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी पर सब्सिडी है। उसके अलावा वहां एक महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है हस्त शिल्प विपणन योजना चलाई गई है तकनीकी उन्नयन योजना के रुप में भी हम लोग काफी सब्सिडी देते हैं। मेरा आपसे आग्रह है आप हमारा सहयोग करें हमें भी बुलाएं हम पूरा विभाग लेकर वहां चलते हैं लोगों को प्रोत्साहित करते हैं प्रोत्साहित करना निश्चित रुप से विभाग का काम है बहुत सी जगहों पर इस योजना का लोग लाभ ले रहे हैं बहुत सी जगहों पर इसका लाभ नहीं लेते हैं तो आप हमें इस सम्बन्ध में सुझाव दीजिए हम निश्चित रुप से आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष-

गंगवार साहब गोरखपुर में बड़े बड़े उद्यमियों की मीट हुई थी हम भी गए थे जमीन ले लेते हैं और चले जाते हैं बाद में खाली जमीन पर स्कूल बनाने लगते हैं उद्योग नहीं लगाते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रदेश में बेरोजगारी के निराकरण हेतु स्थाई नीति सम्बन्धी जानकारी

*05-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी के स्थाई निराकरण की प्रदेश सरकार की कोई नीति है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेक्षण

कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं, जहां आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने प्रश्न किया था कि क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी के स्थाई निराकरण की प्रदेश सरकार की कोई नीति है इसमें दो नीति माननीय मंत्री जी ने बताई एक सेवायोजन कार्यालय द्वारा दूसरा कुछ ट्रेनिंग के द्वारा एक इम्प्लाईमेंट एक्सचेंज के माध्यम से दूसरा ट्रेनिंग के द्वारा हमें एक संलग्नक भी दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2013 में 74 लाख 28 हजार 346 बेरोजगार पंजीकृत थे। जिनमें से 24579 लोगों को नौकरियां मिली है इस नीति के तहत। मतलब लगभग तीन सवा तीन प्रतिशत बेरोजगार जो रजिस्टर्ड हैं उनको यह सरकार नौकरी दे पाई। यह नीति कितनी कारगर है बेरोजगारी दूर करने में, यह इससे स्वयं स्पष्ट होता है। हम यह जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि जो ग्रुप डी के हम एक ही सवाल पूछेंगे एक बार। या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती संविदा पर करते हैं क्या आप अपने इस सेवायोजन कार्यालय से करने का विचार रखते हैं। मेरा यह पहला प्रश्न है, मैं एक एक करके प्रश्न करुंगा।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह हमारी लोकप्रिय सरकार आई है किसी भी विभाग में जो नियुक्तियां शेष थी, उनको करने का प्रयास किया गया। सरकार के आते साथ ही हर विभाग में जो विकलांग का कोटा था, हमने उसको पूरा किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ग्रुप डी, क, ख, ग है उस सबकी प्रक्रिया प्रचलित है और निश्चित रुप से जो अभी आयोग का गठन हुआ है उसके माध्यम से भी जहॉ जो रिक्तियां होंगी, उनको भरने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं एक-एक करके प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि क्या संविदा पर लिये जाने वाले लोगों को रोक कर के अपनी विभागीय भर्ती करेंगे वह तो आप भर्ती जितने किये हैं, आपने बताया कि आपने 24 हजार साढ़े 24 हजार भर्ती की। वह तो आपने जो विकलांग कोटा या अन्य पिछड़ा जो भी रिक्तियां थी। लेकिन आप 3 परसेन्ट लोगों को ही नौकरी दे पाये हैं जितने बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया है। तो इन बेरोजगारों को जिनका दोहन होता है संविदा पर, उनकी संविदा के बजाय आप डायरेक्ट नौकरी देंगे? यह प्रश्न मैंने पूछा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। आप इसका उत्तर दे दें तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूं। अभी पहला प्रश्न ही आगे नहीं बढ़ा है।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, उसकी प्रक्रिया जारी है और जो विभाग में रिक्तियां हैं उनको भरने का प्रयास है। और वैसे ही जब अभी नई सरकार का गठन हुआ है, अच्छे दिन आने वाले है। सबको सोचना चाहिये कि अच्छे दिन आयेंगे और सबको रोजगार मिलेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूछा था कि संविदा के एवज में संविदा समाप्त करके नौकरी देने की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कह रहे हैं कि हम भर्ती प्रक्रिया चला रहे हैं संविदा का कोई प्रश्न ही नहीं, उनके कहने का आशय यह है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मतलब हम यह मानें कि संविदा समाप्त होने जा रही है। उत्तर का मतलब यही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप जो मानिये। दूसरा प्रश्न करिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

चलिये हम यह मान लेते हैं कि संविदा समाप्त हो रही है। दूसरा आप यह बता दें कि जिन पदों के लिये चयन बोर्ड से सेवायोजन से आप भर्ती करते हैं उनमें और भी ग्रुप थ्री के, ग्रुप टू के या जो भी है, क्या उनको सम्मिलित करने का कोई विचार कर रहे हैं जिससे और भी बेरोजगारी को हम कम कर सकें।

श्री शाहिद मंजूर-

हर विभाग में नियुक्ति करने की अलग से प्रक्रिया है। हर विभाग भर्ती करने के लिये प्रयत्नशील है और प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारे विभागों में भर्ती की प्रक्रिया उस हद तक पहुंच गई है जहां न्यायालय का सहारा लिया जाता था। रोक लगी थी चाहे टी0ई0टी0 हो चाहे बेसिक शिक्षा के हों या दूसरे किसी भी विभाग के हों सरकार प्रयत्नशील है और हर विभाग में यथाशीघ्र बेरोजगारों को रोजगार भी देगी और उसकी पूर्ति भी करेगी।

श्री धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार की लोकप्रियता को बहुत बधाई और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण न हो और उनको औसत वेतन मिले। क्या सरकार द्वारा इसकी कोई योजना बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश में बेरोजगारी के स्थायी निराकरण, इसमें अलग तो है नहीं कुछ। जो है सब एक ही साथ है।

श्री धर्म पाल सिंह-

इसी से संबंधित है। मान्यवर, आप भी श्रम मंत्री रहे है, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, जो असंगठित क्षेत्र है, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता उसकी आवाज मान्यवर, आप ही सुन सकेंगे क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, खेतिहर मजदूर है, रोड पर इक्टठे होकर आज आजादी के 67 साल बाद भी मजदूरों का बाजार लगता है। लोग सुबह गाड़ियों से उन्हें लेने पहुंच जाते हैं, वह बेचारे अपना श्रम बेचने के लिये एक जगह एकत्र होते हैं। मान्यवर, मैंने इसलिये यह प्रश्न पूछा, सरकार अच्छे दिनों की बात कर रही है, मैंने कहा इसके लिये आपको बधाई और धन्यवाद, क्या इसमें असंगठित क्षेत्र के बारे में भी सरकार का कुछ विचार है, श्रमिकों का शोषण न हो, उनके श्रम का उचित लाभ मिले, औसत वेतन मिले, क्या इस तरीके की कोई योजना है ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, असंगठित क्षेत्र की नियमावली बनायी जा रही है और संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र, श्रमिकों का, मजदूरों का, प्रदेश सरकार पूरी तरह से संरक्षण करेगी और कहीं भी किसी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होने देगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

चूंकि आपकी सरकार की इस नीति से 3 प्रतिशत से भी कम के आसपास नियुक्तियां हो पा रही है तो क्या आप भर्ती के प्रतिशत को बढ़ाने के लिये कोई नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अखिलेश जी, लगभग हर विभाग में लाखों-लाखों की तादाद में प्रक्रिया के हिसाब से भर्ती होने जा रही है। इस विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं या उनके माध्यम से जो हुई हैं, उनके आंकड़े तो आ गये हैं, इसके अतिरिक्त कोई विभाग बचा हुआ नहीं है जो अपने यहां कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और प्रयत्न कर रही है और जैसे ही यह सारा प्रतिशत आ जायेगा, यह प्रतिशत अपने आप, आटोमेटिकली बढ़ जायेगा।

डा0 मो0 अय्यूब-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा में आश्वासन दिया है कि यह सरकार सेकुलर और सोशलिस्टिक है। बेरोजगारी का शिकार सबसे ज्यादा समाज का कमजोर वर्ग है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो सबसे गरीब है और बेरोजगार है, अति पिछड़े, अति दलित और मुसलमानों के लिये क्या कोई नीति देगी ताकि उनको भी रोजगार मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, पिछड़ों के लिये, सबके लिये इसमें आरक्षण की व्यवस्था है। यह कोई प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न सं0-6 , श्री गुटियारी लाल दुवेश जी।

जनपद आगरा में जूता उद्योग को सुरक्षित करने हेतु ठोस उपाय सम्बन्धी जानकारी

*06-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा से जूतों का एक्सपोर्ट करीब रु0 5000 करोड़ से 7000 करोड़ प्रतिवर्ष का होता है और स्वदेश के लिए अलग

प्रोडक्शन होता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि चेन्नई, दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैक्ट्री स्थापित होने से आगरा का मजदूर मद्रास व दिल्ली पलायन कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश को विदेशी मुद्रा की हानि से बचाने हेतु जनपद आगरा के जूता उद्योग को सुरक्षित करने की कोई ठोस कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत शरण गंगवार-

जिला उद्योग केन्द्र आगरा तथा उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत जनपद आगरा की 102 निर्यातक इकाइयों से प्राप्त सूचना के अनुसार लेदर फुटवियर, फुटवियर कम्पोनेन्ट एवं अन्य का वर्ष 2012-13 में कुल निर्यात लगभग रु0 2100 करोड़ तथा वर्ष 2013-14 में लगभग रु0 2300 करोड़ का निर्यात किया गया है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में लेदर उद्योग को प्रोत्साहित करने एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एसाइड योजनान्तर्गत टेस्टिंग लैब एवं डिजाइन स्टूडियों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त आगरा के लेदर क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा एक मेगा लेदर क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, किन्तु अभी तक इसकी कोई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं है।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार का जवाब आया है कि लैब टेस्टिंग, डिजाइन स्टूडियों और लेदर क्लस्टर की स्वीकृति दी जा चुकी है, क्योंकि दी जा चुकी है, यह स्थापित कब तक हो जायेगी और मेरा सवाल था कि आगरा शहर में शूज का बड़े पैमाने पर शुरू से मैन्यूफैक्चरिंग होता है, चाहे वह एक्सपोर्ट होता हो, चाहे वह डोमेस्टिक यूज में हमारे देश में सप्लाई होता है। चेन्नई में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां लग गयी, दिल्ली में पलायन कर गया आगरा का उद्योग, दिल्ली में फैक्ट्रियां लग गयी, मान्यवर, मेरा सवाल इतना है कि 2300 करोड़ का जो कारोबार हो रहा है, वह कारोबार कम से कम 20 हजार करोड़ का आगरा में होना चाहिये था। आप चेन्नई में जा करके देखिये कि वहां पर एक फैक्ट्री जितना मैन्युफैक्चरिंग करती है, इतना आगरा की 10 फैक्ट्रियां नहीं कर पाती। आगरा की एक फैक्ट्री में मुश्किल से एक हजार से लेकर, पांच सौ, सात सौ, बारह सौ तक मैन्यूफैक्चिरिंग होता है। लेकिन चेन्नई में बड़े पैमाने पर शूज का कारोबार होता है। ताजमहल की वजह से, टी0टी0जेड0 होने के बाद भी पूरी बिजली सप्लाई नहीं होती है। 24 घन्टे बिजली देने का मानक है उसके बाद भी 4-6 घंटे तक बिजली कटौती होती है। वहां का उद्योगपति और वर्कर दोनों दुखी रहते हैं। जब वर्कर को वहां पर पूरा पैसा नहीं मिलता तो चेन्नई और दिल्ली वाले बड़े पैमाने पर आगरा से वर्करों को पैसा देकर ले जाते हैं। पहले जूते का कारोबार चेन्नई में नहीं होता था और दिल्ली में नहीं होता था वहां पर जूते को बनाने वाले आगरा से गये। या तो प्रदेश सरकार कोई नीति नहीं बना रही है कि आगरा में उद्योग बढ़े। बिजली की कटौती न हो, चेन्नई की तर्ज पर बड़ा कारोबार हो। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लैब टेस्टिंग, डिजाइन स्टूडियों और लेदर क्लस्टर कब तक स्थापित हो जायेगा।

श्री भगवत सरन गंगवार-

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में लेदर क्लास्टर प्रस्तावित है। जिसके लिये जमीन की व्यवस्था हो गयी है। किसी उद्योग को लगाने के लिये निर्धारित समय लगता है। वह उसी प्रक्रिया में है। बाकी वह प्रस्तावित है। मान्यवर, लैम्को को 2003 से बन्द कर दिया गया था। और लैम्को के बंद होने से वहां के कारीगरों को काफी परेशानी हुयी और हम लोग सोच रहे है कि कैसे इसको किया जाये। जहां तक लैब टेस्टिंग, डिजाइन स्टूडियों और जो तकनीकी मशीनों की बात है उसके बारे में सरकार में प्रयत्नशील है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। हमारे मा0 सदस्य महोदय ने एक बात कही थी कि आगरा से दिल्ली और चेन्नई में कारीगरों का पलायन हो रहा है। मैंने स्वयं जो बड़े-बड़े जो जूता निर्माता है मैंने उनसे जानकारी की तो मान्यवर, ऐसा भी नहीं है कि वहां का कारीगर चेन्नई गया है। आगरा में अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट ऐसा विषय है कि हमने देखा है कि जिन शहरों में एक्सपोर्ट होता है वहां के कारीगरों को लाभ मिलता है उनको मेहनत का पूरा पैसा मिलता है। तो आगरा के उद्योग के बारे में भी हम जापान एक ग्रुप को लेकर गये। और वहां उन्हें बहुत बड़ा व्यवसाय मिला और आई0टी0पी0ओ0 जो भारत सरकार का एक एसोसियेशन है उसके साथ निर्यात बढ़ाने के लिये एक एम0ओ0यू0 साइन कर लिया है। वह विदेशों में जाकर 14 मेले लगाते हैं। तो आगरा के लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिये सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जूते का काम विश्व प्रसिद्ध है तो वह विश्व प्रसिद्धि भी बनी रहे और रोजगार भी मिले और वहां से धन भी आये। तो इसमें कहीं सरकार की कोताही नहीं है। आप भी निश्चित रूप से आगरा से ही होंगे तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे साथ में आ जायें। आगरा के लोगों के लिये जो कुछ भी जूता के व्यापार में किया जा सकता है सरकार पूरी तरह से इस बारे में चिन्ता कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये। प्रश्नों का समय समाप्त।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा दुदे में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

01-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा दुदे में चकिया मुगलसराय रोड से अनुसूचित जाति बस्ती में सड़क से रामचरन के मकान तक एवं परीमाह के मन्दिर से कल्लू तिवारी के घर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत, चंदौली की किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन कराये जाने की मांग

02-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी से ऐरा खमरिया तक राष्ट्रीय मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन होता है परन्तु इसी क्षेत्र के हसनपुर कटौली दुर्गापुर-पड़री तक 30 कि0मी0 अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग है, पर बसों का संचालन प्रतिदिन नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर भी बस सेवा संचालित कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग पर अपेक्षित लोड फैक्टर प्राप्त न होने के कारण बस सेवा संचालित किया जाना निगम हित में नहीं है।

जनपद सोनभद्र में पंचायतीराज विभाग द्वारा कतिपय भवनों ग्राम सचिवालय पंचायत भवनों का निर्माण तथा उसे संचालित कराये जाने की मांग

03-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में पंचायती राज विभाग की योजना तथा बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत कितने पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त में से अधिकांश पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय बन्द होने के कारण ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद सोनभद्र में निर्मित ग्राम सचिवालय/पंचायत भवनों की सूची उपलब्ध कराते हुए बन्द पड़े ग्राम सचिवालयों तथा पंचायत भवनों को खुलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

जनपद सोनभद्र में जिला योजनान्तर्गत 188 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित कराये गये। इसके अतिरिक्त बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत 81 ग्राम पंचायत सचिवालय स्वीकृत थे किन्तु माह फरवरी, 2013 में लिये गये निर्णयानुसार अब इस योजना में ग्राम पंचायत सचिवालयों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। उस समय तक जनपद सोनभद्र में 20 ग्राम पंचायत सचिवालय अनारम्भ थे। अतः अनारम्भ 20 ग्राम पंचायत सचिवालय को छोड़ते हुये ग्राम पंचायत सचिवालय का लक्ष्य 61 रह गया है, जिसके सापेक्ष 54 पूर्ण हो चुके हैं तथा 7 निर्माणाधीन हैं। 54 पूर्ण में से 51 ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित हो चुके हैं तथा शेष ग्राम पंचायत सचिवालयों का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन है।

जी हां। ग्राम पंचायत सचिवालयों का पूर्णरूपेण उपभोग सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दिनांक 19-04-2011 से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जी हां। ग्राम सचिवालयों की सूची संलग्न है।[†] यदि किसी पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय के बन्द होने की सूचना प्राप्त होती है तो उसे खुलवाने एवं संचालित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

04-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में एक भी मेडिकल कालेज न होने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सोनभद्र में भी मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। जनपद सोनभद्र में जिलास्तर पर पुरुष/महिला चिकित्सालयों में मरीजों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है।

राज्य के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद सोनभद्र में मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के ग्रामीण अंचलों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

05-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के ग्रामीण अंचलों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत की जाती है। इस हेतु भूमि की उपलब्धता, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति, परिव्यय की उपलब्धता एवं बजट की व्यवस्था होना आवश्यक है। प्रश्नगत क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोले जाने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति एवं उक्त औपचारिकतायें अभी पूर्ण नहीं है।

जनपद सोनभद्र के सोन और कनहर नदियों से अवैध खनन का कथित प्रकरण

06-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के सोन और कनहर नदियों के पेटे में करगरा, मीतापुर, अलऊर, गुरदह, कोटा, अम्माटोला और पड़रछ ग्राम पंचायत का भुतहवा टोला से मौरंग का अवैध खनन पोकलैन मशीनों से किये जाने से प्रतिदिन लगभग

[†] छापी नहीं गयी।

800 से 1000 ट्रक बालू/मौरंग निकाल कर बाहर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में आवंटित खनन पट्टे धारकों के अलावा अवैध खनन का कथित प्रकरण

07-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में आवंटित खनन पट्टे धारकों के अलावा अन्य लोगों द्वारा भी अवैध रूप से खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार खनन पट्टे धारकों की सूची उपलब्ध कराते हुए अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर में ग्राम बेल्तुआ में मानक के अनुरूप निर्मित सड़क की जांच एवं मरम्मत की मांग

08-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम-बेल्तुला, विकास खण्ड ईसानगर में गन्ना सेन्टर से अहिरनपुरवा वाया पसियनपुरवा मूड़ी रोड तक तथा बेल्तुआ से ग्राम मूड़ी तक दो नग सड़क तीन वर्ष के अन्दर जिला पंचायत खीरी द्वारा निर्मित सड़क मानक के अनुरूप न बनने के कारण ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जिला पंचायत द्वारा क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग पसियनपुरवा से मूड़ी मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। शेष आंशिक/पैंच मामूली क्षतिग्रस्त सड़कों की पैंच मरम्मत यथाशीघ्र करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा मलोखर में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कराये जाने की मांग

09-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा मलोखर में कान्ता यादव के घर से सीता पटेल व मुन्नी लाल सोनकर वाया पंचायत

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

भवन लालजी गौड़ के मकान तक का मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का इन्टरलाकिंग या सी0सी0 रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत, चंदौली की किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव में सी0सी0 व नाली के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

10-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव धनौली विकास खण्ड अकोला आगरा के जगनेर रोड धनौली सिरौली मोड़ से आराधना गैस एजेन्सी के बीच में सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया है ? यदि हां, तो सरकार अधूरे कार्य को कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

जिला पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा प्रश्नगत कार्य को कराने हेतु सहमति न देने के कारण सदन द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया है।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बढ़ाये जाने की मांग

11-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की कुल कितनी दुकानें संचालित हैं ? क्या सरकार ओबरा विधान सभा क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की कुल 132 दुकानें संचालित हैं। शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2002 में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन गांव सभाओं में 4000 से अधिक यूनिट हैं वहां यदि गांव सभा यह महसूस करती है कि एक से अधिक दुकान खोलने में लोगों को सुविधा होगी तो प्रत्येक 4000 यूनिट के लिये एक दुकान खोलने के लिये प्रस्ताव कर सकती है।

जनपद सोनभद्र की सोन तथा कनहर नदियों के अवैध खनन की रोकथाम का कथित प्रकरण

12-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की सोन तथा कनहर नदियों में अवैध मौरंग/बालू खनन से बने 15 से 20 फुट के कुंड में बरसात के दिनों में पानी

भर जाने से स्थानीय लोगों के डूबने से मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मौरंग, बालू की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का कथित प्रकरण

13-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मौरंग, बालू की बढ़ती हुयी कीमतों से जनसामान्य को मकान बनाना मुश्किल हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मौरंग, बालू की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में पैरामेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

14-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में पैरामेडिकल कालेज बनाये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सोनभद्र में पैरामेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में विद्युत शवदाह गृह बनवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

15-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में स्थित शमशान घाटों जिनकी चाहर दीवारी बन चुकी है, उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु विद्युत शवदाह गृह बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

जनपद की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थिति में विद्युत शवदाह गृह उपयोगी नहीं है।

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्डधारकों की सुविधा सम्बन्धी जानकारी

16-श्री मनीष असीजा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के समान स्तर की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि वाले वंचित परिवारों को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर सर्वेक्षण कराकर उन्हें बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की भांति सुविधा प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों से कोई कार्ड जारी करने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

सम्प्रति शासन में इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है। प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है और उसी के अनुरूप बी0पी0एल0 राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा सुरौली में क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण कराये जाने की मांग

17-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-सुरौली में मुख्य नहर से प्रा0पा0 विद्यालय तक पिच रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे जनमानस को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का डामरीकरण का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क जिला पंचायत, चन्दौली की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा, स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा खजूरगांव हथेरवां की क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकरण कराये जाने की मांग

18-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-खजूरगांव, हथेरवां में राम किसुन चौहान के घर से जिऊत चौहान के घर होते हुए दलित बस्ती तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के कतिपय दुकानों के बाल मजदूरों को मुक्त कराने का कथित प्रकरण

19-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित अधिकांश होटलों, रेस्टोरेन्टों, दुकानों एवं मिठाई की दुकानों पर बाल मजदूरों से बाल श्रम कराये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाल मजदूरों को मुक्त कराने हेतु कार्यवाही करते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर की कतिपय गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

20-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में गोमती ग्रामीण बैंक के सामने से रेलवे स्टेशन जलालगंज तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण अधोमानक किये जाने से एक वर्ष के भीतर ही ध्वस्त होकर गड्ढ़ायुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग पर कुछ हिस्सा आबादी में होने तथा कुछ स्थान पर जल भराव होने के कारण आशिंक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठेकेदार की जमानत रोककर ठीक करा दिया गया है।

प्रदेश में धान के क्रय के लक्ष्य के सापेक्ष क्रय का विवरण

21-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013-14 में धान क्रय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसके सापेक्ष अब तक कितना धान क्रय किया गया ? क्या सरकार इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में कुल 25.00 लाख मी0 टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 28-2-2014 तक कुल 907191.60 मी0 टन धान की खरीद की गयी है।

विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

क्रय एजेन्सी का नाम	क्रय लक्ष्य (लाख मी0 टन)	क्रय केन्द्रों का क्रमिक धान खरीद (मी0 टन)	आढ़त का क्रमिक धान खरीद (मी0 टन)	कुल धान खरीद (मी0 टन)
1	2	3	4	5
1-खाद्य विभाग	6.50	241403.08	265388.36	506791.45
2-पी0सी0एफ0	9.00	174413.97	15830.11	190244.08
3-यू0पी0 एग्रो	1.25	28145.72	1873.30	30019.02
4-यू0पी0एस0एस0	2.00	54794.98	7994.46	62789.44
5-एस0एफ0सी0	1.50	29792.93	4733.96	34526.89
6-कल्याण निगम	1.50	54157.08	2640.90	56797.98
7-एन0सी0सी0एफ0	0.75	21077.40	0.00	21077.40
8-भारतीय खाद्य निगम	2.50	4945.34	0.00	4945.34
योग :	25.00	608730.50	298461.10	907191.60

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0आर0जी0एफ0 का धन कतिपय पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

22-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए बी0आर0जी0एफ0 (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) का धन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो जनपद सोनभद्र को कुल कितनी धनराशि उक्त हेतु अवमुक्त की गयी ? क्या अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्य करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां। वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) योजनान्तर्गत 19 जनपदों के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के लिये रु0 165.59 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में 18 जनपदों के लिये रु0 273.35 करोड़ अवमुक्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद-सोनभद्र के लिये बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। वर्ष 2013-14 में जनपद सोनभद्र को कुल रु0 18,59,25,310.00 अवमुक्त की गयी है।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को धन अवमुक्त नहीं हो सका इसलिये कार्य नहीं कराये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सर्वे के अनुसार नये राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

23-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशनकार्ड के नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2002 के सर्वे के आधार पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार 2011 के सर्वे के आधार पर राशन कार्ड बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

प्रदेश में प्रचलित राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन का कार्य भारत सरकार की एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराइजेशन योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। यह कार्य किसी सर्वे के आधार पर नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में लागू ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को पूर्व से ही निर्गत किये गये राशन कार्डों के डाटा डिजिटाइजेशन एवं राशन कार्डों को आन लाइन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। 2011 के सर्वे के आधार पर राशन कार्ड बनाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि राशन कार्ड बनाने की वर्तमान में कार्यवाही किसी सर्वे के आधार पर नहीं की जा रही है।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम अमरौली सुमाली में निर्मित मिनी सचिवालय के घटिया निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

24-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम अमरौली सुमाली में निर्मित मिनी सचिवालय घटिया निर्माण के कारण मात्र दो वर्ष बाद ही खण्डहर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा मिनी सचिवालय भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

मिनी सचिवालय की गुणवत्ता की जांच तकनीकी टीम गठित कर कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बालू खनन की नीति एवं जनपद-शाहजहांपुर में बन्द पड़े खनन को चालू करा रेता उपलब्ध कराये जाने की मांग

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू खनन की नीति क्या है ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर सहित कई जनपदों में बालू (महीन रेता) का खनन बन्द होने के कारण रेता न मिल पाने से सड़क/भवन सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बालू/महीन रेता की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति-

टेण्डरिंग/ई-टेण्डरिंग से बालू खनन पट्टा स्वीकृत करने की नीति प्रभावी है।

जी हां।

जी हां।

बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से घर-घर शौचालय का निर्माण कराये जाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

26-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय शौंच के लिए बाहर जाने वाली महिलाएं ज्यादातर छेड़खानी और दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं ? यदि हां, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार गांवों में घर-घर शौचालय निर्माण की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में बी0पी0एल0 के समस्त एवं ए0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 प्रकार के लाभार्थियों को शौचालय सुविधा से आच्छादित करने की व्यवस्था की गयी है:-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति।

(2) लघु एवं सीमांत किसान।

(3) भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

(4) विकलांग व्यक्ति।

(5) वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो।

घर-घर में शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 2022 तक प्रदेश को खुले में शौंच मुक्त करने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को स्वयं के प्रयोग हेतु अपने खेत से मिट्टी खोदने की अनुमति

27-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को अपने खेत से भी मिट्टी खोदने पर रोक लगने से प्रदेश में लोगों को अनावश्यक रूप से उत्पीड़न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए कानून में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वयं के प्रयोग के लिए किसान को अपने खेत से निश्चित सीमा तक मिट्टी निकालने की अनुमति है।

जनपद-बलिया के कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही विषयक पत्र पर कार्यवाही

28-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद/विधायक प्रकोष्ठ संख्या सी0एम0 (वि0को0) एम0/पी0आई0 जी0ओ0 436395/2014, दिनांक 01-03-2014 पर दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र जो कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया के विरुद्ध कार्यवाही विषयक है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

डा0 राम आधार राम, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिकन्दरपुर, बलिया एवं कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया को स्थानान्तरित करते हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पलही पट्टी, वाराणसी में स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा डा0 राम द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा की ग्राम पंचायत धनौली के आराधना इण्टर कालेज के क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण की मांग

29-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनौली, विकास खण्ड अकोला आराधना इण्टर कालेज के बराबर से टपरा जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते में सड़क व सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा महदेउल की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

30-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा महदेउल में गोपालपुर नहर से काली जी मंदिर घुरघुपुर पंचायत भवन तक

सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा एकौनी की कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

31-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा एकौनी (वि0ख0) में बवुरी चन्दौली मार्ग से एकौनी गांव छविनाथ के घर होते हुए नहर तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग को सी0सी0 रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत, चन्दौली की किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद-सोनभद्र को बी0आर0जी0एफ0 योजना में चयन एवं कतिपय विकास खण्डों को आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

32-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र का बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत किस वर्ष चयन किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चयनित वर्ष से कितना बजट विकास खण्ड म्योरपुर, चोपन तथा राबर्ट्सगंज की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को आवंटित किया गया ? क्या उपलब्ध कराये गये धनराशि के सापेक्ष कितने कार्य करा दिये गये हैं तथा कितने कार्य कराये जाने शेष हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य न कराके भुगतान कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों तथा अवशेष कार्यों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

वर्ष 2007-08 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद-सोनभद्र का चयन किया गया।

चयनित वर्ष 2007-08 में विकास अनुदान मद में सोनभद्र को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी। वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ग्राम पंचायत अंश से विकास खण्ड म्योरपुर में रु0 236.25 लाख, विकास खण्ड राबर्ट्सगंज में रु0 252.43 लाख तथा विकास खण्ड चोपन में रु0 344.52 लाख कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक विकास खण्ड म्योरपुर मे कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत म्योरपुर को रु0 109.73 लाख, विकास खण्ड राबर्ट्सगंज में कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत राबर्ट्सगंज को रु0 55.24 लाख तथा विकास खण्ड चोपन में कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत चोपन को रु0 32.05 लाख आवंटित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कार्यदायी संस्था जिला पंचायत को रु0 1788.82 लाख आवंटित किया गया है।

वर्ष 2013-14 में जनपद को आवंटित रु0 18,59,25,310.00 की धनराशि में से किसी को अभी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

विकास खण्ड म्योरपुर, राबर्ट्सगंज तथा चोपन अन्तर्गत कुल 156 कार्य में से 98 कार्य पूर्ण तथा 58 कार्य प्रगति पर हैं। ग्राम पंचायत अंश के 57 कार्यों में से 26 कार्य प्रगति पर है तथा 31 कार्य पूर्ण हैं एवं क्षेत्र पंचायत के कुल 17 कार्यों में से 10 कार्य प्रगति पर तथा 7 कार्य पूर्ण हैं एवं जिला पंचायत के कुल 82 कार्यों में से 15 कार्य प्रगति पर तथा 67 कार्य पूर्ण हैं।

विकास खण्ड म्योरपुर, राबर्ट्सगंज तथा चोपन के ग्राम पंचायत अंश, क्षेत्र पंचायत अंश एवं जिला पंचायत अंश के कार्यों पर अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य न कराके भुगतान करने का कोई प्रकरण नहीं है ओर न ही इस प्रकार का मामला प्रकाश में आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में लघु उद्योग को बढ़ाने सम्बन्धी कार्य योजना की जानकारी

33-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योग को बढ़ाने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत शरण गंगवार-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश मे उ0प्र0 औद्योगिक निवेश नीति, 2012 की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं भी संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना, एसाइड योजना, क्लस्टर विकास योजना तकनीकी उन्नयन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना इत्यादि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों मे समान रूप से लागू है। अतः जनपद-सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योग को बढ़ाने के लिये अलग से कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद-सोनभद्र के कतिपय विकास खण्डों में वंचित बी0पी0एल परिवारों को राशन कार्ड बनवाये जाने की मांग

34-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर, चोपन तथा राबर्ट्सगंज में अन्त्योदय, ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 कार्डधारकों की अलग-अलग संख्या

क्या है ? क्या सरकार वंचित बी0पी0एल0 परिवारों का भी राशन कार्ड बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद-सोनभद्र के विभिन्न विकास खण्डों में निम्नानुसार विभिन्न योजनान्तर्गत राशन कार्ड प्रचलित हैं :-

विकास खण्ड का नाम	अन्त्योदय	ए0पी0एल0	बी0पी0एल
म्योरपुर	10156	81162	13827
चोपन	10904	75530	16099
राबर्ट्सगंज	9452	66051	13478

बी0पी0एल0 श्रेणी का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसके सापेक्ष पात्र व्यक्तियों का चयन करके राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

जनपद-उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम-गोसाई खेड़ा राधानगरी आदि की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

35-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विजय कुमार पासवान, सदस्य विधान सभा का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/10153508/2012/दिनांक 25-10-2012 जो जिला-उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम-गोसाईखेड़ा, ग्राम-राधानगरी आदि की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के संबंध में था, मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक ईसानगर की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

36-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक-ईसानगर की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी हां।

जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों में से 11 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। जिनमें से 03 सड़कों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र एवं ब्लाक मोहम्मदी, पसगवां की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

37-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ब्लाक मोहम्मदी और पसगवां की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय एरिया में गली की सफाई कराये जाने की मांग

38-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव देवरौठा में रेलवे लाइन मस्जिद के किनारे आजिमवाड़ा में नाला व नाली द्वारा पानी की निकासी न होने के कारण लोगों में बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द पड़ी नाली व नालों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी हां।

जनपद-आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव देवरौठा में रेलवे लाइन मस्जिद के किनारे आजिमवाड़ा में बन्द पड़ी नाली व नालों की सफाई करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नाले की सफाई का कथित प्रकरण

39-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव कलवारी से मिलटन पब्लिक स्कूल अवधपुरी में स्थित नाला चोक होने के कारण जल भराव रहता है जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन पदेन सदस्य एवं इसमें पंजीकृत श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी

40-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम लागू है ? यदि हां, तो क्या इसके अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन-कौन लोग हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में इलाहाबाद, कानपुर एवं गौतमबुद्धनगर में कितने-कितने मजदूर पंजीकृत किये गये हैं तथा उन्हें क्या-क्या प्रमुख सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 13-04-2011 से हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् हैं :-

क्र0 सं0		
1	प्रमुख सचिव, श्रम	पदेन अध्यक्ष
2	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार	पदेन सदस्य
3	श्रमायुक्त, उ0प्र0	पदेन सदस्य
4	विशेष सचिव, आवास विभाग	पदेन सदस्य
5	विशेष सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
6	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
7	श्री ए0के0 सिंह (सेवायोजक)	सदस्य
8	सुश्री अलका दास (सेवायोजक)	सदस्य
9	श्री एस0के0 गर्ग (सेवायोजक)	सदस्य
10	श्री विष्णु शुक्ला (कर्मचारी-प्रतिनिधि)	सदस्य
11	श्री भोलानाथ तिवारी (कर्मचारी-प्रतिनिधि)	सदस्य
12	श्रीमती अर्शिया नाजिम (कर्मचारी-प्रतिनिधि)	सदस्य

श्रमिक पंजीकरण की स्थिति निम्नवत् हैः-

जनपद का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13
इलाहाबाद	8017	6205
कानपुर	4102	4792
गौतमबुद्धनगर	1804	12356

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवेदन करने पर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं क्रमशः दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं अन्त्येष्टि योजना, बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार हितार्थ औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना तथा साइकिल सहायता योजना का लाभ पात्र निर्माण कामगारों को प्रदान किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के रजिस्ट्रार के अनियमित तरीके से की गई तैनाती के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

41-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनियमित तरीके से की गयी तैनाती एवं एक पद के सापेक्ष दो व्यक्तियों को वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के तत्कालीन रजिस्ट्रार डा0 आर0 के0 द्विवेदी को गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत दिनांक 11-11-1999 द्वारा सेवा से पृथक किया गया, जो कि उन पर दिनांक 9-9-2003 को तामील हुआ। उक्त पृथकीकरण आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या-1248 (एस0बी0)/2003 दाखिल की गयी। उक्त रिट याचिका मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-12-2007 को उक्त सेवा पृथकीकरण आदेश दिनांक 11-11-1999 को निरस्त कर दिया गया तथा जांच कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में डा0 द्विवेदी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उन्हें सेवा में बहाल कर आयुर्वेद निदेशालय से सम्बद्ध किया गया तथा जांच अभी प्रचलित है। इस बीच बोर्ड में रजिस्ट्रार के पद का कार्य सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति पर आयुर्वेद विभाग के चिकित्साधिकारी की तैनाती की गयी। उक्त वर्णित स्थिति में बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की गयी है। जिसके लिये कोई अधिकारी, कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

42-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी हां।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन सेवायोजन कार्यालयों में नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार

के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

43-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव कलवारी विकास खण्ड बिचपुरी में विभिन्न गलियों जाटव बस्ती, मुस्लिम बस्ती एवं प्राथमिक विद्यालय परिक्रमा मार्ग में पानी भराव के कारण आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में क्षतिग्रस्त नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

44-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव देवरौठा में पृथ्वीनाथ रेलवे फाटक से रेलवे लाइन के सहारे देवरौठा रेलवे फाटक तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिससे आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

45-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज के अन्तर्गत 20 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-05-2012 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/विधायक कोष्ठक/एम/पी0जी0 10040472/12, दिनांक 21-5-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

46-श्री काली चरन सुमन-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय गांवों में जल भराव की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

47-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव नगला पदमा विकास खण्ड बरौली अहीर आगरा में जल निकासी हेतु नाली न होने के कारण गांव में जल भराव की समस्या रहती है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निजात दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में जल भराव की समस्या से निजात दिलाते हुए सड़क निर्माण की मांग

48-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव वरपुरा (नगला पदमा) विकास खण्ड बरौली अहीर आगरा में नाली व गलियों में जल भराव की समस्या रहती है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से निजात दिलाने हेतु गली में सी0सी0 रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

49-श्री काली चरन सुमन-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-मऊ के ब्लाक दोहरीघाट की कतिपय विधान सभा की कच्ची सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा हरिपरा के मौजा निबिहां से पोखरापार होते हुए बड़ी नहर तक लगभग 1.5 किमी0 तक कच्ची सड़क का सरकार लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने का कोई प्रस्ताव जिला पंचायत, मऊ की कार्य योजना में अनुमोदित नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहापुर मण्डांव की कतिपय कच्चे मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

51-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहापुर मण्डांव के अन्तर्गत नथूपुर, माइनर होते हुए अल्लूपुर पिडसूई तक लम्बाई लगभग 2.0 किमी0 मार्ग कच्चा होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने का कोई प्रस्ताव जिला पंचायत, मऊ की कार्य योजना में अनुमोदित नहीं है।

जनपद बस्ती के पुरानी चुंगी के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

52-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के पुरानी चुंगी निकट जिवधन, रामप्रताप नरायन सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान से बरदहिया बाजार डुमरियागंज मार्ग जाने वाले क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त मार्ग का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-08-2013 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जिला पंचायत बस्ती द्वारा प्रश्नगत मार्ग का स्थलीय सत्यापन कराकर मु0 10.00 लाख का आगणन तैयार करा लिया गया है जिसे जिला पंचायत की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा, स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम कलवारी की पानी की टंकी के लीकेज पाइप को ठीक करा सप्लाई चालू कराने सम्बन्धी जानकारी

53-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम कलवारी में स्थापित पानी की टंकी से सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो रही है एवं जगह-जगह पाइप लाइन लीकेज है ? यदि हां, तो क्या सरकार लीकेज पाइप लाइन को ठीक कराकर पानी की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

जनपद आगरा के ग्राम कलवारी में स्थापित टंकी से पानी की सप्लाई सुचारु रूप से हो रही है एवं जल निगम द्वारा बिछायी गयी पाइप लाइन में जगह-जगह हो रही लीकेज की मरम्मत कराकर समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर व सिकन्द्राबाद के पेन्ट लि0 में खतरनाक रसायनों से उत्पन्न खतरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

54-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेन्ट एवं कैमिकल फैक्ट्रियों में खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मैसर्स बर्जर पेन्ट लि0 सिकन्द्राबाद तथा मैसर्स शालीमार पेन्ट सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर में ऐसे खतरनाक रसायनों के प्रयोग के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.20] नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक प्रश्न में आपत्तिजनक शब्द निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वर्ष 2012 से इस सरकार का गठन हुआ है। मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी ने अनजाने में इस बात को कह दिया कि [XXX] यह कार्यवाही में है।

नोट :-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

2012 से 2014 तक आज के डेट तक श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुयी है। यह गलत संदेश गया है। इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे देश के लिए बनाया गया था और मैंने इस सन्दर्भ में कहा था कि पूरे देश में लाखों लोग मरे हैं, उदाहरण के तौर पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार मान्यवर, वहां पर लाखों लोग मरे है और इसलिए यह कानून लाया गया है। मैंने केवल उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं कहा था और मैंने उसी समय अपनी बात स्पष्ट भी कर दी थी, यह पूरे भारतवर्ष के लिए है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब बैठ जाएं।

[12.22] बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कृपा पूर्वक, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का भी ध्यान चाहता हूं। मान्यवर, कल सायंकाल जिस समय बजट के मदों के ऊपर चर्चा होने का समय आया था, तो मान्यवर हमारे द्वारा यह निवेदन किया गया था कि एक-दो दिन पहले ही यह बजट साहित्य हम लोगों को मिल जाना चाहिए। मान्यवर, मा0 मंत्री जी और आपने भी स्वयं बड़ी गम्भीरता से उस बात को लिया था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उसी प्रकार से उस गम्भीरता को देखते हुए अपनी बात रखी थी। मा0 उसी समय आपने चेक करवाया था शाम को और आपने जिनको चेक करने के लिए निर्देशित किया था, उन्होंने आपको यह रिपोर्ट दी कि कृषि विभाग के अलावा किसी भी विभाग का साहित्य हमारे पास पिजन होल में या हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। तो मान्यवर, शाम को उठने से पहले आपने यह व्यवस्था दी थी कि आप जो भी सम्बन्धित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपने यह भी कहा था चूंकि कृषि विभाग का साहित्य उपलब्ध है तो केवल कृषि विभाग का ही बजट लिया जायेगा, बाकी अन्य बजट नहीं लिये जायेंगे, लेकिन सुबह जिस समय आज हम लोगों को यह कार्य-सूची प्राप्त हुई उसमें कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य सारे विभाग जो आज के लिए निर्धारित थे, जिनका साहित्य मान्यवर, न कल मिला था और न आज तक हम लोगों को मिला है।

श्री अध्यक्ष-

साहित्य है, पिजन होल में रख दिया गया था, आप दिखवा लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हो सकता है आपके निर्देशानुसार आज रख दिया गया हो, तो मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ तो रात में ही आ गया था, जब आप उठे हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ आ गया था।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उसके बाद जिस समय हम लोग उठ जाते हैं और आप अगले दिन सुबह बुलाते हैं 11.00 बजे, तो हम लोग इन्तजार नहीं करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसके बाद कब तक इन्तजार करेंगे। तो मेरा मा0 आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आज कृषि विभाग का बजट ले लें, बाकी जो अन्य मदें जो आपने स्थगित की थीं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की सलाह से आप स्वयं जब अन्य कोई तिथि तय कर लेंगे, तो कृपा होगी। ताकि किसी भी बजट के ऊपर क्योंकि साल भर का लेखा-जोखा होता है, उसके ऊपर प्रभावी बात इस तरफ से भी आ जाय और सरकार की तरफ से भी पूरा विषय आ जाय। तो मान्यवर, मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, जब कल यह प्रश्न उठा था, उसमें दिक्कत क्या थी, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थीं, जिसकी वजह से जल्दी नहीं आ पाया था, कठिनाई यह थी कि उसकी छपाई में विलम्ब हो गया था। हम लोग जब यहां से उठे हैं तो सारे साहित्य आ गये थे, मैंने अपने विभाग से कहा था कि ये साहित्य किसी न किसी तरह से लोगों के पास तक पहुंचा दो। इन लोगों ने कहा कि अब रात हो रही है, सात-साढ़े सात बज गया होगा, तो हमने कहा था कि कुछ नेताओं के पास जो कटमोशन देने वाले हैं, उन नेताओं के पास साहित्य पहुंचा दें, तो मैंने सोंचा वह पहुंचा देंगे। अब मैं नहीं समझ पाया कि वह रात में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन रात को ही यह साहित्य आ गया था, पंचायती राज विभाग का आ गया था और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उनके विरुद्ध मंत्री जी ने कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया और शायद इस बात को मंत्री जी है भी, तो अब जब वह आ गया है और साहित्य है दस मिनट उसमें कोई बड़ा भारी बजट आज है नही, तो वह साहित्य उपलब्ध है, पंचायती राज का तो रात ही को मैंने मा0 मौर्या जी से भी कहा था कि साहित्य आ गया। मा0 मौर्या जी ने कहा छोड़ो, हमने कहा साहब पढ़ लीजिए, बजट का मामला है, तो इसको चलने दो, आ गया साहित्य पढ़ लो, बस खत्म बात।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी कल व्यवस्था का प्रश्न इस विषय पर उठा था, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की थी, मा0 मंत्री श्री अम्बिका चौधरी साहब ने भी आपसे अनुरोध किया था, मा0 मंत्री अम्बिका चौधरी जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं स्वयं और मा0 आपके साथ इस वार्ता भी हुई, आपने सभी उन मदों को जिनका साहित्य नहीं आया था, उनको स्थगित करने का निर्णय लिया था और मान्यवर आपके कक्ष में जब तक हम लोग बैठे थे, आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित भी किया था कि पिजन होल को देख लें कि किस विभाग का साहित्य आया है उसके बाद सुनिश्चित हुआ कि केवल कृषि विभाग का साहित्य उस समय पिजल होल में मौजूद था। मान्यवर, इसलिये आपने भी कह दिया था कि हम उन सभी विभागों की मदों को स्थगित

कर देंगे जिनका साहित्य नहीं आया है। मान्यवर, आपसे वार्ता हुयी टेलीफोन पर उस समय भी मैंने आपसे अनुरोध किया था और आपने अवगत कराया कि पंचायती राज विभाग का साहित्य अब आ गया है। इसको ले लिया जाये। मैंने आपसे यही अनुरोध किया था कि चूंकि वह सामूहिक रूप से आपसे चिन्ता व्यक्त की गयी थी, यह निर्णय लिया गया था कि यह जो अधिकारी अपने विभागों के प्रति लापरवाह होते हैं और यहां तक कि अपने विभागीय मंत्रियों को इस सदन के अन्दर लज्जित होने और शर्मिन्दा होने का अवसर देते हैं। इसमें मा0 मंत्रीगण का दोष नहीं है। मा0 मंत्रीगण ने जब विभागों को निर्देशित कर दिया कि फला दिन इस मद का बजट प्रस्तुत किया जायेगा तो विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके समय से 24 घण्टा पहले उसका साहित्य सदन के सभी मा0 सदस्यों को आ जाना चाहिए।

मान्यवर, हमारे इस अनुरोध के बाद कि कृषि के अलावा कोई भी अनुदान पर कल बजट प्रस्तुत नहीं होना चाहिये, स्थगित किया जाना चाहिये। उसके बाद करीब साढ़े नौ बजे पंचायती राज विभाग का साहित्य मेरे पास गया और जिन मा0 सदस्यों को कटौती प्रस्ताव रखना है, उनको यह नहीं मिल पाया था इसलिये मान्यवर, मेरा पुनः यह निवेदन है कि अगर इसी प्रकार से आप नरमी बरतेंगे तो अधिकारियों की लापरवाही निरन्तर चलती रहेगी इसलिये एक बार सदाशयता के साथ इस पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और कृषि विभाग का जिसका समय से साहित्य आया था उस मद के बजट को प्रस्तुत करने की आप अनुमति दें कि वह प्रस्तुत होना चाहिये। शेष वे अनुदान, वे मद जिनके साहित्य नहीं आ पाये थे और एजेण्डे कार्य-सूची में उनका भी छप गया है, प्रस्तुत होने का विवरण छप गया है, उनको स्थगित करने का कष्ट करें क्योंकि यह परिपाटी ये प्रथा, जब तक कड़ाई से नहीं निपटेंगे, निरन्तर चलती रहेगी। इसलिये मान्यवर, मैं सभी मा0 सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये और उस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त की थी। साथ ही साथ हमारे जो दूसरे मा0 मंत्री जी भी चिन्ता व्यक्त की थी। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केवल कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत कराने का कष्ट करें और शेष विभाग की मद को स्थगित करने का कष्ट करें। मान्यवर, यह हमारा अनुरोध है और इस पर मैं चाहता हूं कि सदन के मा0 सदस्यों के सम्मान का ध्यान रखते हुए इस पर आप सकारात्मक रुख भी अख्तियार करेंगे और निर्णय लेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, यह सही है कि नियमों में प्राविधानित है कि 2 दिन, कम से कम 24 घण्टा पहले साहित्य पिजन होल में आ जाना चाहिये लेकिन बहुत से ऐसे अवसर आये हैं जब, हम भी बहुत दिनों से हैं, आप भी बहुत दिनों से हैं। बहुत से ऐसे अवसर आये हैं कि छपाई के अभाव में साहित्य टाइम से पिजन होल में नहीं रखा जा सका लेकिन उस समय भी ये मदें ली गयी हैं। जहां तक सारे साहित्य की बात है, आया तो मैंने आपको टेलीफोन करके कहा, मैंने कहा कि साहित्य पहुंचा दो। जो कट मोशन रखना चाहेंगे, रख लेंगे और सारी मदों का साहित्य आ गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कल साढ़े नौ बजे तक केवल पंचायती राज विभाग का पहुंचा है। इसके अलावा कोई साहित्य नहीं पहुंचा।

श्री अध्यक्ष-

आपके पिजन होल में अब पहुंच गया है। थोड़ा विलम्ब हो गया है और इस विलम्ब के लिये अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और शायद उनके लिये कोई कार्यवाही की भी बात हुयी है। संसदीय कार्य मंत्री जी और मंत्री मिलकर करेंगे। हमको जो करना है, हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप नेता विरोधी दल हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल करके विषय को तय करते है कि कौन विषय लिया जाये, कौन न लिया जाये। मैं आपसे आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि जब विषय आप लें तो कम से कम उस सम्बन्धित मंत्री को बता दें कि अगर वह नहीं छपा है तो उस दिन वह विषय न लेकर जब वह साहित्य छप जाये तब उसे सदन के पटल पर पास कराने के लिये प्रस्तुत किया जाये। ये आप और संसदीय कार्य मंत्री जी मिलकर कर लेंगे तो इससे बहेतर होगा। यह जरूरी नहीं है कि जो आज छप गया है, अगर वो प्रेस की कमजोरी के नाते या प्रेस की किसी कमी के नाते वह साहित्य नहीं छपा है, साहित्य न आ पाये तो उसको आप लोग पहले ही यह कर लीजिये कि वह एजेण्डे में आने ही न पावे यह मेरा आपसे आग्रह है। अब बजट का साहित्य आ गया है, ले लीजिए और चलाइये। जहां तक अधिकारियों की बात है, उनके खिलाफ कार्यवाही की बात है, वह अलग से होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह परम्परा है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ये मदवार बजट चर्चा पर विषय तय करके आप हस्ताक्षर करके भेजते हैं, मैं भी अपनी सहमति दे देता हूं। ये मान करके की जो मदवार बजट प्रस्तुत होने की तिथि निश्चित है, उसके पूर्व 24 घण्टे पहले विभाग मा0 सदस्यों के पास सम्बन्धित साहित्य को पहुंचा देगा और मान्यवर, समय से साहित्य न पहुंचने की पीड़ा को ही ध्यान में रखते हुए मा0 ससंदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं आपसे निवेदन किया। हमने भी मान्यवर, इस बात को व्यवस्था के प्रश्न के मामले को उठाया। मा0 तत्कालीन राजस्व मंत्री वर्तमान में विकलांग कल्याण मंत्री अम्बिका चौधरी साहब ने भी मान्यवर, इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। तो माननीय जब संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत, मैंने खुद निवेदन किया और साथ ही साथ मा0 अम्बिका चौधरी साहब जब खुद इस बात से सहमत है, तो जब दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत है मान्यवर, तो हम समझते है कि आपको निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और हम समझते है कि इस सदन के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, आपकी तरफ से सकारात्मक व्यवस्था आनी चाहिए, जिससे कि अधिकारियों की निरंकुशता पर आगे के लिए सदैव अंकुश लग सके, और इस प्रकार की जो सदैव बात यहां उठा करती है, उस पर विराम लग सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[12.30] विधान सभा के सत्र की बैठक के समय जिला स्तरीय ब्लाक विकास समिति की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शुरू भैय्या-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा एक मामला है, गंभीर मामला है। पिछली बार भी यह मामला आया था कि जब विधान सभा चल रही हो। हम लोग यहां की बैठक में हो तो जिले की बैठक और क्षेत्र पंचायत की बैठक न की जायें। मान्यवर, 30 तारीख को विधान सभा की कार्यवाही होनी है। विधान

सभा की बैठक होनी है, 30 तारीख को क्षेत्र पंचायत ईशानगर की बैठक लगा दी है एक तो वहां पर और दूसरी बात मान्यवर, अध्यक्ष बनाया है, उस मीटिंग का एस0डी0एम0 को। तो पहली चीज तो यह है मा0 अध्यक्ष जी, कि उनकी अध्यक्षता में हम लोग कैसे सदस्य बनकर बैठें, जो चीज गलत है और दूसरा उस मीटिंग को स्थगित करा दीजिए। इसमें आपकी पीठ से निर्देश चले जायें।

श्री अध्यक्ष-

यह कैसी मीटिंग है, अविश्वास की है या वैसी ही जनरल मीटिंग है, पहले यह बतायें ?

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

बी0डी0सी0 की मीटिंग है, क्षेत्र पंचायत की मीटिंग है, विकास कार्य से सम्बन्धित है, हम होंगे वहां पर तो हो। उसको स्थगित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है करा देंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करेंगे और दिखवाकर स्थगित करा देंगे।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

धन्यवाद, मान्यवर।

[12.34] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 27-06-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

1-श्री सुरेश राणा-जनपद शामली में थानाभवन से लेकर मुल्लापुर रोड पर बने पुल को जोड़ने हेतु नयी सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री रविन्द्र भड़ाना-जनपद मेरठ सहित प्रदेश के जिला पशु चिकित्सालयों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री शारदा प्रताप शुक्ला-जनपद लखनऊ के ग्राम कुरौनी में भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय की जमीन को ग्राम सभा में दर्ज कराने तथा जालसाजी करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में है, 4-श्री भगवती प्रसाद-जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के ग्राम सालपुर स्थित सिद्ध बाबा मन्दिर का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, 5-श्री दलवीर सिंह-जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 6-श्री ओम कुमार-जनपद बिजनौर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 7-श्री संतराम कुशवाहा-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ की माइनर से हो रहे जल रिसाव को रोके जाने के सम्बन्ध में है, 8-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में दो बन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 9-श्रीमती लालमुन्नी सिंह-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, 10-श्री दलजीत सिंह-जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की कतिपय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, 11-श्रीमती रजनी तिवारी-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत रूपापुर शुगर

मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, 12-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की विभिन्न ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, 13-श्री उदय राज-विधान सभा क्षेत्र घोसी के शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर में कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, 14-श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'-जनपद लखीमपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री संत प्रसाद नहीं है उनके स्थान पर मैं श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 के घाघरा नदी से होने वाले कटान को रोकने हेतु लूप कटिंग प्लान लागू कराये जाने के सम्बन्ध में।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

श्री सतीश महाना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी

श्री गयाचरण दिनकर

श्री बजरंग बहादुर सिंह

श्री लोकेन्द्र सिंह

श्री विजय बहादुर यादव

श्री जियाउद्दीन रिजवी

श्री आरिफ अनवर हाशमी

श्री गोरख पासवान

श्री भीम प्रसाद सोनकर

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गाम्य पाण्डेय

श्री बृजेश कुमार

श्री अनिल कुमार

श्री काली चरन सुमन

डा0 अरुण कुमार

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

श्री रविदास मेहरोत्रा

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू

श्री महावीर सिंह राणा

श्री रामहेत भारती

श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव

श्री जाकिर अली

श्री आलमबदी

श्री प्रदीप माथुर

श्री प्रदीप चौधरी

श्री अनीसुर्रहमान

श्री पंकज कुमार मलिक

श्री संजय प्रताप जयसवाल तथा

श्री उमाशंकर ।

जनपद शामली में थानाभवन से लेकर मुल्लापुर रोड पर बने पुल को जोड़ने हेतु नयी सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन जनपद शामली में थानाभवन से लेकर मुल्लापुर रोड पर अधूरा पुल तो निर्मित हो गया है लेकिन सड़क से पुल को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग नहीं बन पाया है। जिसके कारण लगभग 50 गांव के लोगों को यातायात में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इस रास्ते के लिए लोग जनान्दोलन कर चुके हैं। इस मार्ग को बनाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण की यातायात सम्बन्धी कई कठिनाइयों का निराकरण इस मार्ग के बन जाने से हो जायेगा।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए थानाभवन से लेकर मुल्लापुर रोड पर अधूरे पुल को सड़क से जोड़ने वाले मार्ग को बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ सहित प्रदेश के जिला पशु चिकित्सालयों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भडाना-

[महोदय,

जनपद मेरठ सहित प्रदेश के बहुत से जिलों पशु चिकित्सालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को 100/- रु0 मासिक के हिसाब मानदेय दिया जाता है। जो वर्तमान मंहगाई में बहुत ही कम व अप्रसांगिक है। वर्तमान मंहगाई को देखते हुए इन सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पशु चिकित्सालयों में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के ग्राम कुरैनी में भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय की जमीन को ग्राम सभा में दर्ज कराने तथा जालसाजी करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम कुरौनी के निवासियों के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में स्थित भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय फर्जी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नं0-224/64-55 व नवीनीकरण सं0-307 एवं फाइल संख्या-14584 है। यह संस्था कभी भी कार्यरत नहीं रही है। संस्था का कोई भी बैंक खाता व आडिट भी नहीं है। संस्था के रजिस्ट्रेशन पर भूमि खसरा सं0-1677, 2025स, 696, 1347 है जिसका कुल क्षेत्रफल 4.1320 हे0 है जो कि फर्जी तरीके से खतौनी में दर्ज की गई है। उपरोक्त भूमि की अशोक कुमार उर्फ छागले पुत्र स्व0 शिपाल निवासी ग्राम कासिम खेड़ा मजरा कुरौनी ने फर्जी तरीके से अपने पिता का नाम बदलकर अशोक कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल के नाम से जमीन को बेच दिया है। उपरोक्त भूमि पर ग्रामवासियों का कब्जा जमीदारी समय से चला आ रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि भूमि के दाखिल खारिज का वाद नायब तहसीलदार बिजनौर के न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए भारतीय बहुधंधी विकास विद्यालय की जमीन के खारिज करते हुए ग्राम सभा दर्ज कराने तथा जाल-साजी करके भूमि को विक्रय करने के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के ग्राम सालपुर स्थित सिद्ध बाबा मन्दिर का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[महोदय,

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में ग्राम सालपुर, परगना टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ के ब्रज भूमि की प्राचीन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में सिद्ध बाबा मन्दिर में करोड़ों जनता के दर्शनार्थी प्रत्येक वर्ष अपनी धार्मिक भावनाओं एवं आस्था के साथ दर्शन करते है। इस मन्दिर के चारों तरफ मन्दिर की जमीन करीब 52 बीघा में तालाब एवं मन्दिर पुराने कदम्ब के वृक्ष प्राचीन काल के आज भी मौजूद हैं। इस सिद्ध बाबा मन्दिर की जीर्ण-क्षीर्ण हालत है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस मन्दिर का पुनर्वलोकन एवं सौन्दर्यीकरण होना अति आवश्यक है।

अतः मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में प्राचीन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में सिद्ध बाबा के मन्दिर के पुनर्वलोकन एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः -[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय,

जनपद-अलीगढ़ के बरौली विधान सभा के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिस पर आम जन का चलने में काफी कठिनाई होती है।

1-एन0एच0 91 से पनिहावर मार्ग।

2-कटरा बरौली मार्ग।

3-कटरा बरौली मार्ग से सौगरां मार्ग।

4-भीमपुर हेड से भीमपुर ग्राम तक।

5-जी0टी0 रोड से कन्होई से हसनपुर, रायपुर, नगोला तक।

6-चण्डौस से डाबर स्टेशन तक।

7-गभाना बरौली के किमी0 3 से लालपुर होते हुये पिपलोट मार्ग।

8-गभाना बरौली से मोहरेना।

9-गभाना बरौली के किमी0 9, 10 पर स्थित सौंगरा ग्राम में सी0सी0 मार्ग।

10-गभाना बरौली पहासू के किमी0 14 से खुर्द खेड़ा मार्ग।

11-सुमेरा बरौली मार्ग के किमी0 04 (बाजगढ़ी पुल) मार्ग से रायपुर दहली होते हुये खुर्द खेड़ा मार्ग।

12-अलीगढ़ बरौली मार्ग से सुमेर पुर मार्ग।

13-अलीगढ़ बरौली मार्ग से कलुआ राजवाहा दाऊदपुर कोटा मार्ग।

14-सी0टी0 के0 मार्ग से वीरपुर छबीलगढ़ी होते तकीपुर मार्ग।

15-कलवा से जमालपुर मार्ग।

16-जी0टी0 मार्ग से पिपलौठ गोकुलपुर।

17-जी0टी0 मार्ग से रूस्तमपुर ढोला।

18-एन0एच0 91 से श्यामपुर मार्ग।

19-चण्डौस डाबर से अमृतपुर भगतपुर।

20-गभाना बरौली से लालपुर मार्ग।

21-अलीगढ़ी बरौली से कोटा खास।

22-जवां से कासिमपुर मार्ग।

23-जी0टी0 रोड से कलवा।

नोटः -[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

24-मंजूरगढ़ी रेलवे स्टेशन से सपेरा भानपुर।

25-एन0एच0-91 से पैराई मार्ग।

26-एन0एच0-91 से गभाना मार्ग।

27-डाबर रेलवे स्टेशन से ताजपुर।

28-एन0एच0-91 से कटरा मार्ग।

29-गभाना बरौली से पोथा मार्ग।

30-बाजगढ़ी पुल से रामपुर दहेली मार्ग।

31-सोमना खैर मार्ग से खिजर पुर मार्ग।

32-सोमना खैर मार्ग से बरका विसारा मार्ग।

अतः मैं चाहूंगा कि इन सम्पर्क मार्गों की नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोम कुमार-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद-बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-नहटौर में स्वीकृत सड़कें ग्राम-आकू चौराहा से जसमोरा तक, सराय काजीयान से नहटौर अमीनाबाद तक, मिलक अमराबाद से पप्सरा तक, पैजनिया मार्ग से जमालपुर शेख से नरायण खेड़ी तक, फुलसन्दा से अलीनगर तक, पैजनिया से जलालपुर तुर्क तक, इब्राहिमपुर साधों से अलीनगर तक, मुस्सेपुर प्राइमरी स्कूल से पली प्राइमरी स्कूल तक, शादीपुर मार्ग से मिलाड़ा होते हुए सीकरी खुर्द तक ब्लाक नहटौर से बिलासपुर तक, फुलसन्दा से ताहरपुर टप्पा तक, नहटौर से शादीपुर मार्ग तक एवं विकास खण्ड हल्दौर में हल्दौर से कुम्हारपुर तक, हल्दौर से लाडनपुर तक, हल्दौर से बिलई तक, सड़कें स्वीकृत हो जाने एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के बाद भी निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण आवागमन हेतु क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त विकास खण्डों की स्वीकृत सड़कों का निर्माण यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ की माइनर से हो रहे जल रिसाव को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत राम कुशवाहा-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा ग्राम बघावली ग्राम पंचायत कस्बा के पूर्व की ओर माइनर से जल रिसाव काफी मात्रा से होता रहता है जिससे किसानों की लगभग 150 एकड़ जमीन जल भराव के कारण किसानों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की बुआई नहीं हो पा रही है। किसान भुखमरी के कगार पर है। जहां किसान पलायन करने पर मजबूर है। जिससे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम की माइनर से लगभग 1 किमी0 पीचिंग का कार्य (पक्की) किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में दो बन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में जलस्तर काफी नीचे चले जाने से पीने के पानी व सिंचाई की गम्भीर समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात के बरसात का पानी बह कर चला जाता है। वि0ख0 जगनेर में गुंगाबद बंधा एवं रिछोटा बंधा कच्चे बने हुए हैं। जो कि टूटै होने के कारण बरसात का पानी नहीं रूकता है। वि0ख0 जगनेर की जनता एवं क्षेत्रीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अविलम्ब उक्त विकास खण्ड में दो बंधों को पक्का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थ नगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल मुन्नी सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़ के ब्लाक कठेला, गर्बी, दो टोले पर मेरे द्वारा विधायक वर्ष 2012-13 में निधि दी गयी। जोकि निर्माण कार्य से सम्बन्धित था। उसके बाद उक्त ब्लाक में बिजली, एवं विद्युत के पोल व तार अभी तक नहीं लगाया गया। यह सब कार्य अवर अभियन्ता, डुमरियागंज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित था। उक्त अवर अभियन्ता दोनों में ब्लाकों में कोई भी कार्य आज तक नहीं कराया गया है। जिससे उक्त ब्लाक के लोगों द्वारा बार-बार शिकायत की जा रही है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इनके द्वारा अवैध तरीके से वसूली भी की जाती है। उपरोक्त अभियन्ता को जिले से बाहर स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही अनियमितता की गयी है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण की समस्या को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अवर अभियन्ता का जिले से बाहर स्थानान्तरण किये जाने एवं इनके द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराये जाने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की कतिपय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-तिन्दवारी, जनपद-बांदा की निम्नलिखित बस्तियों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना जनहित में अति-आवश्यक है। आजादी के 65 वर्ष पश्चात् इभी तक इस क्षेत्र के कई ग्राम पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाये हें, इसलिए उक्त सड़कों को शीघ्र पक्का कराया जाय। सड़कों का विवरण है :-तिन्दवारी विकास खण्ड अन्तर्गत 1-तिन्दवारी-बबेरू मार्ग से नहर की पटरी ग्राम-धोसड़ तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0, 2-पैलानी पलरा मार्ग से ग्राम-नरी के कछार डेरा होकर बंशी डेरा तक, लम्बाई लगभग 5.00 कि0मी0, 3-ग्राम बेंदा जलालपुर मार्ग से डड़वा डेरा होकर बेहड़ा डेरा तक, लम्बाई लगभग 03 कि0मी0, 4-बांदा-फतेहपुर मार्ग से पचासा डेरा (जौहरपुर) होकर चारकुरा तक, लम्बाई लगभग 02 कि0मी0, 5-ग्राम-दतरौली से ग्राम-बम्बिया होकर गुगौली तक, लम्बाई लगभग 04.00 कि0मी0, 6-सेमरी-जारी रोड से वासिलपुर में रामेश्वर यादव के मकान तक, लम्बाई लगभग 05.00 कि0मी0, बड़ोखर विकास खण्ड अन्तर्गत, 7-मटौंध ग्रामीण में मुड़ेरी से बनियाखोड़ तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई लगभग 02.00 कि0मी0 8. मटौध ग्रामीण में परमपुरवा (गंगाजलि) से ग्राम-इटवा तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई लगभग 02.00 कि0मी0, जसपुरा विकास खण्ड अन्तर्गत, 9-ग्राम-पड़ेरी से पचकौरी तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई लगभग 05.00 कि0मी0, 10-हरवंशपुरवा से पंचकौरी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण, लम्बाई लगभग 04.00 कि0मी0, 11-चन्दवारा रोड नरौली से सोनामऊ तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई लगभग 02.00 कि0मी0, 12-रामपुर तिराहे से गौरीकला तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0, बबेरू विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम-औगासी से झारखण्डेश्वर बाबा के स्थान तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0 का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित में लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय, लोकमहत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत रूपापुर शुगर मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-हरदोई के मेरे विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत रूपापुर शुगर मिल पर किसानों का 30 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। गन्ने के बकाये धनराशि के भुगतान हेतु चीनी मिल द्वारा किसानों को निर्धारित समायावधि भी नहीं दी गयी है। किसानों को अपना पैसा न मिल पाने के कारण यह अगली फसल की बुआई के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं जबकि उनका पैसा चीनी मिल मालिकों के पास करोड़ों रुपये का बकाया पड़ा हुआ है। चीनी मिल द्वारा भुगतान न किये जाने से क्षेत्रीय किसानों में अत्याधिक आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में किसानों के गन्ने का बकाये धनराशि के भुगतान किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की विभिन्न ग्राम पंचायत को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद-फतेहपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र 239, बिन्दकी के अन्तर्गत 500 आबादी वाली ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। मुख्यतः जिनमें विकास खण्ड-खजुहा के अन्तर्गत सरकारी डेरा मजरे कंसाखेड़ा, खुरूआ खेड़ा मजरे कंसाखेड़ा तथा विकास खण्ड-तिलियानी के अन्तर्गत ठकुराइन पुरवा, कबीरपुर मजरे अस्ता, चौहान नगर मजरे कोराई एवं विकास खण्ड-मलवा के अन्तर्गत बाबा का पुरवा, मोहनी पुरवा मजरे रावतपुर आदि ग्रामों पंचायतों की आबादी लगभग 500 है, किन्तु अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया। जिससे उक्त ग्राम पंचायतों के निवासीगणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्राम पंचायत की जनता द्वारा कई बार उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र घोसी के शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज बसन्तपुर में कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज-

[महोदय, मैं आपका ध्यान शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज बसन्तपुर घोसी में प्रचारक पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनका वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक के वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। दिनांक 26 फरवरी, 2014 के नियम 301 के अन्तर्गत उठाये गये प्रकरण के उत्तर में कहा गया है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 26-12-2013 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को प्रश्नगत प्रकरण में पुनः जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु जांच पूर्ण नहीं हो पायी है जांच आख्या प्राप्त होने पर अवगत करा दिया जायेगा।

उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष 2009 से आज तक वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है वर्ष 2013 से प्रश्नगत प्रकरण की जांच चल रही है। वेतन भुगतान के प्रकरण को क्यों और किन कारणों से लिंगर आन किया जा रहा है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कहीं कोई सुविधा शुल्क न देने के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है इस पर भी प्रश्न लगता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं चाहता हूं उपरोक्त तीनों परिचारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वर्ष 2009 से 2014 तक का वेतन भुगतान यथाशीघ्र कराने के आदेश के साथ विलम्ब के वास्तविक कारणों की जांच कराने हेतु इसे नियम 301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

जनपद लखीमपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'-

मैं सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर की ओर आकृट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक नकहा में ग्राम परसिया, बढ़ई ढीह, बलेवा, सहनापुर, गोड़वा, उगरिया, रोमरहापुरवा, रैंगवा, गुलरिया आदि गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हुआ था परन्तु इन गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंचा है। बिजली न होने से सभी गांववासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।

अतः उपर्युक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से उपरोक्त सभी गांवों में तत्काल बिजली पहुंचाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद मऊ के राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-29 के घाघरा नदी से होने वाले कटान को रोकने हेतु लूप कटिंग प्लान लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

कृ0 संज्ञान मे लाना चाहूंगा की जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास ख्ण्ड-दोहरीघाट के अन्तर्गत घाघरा नदी बहती है। घाघरा नदी द्वारा दोहरीघाट पुल से विस्थापित होकर दायें किनारे की तरफ बहने के कारण बन्धे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 पर कटान का खतरा बढ़ गया है। उक्त कटान को रोकने हेतु बाढ़ खण्ड आजमगढ़ से लूप कटिंग प्रस्ताव जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कम्प्रेहेसिव प्लान प्रस्तावित है, परन्तु अभी तक उक्त लूप कटिंग प्लान पूर्ण नहीं हो सका है। जिससे क्षेत्र में कटान का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से उक्त कम्प्रेहेसिव प्लान एवं लूप कटिंग प्लान को पूर्ण कराये जाने का अनुरोध किया जा चुका है, बरसात शुरू हो चुकी है, अगर समय रहते उसे पूर्ण नहीं कराया गया तो क्षेत्र में भारी जन-धन की क्षति होने की सम्भावना बनी हुई, परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।

[12.38] **औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-300 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 27 जून, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनायें प्राप्त हुयीं :-

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-जिला योजना समिति के प्रस्तावों में शासन द्वारा काट-छांट करके मनमाने तरीके से धन आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 2-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-जनपद वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के सुसवाही गांव तथा वाराणसी महानगर की

चितईपुर स्थित इन्द्रानगर में हाई टेंशन तार के नीचे स्थित बस्ती में पांच बच्चों के झुलस कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है। 3-श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-जनपद-उन्नाव में अधिकारियों द्वारा जन शिकायतों पर समुचित एवं प्रारम्भिक कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न हुए गम्भीर मामलों के सम्बन्ध में है। 4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-विधान सभा के प्रश्नों के सम्पूर्ण उत्तर सदन की कार्यवाही तथा विधान सभा की वेवसाइड में उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 5-श्री अगयश रामसरन वर्मा-जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बन्द पड़े नलकूपों एवं जनपद गोंण्डा के अन्तर्गत एल्गिन ब्रिज चरसंडी तटबन्ध के बाढ़ कार्य हेतु हुए अनुबन्ध घोटाला विषयक सूचनाओं के सम्बन्ध में जान बूझकर जानकारी न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

[12.39] जिला योजना समिति के प्रस्तावों में शासन द्वारा काट-छांट करके मनमाने तरीके से धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी आपकी सूचना जिला योजना समिति से सम्बन्धित है, यह विधान सभा की कार्यवाही से कहां से सम्बन्धित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरी सूचना पर माननीय अध्यक्ष जी कृपया मुझे सुन लें। मान्यवर, जिला योजना समितियों का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 (मच) के अन्तर्गत किया गया है। मान्यवर, इस समिति की बैठकों में जो प्रस्ताव पारित होते हैं वह शासन को स्वीकृति के लिये भेजे जाते हैं। इसके अन्तर्गत एक नियमावली का गठन हुआ है 1999 में। आप इस नियमावली की धारा 12 देखने का कष्ट करें। इसमें है ''समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।'' मान्यवर, इसी तरह से धारा 13 में लिखा हुआ है कि उसमें परिवर्तन करने का अधिकार शासन को नहीं है। यह धारा 13(3) में व्यवस्था है कि इसमें जिला समिति को अधिकार है शासन को नहीं है। मान्यवर, शासन को अधिकार है केवल इतना कि जो परिव्यय है उसके द्वारा संस्तुत किया जावे जैसे 173 करोड़ रुपये या 200 करोड़ रुपये तय कर वह सरकार तय कर सकती है। केवल इतना अधिकार है। मान्यवर, संविधान के तहत इसका गठन हुआ है और नियमावली गठित हुई है। धारा 13(3) में पूरे अधिकार जिला समिति को दिये गये हैं। मान्यवर, आप कृपया धारा 13(3) देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है कि--

''राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए, समिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।''

मान्यवर, इसमें राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति की अध्यक्षता करते हैं और उसमें उस जिले के सभी सम्मानित जन प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं और वह समिति जिले की समेकित विकास की नीति तय करती है।

उस योजना का प्रारूप यहां शासन को आता है और यहां पर यह काट-छांट कर जो मर्जी आती है पैसा देते है मर्जी आती है पैसा नहीं देते हैं, बस इसी पर आपत्ति है मान्यवर। आप देख रहे हैं यह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है आप अधिकतम परिव्यय सीमा केवल तय कर सकते हैं

उसके बाद सम्पूर्ण अधिकार जिला समितियों को है कि अगर किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन चाहते हैं पुनरीक्षण चाहते हे तो वह वापस जिला समिति को जायेगा और वहां से फिर से उसको संशोधन हो करके आयेगा। मान्यवर, यह एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह नियमावली बनी है यह हमारे घर पर नहीं बनी है। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं। जो नीचे से प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों को ऐज इट इज, आपके ही प्रभारी मंत्री उनकी अध्यक्षता करते हैं उनकी अध्यक्षता में ही मान्यवर, यहां प्रस्ताव आया और उसके बाद यहां पर जो काट-छांट कर दी जाती है यह मान्यवर, आपत्तिजनक है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं इसमें आप कृपा करके व्यवस्था दे दे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाय इससे सारे जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं इन सब लोगों का हित इसमें निहित है इसलिए आपसे व्यवस्था देने के लिए प्रार्थना करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, मैं अभी यह जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसके बारे में उद्धरण भी है और बहुत सारे नियम भी है। मैं इसमें कुल अध्ययन करके व्यवस्था दूंगा अभी मैं व्यवस्था को अपने पास रोकता हूं बाद में व्यवस्था दूंगा।

[12.41] विधान सभा के प्रश्नों के सम्पूर्ण उत्तर सदन की कार्यवाही तथा विधान सभा की वेबसाइट में उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव का इन्द्रानगर में हाईटेंशन तार का, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत का प्रारम्भिक कार्यवाही न किये जाने से संबंधित, अनुग्रह नारायण सिंह जी का सम्पूर्ण उत्तर सदन की कार्यवाही तथा विधान सभा की वेबसाइट में उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, देखिये वेबसाइट तो अभी बनी है उत्तर जब यहां उत्तरित हो जाता है तभी वहां जायेगा न, अभी तो 2-4 दिन से शुरू हुआ है और अभी सवाल करना शुरू कर दिया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आप मेरी बात सुन ले 2 मिनट। यह एकदम औचित्य का प्रश्न है नियम-300 के अन्तर्गत क्योंकि नियम-300 के अन्तर्गत संविधान का उल्लंघन हो, विधान सभा कार्य-संचालन नियमावली का उल्लंघन हो और आपके संज्ञान में हो। यह मान्यवर, इसमें नियमावली का उल्लंघन है और आपके संज्ञान में है। मेरा प्रश्न था बिजली विभाग में एक करोड़ रुपये से ज्यादा बकायेदारों की सूची और उनका नाम पता के सम्बन्ध में। मान्यवर, मुझको उत्तर दिया गया और कहा गया कि सम्पूर्ण विवरण के लिए बापू भवन में ऊर्जा मंत्री जी के कार्यालय में जाकर के देख ले मान्यवर, वहां पर यह विवरण रखा नहीं गया था। आपके माननीय अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश है उसका आप करण 41 देखें- ''यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के सम्बन्ध में यह उत्तर देना चाहे कि कागजात उनके दफ्तर में देख लिये जावें तो उन्हें चाहिए कि ऐसा उत्तर देने के पूर्व अपने कार्यालय में संबंधित कागजात मंगा लें ताकि यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो सदन में प्रश्नोत्तर आरम्भ होने के पहले कागजात को कार्यालय में देख सकें।

सम्बन्धित मंत्री को उस दिन कार्यालय में निर्धारित समय से आधा घंटा पहले आ जाना चाहिए। यदि वे उस दिन सम्बन्धित पत्रादि प्रश्नकर्ता सदस्य को नहीं दिखा सकते है तो उन्हें अपने प्रश्नों को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करा लेना चाहिए। यह करण 41 में है और करण 44ए में दिया गया है-''प्रश्नोत्तरों के साथ उत्तर के रूप में जो विवरण अथवा तालिकायें संलग्न की जाती है उनकी भी साधारणतया 100 प्रतियां विधान सभा सचिवालय को सरकारी विभागों से प्राप्त होनी चाहिए। अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेकर विस्तृत विवरण या तालिका की कम प्रतियां भी भेजी जा सकती हैं।'' आपसे मान्यवर, उन्होंने कोई अनुमति नहीं लिया है मैं प्रश्न अनुभाग में भी गया था वहां कोई प्रतियां नहीं थी। मान्यवर, यह प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह संसदीय गरिमा का सवाल है। हम लोग प्रश्न लगाते हैं यहां से आप लोग भेजते हैं उत्तर आता है और अगर उसका सम्पूर्ण उत्तर न आये तो कहीं न कहीं शंका पैदा होती है। मान्यवर, इसमें एक करोड़ से ज्यादा बकायेदारों में एक फर्म है परेरहा ग्रुप प्राइवेट लि0 की 9 कम्पनियां है। उनके 9 कम्पनियों में करोड़ों का सारा बकाया है और उनके कनेक्शन भी काट दिये गये हैं कहा गया है कि उनसे वसूली भी हो रही है और उनकी फैक्ट्रियां भी चल रही है। मान्यवर, बिजली के बकाये पर हम लोग चिन्ता करते हैं, लेकिन जो बड़े बकायेदार हैं, मोटे-मोटे लोग, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि मान्यवर, उनकी पहुंच वहां से लेकर सदन तक हो जा रही है, यहां सदन में भी उनका उत्तर नहीं आता।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है। सदन में उत्तर आता है अगर नियमों के अन्तर्गत आया होगा, मैं इस बात का खंडन करता हूं और यह निराधार है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। जो भी प्रश्न उत्तर यहां पर हो जाते हैं, वह यहां वेबसाइट पर डाल दिये जाते हैं। मान लीजिए कि 100 प्रतियां वह छपाकर नहीं दे सकते, ज्यादा कागज लगेगा तो कम से कम यहां पर जो वेबसाइट है, उस पर तो दे दें। क्योंकि जो भी उत्तर आते हैं, वह सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाती है और उसको जानने का, देखने का अधिकार पूरे प्रदेश के नागरिकों को, मीडिया के लोगों को और सभी को होता है। मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप अध्यक्ष पीठ से निर्देश दे दें जिससे यह उसमें डाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अभी तो यह केवल एक-दो प्रान्त में है। उत्तर प्रदेश में वेबसाइट और ये अभी शुरू हुआ है। लेकिन उसमें नियम यह बनाया गया है कि जो प्रश्न सदन में उत्तरित हो जायेंगे, वह वेबसाइट पर डाले जायेंगे जिससे लोग उसको देख सकें। तो अभी तो यह प्रक्रिया मात्र 3-4 दिन की है, कोई चीज नहीं डाला गया होगा तो उसे दिखवा लिया जायेगा। जहां तक आपका सवाल है कि आपको कह दिया गया कि हमारे कार्यालय में आकर देख लीजिये और आप गये, वहां नहीं पाये तो आप इसको लिखकर दीजिये मैं इसको दिखवाऊंगा कि क्यों नहीं वहां रखा गया।

[12.46] जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बन्द पड़े नलकूपों एवं जनपद गोण्डा के अन्तर्गत एल्गिन ब्रिज अनुबन्ध घोटाला विषयक सूचनाओं के सम्बन्ध में जानबूझकर जानकारी न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगला यह जो सिंचाई वाला विषय है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और देखिये अगयश राम सरन वर्मा जी, आप मिनिस्टर भी रहे हैं और सीनियर मेम्बर है। विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित जो बातें होती है या जहां उसका उल्लंघन होता है, संविधान का, नियमावली का, वही औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया जाता है। या जहां संविधान के नियमों के तहत काम नहीं हो रहा है, वह सब यहां उठाया जाता है। आपने दिया जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बंद पड़े नलकूपों तथा जनपद गोण्डा के अन्तर्गत एल्गिन ब्रिज चरसंडी तटबंध के बाढ़ कार्य हेतु तटबंध घोटाला विषयक सूचनाओं पर जानबूझकर जानकारी न उपलब्ध कराये जाने के बारे में। यह नियम 300 में नहीं आता। इसको आप नियम-63 में दे सकते हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, आप मेरी पूरी सूचना पढ़िये। मैनें नियमों के अन्तर्गत माननीय सदन को सूचनाएं दी थी। उसके उत्तर में यह कहा गया है कि इसकी जांच प्रचलित है और जनवरी में मुझे यह सूचना दी गयी, जनवरी से अब तक जांच प्रचलित है। इसे टालने का प्रयास किया गया है और यह सदन की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष-

तो भी यह नियम-300 नहीं बनता। आप अवमानना भेजो, वह बात अलग है।

[12.47] कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13-6-2001-का-1-2013, दिनांक 01 फरवरी, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13-6-2001-का-1-2013, दिनांक 01 फरवरी, 2013 को संविधान के अनुच्छेद-320(5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का छठवां प्रतिवेदन† †

श्रीमती ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी''-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का छठवां प्रतिवेदन, जो पोषाहार निर्माता इकाई हेल्थ

---

† छापी नहीं गई।

† † छापी नही गयी।

केयर एनर्जी फूड प्रा0 लि0 बदलापुर, जौनपुर तथा जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का सातवां प्रतिवेदन†

श्रीमती ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी''-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का सातवां प्रतिवेदन, जो गौतमबुद्धनगर एवं मथुरा स्थित पोषाहार निर्माता इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण तथा मेरठ एवं आगरा मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित समिति के पंचम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही अन्तर्गत कतिपय सड़कों की तत्काल स्वीकृति जारी करते हुए निर्माण कराये जाने विषयक श्री मौ0 अली आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही अन्तर्गत कतिपय सड़कों की तत्काल स्वीकृति जारी करते हुए निर्माण कराये जाने विषयक श्री मौ0 अली व श्री श्रीराम गुप्ता निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहानपुर से ग्राम बझेड़ा-बझेड़ी तक की कच्ची सड़क का जनहित में डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री उमेश यादव आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका† †

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहानपुर से ग्राम बझेड़ा-बझेड़ी तक की कच्ची सड़क का जनहित में डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री उमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर से जिला पीलीभीत तक बार्डर के ग्राम हरैया तक की कच्ची सड़क का जनहित में डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री बांकेलाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर से जिला पीलीभीत तक बार्डर के ग्राम हरैया तक की कच्ची सड़क का जनहित में

---

† छापी नहीं गई।

† † छापी नहीं गयी।

डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री बांकेलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां के अन्तर्गत बढ़ती आबादी के कारण आवागमन की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु बाई पास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुनील सागर आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां के अन्तर्गत बढ़ती आबादी के कारण आवागमन की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु बाई पास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुनील सागर आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम हरपुर (चीनी मिल रोड) से प्रेम नगवा होते हुए पठखौली (राम जानकी राज्य मार्ग, गोला-उरूवा रोड) तक जनहित में पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम कुमार तिवारी आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम हरपुर (चीनी मिल रोड) से प्रेम नगवा होते हुए पठखौली (राम जानकी राज्य मार्ग, गोला-उरूवा रोड) तक जनहित में पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मसीत, हातमपुर, खेड़की, अकबरपुर तिगरी, कराल में विद्युत खम्भों, तारों एवं ट्रान्सफार्मर की कमी को दूर करते हुए विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक श्री शाहिद हसन आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मो0 इकबाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मसीत, हातमपुर, खेड़की, अकबरपुर तिगरी, कराल में विद्युत खम्भों, तारों एवं ट्रान्सफार्मर की कमी को दूर करते हुए विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक श्री शाहिद हसन व श्री अबरार अहमद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11, 12 व 13 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014† †

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† छापी नही गई।

† † दिनांक 2 जुलाई, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-06-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी व इनके साथ कई अन्य माननीय सदस्यों के नाम हैं, सबका नाम पढ़ेंगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा। इनकी सूचना है-जनपद मऊ के थाना मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत दिनांक 11-06-2014 को श्रीमती सीमा को प्रसव के लिये ले जा रही टैम्पो पर दबंगों द्वारा आक्रमण व धमुही बच्ची की हत्या के उपरांत पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, श्री अखिलेश प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश निजी मिल एसोसियेशन द्वारा अगले पेराई सत्र में चीनी मिलों को चालू न करने एवं वर्तमान बकाया भुगतान न कराने की चेतानी पर सरकार द्वारा विचार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

ध्यानाकर्षण हेतु जो सूचनायें है वह है (तीसरी सूचना) श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खनन पर रोक के आदेशों का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अन्तर्गत राज्य सरकार के शहरी आवास नीति की योजनाओं को नजरन्दाज करते हुए इलाहाबाद नगर निगम द्वारा उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा में तीन परिवारों के नौ नाबालिग बच्चों की तालाब में रहस्य ढंग से डूबने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठीं सूचना, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर नगर के 450 टेनरियों के स्थापित जलशोधन यंत्रों का आधुनिकीरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री रामहेत भारती, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री राधेलाल रावत व श्री सुखदेव वर्मा की, जनपद सीतापुर के थाना लहरपुर के अन्तर्गत दिनांक 24-06-2014 को ग्राम रमवापुर में राम आसरे की पत्नी की दबंगों द्वारा पिटाई के उपरान्त हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

(श्री प्रदीप माथुर व कई अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

माथुर जी, आपकी नियम-56 की सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है, उस पर वक्तव्य आ जायेगा। उस समय जो चाहियेगा पूछ लीजिएगा। आपको मैंने बता भी दिया था कि नियम-56 को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है, उसमें पूरा ब्यौरा आ जायेगा।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत ही महत्पूर्ण थी उसका संज्ञान ले लीजिए।

[12.54] नियम-56 के अन्तर्गत बढ़ती सूचनाओं की गम्भीरता में लेते हुए श्री अध्यक्ष द्वारा दलीय नेताओं की बैठक करने का आग्रह

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों की सूचना नहीं ले पा रहे हैं उस पर नियम-51 में वक्तव्य मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इतनी सूचनायें आने लगी हैं, जबकि 10 सूचना नियम-51 में हैं और लोग 92 सूचनायें देते हैं उसमें से चयन करने में कितनी दिक्कत होती है। दूसरी, नियम-56 की सूचना में दो-तीन महत्वपूर्ण सूचनायें आती थीं, अब 27-28 सूचनायें आ रही हैं। गांवों में पानी नहीं निकल रहा है वह भी नियम-56 में आ रही है। बहुत सारी बातें हैं मैं चाहता हूं कि मा0 दलीय नेताओं की बैठक करके इस पर एक विचार-विमर्श कर लिया जाय जिससे कि सही ढंग से मामले आयें, उस पर सरकार का जवाब भी आये और कार्रवाई भी हो।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपकी सूचना को भी नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हमारे दल के मा0 सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी के यहां का मामला है थाने में किसी की हत्या हो गयी थी, आपसे अनुरोध है कि इस पर सरकार का ध्यानाकर्षण करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 मौर्या जी शुरू करें।

[12.55] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसी अराजकतापूर्ण कार्यवाई जो इन्सानियत को शर्मसार करती है, इसी 11 जून को मान्यवर, मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना थानान्तर्गत ग्राम बारा सलेमपुर की एक प्रसव पीड़ित महिला श्रीमती सीमा गांव से कुछ दूर पर एक दायी के यहां अपना प्रसव कराने के लिए जा रही थी। रास्ते में कोइरियापुर बाजार में एक बृजेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह जिनकी दुकान है अपनी

दुकान का माल उस टैक्सी पर लदवाने के लिए उसको रोका टैक्सी ड्राइवर पीड़ित महिला उसकी मां उसके भाई अनुरोध करते रहे कि इस टैक्सी को हमने बुक कराया है प्रसव कराने जा रहे हैं इसके बावजूद उसके ड्राइवर की खींचकर पिटाई किया परिवारीजनों की पिटाई की प्रसव पीड़ित महिला को भी बुरी तरह से पिटाई किया वहां क्षेत्रवासियों ने जब इस घटना को देखा तो बीच बचाव किया किसी तरह से वह महिला उन अराजक तत्वों के चंगुल से छूटी और पूर्व निर्धारित दायी के यहां वह प्रसव कराने के लिए पहुंची वहां पर दायी ने उसका प्रसव कराया जब प्रसव कराकर 9 बजे वह अपने घर वापस आ रही थी थ्री व्हीलर से तो उसी बृजेन्द्र सिंह और उसके लड़के ने थ्री व्हीलर रोका और उसने कहा कि तुमने मेरी बात न मानकर, अपने साथ अन्याय किया है इसलिए इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। उसने पीड़ित की मां को पीटा सिर पर चोट आई बुरी तरह घायल हुई उसका भाई घायल हुआ उसका ड्राइवर घायल हुआ और मान्यवर यहां तक उसकी नवजात बच्ची को उसके बेटे ने छीनकर जमीन पर पटक दिया जिसकी तत्काल मौत हो गई मान्यवर, हम समझते हैं कि यह इतना शर्मिन्दा करने वाली घटना है इन्सानियत को शर्मसार करने वाली घटना है यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है और अविलम्बनीय भी है इसलिए चर्चा कराने से पहले चूंकि यह गम्भीर मामला है इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि ऐसे गुण्डों को जो अत्याचार करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें साथ ही साथ वह प्रसव पीड़ित महिला जिसकी नवजात बच्ची को जमीन पर पटककर मौत के घाट उतार दिया गया है ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करें जिससे सरकार की हनक दिखाई पड़नी चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से इस गम्भीर, इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इस पर प्रभावी और कठोर कार्रवाई करके ऐसे अराजक तत्वों को कुचलने का काम करेंगे और ऐसे लोगों के हौसलों को पस्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह गम्भीर है और गम्भीरता से रखा भी है उतनी ही गम्भीरता से सरकार इसे लेगी। मैं मालुमात करूंगा आपके वक्तव्य में यह बात आई है कि गिरफ्तारी शायद नहीं हुई है, किन धाराओं के तहत एफ0आई0आर0 हुई है यह देख लेते हैं। जांच से यह मालूम हो जाएगा कि बच्चे की मौत कहां हुई। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को रखा है हम यह नहीं मानते हैं कि आप गलत बात को इतनी मजबूती से रखेंगे। क्योंकि यह इस पद के सम्मान का सवाल भी है और हमारी यह जिम्मेदारी है कि नेता प्रतिपक्ष अगर ऐसी हरकत को, जो इंसानियत ही नहीं बल्कि हैवानियत को भी शर्मिंदा करती हो, अगर ऐसी बात आप रखें तो आपकी बात पर हमें भरोसा करना चाहिए आपकी बात पर पूरा भरोसा करते हुए इसकी जांच कराई जाएगी और बहुत सख़्त कार्यवाही होगी अगर तथ्य ऐसे ही हैं जैसे आपने बताए हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता विरोधी दल को सुना संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमारी नियम-56 के तहत उठाई गई सूचना को स्वीकारा। अभी दो-तीन दिन तक लगातार यह सदन गन्ना किसानों के बकाये और जो भविष्य में पेराई सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर काफी चिन्तित था और इसी बीच एक पत्र निजी चीनी मिल मालिकों द्वारा प्रदेश

की सरकार को भेजा गया और उसमें कई ऐसे तथ्य लिखे गये, और कई ऐसी बातें लिखी गई कि जिससे इस प्रदेश के किसानों को विशेषकर गन्ना किसानों को उससे चिन्ता होने लगी और सदन को भी उससे अवश्य चिन्ता हुई। उस चीनी मिल मालिक एसोसिएशन ने सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें यह लिखा है कि यदि सरकार ने जैसे सहकारी चीनी मिलों को आर्थिक सुविधाएं दे रही है, हमें नहीं देगी और जो एक पारदर्शी लिंकेज फार्मूला 2013 में अपनाया गया था और प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था, वह नहीं पूरा किया गया और एस0ए0पी0 290 से घटाकर 250 रुपये नहीं घोषित किया गया तो हम अगले सत्र में गन्ना की पेराई नहीं शुरू कर सकते और जो भुगतान है वह हम करने में असमर्थ होंगे।

इतना ही नहीं, इस पत्र में यह भी कहा गया था कि आपने यह सब सहानुभूति पूर्वक प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2013 में आश्वासन दिया था कि पारदर्शी लिंकेज देंगें वित्तीय सहायता देंगें परन्तु यह नहीं दिया, प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार हमारे ऊपर आर0सी0 एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम जो बकाया राशि है वह नहीं दे पायेंगे और अगला पेराई सत्र हम शुरू नहीं कर पायेंगे। यह बहुत ही एक भयानक स्थिति उत्पन्न होने की तरफ संकेत है और हमें यह भी जानकारी मिली है कि कल ही माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इस एसोसिएशन को बुला करके एक मीटिंग की है। दो बातें हम जानना चाहते है, सदन जानना चाहता है सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उस पर सरकार का मत जानना चाहते हैं कि क्या जो बैठक हुई है उसमें क्या तय हुआ है। किसानों का हित सुरक्षित हो, भुगतान जो बकाया है वह हो और जो यह धमकियां दे रहे हैं कि अगर ऐसा-ऐसा सरकार ने नहीं किया तो हम चीनी मिलें नहीं चलायेंगें। सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को वाजिब रेट मिले और चीनी मिलें चले। क्योंकि यदि चीनी मिलें चलेगी और यह जो निजी मिल मालिक जिनकी 95 चीनी मिलें हैं यह बन्द कर देंगे तो किसानों का अभी 7 हजार करोड़ रुपया बकाया है, भुगतान हुआ नहीं, उसकी प्रत्याशा में कितना बड़ा बज्रपात होगा। सरकार से इस अति गम्भीर विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए हम चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे और इस सदन को बताने कि जो अगला पेराई सत्र है वह समय से चालू होगा। पूरा जो अगला रेट है वह पूरा ठीक से होगा और जो मुख्य सचिव के यहां बैठक हुई उसमें क्या-क्या तय करके उन चीनी मिल मालिकों से कहा गया है वह जानने की आवश्यकता है। हम वाहते है कि सदन को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, किसी गुमां की बुनियाद पर सदन नहीं चलता, सरकारें नहीं चलती। इतना न घबराइये। थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई है दिल्ली में, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिये। बकाये का भुगतान भी होगा और समय से चीनी मिल भी चलेगी। किसी तरह की कोई तब्दीली या कोई कमी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना माननीय प्रदीप....

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे पड़ोस का एक शहर है मुरादाबाद। वहां एक बड़े शायर हुए और उनके बड़े होने की एक वजह यह भी थी कि आप जा रहे हैं बाजार से, तो भीड़ लग गई मालूम हुआ सारे रिक्शे वाले, सब जमा हो गये और वह रिक्शा पर बैठकर अपनी गजलें, नज़्में सुनाते थे। उसी जमाने

की उनकी एक गज़ल है, मैं अपने कांग्रेसी साथियों की हिम्मत बढ़ाना चाहूंगा। तूल कहते हैं, लम्बी, शबे फिराक, गमों की रात, 'तूले शबे फिराक से घबरा न ए जिगर, लम्बी रात है यदि गमों की तो उससे परेशान मत हो। तूले शबे फिराक से घबरा न न जिगर, ऐसी भी काई रात है, जिसकी सहर न हो।' तो सुबह होगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, अगर यह पत्र चीनी मिल एसोसिएशन ने भेजा है और उसको गंभीर माना है, तभी तो इस प्रदेश के मुख्य सचिव ने उनके साथ बैठक की है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, कल भी आपने यह बात रखी थी, इस पर चर्चा भी हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात हुई। देखिए, उनका काम है, पत्र भेजना, उनका काम है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। कारपोरेट जगत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, पिछले एक दो महीनों में, जिन्होंने अपना पैसा खर्च किया है, उसकी दस गुना वापसी चाहेंगे। होर्डिग करने वाले, होर्डिग करेंगे, आपने देखा आज कितनी बड़ी खबर है कि विशेष अदालतें गठित होंगी। कहीं न कहीं यह सन्देश है भारत सरकार के पास कि मंहगाई क्यों बढ़ रही है, हालात क्या होने वाले हैं तो जिन्होंने टोस्ट पर मक्खन लगाया, जाहिर है, उसकी वापसी तो करेंगे ही, उससे परेशानियां तो खड़ी होगी लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं पैदा हो सकेंगे जैसी आपको सम्भावना है।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर लिया है इस पर अब आप क्या बोलेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, सदन के संज्ञान में लाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, जब 1857 की गदर हुई और उसमें इलाहाबाद ने प्रमुख रूप से भाग लिया, वहां के तमाम लोग लड़ाई में शामिल हुए और इलाहाबाद आजाद हो गया बाद में वापस जब अंग्रेज लोग आए तो डन्होंने उनकी सारी जमीनों को छीन लिया और उसको नजूल लैण्ड बना दिया और वह नजूल लैण्ड तमाम अपने उन लोगों को जो उनके मददगार थे, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनको ज्यादातर पट्टे पर दे दिया। मान्यवर, उन लोगों ने तमाम बंगले आदि बनाकर अपने नौकर-चाकर वहां पर बसा लिए, अपने काम के लिए वह नौकर-चाकर जो वहां पर काम करते रहे, सागर पेशा कहलाए। इस तरह नजूल भूमि पर बसे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, सागर पेशा के लोग हैं, उनके पुनर्वासन का मामला है। 25 मार्च, 1986 करे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पी0डी0 टण्डन वर्सेस स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में एक निर्णय दिया, यह जो नजूल जमीन है, उसके पट्टेदार हैं, उनके लिए एक निर्णय दिया और दूसरा निर्णय दिया, उन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो यहां पर पुश्तों से बसे हुए हैं, इन लोगों का भी उत्तर प्रदेश सरकार पुनर्वासन कराये। जब तक पुनर्वासन नहीं कराती, तब तक इनको यहां से हटाया नहीं जायेगा। मान्यवर, फिर स्टेट गवर्नमेण्ट उस समय सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस निर्णय का अनुमोदन किया।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप जानते हैं, संविधान आर्टिकिल 141 में है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हैं, वह विधिक रूप से सभी न्यायालयों में बाध्यकारी माने जाते हैं, जब तक पार्लियामेंट या कोई असेम्बली उनका संशोधन न कर दे। आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए वह कानून आज भी उसमें लागू है। मान्यवर, 1992 में जब अच्छे दिन वाली सरकार आयी थी, कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, उन्होंने पट्टेदारों के लिए फ्री होल्ड कानून बना दिया और सागर पेशा वाले जो गरीब लोग थे, उनकी ओर इनकी निगाह नहीं गयी और यही कारण है कि आज लोग अपने पट्टों का फ्री होल्ड करा रहे हैं और गरीब लोग हटाये जा रहे हैं।

मान्यवर, उ0प्र0 शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट (संशोधन) एक्ट 1997 है, उसकी भी धारा-4 में दिया गया है जो भी इस तरह के गरीब लोग हैं, उनको बसाया जायेगा, उनका विस्थापन नहीं किया जायेगा। लेकिन मान्यवर, हो क्या रहा है, अभी 6 जून को दस थार्नहिल रोड पर 21 सागर पेशा वासियों को जबर्दस्ती नगर निगम ने बुलडोज कर दिया, इसलिये कि उस जमीन को हाईकोर्ट में देनी है। हाईकोर्ट को देनी है। इसलिए पीपी एक्ट की जो धारा 4 और 5 है, उसका भी उल्लंघन किया। मान्यवर, इसके लिए मैंने मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को लिखकर दिया है और उन्होंने इस तरह के निर्देश भी दिए है कि इन लोगों को बसाया जाए। मान्यवर, इसी के साथ जो 26 म्योर रोड है जहां 78 परिवार बसे हुए हैं, एडीए वहां अपना निर्माण कराने जा रहा है, भवन बनाने जा रहा हैं, वह एचआईजी और एमआईजी बनायेगा, लेकिन जो शासन की नीति है कि हम 20 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लिए बनायेंगे।

मान्यवर, मा0 आजम खां साहब के विभाग ने भी आसरा योजना चलायी है। जिसमें ऐसे गरीब लोगों को मुफ्त मकान दिया जाएगा। मान्यवर, यह जो 10 थार्नहिल रोड का मामला है 06 जून, 2014 को 10 थार्नहिल रोड में निवासित 21 परिवारों को बेलन नहर सिंचाई विभाग, नगर निगम ने बिना पी0पी0 ऐक्ट का अनुपालन किये उजाड़ दिया गया जिसके शोक से श्री बृजलाल का 24 जून, 2014 को देहान्त हो गया। मान्यवर, समाजवादी सरकार है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं में मकान देने की योजना भी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर रहमदिली के साथ काम करें। कानून का पालन करायें। गरीबों को उजाड़ने से पहले उन्हें बसायें। यह अविलम्बनीय है। उनके ऊपर तलवार लटक रही है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हमारा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और उन लोगों को जो इस कानून के अन्तर्गत आते हैं उन सब लोगों का पुनर्वासन करायें। आपकी जो आसरा योजना है इसी जमीन में जमीन लेकर उन लोगों को आसरा योजना में बसाने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, असल में बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। मैंने यह सारी चीजें देखीं। टी0वी0 पर रिपोर्ट आ रही थी और यह काफी प्राइम लोकेशन की भी है। लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि गरीब जायें कहां और इसीलिये आसरा योजना चलायी गयी है कि इस तरह के लोग जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है उन्हें मकान दिया जाये। अनुग्रह नारायण सिंह जी गलत बात नहीं कहते और न कहेंगे और मैं इसे बहुत गम्भीरता से लेता हूं और कभी जाकर मैं अपने कक्ष में बात

करूंगा और जो भी इसका रास्ता निकल सकता होगा निकालेंगे। अगर कही करीब जमीन होगी तो उस पर आसरा योजना की अलग से स्क्रीम बनाकर आप मुझे लिखकर दे दीजिये कि कितने लोग हैं उनको आप आश्वस्त कर दीजिये कि उन्हें आसरा योजना के तहत बनने वाले मकानों की पहली खेप उन्हीं के नाम एलाट होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। इसके बाद पांचवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया जी की जनपद महोबा में तीन परिवारों के नौ नाबालिग बच्चों की तालाब में रहस्यमय ढंग से डूबने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, छठी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर नगर के 450 टेनारियों में स्थापित जल शोधन यंत्रों का आधुनिकीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर भी मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके बाद सातवीं सूचना श्री रामहेत भारती, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री राधेलाल रावत, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद सीतापुर के थाना लहरपुर के अन्तर्गत दिनांक 24-6-2014 को ग्राम रमवापुर में रामासरे की पत्नी की दबंगों द्वारा पिटाई के उपरान्त हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है और श्री धर्मपाल सिंह जी और सतीश महाना जी की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। शेष निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं। श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री संजय कपूर, श्री गजराज सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दिलनवाज खां, श्री मो0 मुस्लिम, श्री राधेश्याम, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती उमाकान्ती, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कपूर, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री धर्मपाल सिंह, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री सलिल विश्नोई, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री सुशील सिंह, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री राज कुमार रावत, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री गेंदालाल चौधरी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री अगयश राम सरन वर्मा।

[1.18] आज की कार्यसूची में प्रस्तुत होने वाले सभी बजटों को एक साथ प्रस्तुत कर एक ही साथ कटौती रखे जाने के सम्बन्ध में सदन की सहमति

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हमें थोड़ा काम से जाना है। आप आ जाइये। सभी बजट एक साथ रखवा देंगे जो जिस पर बोलना चाहे बोल लेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बजट प्रस्तुत होने के पहले मेरा अनुरोध है कि कृषि विभाग का पहले सुनिश्चित था उसको पहले रखा जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। कृषि विभाग को पहले ले लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कल जो मामला सदन में रखा गया था, गम्भीर मामला था। नेता प्रतिपक्ष ने हमने और सबने और आपने भी इसे बहुत गम्भीरता से लिया था। मैं उस वक्त नहीं बोला जब आपने निर्णय दिया है। लेकिन मैं इतना जरूर सदन से कहना चाहूंगा कि सरकारें बहुत सी रही हैं लेकिन अपनी कमियों की तरफ सरकार खुद उंगली उठाये ऐसे वाकयात् बहुत कम सदन में आते हैं। कल जिस तरह से सरकार ने भी लिया, अध्यक्ष जी ने लिया, आपने भी लिया, अन्य नेताओं ने लिया, हमारे साथियों ने इस चीज को बहुत संजीदगी से लिया और उसके कुछ नतीजे भी आये हैं। ये सही बात है कि हमने आज बजट ले लिया है, जिसके लिये इन्कार हुआ था, लेकिन उसमें कुछ लोगों को जरूर सजा मिलने जा रही है और उम्मीद यह करते हैं हम, हमारी कड़ुवी दवा वैसी नहीं होगी, जैसी कड़ुवी दवा का प्रचलन शुरू हुआ है देश में, ऐसी दवा जिससे मरीज का इलाज हो सके और व्यवस्था ठीक, चुस्त-दुरुस्त हो सके तो मैं उम्मीद करता हूं और मा0 नेता प्रतिपक्ष का इसके लिये शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस बजट को पेश होने के लिये अपनी सहमति दे दी।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप सब मा0 सदस्यगण चाहें, लेकिन कटमोशन अगला रखा जायेगा तो एक बार बजट प्रस्तुत करा के कटमोशन रखवा दिया जाय सब पर, इसके बाद फिर चर्चा सब करते रहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, अब चूंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत गम्भीर होकर के विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का आश्वासन इस पूरे सदन में दिया है, इसलिये उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मान्यवर, समस्त मदों की बजट प्रस्तुति की सहमति तो मैं देता हूं, लेकिन चूंकि अभी कुछ मदों के साहित्य अभी आधे घण्टे पहले हमें मिले हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो पहले कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत कर दें, इसके बाद में सब करेंगे आपकी सही राय है, चलिये ठीक है।

(इस समय 01 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश खन्ना पीठासीन हुए)

[1.21] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,54,41,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आप सबको पता है हमारा देश और हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है और पूरे देश के बहुत बड़ी मात्रा में हम अपना उत्पादन करते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर चाहे वह गेहूं का उत्पादन हो, चाहे वह तिलहन का उत्पादन हो, चाहे वह गन्ना का हो, चाहे आलू का हो, चाहे धान का हो, बड़ी भारी मात्रा में, बड़े प्रतिशत में हम उत्पादन किया करते हैं और हमारे अपने प्रदेश में कुल पूरे देश का 11 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है, जिसमें हम अपनी कृषि का काम किया करते हैं, उत्पादन का काम किया करते हैं। हमारी सरकार जबसे है, हमने विभिन्न क्षेत्रों के भीतर यहां काम करने का प्रयत्न किया और उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली, इसलिये हमने इस काम को किया, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार किसान के हित की सरकार है, किसान के हित में सोचती है, किसान के हित में काम करना चाहती है और कर भी रही है और आप सबको पता होगा कि हमने विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष खाद्यान्न के भीतर पर्याप्त उत्पादन में वृद्धि की है और वह वृद्धि हम सबको इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से है भी कि हमने गेहूं में ही नहीं किया, धान में ही नहीं किया, तिलहन के भीतर भी किया है, गन्ना के भीतर भी किया है और अब तो हम जूट की दिशा की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यहां में हम उत्पादन की वृद्धि करना चाह रहे हैं और यह कहते हुए हमें प्रसन्नता है और आपको सूचित करते हुए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने कुल उत्पादन का वर्तमान समय में 2014-2015 में जो लक्ष्य रखा है 267 लाख हेक्टेयर का, हमारा अपना उत्पादन का लक्ष्य है इस समय। विगत वर्षों में हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य की प्राप्ति हमने की है। आगे भी पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे क्योंकि विभाग हमारा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी शासन की पूरी नीति के अनुसार तत्परता से कार्य करने में व्यस्त हैं। जहां तक सवाल है उत्पादन का लागत कम हो, लाभ अधिक मिले, उत्पादन अधिक हो, गुणवत्तापूर्ण हो इसी दिशा के भीतर हमने बहुत अधिक प्रयत्न किया है। आप सबको इस सदन को पता है इस बात का। दो साल पहले, ढाई साल पहले उर्वरक की प्राप्ति के लिये किसानों की ऊपर लाठी चलती थी, गोली भी चली लेकिन वर्तमान दो साल से, ढाई साल से जबसे हमारी सरकार है सबको पता है इस बात का कि हर सोसाइटी के भीतर हमारा उर्वरक पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। किसान जितना चाहे उतना ले सकता है, समय से ले सकता है और आज की स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय कि आज की स्थिति में हमारे पास सरप्लस उर्वरक हैं कहीं भी किसी भी प्रकार की उर्वरक की दिक्कत नहीं है और इतना ही नहीं गुणवत्तायुक्त है। हमने फास्फेट की तरफ भी प्रगति की है, फास्फोरस की तरह भी हमने प्रगति की है और जैविक खाद जिसकी आज की स्थिति में बड़ी डिमाण्ड है। ऐसी मान्यता भी वैज्ञानिक की है कि जितना अधिक जैविक खादों का प्रयोग किया जायेगा, भूमि उतनी ही अच्छी होगी, भूमि की क्वालिटी अच्छी होगी, जमीन की गुणवत्ता अच्छी होगी इसीलिये हमारी सरकार ने फैसला किया कि जैविक उर्वरक पर 75 प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध करायेंगे। यह पहली सरकार हमारी है जिसने किसानों को इस बात की सुविधा प्रदान की है जो भी किसान जैविक उर्वरक पैदा करना चाहता है उसको हम 75 प्रतिशत अनुदान देंगे जिससे कि हमारे खेत, हमारी जमीन की मृदा की स्थिति अच्छी हो सके, उत्पादन बढ़ सके हमारा और किसान का जो उसका खेत है, उसकी जमीन है, उसकी मिट्टी है उसकी क्वालिटी में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाये। मान्यवर, आज की तारीख में पुराने जमाने के भीतर हम जो बुवाई किया करते

थे तो आप सबको पता होगा कि छींट करके बुवाई किया करते थे जिससे बहुत सारा बीज बरबाद होता था। खाद और बीज दोनों मिक्स नहीं हो पाते थे। उत्पादन प्रापर नहीं हो पाता था उत्पादन पूरे ढंग से न होने के कारण लागत ज्यादा लगती थी लाभ कम मिलता था, किसान को लाभ नहीं मिल पाता था इसलिये हमने पहली बार बीज रोलिंग प्लाण्ट तैयार किया जिसमें 10 वर्ष से कम की उम्र के प्रजाति के बीजों को प्रोत्साहित करने का काम किया, धान और गेहूं जो 10 वर्ष की प्रजाति तक है उसमें हमने 1400 रुपये प्रति कुण्टल अनुदान देने की बात की है और जो दलहन, तिलहन है उसमें 3300 रुपये प्रति कुण्टल 10 वर्ष की प्रजाति तक है उनको देने की बात कही है। जो 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच वाले हैं उनमें 200 बाकी अन्य में हमने 600 रुपये अनुदान देने की बात की है इसलिये मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नई प्रजातियों के लिये स्थापित करने के लिये हमने नये-नये प्रकार से नई प्रजाति उत्पन्न की है। विगत 2014-2015 में धान के अन्तर्गत प्रजाति स्थापन दर 19 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत है। ये अच्छे-अच्छे बीज हैं मान्यवर। नई प्रजाति पर हमने अच्छा काम किया है क्योंकि एक वर्ष के भीतर 19 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ना, ये एक अच्छी उपलब्धि है। हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से ज्यादा अच्छी स्थिति में हम दिखाई पड़ते हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार से गेहूं में 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 41 प्रतिशत किया है। ये अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा है और आगे भी हमारा प्रयत्न है कि अच्छी प्रजातियों के भीतर जो हमारे बीज हैं अच्छे ढंग से आयें। इसके लिये व्यवस्था करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान्यवर, हमने अपने यहां उत्पादन और उत्पादकता में आशातीत वृद्धि के लिये किसानों को कृषि निवेश के लिये प्रोत्साहित करने का काम किया है। उसके भीतर कृषि निवेश प्रोन्नति कैलेण्डर तैयार किया है, टेण्डर प्रक्रिया के तहत किया है। विक्रय केन्द्रों की आपूर्ति समय सारिणी हमने तय कर दी है, निर्धारित कर दी है जिससे जनपदों के अन्दर विभिन्न स्थानों पर क्रय-विक्रय होने की सम्भावनायें प्रबल है। वहां किसान अपना विक्रय कर सकता है, लाभ ले सकता है। मान्यवर, हमने 2013-14 में भी बड़ी मात्रा में 52.30 लाख कुण्टल बीज वितरण कराया था। किसानों को इससे लाभ मिला है। अबकी बार हमने 2014-15 में इसको और बढ़ाकर 61.46 लाख रुपये बीज वितरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और रबी के लिये भी और खरीफ के लिये भी हमने 51.6 लाख रुपये और 10.40 लाख रुपये कुन्टल की बुवाई की वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी है। एक चीज जो देखी जा रही है आज किसानों के बीच में हम लोग पहले भी जब गांव में रहते थे तो मोटे अनाज जिसको आप कहा करते थे, उनका अच्छा उत्पादन हुआ करता था आज की तारीख में अच्छे अनाज जिनको मोटे अनाज कहते हैं, मार्केट में उनकी कीमत बहुत अच्छी है लेकिन उनका उत्पादन किसान नहीं कर रहा है, किसान की रुचि उधर नहीं है। हम लोगों ने संकर बीज जो है उनको प्रोत्साहित किया। आज आप भी महसूस करते होंगे आज जो मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस के भीतर इस बात का प्रचार-प्रसार हो रहा है। मोटे अनाजों को खाने से फाइबर जिनमें ज्यादा है। वह स्वास्थ्य के लिये लाभकारी हैं, वह स्वास्थ्य के लिये हितकारी है, इसलिये इनकी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। इनके विकास में ध्यान दिया जाना चाहिए और आपसे कहते हुए प्रसन्नता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि के लिये हमने 2014-15 में 3.17 लाख का संकर बीज वितरण करने का हमने लक्ष्य रखा है। वह इसलिये रखा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उससे लाभ भी मिले और जो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिये फाइबरयुक्त भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए वह

भी इससे हम कर सकेंगे। दोनों तरफ से लाभान्वित होने का प्रयत्न करने का काम हम लोगों ने किया है। कृषि रक्षा का जिक्र भी हम लोगों ने चला रखा है जो बड़ी संख्या में 2013-14 में 16500 मीट्रिक टन किलोलीटर कृषि रसायन का वितरण हमने किया और वर्ष 2014-15 में 21472 मैट्रिक टन का वितरण करने का हमारा लक्ष्य है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी कृषि रक्षा की व्यवस्था हो सके, उनकी फसल की सुरक्षा की जा सके। मान्यवर, कीटनाशक दवाओं, उनका उपयोग, जिससे कि हमारी फसलों की सुरक्षा हो सके इसलिये भी हमने बायोमेट्री सिस्टम करके बायोजेंस बायोमसी करके उसकी व्यवस्था कराने का प्रयत्न किया है वर्ष 2014-15 में हमने 16580 मैट्रिक टन कृषि रसायन के वितरण की व्यवस्था की। ये इसलिये करने की बात हम कर रहे हैं किसान जो उत्पादन करना चाहता है किसान जो लागत लगाता है। कीड़ों की वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाती है। वह अपनी फसल बना सके अपनी लागत को सुरक्षित रख सके इसलिये हमने तय किया कि इस प्रकार के जो रसायन हैं जो कीटनाशक रसायन हैं इनकी सुव्यवस्था करा करके किसानों को समय से उपलब्ध कराया जाये, जिससे किसान अपनी फसलों को सुरक्षित करा सके। एक सवाल बहुत दिनों से चल रहा है जो किसानों की जमीन की खेतों की जो मिट्टी है उसका परीक्षण यदि प्रापर हो जाये तो शायद किसान अपनी खेत की मिट्टी का सदुपयोग करके अपनी फसल को बढ़ा सकता है अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है और यह भी पता चल जाता है, इस मिट्टी के टेस्ट से कि किस फसल का उत्पादन उसमें अच्छा ढंग से होगा, लाभ किसका ज्यादा होगा, इसलिये अगर हमने इसकी व्यवस्था करने का काम किया 2014-15 में 40 लाख, 20 लाख मृदा नमूनों को एकत्रित करने का काम किया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आधुनिक कृषि व्यवस्था हो सके। किसान को आधुनिकता से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

इसलिये हम लोगों ने यह तय किया जितने निवेश हैं उस निवेश को भी करने का काम करना चाहिए और सब लोग इस बात को जानते हैं जो भी खेती-किसानी का काम करने वाले लोग हैं। हम सब ज्यादातर गांव से आने वाले लोग हैं, खेती करने वाले किसान परिवार से लोग हैं। समय पर किसान को ऋण नहीं मिल पाता था, बीज नहीं मिल पाता था, खाद नहीं मिल पाती थी, पानी नहीं मिल पाता था इसलिये हमारी सरकार ने फैसला किया कि किसान ऋण, फसली ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और 2014-15 में 41.21 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य हमने तय किया है। विगत वर्ष हमने जो तय किया था उसको हमने प्राप्त किया है, आगे भी प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न है। किसान को हम किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायेंगे, जिससे किसान समय से ऋण ले सकता है समय से अपनी फसल की व्यवस्था करा सकता है। समय से अपनी खेती का काम कर सकता है और वह प्रदेश व जनता के हित में होगा। इसके अलावा मा0 अधिष्ठाता महोदय हमने कृषि के क्षेत्र में अन्य बहुत सारे ऐसे काम किये हैं जो किसानों के लाभ के लिये हैं जैसे मैंने आपसे कहा जो बुवाई का सिस्टम हुआ करता था पहले वह छींट की बुवाई हुआ करती थी, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर जहां से हम आते हैं वहां पर छींट करके किसान अपनी गेहूं की बुआई किया करता था। उससे उसके बीज बरबाद होते थे लागत खत्म होती थी उसकी, उसकी मेहनत जाया करती थी, मजदूरी जाया करती थी तो जितनी लागत लगाता था उस लागत के हिसाब से उसको लाभ नहीं मिलता था इसलिए हमने फैसला किया लाइनिंग चेंज करेंगे, लाइन चेंज करेंगे लाइन के भीतर बीजों को बोने का काम करेंगे जिससे कि उत्पादन बढ़ जायेगा और किसान को

लाभ भी मिल जायेगा। जब लागत से ज्यादा उत्पादकता होगा, उत्पादन से उसका लाभ मिलेगा तो किसान भी लाभान्वित होगा और हमारी कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी। मान्यवर, हमने सिर्फ जमीन के तरफ ध्यान नहीं दिया है, हमने बीज के तरफ ध्यान नहीं दिया हमने उर्वरक के तरफ ध्यान नहीं दिया, किसान के उपकरण जो किसान अपने खेत में उसका उपयोग करता है उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है और किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके इसकी व्यवस्था उ0प्र0 सरकार ने बड़े पैमाने पर की है। उदाहरण के रूप में 2014-15 हम कृषि यंत्रों पर बड़ी मात्रा में अनुदान देने जा रहे हैं।

जो भी किसान ट्रैक्टर लेना चाहेगा, 75 हजार रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये तक का अनुदान हम उसको देने की बात कर रहे हैं। रोटावेटर पर 35,000 का अनुदान हम दे रहे हैं। जीरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल एवं सीड ड्रिल पर रुपये 12000 से 44000 रुपये तक अनुदान दे रहे हैं। लेजर लैण्ड लेवलर पर, लेटेस्ट टेक्नालाजी है। हम किसान को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वह अपनी जमीनों को लेविल करे बहुत कम प्रयोग में आती है, लेविल करके जमीन की उत्पादकता की व्यवस्था को बढ़ा सकता है। पानी बराबर जा सकता है पानी सिंचाई की व्यवस्था को ठीक कर सकता था। इसलिए हमने कहा कि किसान आधुनिकता की तरफ बढ़े। आधुनिक पद्धति से कृषि कार्य करे इसलिए हमने इस पर 12 हजार से लेकर 1,50,000 तक का छूट देने का काम हम कर रहे हैं। ड्रम सीडर पर हमने 1200 से लेकर 1900 रुपये तक की छूट देने का काम किया है। इसलिए ये सब हम कर रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार की मान्यता है जब प्रदेश का किसान मजबूत होगा, किसान तब मजबूत होगा जब उसका उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन बढ़ने पर ही किसान को लाभ मिलेगा और किसान जब मार्केट में उसको उचित दाम पर बेंचता है, जिससे किसान लाभान्वित हो सके और जब किसान को लाभ मिलेगा तब उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित होगा और मजबूत होगा। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किसा है कि किसानों के उपकरणों पर हम ज्यादा से ज्यादा छूट दे करके किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करके मजबूत करेंगे। मेजों की थपथपाहट। इतना ही नहीं आप सबको पता होगा कि हमारे नेता जी ने एक भूमि सेना का गठन किया था। जब नेता जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसका जबरदस्त लाभ हुआ था। विगत सरकार के लोगों ने उस योजना को बन्द कर दिया, क्योंकि उसको किसानों के लाभ से कोई मतलब नहीं था। कैसे किसान अपनी जमीन को ठीक कर सके। ऊसर जमीन, बंजर जमीन, पथरीली जमीन, खदरे की जमीन, नाले की जमीन ऐसी चीजों को जो किसान आसानी से निपटा नहीं सकता था सिंचित नहीं कर सकता था, असिंचित भूमि को सिंचित करने का व्यवस्थित करने का काम जो भूमि सेना बनाने का काम हमारे माननीय नेता जी ने किया था, हमने हमारी सरकार ने उसको फिर से शुरू करने का काम किया है। इससे जबरदस्त लाभ हआ, किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। जो अनुपयोगी जमीन थी उन जमीनों को इसके माध्यम से उपयोगी बना करके हम फसल बुआने का काम शुरू कर दिये हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। मेजों की थपथपाहट। जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे ढंग से किसानों को लाभान्वित करेगी।

मान्यवर, पूरा हिन्दुस्तान जान रहा है आज जल को लेकर के बड़ी दिक्कत है। हम जल संचयन कैसे कर सकें। हमने इसका भी प्रबन्ध किया है। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के समस्त योजनाओं तथा भूमि सेना योजना, राम गंगा नदी के कटरी क्षेत्र में भूमि सुधार की योजना तथा नाबार्ड

वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 1,28,623 हे0 भूमि का उपचार किया गया है तथा वर्ष 2014-2015 में 1,33,837 हे0 में भूमि सुधार का लक्ष्य है। मान्यवर, इस तरीके से बुन्देखण्ड क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने में सिंचाई साधनों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशन अनुदान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जो भी अपना ट्यूबवेल लगातार चला रहा है उसको हम 90 प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं मात्र 10 प्रतिशत किसान का लगेगा। बुन्देलखण्ड के भीतर, भिण्ड क्षेत्र के भीतर किसानों के पास जो जमीन है अनुउपजाऊ हो रही है सिंचाई न होने के कारण हो रही है, किसान तड़फता रहता है, देखता रहता है कि खेती इतनी बड़ी जमीन में उत्पादन कुछ नहीं होता, निरीह था, बेचारा था सिंचाई के लिए रोया करता था तो हमारी सरकार ने फैसला किया किसान अपना स्वयं लगाये हम 90 प्रतिशत उसको अनुदान देंगे। 90 प्रतिशत अनुदान देकर हम उस क्षेत्र को और किसानों को मजबूत करने का काम करना चाहते हैं। जिससे सिंचाई के माध्यम से किसान अपने खेतों में पानी पहुंचा करके अपने आपको मजबूती की स्थिति में खड़ा कर सके। मान्यवर, बड़े अच्छे वायदे करके आये थे अच्छे दिन दिखाने का वायदा था आने के एक सप्ताह के भीतर डीजल की कीमत बढ़ गयी किसान डीजल लेने जायेगा, किसान को तो डीजल की हर समय जरूरत पड़ती है सिंचाई से लेकर मड़ाई तक, बुवाई से लेकर कटाई तक सब जगह डीजल की जरूरत है। उसकी दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि जो डीजल इंजन का प्रयोग कर रहा है किसान अपने सिंचाई के भीतर हम उसको सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प योजना के तहत उपलब्ध कराने का काम करेंगे और बड़ी भारी संख्या में यह सोलर फोटो 75 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं।

मान्यवर, यहां बहुत सारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं जिनकी खेती भी होगी किसान परिवार से आये हुए लोग हैं इसमें आप लोग इस योजना का लाभ अपने लिए और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जरूर लीजिए। 75 प्रतिशत 2 एच0पी0 के सोलर पम्प पर और 50 प्रतिशत अनुदान हम 5 एच0पी0 पर करने के लिए तैयार हैं। किसान कहां से लायेगा बीज कहां से व्यवस्था करेगा पैसे की, एक बार अगर व्यवस्था हो जाय तो यह 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनुदान हम दे रहे हैं तो न उसको बिजली की दिक्कत होगी न उसको लाइट की दिक्कत होगी, अब बिजली का कनेक्शन कैसे मिलता है यह आप सब लोग जानते हैं सब लोगों को पता है कि कैसे मिलता है तो उससे भी फुर्सत होगी। किसान को हम बेइमानी के रास्ते से बचाने का काम करते हैं डीजल के दुरुपयोग से उसको बचाने का काम करते हैं। उसकी जेब से जो पैसा खर्च हो रहा था अनावश्यक खर्च हो रहा था उससे भी बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को यह व्यवस्था देने जा रही है कि सोलर पम्प के माध्यम से किसान 5 हार्सपावर 2 हार्सपावर से अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है और अपना उत्पादन बढ़ा सकता है।

हमारी सरकार किसानों के प्रति सचेष्ट है आप सबको पता है इस बारे में, किसान पैदा भी होता है कर्ज में, जिन्दा भी रहता है कर्ज में, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब कर्जे में और कभी प्रकृति का प्रकोप हो जाय, कभी पाला पड़ जाय कभी वर्षा आ जाय, कभी अतिवृष्टि हो जाय कभी पत्थर पड़

जाय कभी अनावृष्टि हो जाय किसान जाये कहां, किसके दरवाजे पर मांगने जाय। किसान ने तो अपनी खेत की बुआई भी, अपने खेत की जुताई भी अपने खेत के लिए खाद भी अपने खेत के लिए बीज भी, पानी भी यह सब कुछ लेकर के अपने आपको मजबूत करने का वायदा करके चला था लेकिन प्रकृति ने विपदा डाल दी कहां जाये किसके दरवाजे पर जाय कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया खाद्यान्न सुरक्षा निमित्त हम एक योजना चला रहे हैं। फसली बीमा योजना भी एक हमारी योजना है, नेशनल क्राप इंशोरेन्स प्रोग्राम जिसको कहते हैं। इसके भीतर हम राष्ट्रीयकृत बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों लागू करने जा रहे हैं। किसान अगर मौसम की मार से त्रस्त होता है उसका नुकसान मौसम की मार से होता है अतिवृष्टि से हो जाय, अनावृष्टि से हो जाय, ओले से हो जाय, बाढ़ से हो जाय तो किसान को फसल का अभी तक हुआ करता था न्यायपंचायत हुआ करता था। हमने फैसला किया कि गांव के भीतर और वह व्यक्तिगत किसान जिसका उसको नुकसान हो गया व्यक्तिगत खेत का, उसको भी हम फसली बीमा योजना के अन्तर्गत लायेंगे और जो उसको हानि हुई है उसकी योजना के भीतर कवर करके किसान को हानि से लाभ की तरफ परिवर्तित करने का काम हमारी सरकार कर रही है बाकी कोई सरकार नही कर सकी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के भीतर भी वर्ष 2013-14 में 492.62 करोड़ रुपये व्यय हमने किया है। वर्ष 2014-2015 में हमने 649.90 करोड़ की व्यवस्था की है जो आगे करने की बात हम सोच रहे हैं और उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, विभिन्न क्षेत्रों में जो जल संचयन की स्थिति है, किसान बीमा योजना की जो स्थिति है, वह सब हम आपको संक्षेप में बता दें। जैसे आगरा के क्षेत्र के भीतर कुल राशि है 41264 प्रति हेक्टेयर, अगर किसान प्रीमियम राशि 3.5 प्रतिशत मात्र इस प्रकार कुल देय प्रीमियम राशि 1457.6 रुपये होती है और कृषक द्वारा प्रीमियम राशि होती है 2.1180 रुपये प्रति हेक्टेयर हुआ करती है। बड़ी भारी मात्रा में किसानों को प्रीमियम बहुत कम देना पड़ता है, लाभ उसको हम ज्यादा देते हैं। राज्यांश हमारा है 251.49 रुपये के हिसाब से देने की बात हमने कही है। इसी प्रकार हम गेहूं में भी दे रहे हैं। विन्ध्य क्षेत्र में वर्षा जल में सिंचाई योजना पर हमने बड़ी मात्रा में नई-नई योजनायें चलाने का काम किया है वित्तीय वर्ष 2014-15 में हमने 3192.50 करोड़ आयोजनान्तर्गत और 1845 करोड़ योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया है। यह वित्तीय वर्ष 2013-14 से 5 प्रतिशत अधिक है। हमने कृषि क्षेत्र के भीतर विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई के लिए 5 प्रतिशत अधिक बजट का प्रावधान इस व्यवस्था के अन्दर किया है जिससे किसानों को लाभ मिल सकता है। मान्यवर, किसान के हर क्षेत्र के भीतर बीज से लेकर, मिट्टी की व्यवस्था से लेकर, सिंचाई से लेकर, उत्पादन से लेकर, उनकी मार्केट की स्थिति तय हो जानी चाहिए। इसकी भी व्यवस्था करने का काम हमने किया है। हमने सिर्फ कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए यह काम नहीं किया बल्कि हमारे पास विश्वविद्यालय है, जहां अनुसंधान का काम हो रहा है।

कृषि के क्षेत्र में हम नई-नई योजनायें कैसे कर सकते हैं, इसके अन्तर्गत हम अनुसंधान करके नये बीज कैसे ला सकते हैं। कम लागत लगाकर के अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ किसान को मिल जाय, इसका प्रयोग करने के लिए आप सबको पता है मान्यवर, हमारे यहां आज की तारीख में 4 विश्वविद्यालय और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, जो हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा

संचालित होता है। नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ, मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय, बांदा और डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद है। इन विश्वविद्यालयों के भीतर हम न सिर्फ ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं और रिसर्च का काम भी करा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है, हमारी सरकार का पूरा प्रयत्न है कि यह हमारे विश्वविद्यालय हैं, इसके अतिरिक्त भी हम अन्य स्थानों पर भी महाविद्यालय खोल रहे हैं। कानपुर के अन्तर्गत कृषि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोल रहे हैं। हम आजमगढ़ में भी, लखीमपुर-खीरी में भी इस काम को कर रहे हैं। मेरठ के अन्तर्गत वेटनरी कालेज में वेटनरी पालीक्लीनिक की स्थापना हो रही है, उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। जनपद बांदा में नवस्थापित कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई प्रारम्भ हो रही है। नवीन कालेज के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन गोण्डा एवं सोनभद्र में भी हम किसी महाविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं और इस प्रकार हम चतुर्दिक विकास कर रहे हैं। पूरब में भी कर रहे हैं और पश्चिम में भी कर रहे हैं, विन्ध्य में भी कर रहे हैं तो दक्षिण में भी कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के भीतर हम कृषि अनुसंधान, कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि के प्रति अभिरुचि का काम न कर रहे हों। हम सिर्फ खेती का काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसके भीतर हम डेरी की भी बात कर रहे हैं, हम इसके भीतर मत्स्य पालन की भी बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं। पहले जमाने में एक कहावत हुआ करती थी आधी खेती आधी बारी। किसान मजबूत तब होगा, जब उसके पास पेड़-पौधे भी होंगे, उसके पास अपने वृक्ष भी होंगे और आज सारी दुनियां इस बात को महसूस कर रही है कि जिस प्रकार आपने जबरदस्त तरीके से वृक्षों की कटाई की है, पर्यावरण उससे बरबाद हुआ है पर्यावरण दुरुस्त कैसे होगा, पर्यावरण को व्यवस्थित कैसे किया जाये इसलिए हमारे विश्वविद्यालय के अन्दर नित नूतन प्रयोग हो रहे हैं कि कैसे कम समय, कम लागत में अच्छे बीज पैदा किये जायें, कम लागत कम समय के अन्दर कैसे अच्छे पौधे पैदा किये जायें, अच्छे पेड़ पैदा किये जायें जिससे किसानों को लकड़ी का भी लाभ हो सके, फल का भी लाभ हो सके। आज हमारी हालत क्या है उत्पादन तो हो रहा है हमारे फलों का, फूड प्रोसेसिंग प्रापर नहीं हो पायी, विगत जितनी सरकारें बैठी हुई हैं, इन्होंने किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं दिया। किसान जो अन्य चीजें उत्पादित करता है जैसे आलू उत्पादित करता है, आंवला उत्पादित करता है, पश्चिम की तरफ मैं नहीं बता सकता लेकिन पूरब की तरफ एक जमाने में बेर पैदा होती थी, आज बेर की वैरायटी खत्म हो गयी है। बेल हुआ करता था उसकी भी वैरायटी खत्म हो गयी है। हम अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के कैम्पस के माध्यम से जो पुरानी प्रजातियों के पेड़ थे जो समाज में मान्यता प्राप्त थे जिनसे लाभ हुआ करता था उनको हम फिर से स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि आधी खेती, आधी बारी का जो सिस्टम था वह आज भी उतना ही उपयोगी है चाहे वह पर्यावरण के लिए उपयोगी हो चाहे किसानों के हित के लिए उपयोगी हो।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी कितना समय और लेंगे।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, बस दो मिनट। मान्यवर, भूमि विकास निगम भी इसी विभाग से संचालित होता है। अधिष्ठाता महोदय, आप सबको पता है कि कितने बड़े हिस्से की हमारी भूमि बरबाद है, सिर्फ रेह

और ऊसर दिखाई देता है। कभी कभी तो हमारे गांव में धोबी जो कपड़ा धुलने का काम करते हैं कहा करते हैं कि आपकी सरकार आ गयी तो गांव का कपड़ा धुलने का सिस्टम खत्म कर दिया क्योंकि वह कपड़ा रेह से धुलते थे। भूमि सुधार योजना के भीतर बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों ने इस काम को शुरू किया कि जो भी रेहयुक्त जमीन थी, ऊसरयुक्त जमीन थी उसको ठीक करके वहां पर गेहूं, धान, तिलहन पैदा करने का काम किया है। यह इसलिए किया है क्योंकि किसान की जो हजारों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है जिससे किसान कुछ नहीं पाता है सिर्फ रेह उड़ती है, उसको ठीक किया है। यह व्यक्तिगत किसान के हित की बात नहीं है, यदि किसान का हित हो रहा है तो उससे समाज का हित हो रहा है, उससे प्रदेश का हित हो रहा है और उससे देश का भी हित हो रहा है। अगर किसान मजबूत होगा तो यह प्रदेश मजबूत होगा, यह देश मजबूत होगा। पूरे देश और प्रदेश की रीढ़ कौन है किसके बल पर यह देश खड़ा है। मान्यवर, आज से ही नहीं बल्कि अनादिकाल से इस देश के भीतर किसान ही मूल था उसी के बल पर हमारी सारी व्यवस्था चला करती थी, किन्हीं कारणों से लोगों ने किसानों को दूर करने का काम किया। किसानों को उचित मूल्य देने का काम नहीं किया गया, लागत कम करने का काम नहीं किया गया था, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने फैसला किया कि किसानों की जमीन को ठीक करेंगे, किसानों के उत्पादन में लगने वाली लागत को कम करायेंगे। उससे होने वाले लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार की निश्चित मान्यता है कि जितना ही किसान की जेब में पैसा जायेगा, उतना ही किसान मजबूत होगा और जितना ही किसान मजबूत होगा उतना ही यह प्रदेश मजबूत होगा और जितना ही प्रदेश मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा। इसलिए फैसला किया कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए चाहे भूमि सुधार का क्षेत्र हो, चाहे मृदा का क्षेत्र हो, चाहे बीज का क्षेत्र हो, चाहे पैरासाइट्स का क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों के अन्दर हमने फैसला किया कि हम किसान को अधिक से अधिक लाभ दे करके किसान को मजबूत करने का काम करेंगे, यह कहते हुए मैं अपना बजट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री(श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, पंचायती राज विभाग का बजट भी कृषि के साथ अन्य में है तो यह पूरा रखा गया है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

इसमें पंचायत राज विभाग का बजट नहीं है यह केवत कृषि विभाग का बजट रखा गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 त्रिपाठी जी, अनुदान सं0-34 पर भी आपको ही कटौती प्रस्ताव रखना है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, अनुदान सं0-34 पर मुझे ही कटौती का प्रस्ताव रखना है लेकिन अभी मैं सिर्फ अनुदान सं0-11 पर कटौती रख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने अभी कृषि विभाग का बजट पेश किया है और बजट पेश करते हुए आपने बताया कि वह किसानों को प्रोत्साहन देना चाहती है, मान्यवर किसानों की यह हितकारी सरकार किसान नेता चौधरी चरण सिंह और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के सपनो की सरकार जो बजट लेकर आयी है वह किसानों को सचेष्ट करना चाहती है प्रोत्साहन देना चाहती है। पिछली बार जब इन्होंने बजट पेश किया था तो 34 अरब 87 करोड़ रुपये का बजट था। यह किसानों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार इस बार 25 अरब 54 करोड़ का बजट ले करके आयी है, सीधे-सीधे 9 अरब रुपये की अपने बजट में कटौती करते हैं फिर भी यह कहते हैं कि किसानों के प्रोत्साहन के लिए इस बजट को लेकर आये हैं। मान्यवर, यह अन्नदाता का बजट है, चाहे वह झोपड़ी में रहे या फाइव-स्टार होटल में रहे, चाहे वह बिना बिजली के रहे या ए0सी0 में रहे, वह सोने, चांदी से, हीरे से लदा हुआ हो कुछ भी उसके पास हो, लेकिन अगर पेट में रोटी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी सारी सुविधायें, सारे ऐशो-आराम बेकार हैं उसके अगर पेट में रोटी नहीं है। वह अन्न जो हमारा किसान देता है उसके लिए यह आज का बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है। मैं एक बात के लिए कुदरत को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज पहले दिन का विभागीय बजट रखा गया था तो सबसे अन्त में इसका नम्बर था, वह जो किसान की सरकार की प्राथमिकता रही, उसका बजट भी आज के दिन आखिरी था। यह तो दैवयोग है कि आज इस बजट की शुरूआत की गयी तो सबसे पहले इसका नम्बर आ गया।

मान्यवर, मैं उसी अन्नदाता का जो बजट आया है उस पर जो अपनी बात कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश का किसान सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली है कि पूरी दुनिया में अगर कृषि योग्य भूमि 11 प्रतिशत है, पूरे देश में अगर कृषि योग्य भूमि 46 प्रतिशत है तो हम उत्तर प्रदेश के लोग अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं, गरिमामय महसूस करते हैं कि हमारे यहां जो खेती का प्रतिशत है जमीन का वह 69 प्रतिशत है लगभग 70 प्रतिशत के आस पास। 70 प्रतिशत जहां खेती होती है, 70 प्रतिशत जहां खेती की जमीन है वहां पिछले 03 साल से यह सुखद लग रहा कि उपज के मामले में भारत सरकार उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दे रही है। जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो 2011-2012 में पहली बार खाद्यान्न के सर्वाधिक उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। पिछली बार भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी थी बिल्कुल मैं इन्हें साधुवाद दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो शुरुआत की थी आपने उस कारवां को कायम रखा और प्रथम पुरस्कार भी आप लेकर आये थे। महोदय, सिंचित भूमि का जहां तक सवाल है अगर देश की तुलना करें तो देश में जहां 45 प्रतिशत है, हम लोग 81 प्रतिशत सिंचित भूमि में आते हैं। दुनियां में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां केवल एक फसल बोई जाती है हम सौभाग्यशाली हैं कि दो फसलें और कहीं-कहीं तो तीन फसलें हमारा किसान लेता है, हम इस मामले में भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारा अगरा 34 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान गेहूं में है,

अगर 40 प्रतिशत के साथ गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, अगर आलू में 37 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान रखते हैं तो क्रमशः दलहन और चावल में 13 और 12 प्रतिशत लेकर द्वितीय स्थान है। मैं यह आंकड़ा नहीं देना चाह रहा था यहां पर जो गौरवशाली परम्परा हम लेकर आये हैं वह किसान जो प्रदेश को प्रथम रखता है वह प्रदेश जहां पर सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उस किसान की हालत क्या है मैं इस पर बात करने के लिए इस भूमिका को लेकर आया हूं। आज हालत यह है कि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उसकी मौत हो रही है वह दम तोड़ रही है सच कहूं तो वह कोमा में है। यह जो रासायनिक खाद है यह जो डाई, यूरिया या अन्य केमिकलस आ रहे हैं हमारी धरती की उर्वरा शक्ति की मौत करा रहे हैं। जमीन बंजर की तरफ बढ़ रही है यह सरकार 2012 में आई थी उस समय के माननीय मंत्री जी जो अब यहां पर नहीं हैं, उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि हम जैविक खाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जैविक खाद का प्रयोग किसानों को करायेंगे आज माननीय मंत्री जी ने पुनः उसी बात को दोहराया है। दो साल पहले सरकार ने कहा था कि हम जैविक खाद की तरफ बढ़ रहे हैं दो साल बाद पुनः माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जैविक खाद की तरफ बढ़ रहे है। इस बजट में यह बात आनी चाहिए थी कि इन दो वर्षों में कितने प्रतिशत किसानों को रसायनिक खाद के बजाय जैविक खाद उपलब्ध कराने का काम किया गया। तब जब आप कह रहे हैं कि हम किसानों को सचेष्ट कर रहे हैं किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पिछली बार आपने कहा था कि हम लिक्विड बायो फर्टीलाइजर लायेंगे जिसका सेल्स लाइफ एक वर्ष का है दो सालों में उसका कोई अता पता इस बजट में नहीं है तब भी यह सरकार किसानों की हितैषी होने की बात कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राजेश जी आज पॉच विभागों का बजट है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं समाप्त कर रहा हूं। अभी पांच मिनट भी नहीं हुआ है आपने जब हमें टोका है। तीन मिनट हुआ है आप निर्धारित कर दें कि कितने मिनट में अपनी बात रखें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने परिस्थितियों से आपको अवगत कराया है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय अब आप भी समय नहीं देंगे किसान के लिए ? सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है ? आप तो ध्यान दे दीजिए, किसान का बजट है, मैं बीज की बात कर रहा था, माननीय मंत्री जी ने बीज की उपलब्धता बीज की गुणवत्ता के दावे किये। 30 से 40 प्रतिशत तक ही सरकार किसानों को सरकारी एजेंसियों से बीज उपलब्ध करा पाती है। 60-70 प्रतिशत किसान बाजार के बीज पर निर्भर है यहां पर जो सदस्य बैठे हैं, अधिकांशतः वह किसान परिवार से आते हैं, यह सबको पता है कि बाजार में नकली बीजों का भयंकर भण्डारण है और किसान उसका शिकार होता है। यह बोने के बाद समय बीतने के बाद पता चलता है कि बीज तो गलत था। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है कि इनकी जो सरकारी एजेंसी है उससे ज्यादा से ज्यादा बीजों को किसान को देना चाहिए उसका प्रतिशत आप बढ़ायें। अगर किसान बाजार से बीज ले रहा है तो नकली बीज न पाये इसके

लिए सरकार व्यवस्था करे। हम यह सुझाव भी देना चाहेंगे। मान्यवर, आंध्र, कर्नाटक जैसे प्रदेश ऐसे हैं जहां बीज की गुणवत्ता है और वहां के किसान स्वयं अपना बीज पैदा करते हैं। इस सरकार ने इस बात को रखा भी था कि हम अपने यहां किसान को स्वयं बीज निर्धारण करने की क्षमता विकसित करायेंगे। मगर सच यह है कि सरकार ने इस मामले में भी उपेक्षात्मक रवैया अपनाया है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसको साहूकार पद्धति से छुटकारा दिलाने के लिए, ''किसान क्रेडिट कार्ड योजना'' इसमें सरकार ने जो आंकड़े दिखाये हैं उसमें पूरी तरह से धांधली की गयी है।

सरकार ने 2013-14 के बजट में स्वीकार किया था कि हम पूर्णतया इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की हालत यह है कि अगर वह बैंकों से अपना ऋण कराना चाहता है तो बिना बिचौलिए के उसका कोई भी कार्य सुना नहीं जाता। इसमें बिचौलिए हावी हैं, किसान अगर सीधे बैंक मैनेजर के पास जाए तो उसकी नहीं सुनेगा, जब बिचौलियों को वह भारी भरकम रकम देता है तभी उसकी सुनवाई होती है। किसान का यहां भी शोषण हो रहा है। मान्यवर इसके अलावा खाद की स्थिति बताना चाहता हूं सरकार के दावे हमेशा आते रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में मिली है। मैं इस बात को सरकार के आंकड़े के सापेक्ष पर कहना चाहता हूं जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं। पिछली बार इन्होंने कहा था कि हमने 106 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है उसके सापेक्ष इन्होंने 78 लाख मीट्रिक टन खाद देने की बात कही थी। आज जो माननीय मंत्री जी ने आंकड़ा पेश किया है उसमें कहा है कि 86 लाख मीट्रिक टन खाद इन्होंने पिछली बार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था और 78 मीट्रिक टन उपलब्ध करायी। यह कहना चाहते हैं कि केवल 6 परसेन्ट ही हम लक्ष्य से पीछे रह गये। जबकि इनके पिछले सत्र का बजट कहता है कि लक्ष्य इनका 106 लाख मीट्रिक टन का था और उसके सापेक्ष यह 78 लाख मीट्रिक टन ही ले करके आये। सरकार का आंकड़ा यह साबित कर रहा है कि सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पायी है। आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर केवल इस बात को जहां रखा है। किसानों की ऋण माफी की बात पर सरकार ने बहुत चर्चा की। केवल ग्राम्य विकास बैंक से जुड़े किसानों की कर्ज माफी करायी गयी क्या सहकारी बैंकों के जो खाता धारक किसान हैं वह किसान नहीं हैं ? क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो किसान खाता धारक हैं, वह किसान नहीं हैं ? केवल एक खास बैंक को जिसके बारे में यह बात लगातार कही जाती रही है कि जो किसान वहां है, वह बड़े पैमाने पर फर्जी है और बड़े पैमाने पर कर्ज माफी में धांधली की गयी है पिछली बार भी यह बात सदन में रखी गयी थी कि इसकी जांच कमेटी बननी चाहिए कि जिन लोगों के ऋण माफ किये गये थे वह सचमुच खाताधारक थे कि नहीं थे। लेकिन किसानों के ऋण माफी में भी यह सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। अपनी मिट्टी पहचानों, एक नारा लेकर सरकार आयी मृदा परीक्षण के नाम पर। सच्चाई यह है कि गांव का जो आम किसान है, वह इसके बारे में बहुत जागरूक नहीं है। उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है कि वह खुद की मिट्टी की जांच करें। जागरूकता करने वाली किताबों के बारे में सरकार कहती है कि हम बुलेटिन देते हैं, वह बुलेटिन ग्राम प्रधान जी के घर तक बाई पोस्ट पहुंच जाय, प्रधान जी के टेबल की शोभा भले ही बढ़ा ले, गांव का कोई किसान उस कृषि विभाग के बुलेटिन का न उपयोग करता है, न रूचि रखता है। सरकार को कोई न

कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि किसानों तक यह सीधे संदेश पहुंचे और उन्हें जागरूक किया जाय। कोई ऐसी योजना बने, किसान जागरूक हों और जितना वह खाद और बीज के लिए परेशान होता है उसी तरह उसके अन्दर अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए भी उसकी ललक हो। इसके लिए तकनीकी प्रचार प्रसार पर ध्यान देना होगा। एक बात के लिए मैं सरकार को बधाई जरूर देना चाहूंगा, विशेषकर इस सरकार के तत्कालीन मुखिया जो जिन्होंने किसान दुर्घटना बीमा को शुरू कराया और इस सरकार ने उसको 5 लाख रुपये कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना दी मगर कभी आप इसकी समीक्षा भी करिये ? कोई ऐसा जिला नहीं है जिनकी फाइलें बड़े पैमाने पर लम्बित न हों। कृषि विभाग इस बात को सुनिश्चित कराये। किसान दुर्घटना बीमा में वहां तहसीलदार, एस0डी0एम0 की रिपोर्ट तो आ जाती है लेकिन उनके परिवार को पैसे नहीं जा रहे हैं।

अब किसान तो दुनिया छोड़कर जा चुका है उसके परिवार का सदस्य अनपढ़, गवार किसान तो वह लखनऊ कहां दौड़ेगा, जिला मुख्यालय कहां जायेगा। बड़े पैमाने पर मुआवजे की फाइलें लम्बित पड़ी हैं। अभी हमारे कुशीनगर के सदस्य कह रहे थे कि एक सवाल भी लगाये थे कह रहे थे कि 70 लोग उनके जनपद में ही ऐसे लोग हैं जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है लेकिन अभी तक उनको किसान दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिला है। हमारे अपने क्षेत्र में गोला तहसील में किसान मोहन गिरि की मृत्यु हो चुकी है रानीपुर गांव का रहने वाला, दो वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक उस गिरि परिवार को किसान दुर्घटना बीमा का पैसा नहीं मिला है। बार-बार अधिकारी कहते हैं कि लखनऊ में आपकी फाइल रखी है। यह बात साबित करती है कि नीयत आपकी साफ होगी लेकिन उसका क्रियान्वयन अधिकारी सही नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी यह योजना पूरी तरीके से अच्छी होते हुए भी फ्लाप हो रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान दुर्घटना बीमा के मामले में सरकार सख्ती से पेश आये और किसानों को जो यह उम्मीद की किरन है उसको दिलवाने का काम करें। यह सरकार कहती है कि फसली ऋण दे रहे हैं। फसली ऋण के बारे में भी सच्चाई से अगर आप पता लगायेंगे तो फसली ऋण की स्थिति यह है कि यह जिन लोगों को दिया जा रहा है। वे कौन लोग हैं क्या वे जो खाता धारक हैं ? आप उन्हीं को देख रहे हैं या कोई और भी है जो किसान नहीं है परन्तु खाता धारक है। इसे देखना होगा और खाताधारक के बारे में भी ऋण-माफी वालों की ही तरह यह स्थिति है, आप उन्हीं को फसली ऋण दे रहे हैं जो सचमुच में अधिकांशतः किसान नहीं हैं, कुछ होंगे और निश्चित रूप से जब बाद में आप कर्ज माफी करेंगे, फिर उन्हीं तथा कथित किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसा लगता है कि जानबूझ करके, खास लोगों को प्रायोजित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए ऋण-माफी और फसली ऋण की बात की जाती है। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों के हितैषी अगर बनते हैं तो सही जांच हो कि यह ऋण और माफी वह पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ? मान्यवर, किसानों के लिए मुफ्त बिजली की बात, इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप बिल्कुल सही हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, बिजली देंगे ही नहीं तो मुफ्त ही मुफ्त है, पैसा लगेगा ही नहीं उनका। किसानों को कहां बिजली मिल रही है ? हमने कल भी यह बात रखी थी कि हमारे यहां के किसानों को भोर में बिजली आती है। वह क्या करेंगे ? निश्चित रूप से सेप्रेट फीडर लगाने की आपने बात कही, पिछले 2 सालों में यह

निर्धारित नहीं हो पाया, 2012-13 में जिन जिलों को आपने तय किया था, वहीं जिले आपके निर्धारित हैं, वहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब तक पूरे प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेल का सेप्रेट फीडर नहीं होगा, जब तक इसका दायरा नहीं बढ़ायेंगे, तब तक आप इसमें सफल नहीं हो पायेंगे।

मान्यवर, वैसे तो सहकारी बैंक का यह बजट नहीं है, लेकिन किसानों से जुड़ा है इस नाते से कहना चाहूंगा कि आपने जो ऋण माफी की व्यवस्था करायी है, निश्चित रूप से पूर्वांचल के किसान उससे वंचित हो रहे हैं और पूर्वांचल में आप एक योजना ले करके आये थे, भारत सरकार की योजना थी, पूर्वांचल हरित क्रान्ति। पूर्वांचल में कौन सी हरित क्रान्ति आपकी योजना से हुई। इसके लिए पिछले साल आपने 100 करोड़ दिया था, आप बताइये कि पूर्वांचल की हरित क्रान्ति के लिए यह जो धन दिया गया था, पूर्वांचल के सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वह बतायेंगे कि हरित क्रान्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 100 करोड़ लगाया गया है, वह कहां खर्च हुआ है ? वहां कौन सी व्यवस्था करायी गयी है। सच यह है कि यह केवल कागजों में हुआ है, धरातल पर हरित क्रान्ति की कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि हरी खाद हम देंगे। हरी खाद में सनई ढैंचा आता है। अब जरा हरी खाद का आप देख लें कि कितनी गम्भीरता से इस काम को विभाग के अधिकारी निभा रहे हैं या सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ने किसानों से 35 हजार कुन्तल ढैंचा बीज का क्रय किया था और 45 हजार कुन्तल टेण्डर के जरिए, निविदा के जरिए लिया था। 18 दिसम्बर, 2013 को निगम ने पत्र लिखा, सरकार को भेजा, विभाग को भेजा कि आप बतायें कि हमारे पास यह 35 हजार कुन्तल का और 45 हजार कुन्तल का टेण्डर से क्रय किया हुआ ढैंचा का बीज पड़ा हुआ है, इसका क्या करें ? इसके लिए योजना भेजें, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 9 जनवरी, 2014 को फिर उसी ढैंचा बीज के लिए निगम द्वारा लिखा गया, सरकार ने फिर कोई जवाब नहीं दिया गया, 10 अप्रैल, 14 को फिर पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश बीज विकास ने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, 16 अप्रैल, 14 को सरकार की तरफ से एक जवाब आया जिसमें कहा गया कि योजना शासन को भेजी गयी है। बहुत किसानों के आप हितैषी हैं, बहुत सचेत करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आपका निगम कह रहा है कि हमारे पास इतना बीज है, ले जाओ, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती, सरकार चुप बैठी हुई है और दावा करते हैं कि हम किसानों की हितैषी सरकार हैं। और मजेदार बात यह कि तत्कालीन कृषि मंत्री, माननीय आनन्द सिंह जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, इन्होंने वाकायदा मीटिंग किया था, ढैंचा बीज को ले करके, उसमें प्रमुख सचिव और उनके अन्य विभागीय अधिकारी लोग थे, बड़े अधिकारी थे लेकिन निर्देश देने के बावजूद ढैंचा बीज की हो हालात है, यह सामने है यह सारा कुछ बता रहा है किसानों की कितनी हितैषी हैं सरकार किसानों को ले करके सरकार बनाने के हित में चाहे जो कर ले, मगर किसानों की हितैषी नहीं है, सच यह है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, प्रदेश का पेट भरता है, यह सरकार उसी किसान को मार डालना चाहती है। निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा हो रही है, जो सबका पेट भर कर उन्हें जिन्दा रखता है, उसकी सुविधाओं को हम मार रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी मिट्टी दम तोड़ रही है, फसलें दम तोड़ रही हैं, फसलों पर चौतरफा हमला है जंगली जानवरों से भी हो रहा है। किसान मर जाता है उसको कोई बीमे की कोई राशि नहीं मिलती है। आखिर सरकार कृषि विभाग का बजट लाकर कहना क्या चाहती है। आप बजट लाते हैं। 10 हजार करोड़ रुपये लगभग गजट में

कटौती भी कर देते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से यह बजट किसानों के हित में है। क्योंकि जो वादे करके आप पिछली बार भी आये थे उन वादों को आपने इसमें पूरा नहीं किया है। मान्यवर, दैवीय आपदा में आगजनी से या किसी अन्य कारण से कोई आपदा हो गयी और वह लेखपाल और एस0डी0एम0 के जरिये फाइल जिले से शासन तक तो आ गया लेकिन वह किसानों को मिलेगा कब मा0 मंत्री जी आप इसकी समीक्षा करा लीजिए कि दैवीय आपदा में जिन किसानों की रिपोर्ट आयी है पत्रावलियों को निस्तारित कर किसानों को दैवीय आपदा का पैसा उनको कितना प्रतिशत पहुंचा है ? आपको स्वयं पता चल जायेगा। विभाग कुंभकर्णी नींद में है। कौन सा नगाड़ा किसान का आज बजेगा जब विभाग के अधिकारी जागेंगे? सरकार जागेगी ? न दुर्घटना बीमा का, न ही दैवीय आपदा का पैसा देंगे। और आज दावा करेंगे किसान हितैषी होने का आपके नेताजी मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी की स्वर्णिम योजना रही है किसान दुर्घटना बीमा योजना, उस पर भी लापरवाही करेंगे। यह दर्शाता है कि यह विभाग कितने कछुए की चाल चल रहा है। अभी मा0 मंत्री जी सिंचाई की बात कर रहे थे।

नहरों की हालत क्या है मा0 मंत्री जी जब सिंचाई विभाग का बजट लेकर आयेंगे तो इस बात का दावा करेंगे कि हमने सिल्ट साफ कर दिया। सच्चाई यह है कि सिल्ट की सफाई कागजों में होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरे इलाके गोरखपुर जनपद की जो भी नहरें हैं। कागज में करोड़ों की सफाई हो गयी लेकिन वहां हकीकत में सफाई नहीं हुई। और जब सिल्ट साफ नहीं होगी तो नहर का पानी पटरी को तोड़कर उस किसान की फसल को बर्बाद कर देगा। किसान अगर मेहनत का पसीना बहाकर अपनी फसल पैदा भी कर लिया तो विभाग की लापरवाही से नहर उसको तोड़कर किसान के खेत तबाह कर डालती है। आपका निश्चित रूप से सिंचाई विभाग से यह सामन्जस्य होना चाहिए कि किसानों के खेतों तक जाने वाली नहरों की सिल्ट की सफाई प्रत्येक दशा में हो। जो कि नहीं हो रही है। यह मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार तो इन कार्यों के लिए आदेश भर करती है। यह सारे काम अधिकारियों, कर्मचारियों को करने हैं। और उसकी हालत क्या है। लखनऊ में 706 के सापेक्ष 562 पद खाली हैं। आपके आंकड़े बता रहे हैं। सांख्यिकीय अधिकारी 20 होते हैं 16 खाली हैं। लेखा अधिकारी 09 होते हैं 06 खाली हैं। सहायक लेखा अधिकारी 11 होते हैं 06 खाली हैं। कनिष्ठ सहायक 182 होने चाहिए लखनऊ में 70 खाली हैं। जनपदों में 1113 होना चाहिए लगभग 500 खाली हैं। 28 हजार 90 पद विभाग को संचालित करने के लिए सृजित हैं जो कृषि विभाग को दौड़ायेगा किसानों के सपने को पूरा करेगा। वह सरकार के सपनों को पूरा करेगा। 28 हजार 90 में से लगभग साढ़े तेरह हजार पद तो खाली पड़े हैं ऐसे में आप आदेश देते रहिये। अधिकारी, कर्मचारी तो हैं नहीं। अरे गाड़ियां 485 हैं, 317 ड्राइवर नहीं हैं। आप केवल आदेश दे सकते हैं उस पर अमल नहीं हो सकता। मान्यवर, इस नाते मैं यह कहना चाहता हूँ। एक और बात से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने कहा था कि हम कृषि उत्पादों का जो विक्रय मूल्य है उसकी सीधे किसानों को जानकारी देंगे कि बाजार भाव क्या चल रहा है आजकल उसके लिए 12633 बी0एस0एन0एल0 लाईन निर्धारित की गयी थी, यह 2012 में आपने किया था और 2013 में आपने कहा था कि 30 पैसा किसानों का लगेगा जानकारी के लिये जरा इसके आंकड़े जरूर देखियेगा विभाग में और सदन को भी अवगत कराइयेगा, कितने किसानों को जानकारी इस हेल्पलाइन के जरिये

दी गयी, कितने किसान जान रहे हैं कि आज हमारी फसल का वर्तमान में यह रेट चल रहा है। हालात यह है, हालांकि यह खाद्य विभाग का बजट नहीं है, कृषि का है, लेकिन किसान का दर्द है, इसलिए आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं मा0 अधिष्ठाता महोदय किसान फसल तो पैदा कर ले रहा है, वह बिकता कैसे है, आप बेहतर जानते होंगे, कहें न कहें, उसकी हालत यह है, बिचौलिये उसको लेते हैं, सरकारी बोरा नहीं मिलता है किसान को, मगर वही बोरा गोरखपुर जनपद में जब छापा पड़ता है तो व्यापारी की दुकान से वही बोरा मिलता है, जो सरकारी बोरा है, कैसे होता है यह आप देखेंगे, औने-पौने दामों पर वह मजबूर होता है किसान अपनी फसल को देने के लिए। क्रय केन्द्रों पर बिचौलिए हावी हैं। यह सामंजस्य आपका, कृषि विभाग का और खाद्य रसद विभाग का होना चाहिए कि कम से कम किसान को उसका उचित मूल्य तो मिल जाय। खेतों में व्यापारी जाता है, वहीं से सौदा कर लेता है और मनमाने ढंग पर। आपका रेट, आप घोषित करते रहिए समर्थन मूल्य, किसान नहीं पाता, बिचौलिए उसका लाभ लेते हैं और मुझे नहीं पता, मैं इतना गम्भीर आरोप बिना जानकारी के नहीं लगाऊंगा कि ऊपर तक वह हिस्सा आता है कि नहीं, मगर लोकल जनपद स्तर पर वह बिचौलिए, अधिकारियों को खुश करते हैं और तब यह बड़े पैमाने पर इसकी धांधली होती है। अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि आप कृषि अनुसंधान पर जोर देंगे, 2012-13 में भी कहा गया था, 2013-14 में भी कहा गया था, जब आप स्पष्टीकरण देंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो जरूर सदन को अवगत कराइयेगा, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा कि 2012 से लेकर के अब तक दो सालों में कितने शोध हुए, किन-किन विषयों पर शोध हुए, बीज के विषय में, खाद के विषय में, जैविक खाद के विषय में या उनकी जानकारी देने के मामले में कितने शोध हुए दो वर्षों में, सरकार ने बजट दिया, घोषणा किया, सदन में कहा, अखबारों में कहा, जनता में कहा तो शोध भी हुए होंगे। दो साल में आपने कितनी प्रगति की है, इसको जरूर बताइयेगा। मान्यवर, आप बार-बार हमें इशारा कर रहे हैं इस नाते मैं, कहना मुझे और भी था, लेकिन मैं यही पर अपनी बात समाप्त करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 धर्मपाल सिंह जी, बहुत संक्षेप में क्योंकि पांच मिनट हैं।

श्री धर्मपाल सिंह-

ठीक है मान्यवर! मा0 अधिष्ठाता जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें कटौती के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मा0 तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मा0 अधिष्ठाता जी दो शब्द हैं, एक कृषि और एक ऋषि। ये दोनों ही हमारे देश की सभ्यता को प्रभावित करते हैं, हमारे देश की संस्कृति को प्रभावित करते हैं और सच में यह खेती कोई सामान्य विषय नहीं है कृषि कोई बजट ही नहीं है, कृषि एक सिस्टम है, कृषि एक सामाजिक समरसता है। पहले जब खेती हुआ करती थी तो खेत में ही सामाजिक सामान्जस्य बना करता था, खेत काटते समय एक-एक पूरी मनिहार की छोड़ दी, एक पूरी लोहार की छोड़ दी, एक बढ़ई की छोड़ दी, एक माली की छोड़ दी यानी समाज में जितने लोग भी काम करते थे, सामाजिक समरसता में जो लोग जुड़े रहते थे, तो खेती पूरे समाज को जोड़ने का काम करती थी, इसलिए मान्यवर यह बाजट बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मैं इनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी सरकार निश्चित रूप से किसान

विरोधी है, कैसे, मान्यवर कृषि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था है और जब कृषि प्रभावित होती है तो देश की अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है, कृषि से हमारा जी0डी0पी0 बढ़ता है, मान्यवर आज किसान को उसकी मौलिक आवश्यकतायें खाद, पानी, डीजल, बिजली ये प्राप्त हो जायं तो निश्चित रूप से किसान तरक्की कर लेगा। अपना उत्पादन कर लेगा लेकिन इस सरकार ने कहीं भी इस बात का वर्णन, उल्लेख अपने बजट में नहीं किया है मा0 मंत्री जी ने कहा कि किसानों को इन मौलिक सुविधाओं का हम लाभ कैसे दे पायेंगे। इन्होंने बीज के बारे में बात कही थी। आज सच में किसान के सामने समस्या है। किसान खेती करे तो कैसे करे और फिर अगर खेती न करे तो करे क्या, यह उसके सामने संकट है क्योंकि जो फसल पैदा करता है बाजार में उसका उत्पादन मूल्य नहीं मिलता। जो बेचने जाता है तो खेती में घाटा होता है मा0 अधिष्ठाता जी ध्यान दीजिये। खेती में उसका पूरा परिवार लगता है इसके बाद भी उसको उसका लाभ नहीं मिलता। सरकार की जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है वह बहुत खराब है। किसान तो खेतिहर मजदूर से भी नीचे चला जा रहा है। आज किसान के सामने संकट पैदा हो गया है, किसान खेती करे तो कैसे करे और खेती न करे तो फिर क्या करे। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर इन समस्याओं को लेकर किसान की आवाज मैं सदन में उठाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी आज किसान की आवाज सड़क पर उठा रही है। आज किसान परेशान हो रहा है, किसान के सामने समस्यायें हैं। अभी तक जो कुछ समस्यायें आयी हैं वह इस प्रारूप में हैं।

(सत्तापक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

अभी मैं अपनी बात कह लूं फिर आप अपनी बात कह लीजियेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, अभी इन्होंने बीज के वितरण की बात कही। अब बीज का वितरण कैसे। मान्यवर, पहले दो बैठकें हुआ करती थीं गांव में, एक रबी की बैठक और एक खरीफ की बैठक। तब पंचायत में तय होता था मा0 मंत्री जी आप भी सहमत होंगे इस बात से कि गांव पंचायत में एक रबी की बैठक करेंगे आपके अधिकारी जाकर और एक खरीफ की बैठक करेंगे। अब आप ये विभाग आया है इसको देख लीजिये। क्या रबी की बैठकें हो रही हैं, क्या खरीफ की बैठकें हो रही हैं नहीं हो रही हैं उसमें तय होता था कि किसान को कौन-कौन से बीज की आवश्यकता है, किसान अपनी खेती किस तरीके से करेगा, अपने खेतों में बोना क्या चाहता है। मान्यवर, नकेल करिये, जो संकर बीज जिन्हें सरकार अनुदान पर देती है, करोड़ों का घोटाला है। मैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मेरे पास रिकार्ड भी है किन्तु अधिष्ठाता जी आप हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं करेंगे, लाल बत्ती तत्काल जला देंगे। मान्यवर, बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार जो किसानों को सुविधायें देती है ये किसानों को न पहुंच कर अधिकारी अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, किसान को मारने का काम कर रहे हैं इसलिए जो आप फसल पर अनुदानित बीज देते हैं, संकर बीज देते हैं, हमारे पास तो ऐसी भी समस्यायें हैं, उदाहरण आये हैं कि जो संकर बीज है, मक्का का, ज्वार का, धान का उचित रेट पर न खरीद करके ऊंचे रेट पर खरीदे गये हैं। जो बीज की प्रक्रिया है, बहुत ठीक नहीं है। इसमें आप सुधार करने का काम करिये। किसान क्रेडिट कार्ड की बात आपने कही है अच्छी बात है। मा0 राजनाथ सिंह जी जब कृषि मंत्री थे तो किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार ने चलाया लेकिन आज इसमें जरा सख्ती करने की जरूरत है। आपकी बैंकें बिना कमीशन के किसानों को खेती के लिए पैसा नहीं देती हैं इसलिए आज किसान मजबूरी में महाजन से रूपया लेता है और जब महाजन से रुपया लेता है और दैवी आपदा में उसकी फसल नष्ट हो जाती है

तो पैसा चुका नहीं पाता है। अपने बेटे को भी कर्ज में रख देता है इसलिए रख देता है कि उसने 20 हजार रुपया ले लिया उधार और वह चुका नहीं पा रहा है, खेती उसकी खत्म हो गयी, ओला पड़ गया, बाढ़ आ गयीं, दैवीय आपदाओं आ गयीं तो उसका जवान बेटा तब तक वापस नहीं आता क्योंकि उसको अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं इसलिए वह पैसा कर्जा चुकाने के लिए लेता है, परिवार को चलाता है। मान्यवर, इसीलिए किसान जो महाजन से कर्ज ले रहा है अभाव में इस पर भी व्यवस्था कीजिए और मान्यवर, चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे अपना पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो तो हर जगह किसान संकट में है। सरकार आंकड़े मानेगी नहीं, लगभग अधिकांश किसान ज्यादा संख्या में आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जैविक खेती की सच में। फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर है, मा0 अधिष्ठाता जी, आप खेती से जुड़े हैं बहुत महंगा है और इस केमिकल फर्टिलाइजर से खेती भी खराब हो रही है और मान्यवर, जो जैविक खेती की बात है, बायोफर्टिलाइजर की बात है। अभी आदरणीय तिवारी जी ने कहा था ढैंचा है, सनई है, मूंग है, हरी खेती के लिए जो बायोफर्टिलाइजर हुआ करता था, वह ढैंचा अभी दिया ही नहीं गया। ढैंचा पूरा कृषि विभाग ने बेच दिया। उसकी मान्यवर, आप जांच करा लीजिए किसी भी किसान को ढैंचा का बीज नहीं मिला है और बाजार में इसको बेच दिया गया है और इस तरीके से जो स्थिति आयी है। मान्यवर, अनुदानित एक जिंक सल्फेट आती है, जो खेती की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक किया करती है। वह अनुदानित जिंक सल्फेट अभी किसान को नहीं मिलती, वह आपके स्टोर से ही बिक जाती है। निश्चित रूप से मा0 मंत्री जी आप इसको ठीक करने का काम करेंगे और खेती योग्य भूमि को ठीक करने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं अभी दो मिनट में सुझाव देकर अपनी बात खत्म कर देता हूं, मैंने आलोचना कर ली है, सुझाव भी देना चाहूंगा सरकार को।

श्री अधिष्ठाता-

अभी दो मिनट और बोलेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

सुझाव भी देना चाहूंगा सरकार को। मान्यवर, एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, खाद बीज पर जो अनुदान की घोषणा है। इसकी घोषणा कर दें कि हम अनुदान देंगे। दूसरा 8 हजार करोड़ रूपया गन्ना किसानों का बकाया है। इस पर गम्भीरता से बात कर लें, दूसरा अभी किसान को एक लाख कर्ज माफ करने की घोषणा की थी सरकार ने, मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने, यह आपके कृषि बजट में भी नहीं आया, तो जो किसान को आपने एक लाख रुपये कर्जा माफ की बात कही है, उस पर भी अपने उत्तर भाषण में कुछ बोलने की कृपा करें। मान्यवर, किसान अपने निजी नलकूप लगाता है, और जब वह किसान अपने निजी नलकूप लगवाता है तो उसको 6-6 महीने, 1-1 साल तक कनेक्शन नहीं मिलता तो हम चाहते हैं कि इसको आप टाइम बाउण्ड कर दें। किसान जब निजी नलकूप लगाये तो उसके एक महीने के अन्दर उसे अपना नलकूप मिल जाये। मान्यवर, किसान को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था आप करें जैसे शहरों को आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, उसको खेती के काम के लिए 24 घंटे बिजली देने का काम करें और किसान को लाभकारी मूल्य मिले, स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति रिपोर्ट लागू कर दें। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते

हुए और यह किसान विरोधी सरकार का जो बजट है, उसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। आज पांच बजट हैं।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, बचपन से हम पढ़ते आये हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। वास्तविकता में यह कृषि प्रधान देश है भी यहां की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। यहां के 60 प्रतिशत लोग मात्र कृषि पर निर्भर हैं। उनकी आमदनी का स्रोत खेती है। पूंजीवादी प्रथा के इस युग में प्राकृतिक, दैवीय आपदा और महंगाई की मार झेलते हुए दुनिया को पेट भरता है। मान्यवर, किसान बहुत मेहनत करता है, उसकी मेहनत से हम लोगों को अन्न मिलता है लेकिन मान्यवर, क्या किसान की इतनी मेहनत से हम लोगों को अन्न मिलता है लेकिन मान्यवर, क्या किसान की इतनी मेहनत का फल उसको मिलता है, हम लोग देखते हैं कि एक व्यापारी अथवा एक नौकरीपेशा व्यक्ति का जीवन-यापन जो होता है वह एक किसान का नहीं हो पाता। मान्यवर, आज एक पान के दुकानदार की जितनी आमदनी होती है एक 50 बीघा जमीन के काश्तकार की सालाना कमाई उसके बराबर की होती है, बल्कि किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उसकी इस दुर्दशा को देखकर वास्तव में जब हम लोग उसकी मेहनत को देखते हैं, तो चिंतन करना पड़ता है। हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि में है, परन्तु उसकी उत्पादकता पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र से बहुत कम है।

मान्यवर, हमारे यहां प्रति हेक्टेयर मुश्किल से 24-28 क्विंटल गेहूं होता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में 40-50 क्विंटल गेहूं होता है। हमारे यहां मुश्किल से 350-400 कुन्तल गन्ना होता है जबकि महाराष्ट्र में 1000 से 1200 क्विंटल होता है। हमारे यहां 80 प्रतिशत किसान परम्परागत खेती करता है, जबकि वह प्रकृति पर ज्यादा निर्भर रहता है। हमारे यहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं। मान्यवर, जहां है तो वहां खराब हैं, अगर ट्यूबवेल हैं तो वहां पर खराब पड़े हुए हैं। अगर माइनर हैं तो वहां पर पानी नहीं छोड़ा गया है। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं हमारी विधान सभा क्षेत्र सवाएजपुर में रूपापुर और बर्बन माइनर में सफाई तो कई बार हुई लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। मान्यवर, अगर सरकार वाकई में किसानों के प्रति संवेदनशील है तो हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या पर सरकार का ध्यान अवश्य जायेगा। मान्यवर, 60 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण केवल खेती से होता है। हमारे यहां का किसान कम आमदनी के कारण प्रदेश छोड़कर के दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहा है। मान्यवर, वाकई में यह बहुत शोचनीय विषय है। हजारों, लाखों करोड़ों के उद्योग इतना रोजगार नहीं दे सकते या इतने रोजगार के साधन नहीं दे सकती, जितना हमारे यहां कृषि से मिलता है हम यह नहीं कहते कि उद्योग बंद कर दिये जायें, उद्योगों को पैसा न दिया जाये। लेकिन उतना निवेश न किया जाय, लेकिन मान्यवर पूंजीवादी व्यवस्था में खेती को भी महत्व दिया जाय। किसानों के

जीवन-स्तर के बारे में सोचा जाये। खेतिहर मजदूरों के जीवन-स्तर को सुधारा जाये। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य किये जायें। सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय। किसानों को अपने उत्पाद का समय पर उचित मूल्य प्राप्त हो। खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाय। जिससे युवाओं में खेती के प्रति आत्मविश्वास बढ़े। खेती के अच्छे भविष्य के लिए योजनायें बनें तथा उनका भली प्रकार से क्रियान्वयन हो। मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहा गया है। जब तक हम अपने यहां के किसानों के चेहरों पर मुस्कान नहीं देखेंगे, उसमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक यह कहना सार्थक नहीं होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। धन्यवाद।

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि दुर्घटना बीमा योजना जो किसानों के लिए बड़ी लाभकारी है। वह सरकार का अच्छा कदम है। मान्यवर, इसमें एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक देने की योजना की घोषणा की थी सदन में। सारे लोगों के मन में इसको लेकर बड़ी खुशी थी कि किसानों के प्रति यह सरकार बड़ी संवेदनशील है और इसका सबने बड़ा स्वागत किया। मैं उस दिन बोल रहा था बजट सत्र के दौरान अभी तक हमारे जनपद में सत्तर ऐसे किसान हैं जो एक साल से अधिक हो गये उनको मरे हुए कृषि दुर्घटना में अब तक उनका पैसा जो है नहीं मिल पाया है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सत्तर लोगों का पैसा दिया जाये। दूसरी बात किसान क्रेडिट कार्ड में फसलों की बीमा योजना का प्राविधान है। यह जो किसान क्रेडिट योजना में फसलों की मुआवजा की बात होती है इमें स्थिति यह है कि किसानों का जो फसल नुक्सान होता है अब तक किसी ने भी इनकी जो बीमा कम्पनी हैं अब तक कि किसी भी किसान का एक रुपया इस बीमा योजना की तरफ लाभ देने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, पिछले साल भी उसके अगले साल भी लगातार बाढ़ से लोगों का फसल बर्बाद हुआ देवी आपदा से फसल बर्बाद हुआ और इसमें प्राविधान है विधान सभा क्षेत्र में आप जानकारी ले लें। एक पैसा बीमा दुर्घटना योजना किसानों का लाभ नहीं हुआ। बीज की बात चल रही थी इस देश में पहले जिन बीजों को हम लोग बोते थे जो फसल होती थी उन फसलों को ही हम बीज में लगाते थे और उसका लाभ किसानों को मिलता था। लेकिन अब यह हाईब्रिड बीज आ गया है। इसमें होता यह है कि एक बार उस बीज से फसल लगा दी गयी फसल उग गयी फिर उस फसल का बीज उपयोगी नहीं रह पाता है। मान्यवर, जो पहले किसान बीज बोता था, उसकी फसल लेने के उपरान्त उसके बीज को उन्हें लगा देता था चाहे वह गेहूं हो धान हो या गन्ना हो। उस बीज से पुनः फसल का उत्पादन लेने का काम किसान करता था। तो इस हाईब्रिड बीज से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हाईब्रिड बीज होने के नाते फसल तो ज्यादा होती है लेकिन उसका नुकसान यह होता है कि फसल ज्यादा होने के बाद उसका बीज में उपयोग नहीं लिया जाता इस पर भी सरकार को गम्भीर चिन्ता करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं हमारे यहां कृषि अनुसंधान केन्द्र है 300 एकड़ जमीन है सरकार की एक बड़ी अच्छी घोषणा है कि कृषि विश्वविद्यालय बनाये जायें। मैं आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, बाबू गेंदा सिंह अनुसंधान केन्द्र है जहां सेवरही में 300 एकड़ की भूमि स्थित है आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी से इस सदन में यह घोषणा कराना चाहूंगा कि उस 300 एकड़ जमीन को आप ले और वहां कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

मान्यवर, इस 2014-15 के बजट पर हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं और आपके माध्यम से सरकार को यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार अभी कह रही है सदन में यह बहुत अच्छा बजट है, बहुत शानदार है और जानदार है और पिछले साल भी यही कहा गया बहुत शानदार है बहुत जानदार है तो एक उदाहरण हम पिछले वर्ष का हम बता रहे हैं। कृषि बजट पर स्प्रिग्लरसेट पर सब्सिडी दी गयी थी और जनपद-जालौन में 450 स्प्रिग्लर सेट के लिए सब्सिडी भेजी गयी थी जनपद-जालौन में 9 ब्लाक हैं तो एक ब्लाक 50 स्प्रिग्लर सेट हिस्से में आते हैं एवं एक ब्लाक में लगभग 70 और 80 गांव हैं। मान्यवर, एक ब्लाक में एक भी स्प्रिग्लर सेट हिस्से में नहीं पड़ा और उसमें से भी 50 स्प्रिग्लर सेट एक ब्लाक को मिले उन 50 गांवों में किन लोगों को मिले मैं आपको अवगत करना चाहता हूं वह किसी आम किसान को नहीं मिले उस गांव के उस व्यक्ति को मिले जिसके इशारे पर उस क्षेत्र की सारी पुलिस नाचती है, सारे कर्मचारी नाचते हैं उस व्यक्ति को वहां का स्प्रिग्लर मिला है। दूसरा, इसी तरह से जो अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात की है इसी तरह से जनपद-जालौन में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिली है मान्यवर, एक और हम आपको उदाहरण बता दें विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के पांचवे गुरूवार हेतु निर्धारित श्री सन्तराम कुशवाहा माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये। मान्यवर, हमने प्रश्न के माध्यम से अपनी माधौगढ़ विधान सभा के बारे में अवगत कराया था कि माधोगढ़ विधान सभा 5 नदियों से घिरी हुई है वहां 3 ब्लाक पूरे के पूरे बीहड़ क्षेत्र में होने के नाते हमने सरकार से मांग की थी कि वहां समतलीकरण कराया जाय। मान्यवर, उत्तर में आया ग्रामीण अवस्थापना दिवस नाबार्ड 18/नाबार्ड 18 से वित्त पोषित योजना अन्तर्गत मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बीहड़ क्षेत्र में 500 हेक्टेयर का समतलीकरण कार्य कराये जाने का प्राविधान है। बजट गुजर चुका है दूसरा बजट तैयार हो रहा है लेकिन माधौगढ़ विधान सभा में सरकार की तरफ से एक हेक्टेयर की बात करें एक विसवा भी जमीन समतलीकरण का बजट नहीं पहुंचा है इसलिए यह सम्पूर्ण बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

यह केवल कुछ ही लोगों के लिए है, आम किसान के लिए नहीं है लिहाजा हम इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, धन्यवाद।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं मा0 राजेश त्रिपाठी जी के इस कटौती प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखता हूं। आज कृषि विभाग का जो बजट सरकार द्वारा रखा गया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारा देश और प्रदेश जिसकी अधिकतम आबादी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि पर आधारित है। आज जो लोग किसानी खेती गांव में कर रहे हैं उनकी कैसी हालत है क्या दुर्दशा है शायद यह किसी से छिपा नहीं है। यहां तक कि जो किसान गांव में खेत में हल चलाता है, धूप में, गर्मी में पसीना बहाता है, खून बहाता है। मान्यवर, अगर आज यह कहा जाए कि खेती करने वाले को समाज में वह स्थान नहीं है जो होना चाहिए। खेती करने वाले को आज जो सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं मिल पर रही हैं और खेती करने का जो काम है उसे लोग धीरे धीरे बन्द करते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि खेती को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए और जो सबसे बड़ी समस्या है कमजोर मानसून जिस तरह से पूरे देश में पर्यावरण बदल रहा है बारिश कम होती चली जा रही है। किसान के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हं और कहीं पर भी अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो कैसे हम किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करायेंगे इस पर कही काम नहीं हो रहा है।

तमाम नरेगा के माध्यम से तालाब बनवाये गये। मैं रास्ते में जाता हूं देखता हूं कि हर तालाब सूखा पड़ा हुआ है, बारिश के दिनों में जो पानी इक्ट्ठा होना चाहिए या तो वह तालाब ऐसी जगह पर बनाये गये जहां पानी नहीं आ पाता है या फिर उस पानी को लाने का कोई उचित साधन नहीं है। मान्यवर, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है प्रदेश है तो सिंचाई के लिए जैसे अभी बिजली की बात आई तो सरकार ने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के लिए अलग बिजली लाइन की व्यवस्था कराई जाय। अभी हमको हाल ही में पंजाब जाने का अवसर मिला और वहां के एक गांव में हम लोग गये थे, गांवों में वहां खेतों के पास से लाइनें निकली हुई हैं, वहां लोगों के ट्यूबवेल लगे हुए हैं और किसानों के लिए वहां मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली आती है और उसका टाइम निर्धारित है कि इतने बजे बिजली आयेगी। लोगों को पता है कि 8 बजे बिजली आयेगी वह 8 बजे ट्यूबवेल ऑन करते हैं और खेत भर जाता है। अगर इस तरह की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो दुनिया को तो छोड़िये हम अपने देश के ही अन्य प्रदेशों से पीछे चले जायेंगे। अभी कई सदस्यों ने बताया कि हमारी पैदावार दूसरे प्रदेशों से कम हैं। इसी के साथ-साथ जो वर्षा का पानी है, जैसे हमारा क्षेत्र जलालाबाद, शाहजहांपुर में है वह नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र हैं। रामगंगा निकतली है, गंगा नदी निकलती है, बैतुल नदी और छोटी-छोटी कई नदियां निकलती हैं। मान्यवर, बाढ़ का भीषण आलम होता है, इफरात पानी वहां से आता है कि जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है लेकिन पानी को संरक्षित करने के लिए कोई हमारे पास ऐसी जगह नहीं है, तालाब नहीं है कि उस पानी को हम रोक लें जो कि बरसात के बाद अन्य सीजन में किसानों के काम आये। इस पर काम करने की आवश्यकता है और चूंकि आप इतने महत्वपूर्ण विभाग पर बहुत कम समय दे रहे हैं तो मैं अन्त में एक सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को यह पहल करनी चाहिए हमारे जो सर्वदलीय लोग यहां चुनकर आते हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं सबकी सहमति से बनें और उसके बाद सरकार किसी की भी आये जो योजना किसानों के लिए लाभकारी है उसमें बदलाव न होने पाये। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि प्रजातंत्र है, सरकारें आती-जाती रहती हैं लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो तमाम योजनायें भी बदल जाती हैं। ऐसी कुछ योजनायें बनायी जायें जो किसानों के लिए लाभकारी हैं और उनमें परिवर्तन न हो। यह तभी सम्भव है जब सर्वदलीय लोग बैठ करके इस पर चिन्ता करेंगे। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं

श्री राजेश त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं उसमें हम कुछ बातें स्वीकार भी करते हैं कि इस क्षेत्र में भी सुधार की बड़ी गुजाइश हैं एक सवाल जो उन्होंने शुरू किया था कि पिछले बजट से इस बजट में धनराशि कम कर दिया, आपको पता होगा कि 4 महीने पहले लेखानुदान प्रस्तुत हुआ था जिसके अंतर्गत बजट की व्यवस्था थी अगर उस धनराशि और इसको जोड़ दिया लें तो 1.3 प्रतिशत धनराशि ज्यादा हमने वर्तमान कृषि बजट के भीतर दिया है, आप उसको संशोधित कर लें। इसके अलावा आपने कुछ और मुद्दे उठाये थे, आपके मित्रों ने उठाये थे शायद आपको इस बात का पता है कि हिन्दुस्तान के भीतर अकेली हमारी सरकार है जो किसानों को सिंचाई मुफ्त देती है चाहे वह नहर की सिंचाई हो या चाहे सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई हो। कहीं कोई भी सरकार हिन्दुस्तान की नहीं है हमारी सरकार के अलावा जो किसानों को मुफ्त सिंचाई देती हो, कम से कम उसकी सराहना करनी चाहिए थी।

यह भी बात आप याद रखें, उर्वरक की चर्चा आप लोगों ने की है दो-ढाई साल पहले आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी (भा0ज0पा0) सरकार है वहां लाठी चल रही है, गोली चली है उर्वरक के लिए। आपके जमाने में जगह-जगह उर्वरक के लिए सोसाइटियों में लाठियां चलती थी, मुकदमें लिखाते थे आप और उसकी वजह से लॉ-एण्ड-आर्डर की समस्या पैदा होती थी। मध्य प्रदेश के भीतर अभी दो दिन पहले उर्वरक के लिए गोली और लाठी चली है। सबसे बड़ी बात अधिष्ठाता महोदय, हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों के भीतर किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है केवल हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार का प्रदेश है जहां एक भी किसान ने कर्ज के नाते आत्महत्या नहीं किया है। हमने तय किया है कि किसान को कर्ज के नाते नहीं मरने देंगे, अगर किसान ने कर्ज लिया है तो उसको देने की व्यवस्था सरकार करेगी और हम उस काम को कर रहे हैं। हमने तय किया है कि किसान का खेत नीलाम नहीं होने देंगे। बाकी सरकारों ने क्या किया है वह बता दीजिए। कुछ बात आपने अच्छी कही है कि शोध होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। शोध के विषय में हमें प्रगति करनी चाहिए इससे पूरी तरह से हम सहमत हैं और आज इस बात का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि शोध जिस स्तर पर हमको करना चाहिए उस स्तर पर हम अभी शोध नहीं कर पाये हैं, इस दिशा में हम जरूर बढ़ेंगे उसका हम प्रयास करेंगे और इस सब कुछ को कहते हुए मा0 धर्मपाल जी ने कहा था और मौर्या जी ने भी बात उठायी थी, अगर आप हमार एजेण्डा पढ़ लें और हमारी सरकार का संकल्प पढ़ लें, हमने किसानों को बिजली देने के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था की है। कुछ जिलों के भीतर काम शुरू कर दिया गया है बाकी अन्य जिलों के भीतर 2016 की समाप्ति तक इस काम को कर लेंगे। अकेली हमारी सरकार है पूरे हिन्दुस्तान में, किसानों को अलग से फीडर देकर बिजली देने का काम किया जा रहा है। हम जानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं, किसान अगर पानी चालाता है, बिजली आयी पानी खेत तक पहुंचना शुरू हुआ, बिजली कट गयी, उस दर्द को महसूस

करते हुए, किसान का पैसा बर्बाद होता है, श्रम बर्बाद होता है, शक्ति बर्बाद होती है उसको बचाने के लिए हमने फैसला किया कि किसान को जो बिजली देंगे वह अलग फीडर से देंगे। जब तक बिजली का जो रोस्टर है, 12 घण्टे, 16 घण्टे, 18 घण्टे लगातार बिजली दे करके किसानों के खेत को सींचने का काम हम करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी अकेली सरकार है हिन्दुस्तान में जो किसान दुर्घटना पर 05 लाख रुपये देती है आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का बकाया है। मैं प्रतापगढ़ जनपद से आता हूं इसके पहले मैं विधायक था आज मंत्री हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के भीतर 7 इस प्रकार की घटनाएं हुई है एक सप्ताह के अन्दर उनके परिवार को 5 लाख रुपये मैंने स्वयं दिए हैं। प्रमोद जी यहां नहीं है प्रमोद जी की विधान सभा के भीतर 3 लोगों को उन्होंने भी देने का काम किया था हो सकता है कि आपके यहां कागज पूरा न हुआ हो हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिली हो। जहां भी दिक्कत है। हम उसको दिखवा लेते हैं हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। हमने करके दिखाया है। हमने किसान दुर्घटना में पैसा देने का काम किया है। मान्यवर, फसलें जो बरबाद हो गई उन बरबादी का पैसा नहीं मिल पाया मैं आपको बता दूं कि 11 जनपदों में ओलावृष्टि से 19 करोड़ की क्षति का आंकलन किया गया जिसमें 11 करोड़ का भुगतान हम कर चुके हैं जहां नहीं हुआ हो आप हमें सूचित कर देंगे हम उसके भी भुगतान की व्यवस्था करवा देंगे। किसान किसी भी कीमत पर हानि में न रहे वह अपने बल पर खड़ा हो। किसान हमारी रीढ़ है वह जब मजबूती से खड़ा होगा तभी हमारा प्रदेश और देश खड़ा होगा। इन शब्दों के साथ मैं राजेश जी से आग्रह करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

श्री अधिष्ठाता-

राजेश जी आप अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछला बजट आप जोड़ लीजिए तो एक प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस किसान हितैषी सरकार को इस बार पूरे बजट में 24 प्रतिशत बढ़ाया गया। किसान के हिस्से एक प्रतिशत आपने दिया। दूसरा मैं यह कहना चाहता था कि कटौती आप वापस करने की बात कर रहे हैं आप शोध करायें अच्छे बीज अच्छी पर्याप्त खाद मिले जैविक खाद मिले पूर्वांचल के लिए हरित क्रांति जो लाई गई है उसके लिए जो धन आया है उसका कार्य करा दीजिए। पूर्वांचल की सहकारी समिति के किसानों का ऋण माफ करा दीजिए आप हमारी बात मान लीजिए हम आपकी बात मान लेते हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे स्पष्टीकरण मांगने के लिए अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

भूमिका न बताएं सीधे स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि किसानों की सिंचाई माफ कर दी गई है। लेकिन जो छोटे किसान पम्प लगाकर सिंचाई करते हैं उनसे बिजली का पैसा लिया जाता है उनसे सिंचाई का पैसा

लिया जाता है क्या माननीय मंत्री जी उनसे बिजली का पैसा नहीं लेंगे उनसे सिंचाई का पैसा नहीं लेंगे। दूसरे किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा क्या माननीय मंत्री जी बढ़ाएंगे। क्या ब्याज की दर कम करेंगे यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा मौर्य)-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। दूसरा हमारे देश में उद्योगों को ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है कृषि क्षेत्र को कम सब्सिडी दी जा रही है क्या उद्योगों की सब्सिडी को कम करके कृषि क्षेत्र की सब्सिडी को बढ़ाने का काम करेंगे।

श्री उमाशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो कृषि दुर्घटना बीमा के तहत पहले जो एक लाख की धनराशि दी जाती थी उसको जब आपकी सरकार बनी तो आपने पांच लाख कर दिया इसके लिए बहुत बहुत बधाई लेकिन इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई लगभग सबके सामने आती होगी हमारी कृषि बीमा नियमावली जो बनी हुई है उसमें यह है कि जिसके नाम से खेती होगी उसी को इस बीमा का लाभ मिलगा लेकिन हम देखते हैं कि अगर किसी का एक बेटा है और बाप की उम्र 80 साल की है लेकिन वह जिन्दा है तो बेटे के नाम जमीन नहीं चढ़ी रहती है। लेकिन बाप की जीविका बेटा है और बेटे की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो पालिसी कहती है कि उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा बाप के पास अपना कोई दूसरा चारा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि अगर सरकार बहुत संवेदनशील है और ऐसे मामलों मे गम्भीर है तो कम से कम इस बात को लाना चाहिए कि जो कमाऊ व्यक्ति हो चाहे आप जिस रूप मे सर्वे करायें इसको आप अगर जोड़ते हैं तो यह प्रदेश हित में आम जनता के हित में होगा और हमरे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको जो बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है इससे बहुत बड़ी उनको सहूलियत मिलेगी मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जरूर इस पर अपना जवाब देंगे।

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठीसीन हुए)

†बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने सवाल उठाया है कृषक दुर्घटना बीमा योजना और जो कृषक नहीं है अगर वह किसी दुर्घटना में मौत होती है तो उसके लिये पारिवारिक लाभ योजना अलग से चल ही रही है।

श्री उमाशंकर-

किसान बीमा योजना 5 लाख रुपये की है और पारिवारिक लाभ योजना मात्र 35 हजार रुपये है। मान्यवर, जो व्यावहारिक है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारा काम ही सुझाव देना है। जो व्यावहारिक बाते हैं, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आप सत्ता पक्ष में हैं, इसलिये आप कहेंगे कि इसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन यह व्यावहारिक दिक्कते हैं और सबके सामने हैं।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यावहारिक कठिनाई है। आपसे आग्रह है और आप तो बहुत अनुभवी हैं और इस प्रकार की समस्याओं पर विचार भी करते हैं और उसके निराकरण का विचार भी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं। वास्तव में क्या है कि एक तो स्टाम्प ड्यूटी इतनी है कि या तो पिता की जमीन पुत्रों के नाम कराई जाय और अक्सर गांवों में यह सिस्टम है भी कि मरणोपरान्त ही जमीन ट्रांसफर होती है। तो ऐसे कारण में 5 लाख रुपये केवल पिता के लिये होना चूंकि पुत्र है तो किसान तो वह भी है, बराबर के हिस्सेदार हैं। विनम्र आग्रह आपके माध्यम से है कि इस पर विचार हो जायेगा तो निश्चित रूप से किसानों का भला हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दैवी आपदा से जिसकी मृत्यु होती है डेढ लाख रुपया है और जो ऐसी मृत्यु किसी कमाऊ आदमी की हो जाती है उसको 35 हजार रुपया है। किसान दुर्घटना बीमा योजना यह है कि जो किसान होगा उसी को मिलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब कितना स्पष्टीकरण पूछोगे।

*श्री राम चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारे कृषि विभाग से सम्बन्धित हमारे जनपद में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्राद्योगिक विश्वविद्यालय हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जो प्राविधान है उसी की भांति जो हमारे विश्वविद्यालय के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं उनके लिये जो प्रबन्ध परिषद् की बैठक हुई वहां पर 164वीं बैठक। जिसमें प्रस्ताव आ गया है कि उनको भी उसी भांति स्वैच्छिक सेवा लेने के लिये एक प्रस्ताव आया है। मेरा यह अनुरोध है कि वह एक शोध संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय है, अपना काम करता है, वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप एक सुझाव के रूप में मेरा अनुरोध है कि इसे शामिल कर लिया जाय।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मंत्री जी का स्पष्टीकरण आना चाहिए, किसान से जुड़ा मामला है अध्यक्ष जी। चूंकि ऑन रिकार्ड है, माननीय मंत्री जी ने कहा है।

अध्यक्ष जी, किसान से जुड़ा हुआ मामला है, मंत्री जी ने कहा है कि किसानों को सिंचाई मुफ्त दी जाती है लेकिन जो किसान ऐसे हैं निजी नलकूप लगाकर सिंचाई करते हैं, बिजली से सिंचाई करते हैं क्या सरकार उनको मुफ्त सिंचाई देगी ? मान्यवर, मा0 मंत्री जी से मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहर से सिंचाई माफ है, लेकिन अगर आप पम्पिंग सेट से सिंचाई करते हैं तो क्या डीजल देगी ?

जाहिद बेग जी आप बैठिए। अब हो गया। अब बजट पास कराने दीजिए। मंत्री जी दो-एक मिनट में स्पष्टीकरण दे दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रो0 शिवा कान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मित्रों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं, मैंने राजेश जी ने निवेदन किया कि जो आपने कटौती प्रस्ताव रखा है, उसे वापस ले लें। जो समस्याएं उन्होंने उठायीं, उनका मैंने जवाब भी दिया। इनके कुछ अच्छे सुझाव हैं, जिनको मैंने स्वीकार भी किया कि शोध के कार्य और होने चाहिए, जिसका हम स्वागत करेंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक मित्र ने सवाल खड़ा किया, हम पूरी तरह नहर की सिंचाई फ्री दे रहे हैं, सरकारी ट्यूबवेल की फ्री दे रहे हैं और शायद आपको यह भी पता होगा कि पम्पिंग सेट पर हम छूट भी दिया करते हैं, इस पर 10 हजार की छूट देते हैं और अगर आपने मेरा पूरा बजट पढ़ लिया होता तो आपको जानकारी हो जाती कि हमने सोलर पम्प लगाने पर 75 और 50 परसेंट छूट देने की बात कही है। अगर आप पूरा बजट पढ़ लेते तो शायद यह सवाल मुझसे न करते। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने सवाल खड़ा किया है, कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, हम दिखवा लेते हैं, नियम संगत जो होगा, निश्चित रूप से हम करेंगे। हम स्वयं इस बात को चाहते हैं कि शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक को हर सम्भव सहायता मिले, उनको न्याय मिले, तभी हमारा प्रदेश कृषि में आगे बढ़ेगा। हम आग्रह करते हैं कि हमारे इस बजट को आप सर्वसम्मत्ति से पास करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25, 54, 41, 68, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[1-55] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री-(श्री कैलाश)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39, 64, 40, 81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी का सपना था कि हर एक गांव में पंचायती राज हो और उसके पास पूरी सत्ता और ताकत हो। निःसन्देह देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में समुचित सामाजिक, आर्थिक विकास से युक्त समाज से ही प्रदेश का विकास सम्भव है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि जनआकांक्षाओं के अनुरूप ग्रामों का सर्वांगीण विकास पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही सम्भव है। मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में पंचायतीराज विभाग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 77वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देना तथा उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध हैं।

उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें आर्थिक रुप से सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विभागों में से 16 कर पंचायतों को हस्तांतरित किये गये हैं। विभिन्न विभागों की 10 गतिविधियों योजनाओं हेतु ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। सामाजिक और आर्थिक विकास योजना तैयार करने और उन्हें प्रदान करने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुति तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण एवं परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु धनराशि संकलित किये जाने की व्यवस्था है इसके साथ ही ग्राम विकास अंतर्गत संचालित विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की धनराशि सीधे पंचायतों को, की परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपलब्ध करायी जाती है। पंचायत स्तर पर सभी कार्यों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में 6 समितियों का गठन कर समितियों की संस्तुतियों के आधार पर कार्यों के क्रियान्वयन की व्यवस्था की गयी है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अंतर्गत 2014-15 के लिए चयनित होने वाले ग्रामों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सी0सी0 एवं के0सी0 ड्रेन इंटरलाकिंग एवं टाइल्स की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्राविधानित की गयी है। इसी तरह से गांव के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। महात्मा गांधी जी कहा था कि गांव के विकास से ही देश और प्रदेश का विकास हो सकता है। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम गॉवों को विकास की तरफ ले जायें। और गांवों को विकास की तरफ ले जाकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तभी हमारे प्रदेश का विकास हो सकता है। और सबको हर तरह की सुखसुविधा मिल सकती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी, आप कटौती प्रस्ताव रखेंगे।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, इसी में मेरा युवा कल्याण विभाग भी है।

श्री अध्यक्ष-

युवा कल्याण इसी में है। अनुदान संख्या-14 में आपका भी है? तो आप बोलना चाहें तो बोल लीजिए।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के तहत युवा कल्याण का बजट भी आता है। मान्यवर, हिन्दुस्तान दुनियाभर में नौजवानों के रुप में सबसे ज्यादा धनी माना जा रहा है। मान्यवर, जिस मुल्क की सेहत अच्छी नहीं होती है वह मुल्क अपने सरहद की हिफाजत नहीं कर सकता है। इसीलिए दुनिया के जो ताकतवर मुल्क है उनकी सेहत अच्छी है। और उसी को दृष्टि में रखते हुए युवा कल्याण विभाग हमारे यहां है। जो गांव के नौजवानों को प्रोत्साहित करता है। आने वाले हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए कैसे गांव का कल्याण हो, हमारी सोशल एक्टिविटि कैसी हो, शिक्षा में कैसी उन्नति हो और इसी तरीके से हम देश की कैसे सेवा कर सकें इस संबंध में गांव के नौजवानों का अपना एक अलग योगदान है। क्योंकि हिन्दुस्तान में 80 फीसदी लोग गांव में बसते हैं। केवल 20 फीसदी शहरों में बसने वाले नौजवान देश की हिफाजत तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि गांव में रहने वाले 80 फीसदी नौजवान उसमें शिरकत पूर्ण रूप से न करें। मान्यवर, युवा कल्याण का जो हमारा बजट इस साल है। वह एक अरब 73 करोड़ 64 लाख 94 हजार है। मान्यवर, हमारा प्लान का बजट 108 करोड़ 61 लाख 16 हजार है और नॉनप्लान का बजट 45 करोड़ 60 लाख 89 हजार है। इसके साथ ही साथ हमारे जो आने वाले 81 और 83 में जो युवा कल्याण का पैसा मिलेगा, मान्यवर, यह सी0एस0पी0 और इसके साथ जो पी0एस0पी0 का प्लान है। यह मान्यवर, मैंने सब मिलाकर बताया कि यह एक अरब 73 करोड़ 64 लाख 94 हजार है।

मान्यवर, युवा कल्याण के माध्यम से हम गांव पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक का खेल करने का काम करते हैं, हम नौजवानों की सेहत का काम करते हैं। मान्यवर गांव स्तर पर हमारी जो पायका योजना है, हमारा गांव का छोटा स्टेडियम होता है, इसके बाद ब्लाक का होता है, ब्लाक से फिर जिले का होता है, जिले से हम प्रदेश में आते हैं, ये हमारी पायका योजना है। गांव का हमारा एक एकड़, ब्लाक का तीन एकड़ और इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश को आच्छादित करना चाहते हैं ताकि नौजवान अपने गांव में खेल सके, अपनी सेहत बना सके और उसके आधार पर हम ऊपर जांए। मान्यवर, हमारे जो गांव के लड़के खेल कर के ब्लाक में जाते हैं और ब्लाक से भी हमारी कमेटी गठित होती है अच्छे खेलों के अच्छे खिलाड़ियों की फिर वह जिले में आते हैं जिले से मान्यवर प्रदेश में आते हैं, प्रदेश से देश में जाते हैं और हमारे प्रदेश का वह नाम रोशन करते हैं, इसीलिए मान्यवर हम जो उनको सुविधायें उनको देते हैं, उसके सम्बन्ध में आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में मेरा एक छात्रावास है, इसके साथ ही साथ हमारे कुल 63 स्टेडियम हैं पूरे प्रदेश में जो संचालित हैं और हमारे 07 स्टेडियम, बाराबंकी, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ में निर्माणाधीन हैं, जो हमारे गांव के स्टेडियम हैं।

इस तरीके से हमारे ऊपर विभिन्न खर्चे जो आते हैं, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जो अधूरे स्टेडियम हैं इनके निर्माण के लिए जो प्राविधान है 1.7214 करोड़ रुपये और खेल प्रतियोगिताओं पर हमारा यह विभाग गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक मान्यवर 56 हजार रुपये खर्च करता है मान्यवर, इसके अलावा हमारा जो अन्य बजट है, अन्य चीजों पर हम जो खर्च करते हैं, यह 11.66 करोड़ रुपये हैं मान्यवर और इसके साथ ही साथ हमारी जो आकस्मिक दुर्घटना है मान्यवर, उनके लिए हमारे यहां बजट 09 करोड़ रुपये का दिया गया है, जो नौजवानों के लिए बहुत

ही सुविधाजनक है क्योंकि मैं जानता हूं कभी-कभी जाते वक्त यह दुर्घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। मान्यवर, उसी तरीके से हमारा प्रांतीय रक्षक दल है, जिसे पी0आर0डी0 कहते हैं, इनकी संख्या 36640 है और इसमें 11097 महिलाएं हैं और 35443 पुरुष हैं, मान्यवर इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है जिनको 160 रुपये ही हम दे पाते हैं, हम लोगों ने लिखा है इसको बढ़ाने के लिए, आने वाले दिनों में मान्यवर इस पर भी कार्यवाही हो जायेगी। प्रशिक्षण व ड्यूटी के लिए मान्यवर, हमने 36 लाख रुपये इनके लिए खर्च रखा है मान्यवर, इस तरीके से हमारी जो पी0आर0डी0 जो एक तरीके हमारे गांव की सेना है मान्यवर, जो गांव-गांव में संचालित होती है और हमारे युवा कल्याण के अधिकारी के माध्यम से उनको ड्यूटी दी जाती है, एक बहुत बड़ी तादात जो गांव और शहरों में है, एक तरीके से मान्यवर यह गांव का संचालन करने वाली एक बड़ी फौज है। मान्यवर, हमारा युवा कल्याण हमारे प्रदेश के एक मजबूत नौजवानों का संगठन है और जिससे हमारे नौजवान खेल जगत में और खेल ही नहीं बल्कि कभी-कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं भी होती है या कभी कोई विदेशी हमला करता है, तब भी मान्यवर स्वयं सेवक के आधार पर हमारे ये नौजवान काम करने का काम करते हैं, इसलिए जो बजट रखा है मा0 अध्यक्ष महोदय, हम पंचायती राज मंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बजट रखा और उसमें यह मेरे विभाग का भी बजट है, मैं अपने विभाग के बजट को रखते हुए, माननीय विपक्ष के सदस्यों से चाहता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करें, क्योंकि यह नौजवानों के लिए है, गांव के ग्रामीण विकास के लिए है, देश को बनाने के लिए है, देश के भविष्य के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं अपना बजट रखता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी, कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 पंचायती राज मंत्री ने अपने बजट भाषण में उन पुराने सपनों को याद दिलाया कि हमारे महात्मा गांधी जी की सोच क्या थी। महात्मा गांधी जी की सोच थी कि गांव में खुशहाली आये। गांव की जनता मजबूत हो। मान्यवर, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं क्योंकि हम सब गांव से आते हैं, सही बात है। जिस समय हम भारत वर्ष के लोगों ने आजादी ली और उसी समय लगभग 1945 और 1947 में क्रमशः चीन और जापान ने भी आजादी हासिल की थी। हम लोगों ने भी 1947 में अपनी आजादी ली लेकिन पूरा देश नहीं विश्व देख रहा है कि चीन और जापान किस मुकाम में पहुंचे हैं और भारत वर्ष के लोग कहां पर हैं। आज हमारे गांव में रहने वाले लोग जिसमें 85 प्रतिशत लोग आज भी शौच के लिये खेतों में जाते हैं। हम बहुत बड़ा बजट रखते हैं, इस साल भी लगभग 24 से 25 प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया है पूरे बजट में लेकिन हम आज तक जो हमारे गांव की मूलभूत सुविधा है कि हम घर में शौचालय दें जबकि यह शौचालय केवल मात्र बहू-बेटियों के लिये ही नहीं है बल्कि वह चाहे कोई भी सरकार हो।

आज आप देख रहे हैं कि जो भी यहां हमारे विपक्ष के सदस्यों द्वारा या अन्य तमाम सदस्यों द्वारा नियम-56 में या कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाये जा रहे हैं, अगर हम उसकी तह में उसके पीछे जायेंगे तो देखेंगे कि जो घटनायें हो रही हैं, जो बलात्कार वगैरह की जो घटनायें रोज आ रही हैं, दुराचार की जो घटनायें हो रही हैं, उसमें यह सुनने में आता है कि कोई हमारी बहन बेटी घर से शौच के लिये जा रही है, उसका अपहरण हुआ और उसके साथ दुराचार हुआ। हम सारी चीजों को झेलते हैं, हमारे पूरे पुलिस महकमें से लेकर के सारे लोग इसमें परेशान हैं लेकिन हम आज इतने दिनों में भी प्रत्येक घर में शौचालय नहीं दे पाये। इसके लिये मैं मा0 मंत्री से चाहूंगा कि आपने अभी नया विभाग लिया है। मैं चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से आप जितना अधिक से अधिक शौचालय के लिये बजट लेवें। हालांकि मैंने देखा है, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। जो शौचालयों के निर्माण का जो रेशियो था, इस पिछले साल में कम हुआ है, उसके पहले तो बहुत था लेकिन इस साल कम हो गया है तो ठीक है, आपका सपना है, हम इससे सहमत हैं लेकिन आप एक चीज और देख लीजिये मा0 मंत्री जी कि हम सब पंचायत को मजबूत करने की बात कर रहे है और जिला पंचायत अध्यक्ष को आकस्मिक खर्चा करने के लिये सन् 1972 में अधिकार मिला था कि वह 5 हजार रुपये तक का आकस्मिक खर्चा जिला पंचायत अध्यक्ष कर सकते हैं। यह अमेण्डमेण्ट कब पास हुआ था 1972 में। आज हमारे 42 साल गुजर गये लेकिन आज भी वह राशि मात्र 5 हजार रुपये ही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष 5 हजार रुपये से अधिक की आकस्मिक धनराशि नहीं खर्च कर सकता है। हम पंचायत को बहुत मजबूत करते जा रहे हैं लेकिन 42 साल में किसी का ध्यान नहीं गया कि हम इस पर विचार करें। मा0 मंत्री जी, 1984 में जिला पंचायत अध्यक्ष को तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार मतलब संविधान में पास हुयी थी मात्र 10 लाख रुपयों की।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में कहिये। नीतिगत बातों पर आप कहें।

श्री उमाशंकर-

मैं जो कुछ कहूंगा आपको अच्छी बात याद दिलाऊंगा। 1984 में तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार उन्हें 10 लाख रुपये मिला था आज 29 वर्ष हो गया, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी। हम पंचायत को बहुत मजबूत करते जा रहे हैं। 42 वर्ष वह और 29 वर्ष ये, हमारा ध्यान नहीं गया। तीसरा मा0 अध्यक्ष जी, कोई भी विभाग के हमारे मा0 मंत्री, जब बजट की तैयारी होने लगती है, तो मा0 मंत्री जी लोगों का प्रयास होता है कि हम वित्त विभाग से मा0 मुख्यमंत्री जी से सम्पर्क करें अपने विभाग का बजट बढ़वायें ताकि जो हमारी प्रतिभा है उसे हम बजट के माध्यम से जनता में दिखाएंगे लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा था। पिछली बार भी मैंने बजट में कहा था कि एक हमें बी0आर0जी0एफ0 योजना के तहत पैसा मिलता है। हम पिछली बार बी0आर0जी0एफ0 का पैसा मात्र लगभग 80 करोड़ ले पाये मिलना था हमें लगभग 730 करोड़ भारत सरकार से और हम ले कितना पाये मात्र 80 करोड़ रुपये। जबकि इसमें 35 जिले आच्छादित हो रहे हैं, जिसमें मा0 अध्यक्ष जी आपका भी जिला है।

हम लिए मात्र 80 करोड़, उस समय कहा गया कि सारा जो पुरानी सरकार ने बी0आ0जी0एफ0 का पैसा लिया है हम उसकी जांच करा रहे हैं, जांच हो जायेगा तो फिर हम यह पैसा अगले साल में लेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, इस साल भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को बी0आर0जी0एफ0 योजना को 818 करोड़ 17 लाख रुपये मिलना था और हम कितना ले पाये हैं मात्र 17 जिला ही पैसा ले पाया है वह भी कितना 196 करोड़ 75 लाख रुपया। वह लेने के बावजूद भी हमारी जिला पंचायत इकाईयां 77 करोड़ ही खर्च कर पायी है।

इस बार भी हम 818 में से 196 करोड़ ही ले पाये हैं। मा0 मंत्री जी, पिछली बार कहे थे, वह हैं नहीं अभिभावक है हम लोगों के वह कह रहे थे कि मा0 सदस्य जी हम इसकी जांच करा रहे हैं। मुझे पूरा संज्ञान है कि जो जिला पंचायत है उनकी जांच शासन स्तर से भी और डी0एम0 स्तर से भी कमेटी बनाकर जांच पूरी करा दी गयी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि चन्दौली जिले का क्योंकि वह भी बी0आर0जी0एफ0 में है। चन्दौली जिले के लिए यहां सें शासन ने एक टीम बनाई थी, वह टीम मौके पर जाकर जांच करी। जांच के बाद उसने सर्टिफिकेट दिया कि यहां कोई अनियमितता नहीं हुई है। यहां इनके लिए डिमाण्ड भेजा जा सकता है फिर भी मा0 पंचायतीराज मंत्री या जो भी शासन में बैठे लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम डी0एम0 स्तर से जांच करा लेते हैं, फिर डी0एम0 से भी कहा गया। डी0एम0 साहब ने भी इसकी कमेटी बनायी और जांच करायी, वे भी उसमें कुछ नहीं पाये और आप बताइये मा0 अध्यक्ष जी कि हम लोग पैसा बढ़ाने के लिए आपस में बात कर रहे हैं और यह हमारा अगर दोनों साल का मिला दिया जाय तो लगभग 1500 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार में छूट गया, केवल हमारी पैरवी के बिना। चूंकि मंत्री जी, इसका संज्ञान लेंगे और दूसरा अध्यक्ष जी जब भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपकी बात एक हम जरुर पढ़ते हैं। विपक्ष में रहते हुए आपने बोला था कि पंचायत का चुनाव, जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो वह सीधे जनता से कराया जाये। उस बात को हमेशा कोड करते हैं, फिर इस बार भी कोड कर रहे हैं क्योंकि वह इतना अच्छा सुझाव है। हालांकि हमारे अधिकारी वर्ग या सरकार यह कहती होगी कि नहीं हम कैसे करा सकते हैं। जब हम नगर निगम का इतना बड़ा चुनाव हम सीधे जनता से करा लेते हैं, हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करा सकते, हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिना पंचायत अध्यक्ष का चुनाव यदि सीधे जनता से हो जाये तो आप समझ जाये कि जो प्रदेश में 80 प्रतिशत जो क्राइम हो रहा है उस 80 प्रतिशत क्राइम पर हम अंकुश लगा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ब्लाक प्रमख के जितने उम्मीदवार होंगे, वह मतदाता जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, अगर वह उन्हें वोट नहीं किये, दूसरे को वोट किया तो वह उनका दुश्मन हो गया। उसको वह खोजते रहते हैं कि कब मौका मिले और हम उसको गिरा दें। यही स्थिति जिला पंचायत अध्यक्ष की है, तो मा0 अध्यक्ष जी, जो बात आप कभी-कभी इधर से कहा करते थे, तो आज आपको मौका मिला है कभी-कभी पीठ से भी निर्देश दे दिया कीजिए ताकि इसमें और मजबूती आ जाए। इसीलिए आपकी बात को विशेष रुप से कोड किया है। इसलिए मैंने आपके बात को कोट किया। मान्यवर, कुछ चीजें अच्छी हैं जिसमें बधाई देने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो आप कह रहे हैं यह जो संविधान संशोधन हुआ था उसके हिसाब से रूल बना था। इस पर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। चाहे हम लोग सरकार में रहे हैं तब भी और अब भी, हमारे बहुत से नेताओं की इच्छा रही है लेकिन इसमें संविधान संशोधन की बात है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, हो सकता है, इसमें संविधान संशोधन हो जाये क्योंकि जो हमारे बगल में बैठे हैं यह अच्छी चीज का समर्थन करेंगे। मान्यवर, आपने इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्ठि स्थल के लिए जो सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मान्यवर, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि मात्र 100 करोड़ रुपया है। तो क्या इसकी चयन प्रक्रिया वहीं रहेगी जो लोहिया गांवों का चयन हो रहा है, उस तरह से। उसमें विधान सभा वार नहीं लिया जाता है। विधायक लिए जाते हैं, तो क्या इस योजना में भी जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्हीं के गांव में टिनशेड बनेगा या जहां आवश्यकता होगा वहां बनेगा। इस पर मैं मा0 मंत्री जी का जरुर ध्यान चाहूंगा। पिछली बार मैंने मानदेय की बात उठाई थी जो हमने ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत प्रमुख का और ब्लाक प्रमुख का मानदेय बढ़ाया जाय उसको सरकार ने माना है। आपने ब्लाक प्रमुख का 3000 से 7000 कर दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष का 4000 से 10,000 कर दिया और प्रधान का एक हजार से ढाई हजार कर दिया। कल खन्ना जी कह रहे थे कि विधायकों की सेलरी चीफ सेक्रटरी से एक रुपये अधिक होनी चाहिए। मान्यवर, वह लोग कहते हैं कि जब आप अपना वेतन-भत्ता चीफ सेक्रेटरी से एक रुपया अधिक की बात कर रहे हैं तो जो हमारा भी वेतन भत्ता है तो जो हमारा सेक्रेटरी है ब्लाक प्रमुख कहता है कि हमारा सेक्रेटरी बी0डी0ओ0 है और जिला पंचायत अध्यक्ष कहता है कि हमारा सेक्रेटरी अपर मुख्य अधिकारी है तो हमारा भी वेतन उनसे एक रुपया अधिक रखा जाय। यह उनकी बात तर्क संगत है अगर हम अपने लिए चाहेंगे तो हमें उनकी भी बात हमें रखनी होगी। मा0 मंत्री जी इस पर आप अमल करेंगे। मान्यवर, जो ब्लाक में बैठक होती है जो ब्लाक लेविल के अधिकारी होते है वह उसमें नहीं जाते हैं। उसमें ब्लाक के लोग और क्षेत्र पंचायत के सदस्य आकर अपनी बात कह जाते हैं अगर वहां पर नलकूप विभाग के अधिकारी आ जायें या जल निगम के अधिकारी आ जायें जो ब्लाक लेविल स्तर के हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें निर्देश चले जायें कि वह अधिकारी भी उसमें आयें। तो बहुत सी चीजों का समाधान निकल सकता है। मान्यवर, जैसे हैण्डपम्प की समस्या है वह तात्कालिक खराबी है वह काम भी ग्राम प्रधान को दिया गया है। अब एक गांव में चार-चार, पांच-पांच लोग ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। पता लगा कि कोई हैण्डपम्प किसी के दरवाजे पर लगा हुआ है और वह विपक्ष का है और अगर वह खबर कराते हैं तो वह कहते हैं कि हैंडपाइप को खुलवाइये, पाइप निकलवाइये और देखिए पाइप कहां लीकेज है और वह कहते हैं कि सब सामान आप दरवाजे पर पहुंचाइये तो ऐसी स्थिति में वह अधिकारी मीटिंग में होता उनके समक्ष लोग अपनी बात रखते और हल निकलता। तो वह बात आ जाती तो इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी इधर देख रहा हूं कि जिलों में बैरियर की वसूली, बैरियर लग गये हैं इधर लगभग एक साल से बैरियर पर जो 50 रुपया लिये जाते थे आज उसका रेट बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह जिला पंचायतों का किधर बैरियर लगा है हम लोगों की तरफ तो नहीं है।

श्री उमाशंकर-

अध्यक्ष जी यही तो है। अध्यक्ष जी आपसे बता दूं हालांकि मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि 50 रुपया से बढ़कर अगर 200 रुपया किया गया है तो क्या जो नीलामी दी गयी है उस नीलामी की

लागत 4 गुना बढ़ाई गयी है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी उसी का वसूली का अधिकार अब एक उदाहरण बता दें कि जहां खनन होता है खनन से जो गाड़िया निकलती है वहां जिला पंचायत बैरियर लगायेगा या जो पहला बैरियर पड़ता है अब जैसे बलिया में सड़क बनाने के लिए गिट्टी जा रही है ट्रेन से। ट्रेन से गिट्टी स्टेशन पर उतरी तो वही स्टेशन के बाहर जिला पंचायत के लोग खड़े हैं 200 रुपये की पर्ची के लिए। उनको दिख रहा है कि एक ट्रेन में 200 गाड़ी का माल आ गया अब 200 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए तो इतना तो उनको बिना मेहनत के मिल गया। अगर स्टेशन पर मान लीजिए 20 रैक माल आ गया तो जोड़ लीजिए, यह लिया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं यह लिखित में है यह कितना लिया जा रहा है 200 रुपया। अध्यक्ष जी, आपके यहां बस्ती वाले में नहीं लिया जा रहा है। सोनभद्र की माननीय सदस्या है उनको पता है उनके यहां लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जिला पंचायत आटोनामस बाडी है अपने प्रस्ताव से ले रही होंगी।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बजट पर हम लोगों ने बड़ा बधाई दिया था कि साड़ी, कम्बल का वितरण सरकार सुनिश्चित करायेगी। हमको जानकारी है कि साड़ी कम्बल का एक बार टेण्डर हुआ फिर टेण्डर निरस्त हुआ फिर किसी दूसरी कम्पनी को दिया गया फिर निरस्त हुआ तब तक आचार संहिता लग गयी। आज दूसरा बजट आया इसमें साड़ी, कम्बल पूरी तरह से गायब हो गयी। मान्यवर, इसमें कोई बहुत बड़ी धनराशि भी नहीं लग रही थी। कुछ चीजों को सरकार ने अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से अभी ड्राप किया है तो साड़ी कम्बल एक ऐसी चीज थी जो सीधे गरीबों को जाती। इसलिए चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी कहीं से अगर बजट वजट बचे तो साड़ी कम्बल वाला इसमें शामिल करें।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये बहुत बजट है 4.00 बज गया है, और सदस्यों को बोलने दीजिए।

श्री उमाशंकर-

माननीय मंत्री जी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था अगर मैं यह पूंछू कि उसमें खर्च कितना हुआ पिछले साल में फिर यही नहीं आपने बी0आर0जी0एफ0 नुकसान कराया।

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कमाल अख्तर) -

मान्यवर, बी0आर0जी0एफ0 की जो चीजे दिख रही है उसके जिम्मेदार यह सारे के सारे लोग हैं क्योंकि बी0आर0जी0एफ0 में जो पहले 5 साल इन्होंने खर्च किया वह लगातार सारा का सारा पैसा इन्होंने लूटने का काम किया। आज तक जो स्वीकृतियां जारी हुई है वह कार्य आज तक पूरे नहीं हुए हैं और यह लोग खड़े होकर बी0आर0जी0एफ0 का दोष हमारी सरकार को देते हैं अगर हम लोग जांच करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष मुसीबत में पड़ जायेंगे।

श्री सतीश महाना-

अगर आप जांच करेंगे तो यह मुसीबत में पड़ जायेंगे तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं ?

नेता विरोध दल (श्री स्वामी प्रसाद मौय)ः-

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य लगता है कि नवनिर्वाचित सदस्य है अपने अनुभवहीनता के चलते कह रहे हैं।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह योगेश भइया)-

मान्यवर, वह मंत्री है, विभागीय मंत्री है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर मा0 मंत्री जी हैं और उन्होंने नेता विरोधी दल का नाम लेकर चिन्हित किया, इंगित किया तो मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बी0आर0जी0एफ0 योजनाओं के अन्तर्गत जितना भी धन केन्द्र से मिलना था उसको समय-समय पर लिया गया और उसका उपभोग प्रमाण-पत्र भी दिया गया आपको बी0आर0जी0एफ0 का केन्द्र वाला पैसा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपने खर्च करने के बाद उपभोग प्रमाण-पत्र दिया ही नहीं। उपभोग प्रमाण-पत्र देते तो आपको भी मिलता। दूसरी चीज, पहले ही बजट सत्र में मैंने चुनौती दिया था कि किसी भी जांच एजेंसी से आप जांच करा लें, एक नये पैसे का आरोप यदि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सिद्ध कर दोगे तो इस सदन में मुंह नहीं दिखायेंगे, इसलिए इस प्रकार की ओछी बयानबाजी करने से मा0 मंत्री को बचना चाहिए। आपने अन्दर-अन्दर प्रयास भी किये ऐसा नहीं है कि नहीं किये, कई स्रोतों और कई एजेंसियों से जांच करने का प्रयास भी किया लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपने कदम पीछे कर लिया। आपकी तो उपलब्धी यही रही कि एक वरिष्ठ मंत्री को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी और डेढ़-दो साल के अन्दर ही उनको चलता बना दिया और उनसे विभाग छीन लिया। यह आपकी कामयाबी को परिलक्षित करती है इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले अपनी कमियों को देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, तब किसी पर उंगली उठाना चाहिए। इसलिए मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी छेड़ेंगे तो हमारे पास बहुत बोलने का समय है पंचायतीराज विभाग पर, जैसा कि मा0 उमाशंकर जी कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं वह तो सुझाव दे रहे हैं। जो हमारा मकसद है आलोचना करना और सुझाव देना तो ये तो आलोचना कर ही नहीं रहे हैं ये तो केवल सुझाव दे रहे हैं। आपको तो सीधे-सीधे बख्श दे रहे हैं यदि आप चाहते हो कि आपको घेरा जाए, आपकी कलई खुले तो मैं इन्हें समय दे दूंगा। इसलिए मान्यवर, जैसे कि मा0 सदस्यों की बाहर की ट्रेन है जाना चाहते हैं जल्दी में हैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी को सदन को ठीक ढंग से चलने दें और अनायास किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा है कि वर्तमान सरकार में बी0आर0जी0एफ0 का पैसा नहीं आया है, यह कतई सही नहीं है। वर्ष 2013 में भी पैसा आया है, 2014 में भी आया है और 2014-15 की योजनाएं बनकर जा चुकी है उसका भी पैसा अवमुक्त होने जा रहा है, यह सरकार बी0आर0जी0एफ0 में काम कर रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पूरा पैसा नहीं आया है।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, जिन जिला पंचायतों ने कार्य योजना दे दी है, अपना उपभोग प्रमाण-पत्र दे दिया है वहां का पैसा वर्ष 2014-15 का भी आने जा रहा है योजनाएं बन करके कम्प्यूटर पर लोड हो चुकी है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, वर्ष 2012-13 में 650 करोड़ रुपए के सापेक्ष मात्र 80 करोड़ रुपए मिला है और वर्ष 2013-14 में 818 करोड़ रुपए के सापेक्ष 196 करोड़ रुपया मिला है। मैं यह जरुर कहूंगा कि पूर्व पंचायती राज मंत्री जी जब पिछली बार बजट रख रहे थे तो उनका एक प्रयास था वह कह रहे थे, उन्होंने कोड किया मैंने पढ़ा भी है उन्होंने कहा कि इसलिए डिमाण्ड नहीं भेज रहा हूं क्योंकि दूसरी सरकार द्वारा किया गया काम है तो मैं इसकी जांच करा लूं और जांच कराकर देख लूं कि पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ है। उन्होंने जांच के लिए शासन स्तर से कमेटी बना दी और उस कमेटी ने जांच भी कर ली। आप सुन नहीं रहे थे आपका ध्यान कहीं और था, मैंने एक जिले चन्दौली को इंगित भी किया, फिर चन्दौली के जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई कमेटी ने जांच किया लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली। आपका यह कहना कि पिछली सरकार ने इसको लूट लिया इसलिए हम लोगों ने नहीं मंगाया। अब दो साल हो गया दो साल में सारी जांच हो गई है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अध्यक्ष हमारा है कि आपका है कि किसका है और अपर मुख्य अधिकारी किसका है। जिसने काम नहीं किया है। जो पैसे की लूट मचाया है जैसा कि आदरणीय मौर्या जी भी यही कह रहे हैं उसमें आप देखिये कि किसका दोष है, हम कहां कह रहे हैं कि किसी को बख्शिये लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत सरकार से जो धनराशि लेनी है उस धनराशि को कैसे प्राप्त करेंगें, हमको इसलिए काम करना है न कि यह कह करके कि भारत सरकार से मिलने वाली अच्छी-खासी धनराशि केवल आरोप-प्रत्यारोप करके छोड़ दें। यह उत्तर प्रदेश के जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। वह पैसा न हमारे लिए है, कम से कम 35 जनपदों में कोई अतिरिक्त धनराशि देनी की आवश्यकता नहीं पड़ती उन 35 जनपदों के जिला पंचायतों में मान लीजिए कि कम से कम 50-50 या 40-40 करोड़ भी जाता तो उस जिला पंचायत में कुछ सी0सी0 सड़कें व नालियां बन जाती। मेरा यह सुझाव था कि जो भी करना है पर्याप्त समय बीत गया उसकी प्रक्रिया पूर्ण कर भारत सरकार से जो मिलने वाली धनराशि है उसको हम लें। मेरा यह कहने का मतलब है जैसा मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा किस तरह से वितरण हुआ, यह सही बात है। दूसरे एक चीज और कहेंगे कि जो बजट मिलता है 13 वें वित्त आयोग में पैसा मिला था, मा0 मंत्री जी देखियेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब बाद में कह लीजिएगा और दूसरे लोगों को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री उमाशंकर-

आपको मिला था 246 करोड़ 390 लाख लेकिन उसमें भी हम लोग अवमुक्त किये हैं उसमें मात्र 165 करोड़ ही अवमुक्त किये हैं। हम देखते हैं कि पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी का, उनके यहां जो पैसा आता है पता लगता है कि पैसा सभी खण्डों को चला जाता है और फिर मा0 मंत्री जी व प्रमुख

सचिव वगैरह अगले डिमांड के लिए लगे रहते हैं कि कैसे और धन मिल जाए। इस तरह से हमारा जो बजट मिल रहा है। उस बजट को हम समय से खर्च कर देंगे तो फिर हम आगे मुख्यमंत्री जी के यहां अपनी बात रखेंगे कि हमें कुछ पैसा कहीं और बच रहा हो तो दे दीजिए कि हम गांवों पर खर्च कर दें। हम कह रहे हैं मा0 मंत्री जी कि पूरा प्रदेश और पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित है कि हम गांवों में कैसे मजबूती ले आयें, कैसे खुशहाली ले आयें और यह सीधा गांव का बजट है और इस पैसे का पूरा उपभोग गांव में होना है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री उमाशंकर-

ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पंचायती राज विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी मा0 मंत्री जी महात्मा गांधी जी के सपने को पूर्ण करने की बात कर रहे थे कि हमें महात्मा गांधी के सपने को पूर्ण करना था इसलिए पंचायतों की परिकल्पना की गयी, पंचायतों का गठन किया गया। जब देश आजाद हुआ उसके बाद जैसे ही संविधान का गठन हुआ अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गयी। अब एक ही सपना था कि महात्मा गांधी के सपने को किस तरह से पूरा किया जाए। गांव मजबूत होंगे तो जिला मजबूत होगा और जिला मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा और पूरा का पूरा इसका स्वरुप बदलता गया। उसके बाद 1994 में 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गयी जिसमें ग्रामों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत और जिले के विकास के लिए जिला पंचायतों का गठन किया गया। उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि ग्राम पंचायतों को गांव के विकास के लिए काम करना है, क्षेत्र पंचायत को क्षेत्रीय विकास के लिए काम करना है और जिला पंचायत को गांवों की सड़कों को जिले की रोड से जोड़ना है और एक क्षेत्र पंचायत से दूसरी क्षेत्र पंचायत से जोड़ना है, स्पष्ट निर्देश थे लेकिन अध्यक्ष जी क्योंकि केन्द्र से जिला पंचायतों को, पंचायतों को पैसा आता है आप भी अपने 13 वे वित्त आयोग के माध्यम से भी पैसा देते हैं जैसे-जैसे पैसा आता गया, जैसे-जैसे वित्त ज्यादा मिलता गया पंचायतों का क्षण धीरे-धीरे होता गया, पंचायतों में नैतिक ह्रास होता गया और आज स्थिति यह है कि जो बापू के विकास की परिकल्पना थी बापू की जो परिकल्पना थी उनको हम लोगों ने दूर कर दिया है। उनसे हम लोग किस तरह से फायदा उठा सकें किस तरह से वहां से हम भ्रष्टाचार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा कमा सकें यह एक साधन बन गया है। आप देखिए अध्यक्ष जी पहले जब गांवों में चुनाव होता था तो सब लोग मिल जुलकर प्रधान का चुनाव कर लिया करते थें। आज एक ग्राम पंचायत के चुनाव में कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो करोड़ों में पहुंच गया है प्रमुख का चुनाव एक करोड़ में पहुंच गया है। क्योंकि जब हम लोग चुनाव इतना मंहगा करेंगे तो हम वहां कमाने का माध्यम ढूढेंगे या हमें लगता होगा कि हम वहां से कमा सकते हैं। तभी तो इस तरीके से चुनाव हम लड़ेंगे। आज मैं जिला पंचायत की बात कर रही हूं जिला पंचायत से स्पष्ट निर्देश है कि आप गांव की सड़क से जिले की रोड को जोड़ेंगे। बहुत पैसा है हम सरकार से लड़ते रहते हैं कि हमारे गांव की रोड टूटी हुई है

हमारे सम्पर्क मार्ग बिल्कुल टूटे हुए हैं मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिला पंचायतों में इतना पैसा आता है कि यदि जिला पंचायतें अपनी सही मानसिकता के आधार पर काम कर लें तो गांव से जो सम्पर्क मार्ग है वह जिला पंचायत द्वारा जोड़े जा सकते हैं। सारा भार हम लोग लोक निर्माण मंत्री जी के ऊपर डाल देते हैं।

आज जिला पंचायतों में घोर भ्रष्टाचार है, आज जिला पंचायतों को यह निर्देश नहीं है कि आप गांवों में काम करवाएं। आज गांवों में टायल्स का काम जिला पंचायतों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। वहां का जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायतों में शासन की ओर से नियुक्त किया गया है वह अपर मुख्य अधिकारी कर्मचारी बनकर काम करता है। वह शासन की मंशा को रख ही नहीं पाता शासन के जो दिशा निर्देश है जो नियम है उनको वह रख ही नहीं पाता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी एक सुझाव देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि हम लोगों को केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पंचायतों का अध्ययन करना चाहिए। वहां पर जिला पंचायतें बहुत ही सशक्त जिला पंचायतें हैं। और जो वहां का मुख्य अधिकारी है वह आई0ए0एस0 कैडर का है इसलिये वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम है और विकास पूरे क्षेत्र का होता है और नियमों के आधार पर होता है, मानक के आधार पर होता है। यहां चूंकि उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य अधिकारी की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती इसलिये वह अध्यक्ष के मातहत रह करके काम करता है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम लोग पैसा देते हैं परिसम्पत्तियों की रक्षा की जा सके लेकिन बुलन्दशहर में आपका इतना पुराना गेस्ट हाउस और बहुत ही खूबसूरत बहुत सुन्दर गेस्ट हाउस बना हुआ था लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों ने पता नहीं वहां भवन में क्या पास किया और उसको तोड़ करके बिल्कुल जड़ मूल से साफ कर दिया। जब उनको तोड़ने का अधिकार है ही नहीं। उन्हें परिसम्पत्तियों की रक्षा करने का अधिकार है लेकिन मैं नहीं समझती कि शासन का अधिकारी, कैसे इस तरह की स्वीकृति दे दी। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप बुलन्दशहर के अपर मुख्य अधिकारी को इसमें तुरन्त तलब करें और इसमें जांच करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर दें। थोड़ा और सदस्य बोल लें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर बस समाप्त कर रही हूं। माननीय मंत्री जी, क्योंकि जिला पंचायतों में शासन का पैसा जाता है और वहां के एम0एल0ए0 और एम0पी0 वहां के पदेन सदस्य भी होते हैं और हम क्योंकि वहां के एम0एल0ए0 होने की वजह से वहां की जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो जिला पंचायत के द्वारा बनाई गई है वह काफी टूट गई है और उनका दोबारा पुनर्निर्माण नहीं किया गया। किसी और विभाग से कहते हैं चाहे मंडी विभाग हो, चाहे गन्ना विभाग हो, क्योंकि वह लोग अपने विभागों की सड़कें बनाती हैं, दूसरे विभाग की सड़कें वह लोग नहीं बनाते और जिला पंचायत बनाने के लिये तैयार नहीं। अपनी जो सड़कें है उनके पुनर्निर्माण के लिये तैयार नहीं। उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी जिला पंचायतों की होनी चाहिए, यह आपकी तरफ से निर्देश होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं समझती हूं कि आप जिला पंचायतों को, क्योंकि उनके ऊपर कोई जांच कमेटी नहीं होती है, वहां की

जो सड़कें बनाई जाती है। वहां पर जो जांच कमेटी जाती है हम लोगों के शिकायत के द्वारा भी जांच कराती है और हम लोगों को खबर भी नहीं होती कि कहां जांच हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि क्योंकि हम भी उसी जिले के विधायक हैं और हम भी गांव के विकास के लिये लड़ते रहते हैं क्योंकि हम भी जहां भी देंगे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ही कुछ न कुछ प्रस्ताव देंगे तो आपकी तरफ से स्पष्ट निर्देश जाना चाहिए प्रदेश के एम0एल0ए0 हैं, उनके प्रस्ताव को भी जिला पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अनीसुर्ररहमान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मेरा विधान सभा तक का सफर जो तय हुआ है वह ग्राम प्रधान और 3 बार जिला पंचायत का मेम्बर रहा मुरादाबाद का उसके बाद विधायक बनाकर जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं सुझाव कुछ देना चाहता हूं पंचायती राज से मुतालिक। सरकार जितनी स्कीमें बनाती हैं वह स्कीमें और योजनाएं ज्यादातर गरीबों के लिये होती है, जिनका क्रियान्वयन निचले स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। लेकिन जितनी राजनीति ग्राम पंचायतों में होती है, उतनी राजनीति कहीं नहीं होती है। जितने पात्र लोग होते हैं वह किसी भी योजना के हों, उनके साथ भेद भाव होता है और उनका चयन पात्र लोगों का स्कीमों में नहीं हो पाता वह उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो अपात्र लोग होते हैं मान्यवर, उनका चयन उस योजना में हो जाता है। जिससे गरीब गरीब ही बना रहता है। मेरा सुझाव यह है कि इस सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं गरीबों के लिये चलाई है। एक तो लोहिया आवास योजना है और मान्यवर दूसरी है समाजवादी पेंशन योजना है लेकिन मेरे जितने साथी विधायक यहां पर हैं, यह भी इस बात से परेशान होंगे कि हम लोग गरीबों की मदद नहीं कर पाते। मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बी0पी0एल0 का चयन हो, लोहिया आवास का चयन हो या फिर समाजवादी पेंशन योजना का चयन हो। वह प्रस्ताव पारित होने के बाद टोटल मीटिंग की वीडियोग्राफी और जिन लोगों का चयन हो वह वीडियोग्राफी में उनके नाम स्पष्ट होकर आने चाहिए ताकि वह बाद में प्रस्ताव बदल कर दूसरे लोगों का प्रस्ताव ग्राम पंचायत का प्रधान और सचिव न कर सकें। ग्राम पंचायत की बैठक में जिन पात्र लोगों का चयन हो वह निष्पक्ष तौर से हो सकें उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाय ताकि यह यह प्रधान और सेकेट्री इसको बदल न सकें और पात्र व्यक्तियों का चुनाव हो सके। इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। ताकि ग्राम पंचायत की बैठक में जिन पात्र लोगों का चयन हो, उसकी वीडियोग्राफी करायी जाए ताकि गांव का प्रधान और सेक्रेटरी उसको बदल न सकें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री हेमराज वर्मा-

मान्यवर, आपने पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। अभी हमारे मा0 मंत्री जी ने पंचायतीराज विभाग का जो बजट पेश किया है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बहुत सराहनीय बजट है और निश्चित तौर पर हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिये, उसको सुचारू रूप से काम करने के लिये और आगे बढ़ने के लिये मौका मिलेगा। आज 80 परसेन्ट से ज्यादा आबादी गांव में रहती है और यह पंचायती राज विभाग हमारे गांव की जो समस्यायें हैं, गांव के जो मुद्दे हैं, उन सबको पूरा करने का काम पंचायतीराज विभाग करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकारों ने हालांकि जिस तरह से हमारे मा0 मंत्री जी ने अपनी बात को रखा, महात्मा जी का जो सपना था, ग्राम स्वराज और ग्राम स्वराज हमारे उत्तर प्रदेश में इसलिये नहीं आ पाया क्योंकि पिछली सरकारों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज पंचायतों का जो ढांचा है, पंचायत में जो कर्मचारी है, उनका इतना अभाव है कि पंचायतें ठीक से काम नहीं कर पा रही है और पिछली बसपा की सरकार ने 5 साल तक पंचायतों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, एक ग्राम पंचायत अधिकारी को 128 काम ग्राम पंचायतों के करने होते है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एक ग्राम पंचायत अधिकारी 8-10 ग्राम पंचायतों की भार अकेले नहीं उठा सकता और इस तरह से जब पंचायतें ठीक से काम नहीं कर पा रही है, पंचायतें ठीक से जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही, उनका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर समस्यायें गांव पंचायत स्तर पर हो रही हैं। मगर हमारी सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी ने पंचायतों में जो रिक्त पड़े पद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारियों के, ग्राम विकास अधिकारियों के भरने की एक योजना मा0 मुख्य मंत्री जी ने बनायी है। निश्चित तौर पर जब इन पंचायतों का ढांचा विधिवत् पूरा हो जायेगा और सही से जब पंचायतें अपना काम करने लगेगी तो पंचायतें जो हमारी सरकार का आइना होती है। मान्यवर, अभी हमारे एक मा0 सदस्य जो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर जब पंचायतें ठीक से काम करेगी, जब ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का आफिस होगा, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, गांव का सचिव वहां पर बैठेगा तो निश्चित तौर पर जो योजनायें होंगी तो उनका प्रचार-प्रसार पूरे गांव में सब लोगों को होगा और कहीं पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी ग्राम प्रधान से लेकर आज विधायक तक पहुंचा हूं और आज भी हमारी माता जी ग्राम प्रधान है और मैं ग्राम प्रधान संघ का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं ग्राम पंचातयों की जो स्थिति है, उसको विधिवत् जानता हूं। अगर आज ग्राम पंचातयों का स्वरूप ठीक से बन जाय, आज अगर हमारी पंचायतें जो हैं, उनका ढांचा ठीक से बन जाये तो निश्चित तौर पर हमारी पंचायतें किसी भी प्रदेश की पंचायतों से पीछे नहीं रहेगी। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पंचायती राज विभाग का इतना शानदार बजट पेश किया है और मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने की है तो निश्चित तौर पर हमारी ग्राम पंचायतों को इससे गति मिलेगी और महात्मा गांधी का जो सपना है, ग्राम स्वराज, वह निश्चित तौर पर हमारे गांवों में दिखायी देगा, हमारे प्रदेश में दिखायी देगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतीराज विभाग पर हमारे साथी उमा शंकर जी द्वारा कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 78 परसेन्ट आबादी आज गांव में रहती है, शहर का हिस्सा मात्र 22 प्रतिशत है, 21 करोड़ की जनसंख्या जहां इस प्रदेश की है, वहीं

पंचायतों की संख्या 51914, क्षेत्र पंचायतों की संख्या 821 है, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 2426 है। मान्यवर, गांव के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना दिया था। आजादी से पहले भी ग्राम पंचायतें बहुत मजबूती से काम करती थी। पेड़ों के नीचे बैठ करके चौपाल लगा करके शाम के वक्त उन चौपालों में गांव की समस्याओं का निदान किया जाता था। पेड़ के नीचे चबूतरे बने होते थे उन चबूतरों पर बैठकर गांव के मुखिया छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा करते थे। लेकिन जब से ग्राम पंचायतों को कमजोर किया गया न्याय पंचायतों के वजूद को खत्म किया गया। गांव में दो सदस्य न्यायायिक सदस्य होते थे। जब न्याय पंचायत बनती थी तो उनको छोटे मोटे झगड़े, मेड़ के झगड़े, माली के झगड़े, खूंटा गड़ने के झगड़े, बच्चों के झगड़े, खेतों के झगड़े, बरसात का पानी निकलने आदि के झगड़ों को हम गांव की पंचायतों, न्याय पंचायतों के माध्यम से सुलझा लिया करते थे। लेकिन जब से इस व्यवस्था को कमजोर किया गया गांवों में इन तरीके के झगड़ों की बहुतायत आयी। वहीं गांव के छोटे-छोटे झगड़े आज गांव से निकलकर थानों में जाते हैं। थाना दिवस में तहसील दिवस में जाते हैं लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है कि गांव पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ग्राम पंचायतों को मजबूत नहीं कर रहे हैं। गांव को तो हमने विभिन्न आर्थिक योजनाओं के लिये पैसे दिये है लेकिन उनकी देखरेख के लिये जो ग्राम विकास अधिकारी हुआ करते थे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ करते थे।

मान्यवर, उनकी नियुक्ति न होने से उनकी संख्या इतनी कम हो गयी है ब्लाकों पर कि मा0 अध्यक्ष जी, 10-11 ग्राम पंचायतों में एक अधिकारी होता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वह बैठक कर पाये उसके पास इतना समय नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो कोटों के चयन की जिम्मेदारी दी जाती है उसका चयन कर पाये। उसके पास इतना समय नहीं है कि गरीबों के आवास के लिये जो चयन करना है वह चयन कर पाये। उसके पास इतना समय नहीं है कि मनरेगा के लोगों को जो पैसा मिलना है उस पैसे को दिलाने के लिये वह बैंक तक जाये। मान्यवर, ग्राम पंचायतें तभी मजबूत होगी जब वहां पर काम करने वाले उनके सचिव हों। क्षेत्र पंचायतें तभी मजबूत होंगी जब उनके सचिव बी0डी0ओ0 वहां पर मौजूद हों। मान्यवर, आज एक-एक बी0डी0ओ0 के पास तीन-चार ब्लाकों का कार्यभार है। वह उन ब्लाकों पर नहीं जा पाता है। वह बी0डी0ओ0 की बैठक नहीं कर पाता है। दूसरी चीज मान्यवर, कि आज ग्राम पंचायतों का वजूद खत्म हो रहा है। नगर पालिका, नगर महापालिका की सीमायें बढ़ायी जा रही है। लखनऊ और बड़े शहरों के इर्दगिर्द जो ग्राम पंचायतें है उनका वजूद खत्म हो गया है। उनकी जमीनों को लोगों ने महंगे रेटों में खरीदकर उसके चारों तरफ बाउंड्रीवाल उठाकर उस गांव को बांधने का काम किया है। मान्यवर, हमें ग्राम पंचायत के वजूद को जिन्दा रखना है और इसके लिये जो शहरीकरण हो रहा है इसको रोकना होगा। मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारी गांव की महिलाओं बच्चियों को खुले में शौच के लिये जाना पड़ता है। उनको शौच के लिये रात के अंधरे का इंतजार करना पड़ता है। जब खेत की फसलें कट जाती है क्योंकि बाग तो अब बचे नहीं तो दूर तक मैदान नजर आता है। इसलिये आज गांव में शौचालय का निर्माण कराया जाना बहुत आवश्यक है। जितने शौचालय गांव में बनने चाहिये उतने शौचालय आज गांवों में नहीं है। उन शौचालय के न होने से बाहर शौच के लिये जाने वाली महिलाओं, बच्चियों के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनायें हो रही है। मान्यवर, इस सरकार ने 100 करोड़ रुपये

अंत्येष्टि स्थल के लिये दिया है। मान्यवर, 51 हजार 914 ग्राम सभाओं में से एक भी ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल नहीं बन पाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को और बढ़ाया जाये। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रमीण विकास योजना के अन्तर्गत गलियों में जो सी0सी0 रोड, ड्रेन इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था की जाती है, मान्यवर उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाय। मान्यवर इसी सदन में कहा गया था कि लोहिया ग्रामों के चयन में हम लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी, विभागीय मंत्री जी जब जायेंगे जिला में बैठक करने के लिये तो उस जिले के क्षेत्रीय विधायकों की संस्तुति ग्राम विकास में लेंगे, मगर मान्यवर लोहिया ग्राम के चयन में कोई संस्तुतियां या प्राथमिकता हम लोगों की नहीं ली गई। बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन, राजीव गांधी ग्रामीण योजना के अन्तर्गत संचालित सभी कार्य होने चाहिये। मान्यवर, पंचायतों को, 72 वां 73वीं संविधान संशोधन किया गया, समय-समय पर जब जरूरत पड़ी है पंचायतों को अधिकार देने के लिये उनमें संविधान का संशोधन किया गया। मान्यवर में आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि ग्राम पंचायतों में शौचालयों का, उनकी न्याय व्यवस्था का और गरीबों को मजबूत करने का काम सरकार को करना चाहिये। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुये मा0 श्री उमा शंकर जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कौशल जी, संक्षेप में पांच मिनट में अपनी बात रख दें।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

मान्यवर, मैं सिर्फ सुझाव दूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, गांव पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में और जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हमारे चुने जाते हैं, चुनने के बाद जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी एक समस्या रहती है कि साहब हम केवल वोट डाल दिये बस हमारा काम केवल वोट डालने का रहता है, अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लाक के अन्दर जाता है, तो उससे कोई राय नहीं ली जाती है और न उसका कोई प्रस्ताव लिया जाता है और वही हाल जिला पंचायतों का है, जितने भी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें वोट देने के बाद जिला पंचायत का जो सदस्य है वह भी मूक दर्शक रहता है। हम आपका ध्यान महाराजगंज जिले की तरफ ले जायेंगे, जो आपके बंगल का जिला है, हमारे यहां जिला पंचायत के अन्दर चपरासी के नाम से मकान एलाट कर के भाजपा का कार्यालय चलाया जा रहा है और इतना ही नहीं, हमने अगर कई पुलों की जांच करवाई तो उसमें 4-4 लाख, 5-5 लाख के घपले निकले। एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिये कि जिला पंचायत से जो भी पैसा निर्गत हो, उसमें सड़क का और पुल एक मानक हो कि अगर हमने पांच करोड़ रुपया पुल के लिये दिया तो पांच करोड़ रुपया सड़क के लिये भी जाना चाहिये, लेकिन स्थितियां हो रही है कि जहां से फायदा हो रहा है, पुल बनाने में जितना फायदा है, उतना सड़क बनाने में फायदा नहीं है, तो सारा पैसा पुल में लगा दिया जा रहा है, अगर उनकी जांच करवाई जाय तो नीचे फाउण्डेशन गायब है और पुल बन कर के खड़ा है। तो मैं यह एक सुझाव दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है कि सरकार का पैसा जहां रास्ता भी नहीं है वहां पर पुल बनाया जा रहा है, पहले तो पुल उन जगहों पर बनाया जाय, जहां यातायात हो, जहां पर चलने के साधन हों, यह पुल वहां पर बना दिये जा रहे हैं जहां आदमी तो दूर खेती का बैल भी न जाता हो, वहां आज पुल बनाया जा रहा है जिला पंचायतों

से। दूसरा मेरा यह कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक रास्ता दिखाया जाय, प्रधान तो वेतन पा जा रहा है, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। हमारा आपके माध्यम से सदन से कहना है कि क्षेत्र पंचायतों को उनका हक दिया जाय और कोई भी खुली मीटिंग हो ब्लाक के अन्दर, तो उसकी वीडियों ग्राफी हो, क्योंकि रोज मारपीट की नौबतें आ रही है, वह कहते है कि मीटिंग होती नहीं है। अगर क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक हो, गांव पंचायत की खुली बैठक हो या जिला पंचायत की खुली बैठक हो, तो उसमें जो प्रस्ताव दिये जाते हैं, अगर पांच सौ रुपया एक हजार खर्च होगा, अगर उसकी वीडियों ग्राफी की जायेगी तो विवाद नहीं होगा। जब भी तहसील दिवस लगता है, तो डी0एम0 के सामने गांव के लोग जाते हैं कि साहब हमारे गांव सभा में खुली बैठक नहीं हुई, अगर वह सी0डी0 रहेगी तो डी0एम0 या गांव के लोग कहने के लिये रहेंगे कि साहब आपके यहां खुली बैठक हुई थी, उसकी यह सी0डी0 तैयार है।

जिला पंचायत में कोई प्रस्ताव आयेगा, तो पर भी वह सी0डी0 कहेगी कि हां खुली बैठक में कौन सी चीज दर्शायी गयी और कौन-कौन काम स्वीकृत किये गये। पता चलता है कि ठेकेदार भी उनके घर का, काम भी उनके घर का और भुगतान हो गया और स्थिति यह है कि अगर डी0आर0डी0ए0 के स्टीमेट को देख लिया जाय और जिला पंचायत के स्टीमेट को देख लिया जाय, तो डेढ़ का फर्क है। अगर कोई काम डी0आर0डी0ए0 25 लाख रुपये में पी0डब्ल्यू0डी0 कर रही है और आर0ई0एस0 विभाग कर रहा है तो जिला पंचायत में उसी स्टीमेट को 45 लाख में तैयार किया जाता है, इसलिये हम आपको सुझाव देना चाहते है कि इन सब चीजों की जांच हो, जिससे सरकार के धन में बचत हो, धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे पंचायती राज विभाग के इस महत्वपूर्ण गांव से जुड़े विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और गांव पंचायत। इन पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने, इनको संवैधानिक स्तर प्रदान करने के भाव से ही इस प्रदेश के अन्दर में 73वां संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी थी। आज उत्तर प्रदेश में खासतौर से हम अपने जनपद फैजाबाद में, अपनी विधान सभा क्षेत्र रूदौली में इस पूरे भाव को समाप्त करने का इतने वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से लगातार जिले के अपने जिलाधिकारी से, अपने मुख्य विकास अधिकारी से क्षेत्र पंचायत रूदौली में 3 वर्षों से किसी तरह का कोई प्रस्ताव, विकास का नाम आपने जो वहां पर मा0 पंचायती राज मंत्री जी ने जो बजट भेजा है, चाहे वह 13वें वित्त आयोग का हो, चाहे राज्य वित्त आयोग का हो चाहे अन्य योजनाओं का हो, 2 वर्षों से बैठक नहीं हुयी, वहां जो ब्लाक का अफसर है जिसके चलते पूरे के पूरे विकास खण्ड का कार्य बाधित है। कम से कम 106 क्षेत्र पंचायत के सदस्य है, 95 गांव पंचायत है। बहुत बड़ी क्षेत्र पंचायत के दर्द से आपको अवगत कराते हुये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से जो क्षेत्र पंचायत रूदौली में पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, वहां की जो ब्लाक की व्यवस्था है ऐसे अफसरों के नाते, उन्हें वहां से हटाकर, जांच करा करके उनके पूरे कार्यकाल की जांच करायी जाये। जो 3 वर्षों से पूरा कार्य बाधित है, आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। वह पैसा जो आज से 2 साल पहले खर्च हो सकता था उसे रोक करके सरकार

की नीति का उल्लंघन किया है। मैं इसलिये इस भाव से आपके माध्यम से हमारे पंचायती राज मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिये उपाय किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे उस पूरे के पूरे ब्लाक में कम से कम तीन या चार ऐसी घटनायें घटी है जिसमें हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और प्रधानों पर मुकदमें दर्ज किये गये। इस प्रदेश के अन्दर में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से लेकर अब तक पुलिस में जब भी कोई दर्ख्वास्त पहुंच जाती है तो प्रधान जी को पकड़ कर लॉक अप में डाल दिया जाता है। हमारे जिला पंचायत सदस्य को मुकदमें में जेल दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पंचायती राज की कल्पना आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में शुरू हुयी थी। अपने पंचायती राज मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर कही से ऐसी शिकायतें आती है जिले के उच्च अधिकारियों से उसकी जांच करानी चाहिये। पहले उनको पकड़ करके जेलों में बन्द करना, उनका अपमान करना ठीक नहीं है। इस पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरह से जो पंचायत की सम्पत्तियां है। आज एक-एक गांव में आपकी 5-5- सम्पत्ति है उन पर दूसरे लोगों का कब्जा है। अगर पंचायती राज विभाग उनको अपने कब्जे में ले ले, वृक्षारोपण करा दे तो निश्चित रूप से पंचायत की सम्पत्तियों का सृजन बढ़ेगा। आज गांव पंचायतों में पंचायत भवनों पर जो लोग कब्जा किये हैं, वे लोग जबर्दस्ती वहां से अपना कारोबार चलाते हैं। एक अभियान चला करके उनको खाली कराया जाना चाहिये। ऐसे समय में जब पंचायती राज विभाग का बजट पेश हो रहा है तो मैं इस सुझाव के साथ इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मा0 उमाशंकर जी द्वारा कटौती का प्रस्ताव जो रखा है उसमें आपने हमें बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पंचायतीराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मैं संक्षेप में केवल मा0 मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा कि अगर वाकई सरकार पंचायती व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये तो प्रथम दृष्टया जो हमारी गावं की पंचायत है, गांव में आज पंचायत विभाग के कर्मचारियों की बहुत कमी है। ग्राम पंचायत अधिकारी एक-एक ब्लॉक में दो-तीन-चार है, और एक के पास 4-4 या 6-6 गांव है। ऐसी स्थिति में मैंने खुद यह देखा है कि कई ग्राम प्रधान एक-एक ग्राम पंचायत अधिकारी के पास साइन कराने के लिये लाइन लगाये रहते हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार वाकई में अगर महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करके जमीनी हकीकत देना चाहती है, तो गांव में जो पंचायत अधिकारी है उनकी भर्ती करायी जाये और आज आजादी के 66-67 सालों में हमारे तमाम गांव ऐसे है जहां पर पंचायत भवन आज भी नहीं है। पंचायत भवन न होने से भी पंचायतों की जो खुली बैठकें हैं, पंचायतों की जो अन्य कार्यप्रणाली है, उनको करने में भी दिक्कतें आती है।

श्री सतीश महाना-

सदन को व्यवस्थित करा दीजिये मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

वह हो गया व्यवस्थित, हमारा ध्यान इधर था।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

पंचायतीराज में हमारे तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे है, चूंकि आपने अभी स्वयं इंगित किया था कि युवा कल्याण में भी कुछ बात आ जानी चाहिये, तो मैं आपके माध्यम से युवा कल्याण मंत्री जी का अभी मैं बजट भाषण सुन रहा था। मा0 मंत्री जी ने युवाओं के लिये 1 अरब 74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो मैं समझता हूं कि वाकई में बहुत कम है। आज हमारे देश में जो अभी सर्वे आया है। हमारे जो मतदाता है, उनका 65 फीसदी 35 साल के अन्दर के मतदाता हैं, यानि की 65 फीसदी युवाओं की भागीदारी है और युवाओं के लिये मात्र 174 करोड़, जो बहुत ही नाकाफी है और गांवों में खासकर गांवों में जो हमारे युवा हैं आज उनको दिशा देने की सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है। ऐसी कोई योजना नहीं है कि उन युवाओं को जो हाईस्कूल, इण्टर, ग्रेजुएट करने के बाद गांवों में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कुछ ऐसी दिशा दी जाये, कुछ ऐसा उनको बनाया जाये कि वह देश के प्रदेश के काम आयें, जहां तक आपने बात रखी की युवाओं के खेलकूद की व्यवस्था गांव में की जायेगी। गांव में आज भी न तो स्टेडियम है और जो शहरों में स्टेडियम हैं, वह भी इस लायक नहीं है कि वहां पर खेलकूद हो सके। ऐसे में मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें और युवाओं के लिये इस बजट को और बढ़ाने का काम करें, जिससे कि जो परिकल्पना आपने की है और आपने यहां पर जो सपने दिखाये हैं, जमीन में पूरे हों, इसके लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आज युवाओं के इशारे पर देश चल रहा है। युवाओं के ही आगे आने से देश आगे बढ़ सकता है। पर युवा जब तक आगे नहीं आयेगा तब तक शायद जो परिकल्पना चाहे वह डा0 राम मनोहर लोहिया जी की हो, चाहे महात्मा गांधी जी की हो, चाहे डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हो, वह पूरी नहीं हो सकती। इसलिए युवाओं के लिए बजट को बढ़ाया जाना चाहिए और तमाम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। जिससे युवाओं के अंदर जो तमाम तरह के ऐसे विकार हो रहे हैं, जो समाज में आज घटनायें घट रहीं हैं, उसको रोका जा सके। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती पर बोलने का अवसर दिया मैं उमाशंकर जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश-

शौचालय के लिए जो मा0 उमाशंकर जी ने चिंता व्यक्त की है उसमें जांच चल रही है। वह जांच पूरी नहीं हो पायी इसलिए उसमें विलंब हुआ इसलिए जो शौचालयों की संख्या कम हो पायी है। इसलिए भारत सरकार से पैसे नहीं आ पाये। वह सारी व्यवस्था पूरी हो गयी है। अब इस बार मांग चली गयी है। भारत सरकार से बहुत से पैसे आयेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। वह शौचालय बनने अति आवश्यक है जो गांव की समस्या है। हमारे सदस्यों ने जो-जो अपने मंशा को जाहिर किया है कि पंचायत का जो महात्मा गांधी ने चाहा था, जो-जो हमारी सरकार ने चाहा है। हमारी सरकार ने व्यवस्था दिया है जैसे अंत्येष्टि स्थल का इन्होंने बात किया है, उसको इन्होंने अपनी बात कह कर के सीमित कर दिया कि हमारी विधान सभा में हमको भी यह मिल पाये। मान्यवर, यह अंत्येष्टि स्थल सबके लिए जहां उचित स्थान होगा, जहां बनने लायक होगा, जैसे आपका बलिया है। हमारा गाजीपुर है, गंगा के किनारे जो अंत्येष्टि स्थल होगा सही जगह पर तो वहीं बनाना होगा। मान लिया बाढ़ आ गयी तो वह तो खत्म हो जायेगा। इसलिए तो वहां पर तो नहीं बनेगा। उसका चयन होगा, उसका सर्वे

होगा, उसको देखा जायेगा, कहां चलेगा किस विधान सभा में बनेगा। उसकी उपयोगिता क्या है? जिसके आधार पर बनेगा। और यह पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है सौ करोड़ का प्राविधान है। इसके लिए आप सबको माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर, बहुत सारी योजनायें है। जिसमें भारत सरकार से पैसा आता है उस पैसे को हम खर्च कैसे करते हैं। मनरेगा का पैसा है, जहां हम खर्च करते हैं उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इसलिए हम भारत सरकार से यह सिफारिश कर रहे हैं तकि हम उसका अच्छा उपयोग कर सकें। और कार्य करा सकें और उसमें। जो शौचालय नहीं बनें हैं उसमें सरकार को भी चिंता है कि सरकार गांव में अधिक से अधिक शौचालय बनवाने का काम करें। ताकि जो छोटी-मोटी हमारी गम्भीर समस्यायें हैं उसका समाधान हो सकें। इसलिए ग्राम पंचायतों की बैठक की बात कर रहे हैं। पंचायत से ले करके आप ग्राम विकास की बात करने लगे। मैं कहता हूं कि ग्राम पंचायत आपकी ही गांव पंचायत है, आप अपने ही गांव के पंचायत को ही देख लीजिए। वहां हर चीज करने के बाद आप उसको देखें वहां राजनीतिक लोग भी हैं। सरकार की मंशा कभी भी नहीं रही है। जो आप कह रहें हैं। सरकार हमेशा समय-समय पर इस पर काम करने का काम किया है। सरकार की मंशा है कि किसी तरह से गांवों का विकास हो। हर तरह से विकास हो। और कहीं से भ्रष्टाचार न हो। लेकिन इस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। जहां तक हमारी बहन ने चिन्ता व्यक्त किया है उसको हम दिखवा लेंगे, क्या उसमें दिक्कत है, बुलन्द शहर में है निरीक्षण भवन जिला पंचायत का। इस तरह से बहुत सारी समस्यायें हैं जो पंचायत सेक्रेटरी की बात आपने कही वह बात सही है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी है उसके लिए विज्ञापन निकाले गये है। उसके लिए व्यवस्था होगी। प्रक्रिया चल रही है, उसको भी हम पूरा करेंगे। इस तरीके से सरकार चाहती है कि हर स्तर पर क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो चाहे हमारी गांव पंचायतें हों क्षेत्र पंचायत की बात मा0 सदस्य ने कहा। क्षेत्र पंचायतों को कौन देखता है चुना हुआ व्यक्ति देखता है जिसको हम क्षेत्र पंचायत सुनते हैं वही चुनकर के हमें ब्लाक प्रमुख देता देता है। वही जनता से चुना हुआ होता है तो कहीं न कहीं अगर पार्दर्शिता लानी है तो इसमें सबको सहयोग करने की आवश्यकता है।

अगर सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे। तभी हमारी ग्राम पंचायतों में और क्षेत्र पंचायतों में पार्दर्शिता आ सकती है और सरकार इसके लिये हमेशा प्रयासरत है। और हम चाहते है कि किसी न किसी तरीके से पार्दर्शिता कानून में हो कि यह हमारे जिला पंचायत का काम है यह हमारे क्षेत्र पंचायत का काम है। और उसमें भी पार्दर्शिता हो, लेकिन इसमें सभी माननीय सदस्यों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं इस पर विचार करूंगा और जो सुझाव मानने लायक होगा उसको मानूंगा और हमारा आप लोगों से यह आग्रह है कि यह किसी एक का नहीं है। एक आदमी की व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने से नहीं बिगड़ सकती है। और जितनी व्यवस्थायें है उसको सुधारने के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है, आप जो-जो सुझाव देंगे उसको हम स्वीकार करने का काम करेंगे। और यह सरकार की मंशा है चाहे क्षेत्र-पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो वह सब ठीक तरीके से चले। और जो...और जो धरातल पर काम हो विकसित हो यह सरकार की मंशा है और इसके अनुरूप सरकार काम कर रही है इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह जानना चाहेंगे जो गांवों में जो ग्रामीण स्टेडियम बनने थे जो इस साल बजट में प्राविधान किया गया है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि अब गांवों में ग्रामीण स्टेडियम बनाने का कहीं काम बचा ही नहीं है। जिस तरह से लगातार आपके बजट कम हो रहे हैं 2012-13 में ग्रामीण स्टेडियम के लिये हमारे जो बजट में प्राविधान था 229 करोड़ 66 लाख का और युवा कल्याण विभाग खर्चा कितना किया बड़ा बड़ा शून्य जीरो जीरो। खर्चा है शून्य, 2013-14 में इसके लिये बजट का प्राविधान था 451 करोड़ 56 लाख और युवा कल्याण विभाग खर्च कितना किया 221 करोड़ 63 लाख और इस साल 2014-15 में जो बजट का प्राविधान रखा गया है मात्र 172 करोड़ 14 लाख रुपया तो बजट में जो धनराशि जिस तरह से कम हो रही है और लगातार 2012-13 से लगातार खर्च का अनुपात कम होता जा रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि गांवों में अब स्टेडियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है इसमें लोग रुचि नहीं ले रहे है जैसे हमारे एक साथी ने कहा आज इतनी आवश्यकता है इसके लिये, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये कि हमारे जो ग्रामीण खेलकूद हैं धीरे-धीरे उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। चूंकि इसके लिये माननीय मंत्री जी को गांव-गांव में जा करके चौपाल लगा करके इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अब इन चीजों को छोड़ देने की वजह से केवल एक तरफ हमारे गांव के नौजवानों का ध्यान हो गया है क्रिकेट। बाकी जो खेल युवा कल्याण से संचालित होने वाले हैं इसमें मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे यह खत्म होते जा रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी को इसमें जोर देने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। यह बहुत अच्छा विभाग है। इसमें अगर चाहेंगे तो मंत्री जी सीधे नौजवानों से जुड़ेंगे जा करके गांवों में एक तो जो बजट सामग्री हम लोगों को उपलब्ध हुई है यह दिन में 11.00 बजे मिली है। 11.00 बजे इसको हम लोग देखें हैं, यह 11.00 बजे मिल पाई है। वह भी कैसे-कैसे मिली है 4 किताबें है 4 जगह मिली है। एक-एक किताब खोज करके लेनी पड़ी। 2 रुपये 5 रुपये की आती है प्लास्टिक, उसमें ही डलवा दिये होते कुछ उसका बजट रख लिया होता। इसलिये मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी को इसमें काम करने की आवश्यकता है साथ ही हमारे पंचायत मंत्री जी ने कहा कि इस साल काफी धन आ रहा है बी0आर0जी0एफ0 का हम लोगों ने सब डिमाण्ड लिखकर भेज दिया है मैं फिर एक बार जोर देकर के कहूंगा कि देखिये, आज जरूरत है केवल हम सब बजट कम करके केवल अगर शौचालय के लिये बजट बढ़ाये क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी वह वेदना हम लोग नहीं भूल सकते हैं। गांवों में देहातों में शौचालयों बनवा दें इस पर माननीय मंत्री जी ने जोर भी दिया, हमारे जनपद का भी नाम लिया मैं तो यही कहूंगा कि पूरे प्रदेश के साथ माननीय मंत्री जी जब गाजीपुर की तरफ ध्यान देंगे। तो बलिया का ऑटोमैटिक हो जाना चाहिये। हालांकि यही कहते-कहते हम थक गये लेकिन आजमगढ़ के मंत्री जी आजमगढ़ से पूरब की ओर बढ़े ही नहीं लेकिन आप थोड़ा सा गाजीपुर से पूरब बढ़ियेगा जिससे बलिया भी सम्मिलित हो जाए। मान्यवर, इस तरह की तमाम दिक्कते है इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,64,40,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[4.36] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्यापक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, संक्षेप में कहियेगा क्योंकि अभी कई बजट पास होने है। जो किताबें होगी वह तो सभी पढ़ लिये होंगे यदि कुछ नया हो तो बता दीजियेगा।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,48,08,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल गागर में सागर भरने का काम करूंगा। मान्यवर, यह एक ऐसा विभाग है जो ज्ञान और विज्ञान दोनों से युक्त है, इस विभाग के बिना आज की दुनिया में प्रगति सम्भव नहीं है, विकास सम्भव नहीं है। इसलिये हमारे विभाग ने पूरी तरह से आधुनिकता से जोड़ते हुये अपने पूरे विभाग को चाहे वह डिग्री स्तर पर हो और चाहे डिप्लोमा स्तर पर हो, नई विधा के तहत् काम करने का प्रयास किया है। उसी के अन्तर्गत हमने दो नये विश्वविद्यालय, जो पहले दो थे महामाया गौतमबुद्ध इसको मिलाकर यू0पी0टी0यू0 किया जो कि आज आपके बीच है। आज जो प्रसिद्धि है यू0पी0टी0यू0 की है, उसी के नाम से बच्चे आकर्षित होते है उसी के नाम से प्लेसमेंट होता है। उसके तहत् आज की तारीख में यू0पी0टी0यू0 के अन्तर्गत हम कुल 647 संस्थान चला रहे हैं, जिसमें से 14 गवर्नमेंट स्वशासित एवं विश्वविद्यालय कालेज हमारे पास हैं जिनकी अपनी महत्ता देश में ही नहीं बल्कि विदेशी में भी है। एच0बी0टी0आई, कानपुर बहुत प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कालेज है, झांसी का है, मदन मोहन मालवीय, गोरखपुर का है, इलाहाबाद का आज हमारे बीच में नहीं है, लखनऊ का है, मान्यवर, इनकी सबकी स्पेशल ब्रान्चों की अपनी स्पेसिलिटीज हैं। इसलिये हमने तय किया कि झांसी

के भीतर हम उनकी अपनी जो विशेष विधा है उसको प्रोत्साहित करेंगे। मदन मोहन मालवीय जिसको हमने विश्वविद्यालय बना दिया आज की तारीख में, गोरखपुर के भीतर एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है उसके भीतर जो हमारा मैकेनिकल है उसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, एच0बी0टी0आई0 के भीतर जो हमारे केमिकल है उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे और जो लखनऊ का हमारा है उसके भीतर हम इलेक्ट्रानिक हब आई0टी0आई0 को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इसे एक नया सेन्टर बनाने की बात हो रही है और आपको सूचित करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि आज की तारीख में हमने देश के भीतर यू0पी0टी0यू0 पहला यूनिवर्सिटी है जिसने अपने सारे रिजल्ट घोषित कर दिये, ऑन-लाइन कर दिये और हमारा विश्वास है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम अपने सारे कालेजेज के भीतर अपने बच्चे दे देंगे। यह 12 साल में पहली बार होने जा रहा है इस सरकार के भीतर जहां हमारे इंजीनियरिंग कालेजेज को जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बच्चे उपलब्ध हो जायेंगे। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन्स खाली थे गवर्नमेण्ट कालेज के भीतर भी हमारी संख्या खाली थी प्राइवेट कालेजेज के भीतर भी खाली थी इसलिये हमने तय किया है कि जो भी प्राइवेट कालेजेज हैं हम उनको छूट देने नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट कालेजेज को मनमाने ढंग से फीस वसूल करने की बिल्कुल छूट नहीं है, हमने कड़ाई किया है कि और हम सब ऑन-लाइन करेंगे, सब इण्टरनेट पर यह डालें कि किसकी क्या फीस होगी। अभी तक दिक्कत यह हो रही थी कि प्राइवेट कालेज के भीतर ट्यूशन फीस तो कम कर देते थे पर जब बच्चा कोई कालेज आप्ट कर लेता था तो बाकी फीस ट्यूशन फीस से डेढ़-दो गुने से ढाई गुना ज्यादा फीस देनी पड़ती थी। हमने यह कर दिया है कि कालेज अपनी ट्यूशन फीस इनक्लूडिंग ऑल फीसेस जब तक इण्टरनेट पर शो नहीं करेगा और हमारी काउन्सलिंग सेण्टर को लिखकर नहीं देगा तब तक हम उस कालेज को किसी कीमत पर बच्चे नहीं देंगे। उसको भी अगर तोड़ता है तो हमने यह निश्चित किया है कि ऐसे कालेजेज जो मनमाना करेंगे उनको डी-एफीलियेट करने का काम करेंगे।

लूट करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा मान्यवर, हम आई0आई0आई0टी0 बनाना चाहते हैं हमने उसके लिये 50 बीघे जमीन चक गंजरिया फार्म लखनऊ के भीतर दिया है। इसको भारत सरकार के सहयोग से बना रहे हैं इसके लिये हमने पैसा भी एलाट कर दिया है और 8 करोड़ 26 लाख रुपये अवमुक्त कर दिया है, इसका कुल 144.16 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा। यह हमारा ट्रिपल आई0टी0 स्टैण्डर्ड का बनेगा। मैं आप सबको इस सदन के माध्यम से सूचित करना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो गवर्नमेण्ट के इंजीनियरिंग कालेज हैं, स्व-वित्त पोषित हैं इनको भी इनके अलग-अलग फील्ड के भीतर हम ट्रिपल आई0टी0 के स्तर पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हें। उनके मानक के आधार पर इनको खड़ा करना चाहते हैं। हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो टैलेंट है वह टैलेंट देश व विदेश से कम नहीं हे, बशर्ते हम उनको वह सारी चीजें प्रोवाइड कर दें जो टेलेंटेड बच्चे को इस प्रदेश और देश की इस शिक्षा के लिये आवश्यकता है। आज मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि गोरखपुर के भीतर मदन मोहन मालवीय हमारा इंजीनियरिंग कालेज था हमने उसको यूनिवर्सिटी बना दिया, वाइस चांसलर वहां पर नियुक्त हो गये, नियुक्ति की विज्ञप्तियां निकल गयी है। हम उनकी काउंसलिंग भी पूरी कर चुके हैं, आज बताना चाह रहे हैं, बहुत शीघ्र वहां क्लासेज चलाने जा रहे हें। यह बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास एक महामाया विश्वविद्यालय हुआ करता था किसी जमाने के भीतर नोएडा में था बहुत अच्छी बिल्डिंग

है, बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है हम लोगों ने तय किया है कि उसको हम एक नये प्रकार की डिजाइनिंग सेन्टर बनायेंगे, एक नया इन्वेंशन करके इनोवेटिंग डिजाइनिंग सेन्टर बनायेंगे। दुनिया भर के लोगों को बुलायेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे अपने इंजीनियरिंग कालेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो नई-नई डिजाइन को इनोवेट करेंगे और उसको करके हम अपने आपको हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के भीतर स्थापित करने का काम करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सूचित करना चाहता हूं कि बहुत सारी विदेशी संस्थायें हैं जो यू0पी0टी0यू0 के सम्पर्क में हैं वह चाहते हैं कि नोएडा के भीतर आप इस बात को करें और हम उस बात को करने जा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया काम होगा उच्च शिक्षा के भीतर मान्यवर, यू0पी0टी0यू0 किस दशा में था, और आज हम उसको नये ढंग से खड़ा कर रहे हैं और हमने तय किया है कि हम उसको सिर्फ एक्जॉमिनेशन यूनिवर्सिटी नहीं बनायेंगे उसको रिसर्च सेन्टर बनायेंगे वहां एम0टेक0 के साथ-साथ रिसर्च की कक्षायें चलायेंगे रिसर्च वर्क होगा उस विश्वविद्यालय को हम इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं कि इस टेक्नालॉजी के भीतर हमारा विश्वविद्यालय एक अच्छा एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बनकर हिन्दुस्तान और दुनिया के भीतर आये। हम सब डिग्री स्तर पर ही नहीं हम डिप्लोमा स्तर पर भी सुधार करना चाहते हैं। डिप्लोमा स्तर के भीतर अभी एक्जामिनेशन हमने कंडक्ट कराये इन्ट्रेंस एक्जामिनेशन हमने कंडक्ट कराये उसमें कल की तारीख तक 44 हजार बच्चे लाक्ड हो गये पिछली स्थिति यह होती थी कि बहुत सी सीटें खाली होती थीं। अबकी हमने उसको भरने की व्यवस्था की जो कट आफ डेट थी उसको हमने बढ़ाया है एक बड़ी समस्या थी कि राजकीय पालीटेक्निक कालेज के भीतर बच्चों को प्रवेश के लिये कट आफ मार्क की दिक्कत हुआ करती थी। हमारी सरकार ने तय कर लिया था कि 50 प्रतिशत से नीचे जो बच्चे हैं उनको एडमीशन हम नहीं देंगे। कोर्ट ने फैसला किया कि जो 35 प्रतिशत बच्चा पाता है उसका एडमीशन करो। हमने फैसला कर लिया कि ए0आई0सी0टी0 के नार्म से और जो कोर्ट का फैसला है हम उसके अनुसार 35 प्रतिशत तक नम्बर पाये हुये बच्चों को प्रवेश देंगे। क्योंकि बच्चा ट्रेंड होगा हमारी सरकार का प्रयास है कि अब हमारे पालीटेक्निक कालेज चाहे वह गवर्नमेण्ट के हों या प्राइवेट हों वहां बच्चे पूरी तरह उपलब्ध होंगे। स्किल डेवलपमेंट आज की आवश्यकता है देश के लिये विदेश के लिये भी आज हमें ट्रेंड लोगों को आवश्यकता है। हमने बड़ी भारी संख्या में अपने इंजीनियरिंग कालेजेज के भीतर, पालीटेक्निक कालेजेज के भीतर और प्राइवेट सेक्टर में जो इंजीनियरिंग कालेज काम कर रहे हैं उनके भीतर स्किल डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिससे हाईस्कूल फेल भी बच्चे आठवां पास बच्चे बड़ी संख्या में ट्रेंड होकर इम्पलाईमेंट जनरेट करेंगे हम नई इम्प्लाईमेंट जनरेशन की पद्धति एडाप्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब बाद में कह लीजिये।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

अध्यक्ष जी हम इस विधा को और दूर तक ले चलना चाहते हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसको आप स्वीकार कर लें और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं तो आश्वस्त था कि इस विभाग का बजट आज प्रस्तुत नहीं हो पायेगा। कल भी इस पर चर्चा हुई थी आज भी आपके निर्देश पर पिछले दो घंटे पहले पुस्तिका मिली बड़ी स्वस्थ है इसमें 188 पृष्ठ है। मुझे लगा कि कठिन काम है दो घंटे में इसको पढ़कर इसकी कमियां निकालना लेकिन इसमें इतनी कमियां हैं कि बहुत कम समय में ही इसको पढ़कर बहुत सारी कमियां समझ में आ गई। पिछले वर्ष भी इस विभाग की कटौती का प्रस्ताव रखने का अवसर मिला था जैसा कि आपने अभी माना और कहा भी कि पिछले वर्ष और इस वर्ष की पुस्तिका में कोई अन्तर नहीं है 80 प्रतिशत इसमें संख्यात्मक आंकड़े हैं। यह कहें कि आंकड़ों की बाजीगरी है और पुराने बजट की पुनरावृत्ति है तो अतिश्योक्ति नहीं होगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी मान रहे थे कि हमारा देश नौजवानों का देश है और प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों का ताल्लुक इस प्राविधिक शिक्षा से है बड़ा दुख हो रहा है यह कहने में कि पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में इस शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। और यू0 कहें कि यह एकदम बदहाली की शक्ल अख्तियार कर चुकी है मान्यवर। मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर पिछले दो-तीन सालों से दर्जनों संस्थान बन्द हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का छात्र उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज में नहीं पढ़ना चाहते। कुछ एन0सी0आर0 के कालेज को छोड़ दें नोएडा, गाजियाबाद तो जो आज इधर प्रदेश के जो कालेज हैं, आज उत्तर प्रदेश के छात्र की पसन्द नहीं है। यह दक्षिण भारत के इंजीनियरिंग कालेज से इंजीनियरिंग करना अपनी प्राथमिकता समझता हूं और ऐसा कर भी रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है कि इस प्राविधिक विश्वविद्यालय की कि जितनी सीट हम तय कर रहे हैं, जितनी सीट हम बता रहे हैं उतने छात्र फार्म भी एप्लाई नहीं कर रहे हैं कि हम वहां जाकर एडमीशन ले लें। इससे बड़ी दुर्भायपूर्ण स्थिति मान्यवर, प्राविधिक विश्वविद्यालय की और नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं आंकड़ों की बात कर दूं बहुत कम समय में जैसा कि आपका निर्देश है, यह पृष्ठ सं0-7 पर मान्यवर, पिछले 3 साल के परीक्षा परिणामों का इन्होंने विश्लेषण किया है जो वर्ष 2011 में 92 प्रतिशत था जो घटकर 2012 में 78 फीसदी रह गया और वर्ष 2013 में आज 70 फीसदी पर आ गया।

मान्यवर, कहां से गुणवत्ता घटी है क्यों छात्रों के फेल होने की संख्या इस विश्व विद्यालय में बढ़ रही है। इस पर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। एक चीज मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मान्यवर, जो पिछले साल भी मैंने कहा था यह पृष्ठ-2 पर है। विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चल रहा है मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर और उसमें पांच सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज हैं, एक शासकीय सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय संस्था है और तीन निजी क्षेत्र के मान्यवर, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष इन तीन इंजीनियरिंग कालेजेज को, जो प्रदेश के नामी गिरामी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, इन्हीं पर करोड़ों रुपये मान्यवर, प्राविधिक विश्वविद्यालय के द्वारा लुटाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कारण कि इन्हीं तीन कालेजेज का ही चयन क्यों किया गया है ? प्रत्येक वर्ष 5-5 करोड़ रुपया इन्हीं को क्यों दिया जा रहा है। बहुत सारी संस्थायें हैं जो धन के अभाव में बन्द हो रही हैं, जिनके पास अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं। नहीं कर पा रहे क्योंकि छात्र नहीं मिल रहे हैं। फीस देने वाले बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मान्यवर, देना है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को दें, या उन जनपदों के विद्यालयों को दें। बुन्देलखण्ड के, पूर्वांचल के इंजीनियरिंग कालेज को दें। जरूरी है मान्यवर, पिछले 3 सालों से इन स्थापित कालेजों को धन देने का काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नाम नहीं बताया उन कालेज का।

श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, नाम बताये दे रहा हूं। एक है इन्टीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, दूसरा है राममूर्ति स्मारक कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी तीसरा एक इलाहाबाद का युनाइटेड कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी है इसमें दो तो शायद यूनीवर्सिटी भी बन चुकी है मान्यवर, लेकिन इन पर विशेष कृपा की जा रही है यह समझ से परे है। मान्यवर, अब आना चाहेंगे पेज 58 पर। इन्होंने लिखा है मान्यवर, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुविधायें की बात इन्होंने की है। इसके माध्यम से इन्होंने एक आरक्षण की एक बात कही है मान्यवर, कि इन वर्ग के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग, युवा कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। मान्यवर, बहुत ही इम्पार्टेंट चीज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहेंगे तो इन विभाग के द्वारा एक तरह शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और यह प्राविधिक विश्वविद्यालय मेरे ख्याल से यह देश का एकलौता ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो अपनी परीक्षा शुल्क स्वयं वसूलते हैं, इस वर्ग के लोगों को एक रुपये की भी छूट नहीं प्रदान करते। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव दूंगा माननीय मंत्री जी को कि इस पर ध्यान देंगे और अमल करने का काम करेंगे। मान्यवर, एक बहुत ही हास्यास्पद तथ्य जो इस पुस्तिका में छपा है आप भी सुनकर आश्चर्यचकित होंगे स्वंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी के छात्रों को 25 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए पुस्तकीय सहायता प्रदान की जायेगी। मान्यवर, 25 रुपये प्रतिमाह, बेसिक शिक्षा माननीय मंत्री जी बैठे हैं, प्राइमरी में भी इतनी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती होगी इससे कई गुना ज्यादा होगी। 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग के छात्र को दे रहे हैं, मान्यवर, यह मजाक है। और यह छपा हुआ है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है इसको देखकर। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उस पर गौर करेंगे और एक और महत्वपूर्ण सुझाव मा0 मंत्री जी को देना चाहेंगे। आज से दो-तीन वर्ष पूर्व यह बात आयी थी कि सांध्यकालीन कक्षाएं भी संचालित की जायेंगी। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही सकारात्मक सुझाव है, इसको आप गंभीरता से लें और इसको संचालित करने का काम करें। इससे फायदा होगा जो छात्र वंचित रह जाते हैं, उनको भी पढ़ाई करने का मौका मिल जायेगा। दिन में न सही, सांध्यकालीन कक्षाओं के माध्यम से

उनको एडमिशन मिल जायेगा। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्राविधिक शिक्षा के बजट पर श्री दीपक पटेल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष जी, वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो युग है, वह टेक्निकल युग है। आज के समय में रोज नये-नये अविष्कार हो रहे हैं और बड़ी प्रतिस्पर्धा का युग है। कोई भी देश और प्रदेश की सम्पन्नता, वह कितना टेक्निकली एडवांस है, इस बात पर मापी जाती है। आज हर देश और हर प्रदेश टेक्निकल के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ता है, वहीं उसकी सम्पन्नता की निशानी होती है। मा0 अध्यक्ष जी, आज हम देख रहे हैं, अभी जो कल बजट पर चर्चा हो रही थी तो हमारे प्रदेश के बजट का 5.2 प्रतिशत जीडीपी बताते हुए मा0 मंत्री जी बड़ा सीना चौड़ा कर रहे थे। मान्यवर, हम अपने देश में ही देखें, विदेशों को न देखें, दूसरे प्रदेश जो टेक्निकली ज्यादा एडवांस हैं, उनका जीडीपी 10 प्रतिशत तक है। अध्यक्ष जी, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है लेकिन तमाम ऐसी चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने देखा है, जैसा मा0 मंत्री जी बता रहे थे कि स्किल्ड लेबर तैयार करने के लिए प्राविधिक शिक्षा जरूरी है, चाहे वह डिप्लोमा स्तर पर हो, चाहे डिग्री स्तर पर हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर हो। हम लोगों के सामने आज की तारीख में पूरे विश्व में चीन एक ऐसे देश के रूप में उभरा है कि जिसने अपने स्किल्ड लेबर के दम पर पूरी दुनियां के बाजारों में कब्जा करने विशेष रूप से भारत की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश की पूजा जो हम लोग करते हैं, वह भी चाइना की बनी हुई मूर्तियों की करते हैं। जो हमारी पुरानी सभ्यता है, वह पीछे छूट गयी है। चीन आज सभी छोटी-छोटी चीजों तक में अपने स्किल्ड लेबर के बल पर पूरी दुनिया में छा गया है, चाहे लाइटिंग की कोई चीज हो या अन्य कोई सामान हो, तमाम ऐसी छोटी-छोटी चीजें बनाकर आज उसने हमारे गृह उद्योग को बर्बाद कर दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने देश के अन्दर स्किल्ड लेबर पैदा नहीं कर पाये। लेकिन इसके लिए न हमें चीन की जरूरत है, न हमें फ्रांस की जरूरत है, न अमेरिका की जरूरत है, हम अपने ही देश के कुछ प्रदेशों से जो टेक्निकली आगे हैं, अध्यक्ष जी, अपने ही देश में जो गुजरात प्रदेश है, उसकी जीडीपी की दर 10 परसेंट से ज्यादा है। उन्होंने स्किल्ड लेबर तैयार करने के लिए और स्किल्ड नौजवान तैयार करने के लिए अपने यहां एक योजना बनायी, मान्यवर हमारे यहां गुजरात के अन्दर जो हुआ, सविता समाज का, नाई का जिसका काम बाल काटने का है, जो कुल्हड़ बनाने का कुम्हार लोग काम करते हैं, लकड़ी का काम जो बढ़ई लोग करते हैं, उनको उसमें लिया और राजमिस्त्री जो मकानों को बनाने का काम करते हैं, ऐसे 20-20 हजार नौजवानों को वहां की सरकार ने चयन किया और उन 20-20 हजार नौजवानों को स्किल्ड संस्थानों में भेजकर उनको टेक्निकल एजूकेशन देने का काम किया। अध्यक्ष जी, आज वह जमाना चला गया, जब रोड के किनारे बोरा बिछा कर दाढ़ी बनाने का काम किया करते थे। आज पार्लर खुल गये हैं आज उनको मसाज और स्पा देने की नई-नई टेक्निकें आ गयी हैं। उसको गुजरात सरकार ने डेवलप किया है। इसी प्रकार से कुम्हारों को मिट्टी के बर्तनों की जगह काकरी उद्योग को डेवलप किया। उसी तरह से बढ़ई सिर्फ तखत और

चारपाई न बनायें बल्कि वह आफिस की शेल्फ और आधुनिक फर्नीचर बना सकें इसकें लिए भी उन्हें ट्रेनिंग दी गयी। और उसके लिए गुजरात सरकार ने स्किल ट्रेण्ड नौजवान को 60 हजार ब्याज मुक्त लोन दिया। और उससे उन्होंने छोटे-छोटे अपने देहातों और कस्बों में अपना व्यापार जमाया। चूंकि वह लोग ट्रेण्ड थे इससे जनता को भी उनका काम पसंद आया। और उनको काम मिला। इस प्रकार वहां पर हर साल 2 लाख लोगों को वह ट्रेण्ड करने का काम करते हैं। अभी हमारे मा0 मंत्री जी कह रहे थे, श्री दीपक पटेल जी कह रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कालेज चलाये हैं और केन्द्र सरकार उनको सब्सिडी भी दे रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पर बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है। इन सबको हम अगर उन संस्थानों के माध्यम से ट्रेण्ड करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वह टेक्निकली ट्रेण्ड होंगे। और उनके लिए यह अच्छा प्रयास होगा। मा0 मंत्री जी ने बहुत लम्बी चौड़ी सूची दी है कि 425 पालिटेक्निक हैं 301 इंजीनियरिंग कालेज हैं। जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे कि इनमें सांध्यकालिक कक्षायें चला दी जायें तो मेरा कहना है कि उसका उपयोग इंजीनियरिंग के लिए तो ठीक नहीं है क्योंकि उनके उतने ही एडमीशन नहीं हो पा रहे हैं जितनी सीटे हैं, लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए सांध्यकालीन कक्षायें चला दी जायें तो निश्चित रूप से यह प्रभावी होगा। और नौजवानों की एक ऐसी फौज तैयार होगी जो प्रदेश को निश्चित रूप से एक नई दिशा दे सकेगा।

मान्यवर, कानपुर टेक्निकल सिटी है। यहां आई0आई0टी0, एच0बी0टी0आई0 है, यहां टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है यहां सी0एस0ए0 है। यद्यपि सारे संस्थान हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक श्री निगम जी के क्षेत्र में है इनको यह बात कहनी चाहिए लेकिन यह कह नहीं पा रहे हैं। क्या करें बेचारे सत्तारूढ़ दल के हैं इनके ऊपर कुछ पाबंदी है। यह नहीं कह सकते हैं। कानपुर के आस पास दो दर्जन से अधिक इंजीनियरिंग कालेज हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी कानपुर को टेक्निकल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार के बजट में कोई योजना नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कानपुर में अपार संभावनायें हैं। मान्यवर, कानपुर एयरमैप पर नहीं है। अगर केन्द्र सरकार से वार्ता करके कानपुर एयरमैप में आ जाये तो कानपुर की टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ावा मिल सकता है। वहां पर लोग कैम्पस सेलेक्शन के लिए सीधे आ सकते हैं। जो भी सफल कालेज हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन कालेजों में मल्टीनेशनल कम्पनियां कैम्पस इंटरव्यू के लिये आते हैं। आज की तारीख में सिर्फ एजूकेशन देना इंस्टीट्यूट का काम नहीं रह गया है। आजकल इंस्टीट्यूट को पढ़ाई के साथ-साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम करना पड़ता है। अपने कैम्पस में बड़े-बड़े रोजगार मेले आयोजित करने पड़ते हैं। जब हम इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से टेक्निकल एजूकेशन का जो हमारा क्षेत्र है वह आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि कानपुर को टेक्निकल सिटी के रूप में डेवलप किया जाये जिससे पूरे प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, जैसा हमारे दीपक पटेल जी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति और शुल्क की प्रतिपूर्ति होती है उसमें कहीं न कहीं टेक्निकली कुछ फाल्ट है। 6-6 महीने एक-एक साल तक लोगों की शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है। जिससे कालेज वाले छात्रों को रोक देते हैं वह एग्जाम नहीं दे पाते हैं और उनका एक-एक सेमेस्टर खराब हो जाता है। कुछ इसका सिस्टम इस तरह से कर दिया जाय मा0 मंत्री जी की चाहे तो उस शुल्क की प्रतिपूर्ति सीधे

उस इंस्टीट्यूट को कर दी जाय, इसमें छात्र को इन्वाल्व न किया जाय, क्योंकि वह छात्र अपना कालेज छोड़ कर समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाता है, ठीक है नेट पर आजकल नाम आने लगे हैं शुल्क प्रतिपूर्ति के लेकिन उसमें देरी हो जाती है। मा0 अध्यक्ष जी एक बात और है कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि तमाम और इंस्टीट्यूट हैं जैसे बी0सी0ए0 है, बी0 फार्मा0 है, यह भी सब टेक्निकल एजूकेशन में आते हैं इन एजूकेशन के डिप्लोमा को डिग्री को सिर्फ डिग्री तक सीमित न रखा जाय, इनको रोजगारपरक बनाया जाय, जैसे बी0फार्मा होल्डर को यह कर दिया जाय कि जो केमिस्ट की दुकान खोली जायेगी, वह बी0फार्मा0 होल्डर खोलेगा, अभी उसके सर्टिफिकेट से काम चल जाता है और लोग दुकान खोल लेते हैं, अगर केमिस्ट की दुकान खोलने के लिये बी0फार्मा0 की डिग्री कर दी जाय तो लड़का बी0फार्मा0 कर के निकले जो नौजवान निकले उसको एक रोजगार की गारण्टी रहेगी कि वह केमिस्ट की दुकान खोल सकता है। जो बी0सी0ए0 और एम0सी0ए0 कर के लड़के निकलते हैं उनके लिये शासन की जो सर्विस नियमावली होती है, उसमें यह जोड़ दिया जाय कि जब भी इण्टरव्यू होंगे, कम्प्यूटर आपरेटर अगर रखा जायेगा तो बी0सी0ए0 और एम0सी0ए0 को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी तरह से जो सुपरवाइजर और उसके ऊपर की जो पोस्टें होती है, उस पर हम बी0बी0ए0 और एम0बी0ए0 को प्राथमिकता देने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो पढ़ लिखकर बेरोजगार नौजवान घूमता है उसकी बेरोजगारी कम होगी और जैसाकि मा0 मंत्री जी ने कहा कि नोएडा के अन्दर एक नया इनोवेटिव इंस्टीट्यूट बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि यह सुविधा सिर्फ नोएडा को ही क्यों प्राप्त हो कुछ ऐसा वातावरण प्रदेश के अन्दर बनाइये कि उत्तर प्रदेश में कम से कम चार ऐसे बड़े स्थान हो सकें कि जहां पर इस तरह के इंस्टीट्यूट खुलें, जहां विदेशों से लोग आयें, जहां रिसर्च हो सके और हमारा प्रदेश भी टेक्निकली एजूकेशन में एडवांस प्रदेश के रूप में कहा जाय। मैं बहुत आभारी हूं मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप कुछ कहेंगे या हम बजट पास करायें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, आप बजट पास करा दें।

श्री अध्यक्ष-

दीपक पटेल जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री दीपक पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बहुत सक्षम मंत्री हैं, यह पहले भी साइंस टेक्नालॉजी के मंत्री रहे हैं और बहुत ही सकारात्मक चीजें हमने कही थी। प्राविधिक विश्वविद्यालय में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वह सामान्य हों, चाहे वह पिछड़े हों, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति के हों उनकी फीस में भी जैसे आप रिबेट कर रहे हैं, हर संस्थानों में है कि जो फीस सबसे एक समान है हमने इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। मान्यवर, आपके माध्यम से और सांध्यकालीन कक्षाओं की बात की थी तो हमें पूरा विश्वास है कि इस पर आप विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बताने जा रहे हैं।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, जो कटौती प्रस्ताव रखा दीपक जी ने उसमें आपने कुछ सुझाव दिये हैं, सायंकालीन कक्षाएं चलाने की जो बात आपने कही है वह आप अपनी बात से ही कन्ट्राडिक्ट्री कर रहे हैं उसको एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, दूसरी तरफ सांध्यकालीन कक्षाएं चलाने की बात कर रहे हैं, हमने यह फैसला किया है कि संध्याकालीन जो विद्यालय, पालीटेक्निक चल रहे हैं, उनको डे-काल कर दिया जाय, सारी संस्थाओं की भीतर बच्चे भर जाएं जो आज की तारीख में भरने की स्थिति में हैं, इसलिये संध्याकालीन कक्षाओं की कोई उपयोगिता नहीं दिखाई पड़ती और एक बात मैं और आपको बता दूं, अभी जो आप कह रहे थे कि आपके विद्यालयों की सीटें नहीं भर पा रही हैं, निश्चित है नहीं भर पा रही थी, उसके दो बड़े कारण थे, एक कारण यह हुआ करता था कि जब हम काउन्सिलिंग किया करते थे पहले वह काउन्सिलिंग तब किया करते थे जब अन्य प्रदेशों की काउन्सिलिंग हो जाया करती थी, तो बच्चा जहां पहले पायेगा वहां पहले चला जायेगा। अबकी बार हमने यह किया है आप पूरे हिन्दुस्तान में पता लगा लो कि अबकी बार काउन्सिलिंग सबसे पहले हम कर रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान में और यह काम करके दो चीजें इस प्रदेश के लिये हमारी सरकार ने की है हमने ब्रेन ड्रेन भी रोका, हमने मनी ड्रेन रोका। हमारी मनी जो बाहर चली जाया करती थी, उसको भी रोक लिया और आपको बताऊं आज की तारीख में हमारी काउन्सिलिंग के भीतर 01 लाख 60 हजार बच्चों ने अपने आपको काउन्सिलिंग के भीतर रजिस्टर करा दिया। हमारे पास सब मिलाकर के 02 लाख सीटें हैं और जिसमें भी हमारे पास उस सीटों के भीतर एम0बी0ए0 भी है, बी0फार्मा0 भी, बी0सी0ए0 सारी सीटें हैं। अब हम इस बात पर भी पहुंच रहे हैं हो सकता है कि हम आपको सूचित करें थोड़े दिन में कि अब सारी सीटें हमारी फुल हो गयी हैं और हमारे सीटें आज की तारीख में खाली नहीं है। उस स्थिति में हम पहुंच गये प्री-काउन्सिलिंग करा करके, पहले काउन्सिलिंग करा करके ब्रेन ड्रेन भी रोका, मनी ड्रेन भी रोका। यह बड़ा काम हम लोगों ने किया, इसके लिये आपको हमें धन्यवाद देना चाहिये, बधाई देनी चाहिये। इसके अलावा आपने जो एक सुझाव दिया है। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे। अभी तो हमने शुरूआत की है नोएडा के भीतर वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद हैं और आप सब लोग महसूस करते हैं इस बात को कि जो बाहर के लोग आते हैं, वे प्रिफर करते हैं दिल्ली के नजदीक। वह हमारे पास मौजूद हैं इसलिये हम वहां उसकी काउन्सिलिंग करते हैं और हमने इसको 4 सेक्टर में बांटने का काम किया है आने वाले दिनों में। पूर्वांचल में अलग करेंगे मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय हमने बना लिया, वहां भी उस काम को करेंगे। पूर्वांचल की तरफ। लखनऊ सेक्टर बनाकर करेंगे।

(एक सदस्य द्वारा कानपुर का नाम लिये जाने पर)

वह भी विचार करने के लिये हम तैयार हैं क्योंकि एच0बी0टी0आई0 का अपना बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि उसकी है और उसको इण्टरनेशनल स्तर पर फिर ले जाना चाहते हैं। उसकी जो पुरानी गरिमा थी उसको फिर वापस लाना चाहते हैं। लेदर सेण्टर आपका बहुत अच्छा था उसको फिर वापस लाना चाहते हैं। आपकी जो अम्बेडकर विकलांग कालेज है उसको हम फिर से ठीक

करना चाहते हैं। आप सबका हमको पूरा सहयोग चाहिये। आपको सूचित करूं हमारी टेक्सटाइल के भीतर 100 परसेन्ट प्लेसमेन्ट है। हमारे इलाहाबाद के भीतर जो पालीटेक्निक कालेज है उसके भीतर 100 परसेण्ट है। हम इधर कुछ दो सालों के भीतर अपने कालेजेज का एकेडमिक वातावरण अच्छा किये हैं इसलिये आज की तारीख में हमारे पास बहुत ऐसे कालेज हैं जहां 100 परसेन्ट प्लेसमेन्ट है। हमारे इलाहाबाद के भीतर जो हम एम0बी0ए0 चलाया करते थे जिसको इन लोगों ने बन्द करा दिया था, पिछली सरकार ने। वहां से ऐसे बच्चे प्लेस हुये जिनका 85 लाख रुपये में प्लेसमेन्ट हुआ। हमने उसे फिर से शुरू कराया है जो इन लोगों ने बन्द कर दिया था, कितने कारणों से बन्द कर दिया था, पता नहीं क्यों बन्द कर दिया था। हमने फिर से शुरू कराया है और प्लेसमेण्ट हो रहे हैं वहां से। इसलिये मैं सदन को आश्वस्त करना चाह रहा हूं, आपने जो कहा उन सुझावों को हम स्वीकार करते हुये जो उचित सुझाव होंगे उसको जरूर करेंगे और दिलाता हूं कि आने वाले दिनों के भीतर हमारा जो टेक्निकल एजूकेशन वह अपने आप में पूरी तरह सक्षम और देश को गाइड करने वाला एजूकेशन सिस्टम देंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास कराया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,08,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[5.13] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, मद सं0-17 में 17(3) और 17(4) दोनों उद्योग विभाग से सम्बन्धित हैं। मा0 मंत्री जी, इसको एक साथ दोनों रख दीजिये। एक साथ दोनों का कटमोशन हो जायेगा।

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,25,21,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुंमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 98,08,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका ध्यान करना चाहूंगा कि तमाम इतने इम्पार्टेण्ट विभाग हैं और किसी विभाग के अधिकारी गैलरी में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, मा0 सदस्य गैलरी की तरफ नहीं देखा जाता।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भैय्या'')-

जिस विभाग का बजट है, उसके अधिकारी तो बैठे हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती का प्रस्ताव रखे मा0 सदस्य।

श्री प्रदीप माथुर-

वे वहां नहीं हैं, आप सपोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

पेज नंबर-4 पर है, अनुदान संख्या-07, अनुदान संख्या-08 है, कटौती प्रस्तुत करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, इस बार मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत ज्यादा था और उसमें अवस्थापना के मद पर और उद्योग के मामले में उन्होंने बजट को बहुत बढ़ावा दिया और जहां तक प्रश्न है सोच का और विजन का उस की मैं दाद देता हूं और बधाई देता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपनी नई सोच क्योंकि बेसिकली वह इंजीनियर है और वह चाहते है कि प्रदेश आगे बढ़े, अवस्थापना की सुविधाएं हो, अच्छी सड़कें हो, पुल हो नये इनवेस्टमेण्ट आये। उन्होंने आगरा सम्मिट करायी उन्होंने अभी दिल्ली में अभी इनवेस्टमेण्ट सम्मिट करायी, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और वाकई में इससे माहौल बनेगा और एक ऐसा एटमॉसफियर बनेगा कि प्रदेश में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग आएं। इसके अतिरिक्त जो भी विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे है इसका भी हम स्वागत करते है।

श्री अध्यक्ष-

फिर कटौती की क्या जरूरत है ?

श्री प्रदीप माथुर-

कटौती पर ही आ रहे है मैं बोल रहा हूं। उसकी बात तो बोलूंगा पानी पिलाऊंगा चिन्ता मत करिए अध्यक्ष जी। इसी तरह से आपने फोरलेन को जनपद मुख्यालयों से जोड़ने की बात कही। दिल्ली से आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे इन लोगों ने बनवाया, उसे देखकर आप लोगों को सोच में आया कि क्या किया जाये। आपने आगरा को लखनऊ से जोड़ने की व्यवस्था की बात करी। इसी तरह केन्द्र सरकार यू0पी0ए0 गवर्नमेण्ट में दिल्ली मुंबई इंड्रीस्ट्रियल कोरीडोर व ईर्स्टन डेडीकेटेड कोरीडोर प्रदेश में से पास हो रहे है।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में बोलने पर)

आप क्यों बोल रहे हैं अरे क्या हो गया बीच में क्यों बोल रहे हैं, बोलने दीजिए न। मान्यवर, इसी तरह कुशीनगर हवाई अड्डे की बात हुई, आगरा में एयरपोर्ट बनाने की बात हुई, गैस पाइप लाइन पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है। कैपिटल पॉवर जनरेशन की बात हो रही है। मान्यवर, 24 घण्टे बिजली देने की बात हो रही है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए लैण्डबैक की बात हो रही है। मान्यवर, बातें बहुत हो रही है, इसका हम स्वागत करते है, बजट में भी प्राविधान किया जा रहा है, पर जब आप वास्तविक स्थिति देखेंगे तो आप खुद चौकेंगे। आप देखिए यदि व्यवस्थाओं को देखें तो नोयडा, ग्रेटर नोयडा और यमुना एक्प्रेस अपवे के अलावा कोई भी ऐसा इन्ड्रस्टियल एरिया उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो ढंग से चल रहा हो। कोई भी नहीं है इन 403 एम0एल0ए0 से पूछ लीजिए कि उनके इलाके का कोई भी औद्योगिक क्षेत्र ठीक से चल रहा है कि नहीं। महाना साहब से पूछ लीजिए। मंत्री जी से पूछ लीजिए, जो भी सम्मानीय मंत्रियों से पूछ लीजिए। सारी इकाईयां रूग्ण पड़ी हुयी है। वॉन टाइम स्टेलमेंट नहीं हो रहे हैं। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 सफेद हाथी साबित हो रहा है। यू0पी0एफ0सी0 का हाल बुरा है वहां जगलरी की जाती है, नोगोशियेसन किये जाते है कि आपका वॉन टॉइम स्टेलमेंट कैसा हो। पिकप की बात कर लीजिए वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। प्राइम जो डिपार्टमेण्ट हुआ करते हैं, उद्योग बंधु के नाम पर जिला स्तर पर उद्योग बंधु की बैठकें होती है। आप मानिये कि एक भी बात उसकी मिनट का अनुपालन किया जाता है। लोग चीखते रहते है, चिल्लाते रहते हैं। डी0एम0 लॉलीपॉप देते रहते है उद्यमियों को, प्रदेश स्तर पर जब वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाते वह इण्टरपेनर सिसकते रहते हैं।

मान्यवर, इण्डस्ट्रीज की हालत यह है कि उद्यमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है उन पर इतना लोन चढ़ चुका है कि वह उसको चुका नहीं सकते है। मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर थे मैंने कहा था कि आप इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दो पालिसी बनाये। एक पालिसी बनायें नयी इण्डस्ट्रीज को इन्वाइट करने के लिए और दूसरी बने जो हमारी सिक यूनिट्स हैं उनको कैसे हम पुनर्जीवित करा सकते हैं। मान्यवर, सिक इण्डस्ट्रियल्स के सरवाइवल के लिए जरूरी है कि

उनको पुनर्जीवित कराया जाये। मान्यवर, इसी तरह से आप लीडा को देखिये, यूपीडा को देखिये, सीडा को देखिये और यूपीएसआईडीसी को देखिये, यू0पी0 स्टेट स्पीनिंग मिल्स लि0 को देखिये, यू0पी0 स्टेट यार्न कम्पनी को देखिये सबका पुरसाहाल है। आपको पुनर्गठन करना पड़ेगा इन सब इंस्टीट्यूटस के लिए। मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में सरकार को सजग होना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि नोयडा, ग्रेटर नोयडा अथारिटी में रूल्स एण्ड रेगुलेंशन्स नहीं बने है, उनके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से बड़े-बड़े बजट पास हो जाते है।

आपने पिछली बार एक कमेटी का चेयरमैन बनाया था। मैंने उस कमेटी की मीटिंग्स में कई बार नोयडा, ग्रेटर नोयडा अथारिटी के अधिकारियों को आदेश दिये थे कि आप इनके रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनवाईये उनके परिव्यू में काम करें वह नहीं बने खुली आजादी है अरबों रुपये के बजट यूं ही पास हो जाते हैं। नोयडा, ग्रेटर नोयडा अथारिटी और यमुना एक्सप्रेस-वे यह इण्डस्ट्रियल हब नहीं है यह हाउसिंग हब्स हो गये है हाउसिंग है आप प्लाट ले लीजिये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक है इन्फोसिस जैसी कम्पनी आपके यहां आयी हमारी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है इंफोसिस को यहां लाने में। स्थिति यह है कि हमारे यहां गैस बेस्ड इण्डस्ट्रियल एरिया है केन्द्र सरकार ने यूपी में प्रदेश को गैस दी मैं मथुरा की बात करूंगा दो साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएसआईडीसी वहां पर गैस बेस्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनाये और यूपीएसआईडीसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसी तरह से मैं मुख्य मंत्री का इस मामले में स्वागत करूंगा कि उन्होंने अमूल को इन्वाइट किया उन्होंने और बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल हाउसेस को इन्वाइट किया। मान्यवर, एम0ओ0यू0 साईन होने से काम चलने वाला नहीं है जैसे पिछली बार इनकी सरकार ने नौ एमओयू साइन किये पर सब टांय-टांय फिस निकले उनका अनुपालन कितना हो पाता है यह देखने की बात है। सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती है जिला उद्योग केन्द्रों की कार्य प्रणाली को देखिये कि किस तरह से इण्टरप्रिन्यूरस को फुटबाल बनाकर इधर से उधर फेंका जाता है। स्थिति यह है कि यदि आपको जिला उद्योग केन्द्र ने लाइसेंस दे दिया तो बिजली के लिये भटकेगा और बिजली ने दे दिया तो बैंक उसे तंग करेगा। फिर उसके बाद जब वह इंडस्ट्रियल एरिया में जायेगा तो देखेगा कि सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में पानी भरा हुआ है और उनकी निकासी नहीं हो रही है। पिछली बार जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो आपने एसईजेड के लिए आपने औद्योगिक घरानों को 1500-1500, 2000-2000 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कराके दी थी। औने-पौने दामों में एक भी एसईजेड उत्तर प्रदेश में नहीं बना और उन बिजनेस हाउसेस को अरबों रुपये का नफा होने जा रहा है, इसलिए कि यदि वह उस जमीन को बेंच देंगे। इस मामले में सरकार को सजग होना पड़ेगा और एसईजेड की भूमि सरकार को वापस ले लेनी चाहिए, उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर वह उन्होंने अधिग्रहीत की थी यह बहुत गम्भीर मामला है और यह बहुत जरूरी मामला है। मान्यवर, इसके अलावा आपके यू0पी0 सिस्टम डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन का मामला है उसमें आप बात करते हैं एचसीएल, एचपी की आप बात करते हैं इनफोसिस की जब आपके पास अपना सिस्टम है, तो उससे आप विदेशों में जाकर क्यों नहीं अपनी आईटी एक्सपर्टाइस का काम करते है।

आप उसे डायरेक्टरेट क्यों नहीं बनाते हैं। सिर्फ यूपी डेस्को जिन उद्देश्यों को लेकर बना था, सिर्फ आपके डिपार्टमेन्टों का काम करता है यूपी डेस्को, वहां के कर्मचारी बिलकुल रुग्ण से हो गये

हैं वहां कोई उत्साह ही नहीं है। आपकी अपनी कम्पनी है उसको प्रोत्साहित करिये उसको आगे बढ़ाइये। इन्फोसिस, एचसीएल और एचपी के टक्कर में लाइये। मैं आपको अपनी कांस्टीटुएन्सी की ओर ले जाऊंगा जिसके लिए लम्बे अर्से से संघर्ष किया जा रहा है। 300 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के तीन चौथाई पर भू-माफियाओं का कब्जा है और स्थिति यह है कि वह इन्टरप्रिन्योर इधर से उधर भागते रहते हैं ऊंची पहुंच की वजह से वह इन्टरप्रिन्योर बिलकुल बर्बाद हो गये है। इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भरा रहता है सड़कें बदहाल हैं और स्थिति यह है कि यूपीएसआईडीसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। मान्यवर, इसी तरह से आप बात करें मैंने आज ही विज्ञापन देखा मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे एयरपोर्ट पर एयरलाइन्स चलाने की बात करी है, यह स्वागत योग्य कदम है और मान्यवर, यह सब तब होगा जब आपकी कानून व्यवस्था अच्छी होगी। मैंने बार-बार कहा औद्योगीकरण और निवेष तभी आयेगा। एक मैसेज पूरी दुनिया में गया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक न होने के कारण जो भी प्रयास किये जा रहे है वह प्रयास पीछे जा रहे है और लोगों के पैर ठिठक जाते है सबसे पहले आपको माहौल बनाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत करी है मुख्य मंत्री ने, वह स्वागत योग्य कदम है परन्तु जब तक यह ठीक नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, इसी तरह से अब मैं दूसरे मद की बात करूंगा लेखन सामग्री तथा मुद्रण।

श्री अध्यक्ष-

अरे यह छपाई का मामला है।

श्री प्रदीप माथुर-

यह छपाई का मामला है, सरकारी मामला है इसमें कुछ ज्यादा कहने की बात नहीं है इसमें सब कुछ ठीक है परन्तु आज आश्चर्य यह है मान्यवर, आज आपने एक ही बजट पर दुनिया भर की चीजें रख दी जैसे प्राविधिक शिक्षा में आपने संस्कृति भी रख दिया और खेदकूद भी रख दिया। बताइये संस्कृति और खेदकूद कब से टेक्निकल हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राविधिक शिक्षा पर चर्चा और उसमें खेलकूद भी और उसमें संस्कृति भी और इसी तरह से इसमें रख दिया। कैसे हो गया टेक्निकल यह सब बहकाने वाली बातें हैं। मान्यवर, इसी तरह से आपने इसमें भी यही किया है इसमें आपने उद्योग के बजट में सचिवालय सामान्य सेवायें, बताइये उद्योग से सचिवालय सामान्य सेवाओं को क्या लेना देना।

(टोकाटाकी से व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

इसमें कहां सचिवालय सामान्य सेवा है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसमें सूचना और प्रचार, सूचना और प्रचार को उद्योग से क्या लेना देना। कटौती का खोलिये इसमें देखिये पीछे नत्थी ढ है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कटमोशन का सूचना है प्राविधिक शिक्षा पर आप बोलिये।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आप एक साथ सारे बजट पास करा रहे है प्राविधिक शिक्षा में खेलकूद डाल दिया। प्राविधिक शिक्षा में संस्कृति डाल दिया, सामान्य प्रशासन डाल दिया। ऐसे कैसे होता है।

श्री अध्यक्ष-

कहां डाल दिया।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, माथुर साहब जो बोल रहे है यह उद्योग पर कटौती रख रहे है कि सारे विभागों पर कटौती रख रहे है।

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि मा0 माथुर साहब उद्योग विभाग का जो बजट है उस पर कटौती रख रहे है या जितने भी विभाग आज है सब पर एक साथ कटौती रख रहे है क्योंकि आप उद्योग से हटकर प्राविधिक शिक्षा पर आ गये।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भईया')-

मान्यवर, जो माथुर साहब बता रहे है, वह लेखा शीर्षक है, मद नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, ये लोग बौखला गये है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब, आप अपनी बात कहें, वह लेखा शीर्षक का मामला है उसे मैं बाद में आपको समझा दूंगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके मंत्रियों को सद्बुद्धि दे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राणा साहब, आप बैठ जाएं, अब बजट पास कराने दें, अभी दो और बजट पास होने है।

(सदस्य श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

*श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 माथुर साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी ने बहुत हिम्मत से बात रखने की कोशिश भी की। मा0 अध्यक्ष जी, उद्योग का विषय बड़ा गम्भीर विषय है कोई सामान्य विषय नहीं है और किसी भी प्रदेश के विकास का आइना उद्योग है। जहां उद्योग की संख्या जितनी होगी वह प्रदेश के तमाम प्रकार के आइने को स्पष्ट करता है। किसी भी प्रदेश में उद्योग का आना, लगना और उद्योग का सफल होना वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिपेंड करता है। अच्छी सड़क हो, बिजली हो, कानून-व्यवस्था अच्छी हो तो उद्योग को बढ़ावा मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं उसमें कोई आलोचना का विषय नहीं है न ही कोई आरोप-प्रत्यारोप का विषय है। अमिताभ बच्चन जी भी यहां से ऐड करते-करते गुजरात में चले गये कि यू0पी0 में है दम क्योंकि यहां अपराध है कम और अपराध कम हुए नहीं। मान्यवर, नोएडा एक तरह से उद्योग के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का चेहरा है। पिछले दिनों एक घटना हुई, मैं फिर वही कह रहा हूं मैं किसी आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं। कल मा0 मुख्य मंत्री जी का भाषण उत्साह से भरा हुआ था और लग रहा था कि उनका प्रयास है कि पूरा प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। अभी दादरी के अन्दर विजय पंडित की हत्या हुई, यह एक ऐसी जगह है जहां से पूरे देश में मैसेज गया, कई दिन तक बाजार बन्द रहे, पूरा बवाल कटा और वह औद्योगिक क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप उद्योगों की स्थापना चाहते है उद्योगों का बढ़ावा चाहते है तो आपको कानून-व्यवस्था पर नियन्त्रण करना पड़ेगा। सड़कें, कल मैं एक सड़क मामले पर शामली के लिए आपका संरक्षण चाहते हुए तीन बार मैंने कहा, छोटी सी सड़क का मामला था, शामली में इण्डस्ट्रियल एरिया में छोटी सी सड़क का मामला था, आपका संरक्षण मांगते हुए तीन बार मंत्री जी से कहा कि क्या वह सड़क बनेगी तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला। आज सुबह एक सवाल के जवाब में मा0 मंत्री जी बोल रहे थे, माफ करना, वह इन्वेस्टर को इनवर्टर बोल रहे थे। मान्यवर, मेरा निवेदन है, चूंकि यह इतना गम्भीर विषय है, आज उत्तराखण्ड और हरियाणा का हाल कैसा है। अभी मैं यहां आने से पूर्व पूछ रहा था यदि हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते है तो उत्तराखण्ड में सेल्स टैक्स 01 प्रतिशत है, एक्साइज जीरो प्रतिशत है और इन्कम टैक्स जीरो प्रतिशत है। हमारे यहां दो प्रतिशत सेल्स टैक्स है, 12 प्रतिशत एक्साइज है और 35 प्रतिशत इन्कम टैक्स है। इसके कम्पटीशन में हमें खड़ा होना है तो कुछ चीजें अच्छी करनी पड़ेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि कानून-व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। आज सुबह लघु उद्योग के सवाल में जवाब आया, आगरा सम्मिट हुई 80 हजार करोड़ के निवेश की बात पूरे सदन के सामने पिछले साल आई। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर पिछले वर्ष में निवेश कितना हुआ ? अभी दिल्ली सम्मिट की बात आयी, 54 हजार करोड़ के निवेश की बात आयी। 80 हजार करोड़ के निवेश की बात पिछले वर्ष में थी उसके आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा कि पिछले वर्ष कितना निवेश हुआ ? मैं पॉजीटिव दिशा की ओर बात करना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश के प्रति जितनी उनकी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है, हम सब मिल करके सकारात्मक माहौल बनायेंगे, एक अच्छा माहौल बनायेंगे तभी यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा, यह केवल समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नही है उसमें हम सब सहभागी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कानून-व्यवस्था अच्छी हो, सदन के पटल पर जो बात रखी जाए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जितने इकबाल के साथ और बुलन्दी के साथ अपनी बात कही, जिस इकबाल से बात कही जाए कम से कम उसका 70 प्रतिशत तो पालन हो। 80 हजार करोड़ रुपये के निवेश की बात पिछले साल हुई थी यदि 55 हजार या 60 हजार करोड़ निवेश हो गया होता तो प्रदेश की दिशा बदल जाती। आज 54 हजार करोड़ के निवेश की बात हो रही है तो मान्यवर, मैं कैसे विश्वास कर लूं, 80 हजार में से 04 हजार करोड़ तो 54 हजार करोड़ में से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा-

मेरा आपसे एक और निवेदन है कि यह जो निवेश की बात करते है, सम्मिट भी बार-बार कर रहे हैं इसके साथ-साथ हम भूल जाते हैं कि हमारे यहां जो अपने उद्योग है उनकी हमें क्या चिंता है। मैंने कल भी मान्यवर, दोहराया था आज फिर कह रहा हूं कि अभी आई0पी0एल0 चल रहा था उस आई0पी0एल0 में 80 प्रतिशत बल्ले का इस्तेमाल हुआ है वह मेरठ के बने हुए थे। चाहे देशी खिलाड़ी हो, चाहे विदेशी हों सबने मेरठ के बने हुए बल्ले का इस्तेमाल किया। आगरा की हालत मान्यवर यही है, आप तो पश्चिम का बहुत प्रवास करते है आप जानते होंगें, आगरा का चमड़ा उद्योग। अभी मैं दस दिन पहले पोर्ट-ब्लेयर गया था वहां एक दुकान देखी वहां पर सहारनपुर का बना हुआ सामान पोर्ट-ब्लेयर में बिक रहा था। अपने यहां ऐसे लघु उद्योग है चाहे सहारनपुर हो या मुरादाबाद हो। मुरादाबाद में 2 हजार करोड़ रुपये वार्षिक का एक्सपोर्ट है। मान्यवर, जो छोटी-छोटी इण्डस्ट्री है, हमारे पास बहुत सम्भावनायें हैं हमारे पास बहुत गुंजाइश है। शामली का धुरा, आप कहीं चले जाओ पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में कोई भी यदि घोड़ा बुग्गी मिलेगी, भैंसा बुग्गी मिलेगी उसमें रिम, धुरा होगा तो वह शामली का बना हुआ होगा। शामली का रिम, धुरा उद्योग इतना प्रसिद्ध है। ये तमाम उद्योग, आज मुजफ्फरनगर का पेपर उद्योग, यह बहुजन समाज पार्टी के विधायक बैठे है इनका भी वहां पर पेपर मिल है सारा का सारा उद्योग मुजफ्फरनगर का आज उत्तराखण्ड में शिफ्ट हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करते हुए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जितने लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाय, इन्फ्रास्ट्राक्चर को बढ़ावा दिया जाए, जो अपने उद्योग है उनकी सड़कों और सुविधाओं की ओर सरकार ध्यान दे। इसी बात को रखते हुए और इस कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए चूंकि माननीय अध्यक्ष जी का इशारा है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(डा0 मो0 अयूब के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका कौन सा उद्योग है, चिकित्सा विभाग आगे आ रहा है उस पर बोलियेगा।

*डा0 मो0 अयूब-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बोलिये।

डा0 मो0 अयूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन सुझाव देना चाहता हूं। शायद मेम्बर को मालूम नहीं है कि सिरिंज बनाने वाली फैक्टरी इस देश की दूसरी सबसे बड़ी फैक्टरी हमारी है....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

आज से नहीं 16 साल से है। यह चाहते हैं कि मैं इनकी कलई खोलूं लेकिन मैं यह चाहता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह सिरिंज वाली फैक्ट्री है कहां।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था जितने भी विकसित प्रदेश हैं एकल खिड़की की व्यवस्था इण्डस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी सर्टीफिकेट या मान्यताएं उन्हें मिलनी होती हैं यह एक खिड़की से दी जाती हैं। बिजली से लेकर एक्साइज हो सेल टैक्स हो एकल खिड़की की व्यवस्था जरूरी है इससे इण्डस्ट्रियलिस्ट को उद्यमियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एकल खिड़की की व्यवस्था कुछ वक्त के लिए हुई थी मगर आज उत्तर प्रदेश में यह नहीं है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करें और प्रदेश के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि एकल खिड़की की व्यवस्था यह प्रदेश में करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सड़क और बिजली के बिना उद्योग हो नहीं सकता है आज उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष-

यह बोल चुके हैं।

डा0 मो0 अयूब-

मैं उसी में ऐड कर रहा हूं अगर यह पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें नहीं बना सकते हैं तो जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है जहां सबसे ज्यादा कर मिलता है सरकार को कम से कम इण्डस्ट्रियल एरिया की सड़कें जो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं कम से कम इण्डस्ट्रियल एरिया की सड़कों को तो बनवा लें। मैं तीसरा सुझाव देना चाहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में जहां भी इण्डस्ट्री है सरकार की खरीद अपने प्रदेश की इण्डस्ट्री से होती है। उसके लिए अगर हर प्रदेश में पांच से लेकर 10 प्रतिशत कम कीमत पर प्रदेश के प्रोडक्ट को सरकार द्वारा खरीदा जाता है। यह सभी प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में यह नहीं है। इसलिए सरकार के संज्ञान में यह अगर नहीं है तो मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि प्रदेश के उद्यम के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि अपने प्रदेश का सामान सरकार खरीदे जैसे अन्य प्रदेशों में प्रदेश के उत्पन्न सामानों को पांच से दस प्रतिशत कम दाम पर खरीदा जाता है उसी तरह से यहां की सरकार खरीदे ताकि यहां के उद्यमी प्रोत्साहित हों और यहां की इण्डस्ट्री आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं कटौती प्रस्ताव से अपने को जोड़ते हुए उस पर बल देता हूं और सरकार का विरोध करता हूं।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैय्या-

आपकी वह फैक्ट्री है कहां ?

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे योगेश जी, बैठो। जाने दो।

डा0 मो0 अयूब-

आप लोग जो कह रहे हो, न गुजरात में है। मैं यहां आपके सामने कहता हूं कि अगर कोई भी सदस्य डा0 अयूब को यह समझता है कि बेईमान है वह दिन आयेगा तो गिरेबां पकड़ लीजियेगा। अगर कोई भी सदस्य जो आप दुश्प्रचार करते हो, सुन लो, अगर कोई भी सदस्य किसी तरीके का सम्बन्ध भाजपा से साबित कर दे। तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। मगर मैं यह साबित कर दूंगा कि [xxxx]

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठो, डाक्टर साहब आप बैठो।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण (राज्य मंत्री) (श्री शंखलाल मांझी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की बातें कार्यवाही में से निकाल दी जानी चाहिए। यह अपने आप अपनी बात कह रहे है। रनिंग कमेन्ट्री पर इस तरह का जवाब नहीं दिया जा सकता और यह जिस तरह की बात कर रहे है, इसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

(सदस्यों के आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने पर व्यवधान)

*श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं। डा0 अयूब जी ने कहा और शायद लिखा पढ़ी में आ चुका है कि हिन्दुस्तान की दूसरे नम्बर की सीरिंज बनाने की फैक्ट्री आपकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह फैक्ट्री कहां पर है ? सदस्यों ने, हमारे साथियों ने केवल यह जानना चाहा है कि आपकी वह फैक्ट्री कहां पर है ? किसी ने गुजरात का जिक्र नहीं किया। हम लोगों की मंशा केवल एक है, आपने कहा, अध्यक्ष जी आप निकलवा लीजिये। जिस तरह से धमकी के लहजे में आप बात कर रहे है, वह विधान सभा के अंदर शोभा नहीं देता। आपने क्या आरोप लगाया ? आपने यहां विधान सभा में कहा कि हम दंगा कराते है। आपने स्वयं कहा। मेरा एक सवाल है कि आप बतायें कि वह फैक्ट्री कहां है। [xxx]

डा0 मो0 अयूब-

यह आपका अधिकार नहीं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, उदयराज जी। डा0 साहब आप भी बैठिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

विश्नोई जी, इसको पास कराने दीजिये। दो मिनट में बोलिये।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, कृषि के बाद उद्योग का सबसे ज्यादा महत्व है।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाल विकास एवं पुरूटाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

जो बोला जा रहा है, कुछ लिखा नहीं जायेगा और न कार्यवाही का अंग बनेगा।

श्री श्याम बहादुर यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैय्या-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि सदन का इतना समय केवल इसलिये चला गया कि हम लोग जानना चाहते थे कि डा0 साहब की वह फैक्ट्री कहां है ? आपने गुजरात पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। हम आपसे लाभ लेना चाहते थे और आप अनावश्यक नाराज हो गये।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत छोटा सा सवाल है। अरे एक मिनट, अरे एक सेकेन्ड माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज और कहना चाहता हूं कि कार्यवाही में भी आ गया है और सारे सदस्य गवाह है कि डा0 अयूब साहब ने कहा कि हिन्दुस्तान में सीरिंज बनाने की दूसरे नम्बर की फैक्ट्री डा0 साहब की है। इनकी यह फैक्ट्री देश के किस प्रदेश में है।

अध्यक्ष जी, दूसरा एक सवाल और है, डाक्टर अयूब साहब ने कहा कि इधर बैठे हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश में दंगा कराते है। क्या इनके पास कोई सबूत है, वह सबूत दे दें, कहां दंगा कराया है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। अब हो गया, बजट को पास कराने दीजिए।

श्री सलिल विश्नोई-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि फूड इन्डस्ट्री को बढ़ावा दिया जायेगा, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री नम्बर-1 पर थी, दाल मिलें, राइस मिलें, तेल मिलें, फ्लोर मिलें, ये ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जिनसे कृषि उत्पादन से सीधा मतलब है लेकिन यह सारी इन्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में बन्द हो गयी है। इसका सबसे बड़ा कारण अध्यक्ष जी, यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो टैक्स प्रणाली है, उसके कारण पूरे प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री खत्म हो गया है। मण्डी समिति एक ऐसा विषय है, जिसने इन सारी फूड इन्डस्ट्री को चौपट कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी खेती से

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जानते है कि जो कृषि उपज पैदा होती है, वह कृषि उपज ऐसी होती है, जिसके ऊपर मण्डी शुल्क लगता है लेकिन मान्यवर, दाल जो फैक्ट्रियों में पैदा होती है, मशीनों के द्वारा बनायी जाती है, उत्तर प्रदेश की सरकार उस दाल के ऊपर टैक्स लेती है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी दाल की मण्डी थी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चावल की मण्डी थी, वह खत्म हो गयी। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल मिलें लग गयीं, आज बिहार में सबसे ज्यादा चावल मिलें लग गयीं। हमारी इन्डस्ट्री जो इन प्रदेशों में पलायन हो रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश की टैक्सेशन प्रणाली का है।

डाक्टर साहब ने जो एक बात कही कि सिंगल विन्डो सिस्टम होना चाहिए और माथुर जी की यह बात बिल्कुल सही है कि यूपीएसआईडीसी और यूपीएफसी जैसे सफेद हाथियों को खत्म करके, अगर उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है तो सिंगल विन्डो सिस्टम लागू किया जाए और यहां पर टैक्स की प्रणाली को ठीक किया जाए ताकि यहां से जो इन्डस्ट्री का पलायन हो रहा है, उसे रोका जा सके और इन्डस्ट्रियल एरिया के लिए अलग से फीडर दिया जाय जो उनको बिजली दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री कैलाश-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में उद्यमियों को लाने के लिए हमारे विद्वान, होनहार मुख्य मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, अब तक तो किसी भी सरकार ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है और इसमें सफलता भी मिली है। अभी मा0 माथुर जी चिन्ता जाहिर कर रहे थे कि जो बन्द पड़ी इकाइयां है, उनको भी चलाने के लिए व्यवस्था हो रही है, उनको कुछ छूट देने की व्यवस्था हो रही है, उनको बिजली देने की हम व्यवस्था कर रहे है। आपने जो कहा कि एकल खिड़की, एकल खिड़की की भी व्यवस्था है, जो विशेष मित्र कहलाती है, वह इन्टरनेट पर आधारित है और 12 विभाग उसमें एक जगह से देखे जाते है। तो इस तरह से जो भी अब तक प्रयास हुआ है, मैं तो यह कह रहा हूं, बहुत दिन से आप भी विधान सभा में आ रहे है, हम लोग भी आ रहे है, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारे मुख्य मंत्री आए और गए, आप ईमानदारी से इस बात को कहने का काम करिए कि अब तक का जितना प्रयास और जितनी सफलता और जितनी मेहनत से हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस क्षेत्र में काम किया है, इतना किसी ने काम नहीं किया। यदि 10 साल पहले से इस क्षेत्र में काम किया गया होता तो जो रोना आप रो रहे है, जो फैक्ट्रियों की बात आप कर रहे हैं जो यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की बात कर रहे हैं, सफेद हाथी की बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं, उनकी बात कर रहे हैं, यह किसकी देन है, यह सब पिछली सरकारों की ही देन है और इस समय जितना प्रयास हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, और आपके जो भी सुझाव है उस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे है।

श्री प्रदीप माथुर-

नही।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,25,21,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 98,08,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, एक अनुरोध है आपसे, अभी डा0 मो0 अयूब जी ने कुछ आपत्तिजनक और असंसदीय बातें कह दी थीं तो मेरा अनुरोध है कि उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नहीं लिखा जाएगा तो लिखा ही नहीं गया होगा। मैं देख लूंगा निकाल दिया जाएगा।

[6.00] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं

यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,13,78,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,64,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, सदन में बैठे हम सभी लोग जानते है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति इस देश की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसके बावजूद भी आज हमारे देश के सभी महान ऋषि, मुनियों के जो ज्ञान-विज्ञान की चीज है आज पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में बीमार सी दिख रही है। एक बहुत बड़ा ज्ञान-विज्ञान जो दुनिया के दूसरे कोनों में भी फैला, लेकिन हम लोगों ने अपने ही महापुरुषों के द्वारा दिये गये ज्ञान-विज्ञान को तवज्जो नहीं की। जिसका परिणाम है कि आज यह चिकित्सा वद्धति बीमार है और आज इसके द्वारा जो भी सुविधायें जनता के लिए मुहैया कराई जा रही है, सदन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उससे सहमत नहीं हो सकता। चार आयामों में इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसमें सबसे पहले चिकित्सीय क्रियाकल्प है जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2354 अस्पतालों के माध्यम से 10597 बेड प्रदेश की जनता के लिये चिकित्सा सुविधा हेतु मुहैया कराये गये हैं, लेकिन सम्मानित अध्यक्ष जी, यहां पर बैठे हुए सदन में सभी साथी जानते हैं। 10597 बेड पर आज की तारीख में एक हफ्ते तक जाकर के गांव से लेकर शहरों तक जानकारी हासिल करा कर देख लें, 10597 बेड पर कभी भी कहीं भी कोई भी मरीज लेटा हुआ नजर नहीं आयेगा। इसके पीछे कभी हम लोग कारणों पर नहीं जाते, इस पर इतनी बड़ी धनराशि हम लोग खर्च भी करते है, डाक्टर नियुक्त करते है, ओ0पी0डी0 चलती है कि नहीं, इन्डोर में कोई मरीज है कि नहीं, कभी कोई पूछने वाला नहीं होता है।

10597 बेड हमेशा खाली रहते हैं, एक भी मरीज किसी अस्पताल में नहीं होता है। उसके पीछे सरकारों की उपेक्षा भी कारण है, बहुत सारे ऐसे अस्पताल है, जिनके पास अपनी कोई निजी बिल्डिंग नहीं है, बिना बिल्डिंग के एक-दो कमरों में प्राईवेट कमरों में अस्पताल चलाये जा रहे हैं। वहां पर उस अस्पताल में निर्धारित सारे बेड को एक कमरे में समेट करके रख दिया जाता है, कोई डाक्टर, फार्मासिस्ट दिन के किसी समय आ करके खोल करके घण्टे-दो घण्टे बैठ करके वहां से चला जाया करता है। यह हाल है हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का, इसलिए मा0 सदन से हम लोग यह अपेक्षा करते है कि आप सभी के क्षेत्र में जितने भी आयुर्वेदिक अस्पताल है और यूनानी के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्पताल है कम से कम उनका निरीक्षण कर के वहां पर जो कमियां है उन कमियों को विभाग में देने का काम करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान नहीं हो सकेगा। जो सबसे बड़ी विसंगति है यहां से जो चिकित्सा पद्धति विलुप्त होती जा रही है, जो भी इवाइयां है इसकी जो सरकारी निर्माण शालाएं है, लखनऊ और पीलीभीत में जो सरकारी आयुर्वेदिक दवाइंया, यूनानी दवाइयां जो निर्मित की जाती है, उनमें कभी अपग्रेडिंग नहीं होती है। आज भी सौ साल पहले जिस तरीके से चूर्ण, चटनी बनाकर के लोगों को दवाइयां परोसा जाता रहा है, आज आजादी के 67 वर्षों बाद भी वैसा ही चल रहा है किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जितने भी प्राईवेट फार्मास्युटिकल्स है वह अपनी दवाइयों को बढ़िया कैपसूल और टैब्लेट के फार्म में जनता के बीच में देश में लाने का काम करते हैं, उनकी प्रसिद्धि है, वह दवाइयां लोग पसन्द करते हैं, डाक्टर उनको पसन्द करता है, लेकिन जो सरकारी अस्पतालों के लिये दवाइयां आती है उनको कोई मरीज पसन्द नहीं करता। कोई उन दवाओं का सेवन नहीं करना चाहता लेकिन कभी भी कोई भी ऐसा सुझाव सरकार ने नहीं माना कि उन चूरन को, उन चटनी को जो तीखे है, जो कड़वे हैं, उनको कैप्सूल की फार्म में उनको टैबलेट के फार्म में एक अच्छी पैकिंग करके जनता के बीच में अगर लाई जायें तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां-जहां भी दो जगहों पर लखनऊ में और पीलीभीत में आयुर्वेदिक इवाइयों का निर्माण होता है उनकी अपग्रेडिंग करनी चाहिये और उन दवाओं को जो खुली पैकेट में आती हैं, जो दो-चार महीनों में ही एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर्ड दवाइयों का लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वे अच्छी पैकिंग में रहेंगी, अच्छे तापमान में रहेंगी तो वह दवाइयां खराब नहीं होंगी और उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उन अस्पतालों में ओ0पी0डी0 बढ़ेगी, जनता का भरोसा बढ़ेगा और हमारे द्वारा जो बजट निर्धारित किया जाता है।

जब वो जमीन पर जाकर काम करेगा तो निश्चित रूप से जनता को उससे फायदा होगा। मा0 अध्यक्ष जी, कुछ बातें जो अभी हमें बुकलेट मिली और एक घण्टे में मैंने जो पढ़कर देखा और इसका जो तीसरा आयाम है शिक्षा और प्रशिक्षण, वह बहुत ही महत्वूपर्ण आयाम है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा पास करके तो बी0ए0एम0एस0 और बी0यू0एम0सी0 की डिग्री मिलती है, एम0बी0बी0एस0 की डिग्री मिलती है। एक ही परीक्षा होती है, एक ही अंक पा करके स्टुडेण्ट कोई बी0डी0एस0 करता है, कोई एम0बी0बी0एस0 करता है। कभी-कभी सब्जेक्ट की प्रायऑरिटी के आधार पर जाता है। एक ही अंक पा करके या कुछ काम आने या करके सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा पास करके, इतनी मेहनत करने के बाद वह डाक्टर बनता है। उसका ग्रैजुएशन कम्पलीट होता है तो कम से कम उसको रोजगार के अवसर मिलना चाहिये। आज उत्तर प्रदेश में 400 सीटें बी0ए0एम0एस0 और बी0यू0एम0एस0 की जो बहुत दिनों से पड़ी रह गयी है। अभी प्राविधिक शिक्षा पर मा0 सदस्य लोग चर्चा कर रहे थे। इतनी सीटें है जितना लोग फार्म भी नहीं भरते है, लाखों सीटें इंजीनियरिंग की है। मैं जानता हूं सदन में बैठे सभी लोग जानते हैं कि सारी सीटों को अगर मिला दिया जाये तो 1459 सीटें एम0बी0बी0एस0 की, कुछ सीटें बी0डी0एस0 की, 320 सीटें बी0ए0एम0एस0 की, 80 सीटें बी0यू0एम0एस0 की, सारी सीटें अगर मिला दी जायें तो कितना होता है, 2000 सीटें भी नहीं होती है। आज भी हमारे प्रदेश में मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स की

बहुत कमी है। हम लोगों ने कभी भी मेहनत करके हमारी सरकारों ने सी0सी0आई0एम0 और एम0सी0आई0 के मानकों के अनुसार बिल्डिगें बनाने का काम नहीं किया है। अभी जिस पद्धति पर हम बात कर रहे है। हमने अभी देखा कि आयुर्वेदिक और यूनानी के जितने 400 जो स्टुडेण्ट जाते है, जो 8 आयुर्वेदिक और जो 2 यूनानी मेडिकल कालेज है, उसमें जितनी भी सीटें है पी0जी0 की सीटें नगण्य हैं, पी0जी0 की सीटें बहुत कम है। कम से कम 30 से 40 परसेण्ट तो पी0जी0 की सीटें होनी चाहिये। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी और गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी तो जनता का भरोसा नहीं बढ़ेगा इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि जितनी सीटें आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में है, कम से कम उसकी 40 सीटें तो सी0सी0आई0एम0 के तहत उनके अनुरूप बिल्डिंग बना करके, सुविधायें बढ़ा करके पी0जी0 की सीटें इनको देना चाहिये। दूसरी बात जितने भी हमारे ग्रैजुएट्स पढ़कर बाहर आते हैं, बेरोजगारी का शिकार होते है। अगर 400 ग्रैजुएट्स बाहर आते है तो कम से कम 100, 50 की वैकेंसी निकाल करके उनको मेडिकल अफसर तो बनाना चाहिये। ये भी काम हमारी सरकार को हमेशा करते रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लिखकर दे दीजिये। मा0 सदस्य लिखकर दे दीजिए, बाकी जोड़ दिया जायेगा। मा0 पटेल जी बैठ जायें अभी इनको बोलने दो, लिखकर दे दें। बैठ जायें। अरे ये पूरा करते-करते बहुत दिन लगा देंगे।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा-

एक दो सबसे बड़ी समस्यायें है आज लोगों को जानकारी हुई तो मुझे फोन करके बताया, दवाइयों की स्थिति के बारे में चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन एक प्रस्ताव यहां पर रखना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक एवं यूनानी का फार्मा होता है वह इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का होता है। उसमें साढ़े चार वर्षों आयुर्वेदिक यूनानी के साथ-साथ मार्डन मेडिसिन और उसका फार्मा पढ़ा होता है और उसके बाद साढ़े चार वर्ष की पढ़ाई करने के बाद एक वर्ष का उसका इंटर्नशिप होता है, जो इंटर्नशिप करता है 6 महीने आयुर्वेदिक हास्पिटल में करता है और 6 महीने एलोपैथिक हास्पिटल में जाकर करता है। मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रकरण पेपर के माध्यम से कई बार संज्ञान में आया है अगर वह व्यक्ति जा करके वह स्टूडेण्ट जा करके एलोपैथी का भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है, आयुर्वेदिक का भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः सीसीआईएम एक्ट 1939(1) और 41(2) में संशोधन करके आयुर्वेद और यूनानी स्नातकों को एलोपैथ और आयुर्वेद एवं यूनानी एवं एलोपैथ में प्रैक्टिस का अधिकार देना चाहिए जैसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना है।

श्री अध्यक्ष-

वह डाक्टर हमसे रोज आकर मिला करते है, सुप्रीमकोर्ट का आर्डर था, उसमें सरकार का क्या, आप बैठिए। बैठिए, बैठिए मैं जानता हूं। बैठिए अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा, मा0 सदस्य मैं अनुरोध कर रहा हूं समय कम है, सब परेशान है। अब इनका कुछ भी लिखा नहीं जायेगा चाहे कितना बोल लें।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भैय्या'')-

मा0 विधायक जी पीठ का निर्देश है मानिये अब आप बैठ जाइये।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आज के दिन के इस आखिरी बजट के लिए बहुत थोड़ा सा समय लूंगा मैं। चिकित्सा से जुड़ा मामला है ये कहते है डॉक्टर धरती का दूसरा भगवान होता है। सब कुछ हो मगर अगर बीमार है कोई आदमी तो उसके लिए सब कुछ बेकार है। यहां कुछ ऐसी स्थिति है और जिस पैथी के लिए यहां हम बात कर रहे है ये पैथी माना कि हिन्दुस्तान में इसका जन्म नहीं हुआ, मगर हिन्दुस्तानियों के लिए यह पैथी कितनी कारगर है, जहां गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से दो रोटी कमाता है, यहां मंहगा इलाज हालांकि यहां डॉक्टर अयूब साहब बैठे है, इससे सहमत नहीं होंगे, एलोपैथ की दवायें जिस तरह से रिएक्ट करती है, होम्योपैथ के बारे में यह मान्यता है कि यह सस्ती है, सुलभ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नुकसान नहीं करता है। उस पैथी का आज बजट लेकर के मा0 मंत्री जी आए है। मान्यवर, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर यह देश होता तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का छठवां देश होता। भारत की आबादी के हिसाब से हर छत्तीसवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कोई आंकड़ा नहीं दे रहा कि इतने बड़े लगभग 21 करोड़ की आबादी में एलोपैथी पद्धति से ही सबको स्वस्थ नहीं कर सकते। उसके लिए आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा की जो वैकल्पिक मान्यवर, हमारी व्यवस्थाएं है, अभी आप आयुर्वेद और यूनानी का बजट देख रहे थे, मैं उसी क्रम में होम्योपैथ की बात कर रहा हूं कि होम्योपैथ ग्राम और गरीब निहायत ही शोषित और पिछड़े तबके के लोगों के लिए यह पैथी बहुत कारगर है और उसका आंकड़ा आप यह देखेंगे जो सरकार ने हमें दिया है कि वर्ष 2006-07 में 142.71 लाख लोगों ने होम्योपैथ से इलाज कराया। वही 2007-08 में 164.29 लाख हो गया था, 2008-09 में जा करके 177.18 हो गया। मान्यवर, 2010-2011 में 256 लाख, 2011-2012 में 292.18 लाख और 2012-2013 में 254.18 लाख यह सेवित रोगियों की संख्या है। मान्यवर, यह आंकड़ा सरकार का ही है। मान्यवर, आप देखें कि गांवों में होम्योपैथिक के प्रति लोगों में कितना विश्वास है। हाई कोर्ट के जज भी यह निर्धारित करते है कि हम होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करायेंगें। सचिवालय में जो होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी है। मान्यवर, आप देखें कि सचिवालय के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों का उससे इलाज हो रहा है और कितना लाभ होता है। मान्यवर, जो आपने पिछला बजट प्रस्तुत किया था वह 242 करोड़ रुपये का था और यह बजट 194 करोड़ का आया है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमने 24 प्रतिशत बजट में धनराशि बढ़ाई है और दूसरी तरफ जो यह होम्योपैथिक पद्धति है जिससे गरीब लोगों का इलाज होता है और सस्ती है उसमें आपने बजट में कटौती करने का काम किया है। मान्यवर, आपने पिछली बार आयोजनागत मद में तीस करोड़ रुपये दिये थे। इस बार आपने इस मद में केवल 11 करोड़ ही रखा है। आप अपने बजट का अधिकांश भाग वेतन-भत्तों पर खर्च कर रहे हैं, उसमें मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन जो आयोजनागत मद में 11 करोड़ रुपये रखा है वह बहुत कम है।

मान्यवर, आज आप देखें कि होम्योपैथिक जो डिस्पेन्सरियां है उनमें दवायें बहुत कम उपलब्ध होती है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उस बजट पुस्तिका में मैं ढूंढ रहा था कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से सम्बन्धित हास्पिट्ल्स और मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए क्या-क्या प्राविधान किये गये है। लेकिन उसमें कुछ नहीं मिल पाया। मान्यवर, कुछ दिन पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्ताक्षर से यह उत्तर प्राप्त हुआ था कि गोरखपुर में जो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बन रहा है, उसका 51 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है और शेष कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा और अगले सत्र से उसमें पढ़ाई शुरू हो जायेगी। लेकिन मान्यवर, जो वहां कार्य की स्थिति है वह इससे पृथक है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एलोपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए चन्दौली, जौनपुर आदि में नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है लेकिन राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर या अलीगढ़ की स्थापना के बारे में कोई घोषणा नहीं की गयी है। इसी तरह से जो चिकित्सा शिक्षा की तीन पैथी है उनके बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गयी है और जैसा कि मैंने बताया कि आयोजनागत मद में सिर्फ 11 करोड़ रुपये का प्राविधान है। मान्यवर, जो सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा होती है उसमें सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होते है और उसमें रैंक के हिसाब से उनका चयन एम0बी0बी0एस0 में, डेन्टल में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेद में होता है, तो जब एक ही परीक्षा से चयन होता है तो फिर इन तीनों पैथियों को भी समान महत्व मिलना चाहिए। मान्यवर, यह होम्योपैथिक पद्धति का इलाज गरीबों के लिए सस्ता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दें, तो इसके बारे में जरूर कहें। मान्यवर, भारत सरकार में एक आयुष विभाग है जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद, योगा, युनानी सिप, होमियोपैथ में आता है। इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को केन्द्र सरकार बढ़ाना चाहती है। मान्यवर, उसका बजट बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे प्रदेश सरकार की ओर से इन तीनों पैथियों के विकास और विस्तार के लिए वहां पर प्रस्ताव ही नहीं भेजे जाते हैं, तो वह कहां से प्रदेश सरकार को पर्याप्त पैसा उपलब्ध करायें। वह कहते भी है कि आपके प्रदेश से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। मान्यवर, इसलिए जरूरी है कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वह अपनी कलम चलायें और वहां प्रस्ताव भेजें तथा धन लाने का काम करें। मान्यवर, मैंने देखा है कि पिछले वर्ष भी आयुष विभाग से सम्बन्धित कोई धन का जिक्र नहीं था और न इस साल है। आप आयुष विभाग से सम्बन्धित धन प्राप्त करने की पत्रावलियां निकालें और उन पर कार्यवाही करें। वहां अरबों रुपये का बजट है और वह इन तीनों पैथियों के लिए आपको काफी धन दे देंगी। जब आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं, तो आप केन्द्र सरकार के आयुष विभाग को प्रस्ताव बनाकर के भेजें। मैंने देखा है कि इन तीनों पैथियों के बारे में अधिकारियों द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनकी बजट धनराशियों में कटौती हो रही है। आप इसमें देखें और कार्यवाही करायें।

यही मैं कहना चाहता था कि आप आयुष के माध्यम से भारत सरकार से इस सत्र में अपनी डिमान्ड जरूर करा ले। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था अपने विभाग के अधिकारियों को बताइये इस समय 1575 हास्पिटल पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उसमें कितने ऐसे हास्पिटल जो किराये के मकान में है जिनका किराया 100 रुपया है। मकान मालिक नोटिस दे रहा है कि 100 रुपये में कौन मकान रखेगा तुम वापस जाओ। कई ऐसे हास्पिटल हैं जो जर्जर बिल्डिंग में हैं। डाक्टर परेशान हैं कि कहीं

वह गिर जाय कहीं कोई दुर्घटना हो जाय तो वह भी सरकार के माथे कलंक आयेगा इस नाते मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, दवा में यहां तक कि एक तो इतनी सस्ती दवा है एक रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये से 5 रुपया अधिकतम 10 रुपये में एक मरीज संतुष्ट हो जाता है। सरकार के पास क्या एक मरीज के लिए दो रुपये का भी बजट नहीं है ? 10 रुपये भी एक मरीज के लिए नहीं है ? शीशी नहीं मिलती, इतनी छोटी दवा वह दवा उपलब्ध आपके पास नहीं है, शीशी उपलब्ध नहीं है।

जो वहां के फार्मासिस्ट डाक्टर है वह प्राइवेट अपने पैसे से मेडिकल से दवा खरीदते हैं हास्पिटल पर रखते हैं एक रुपये की पर्ची आपकी कटती हैं 50 रुपया वह मरीज से लेता है बदनामी सरकार की हो रही है। लोग यह कहते हैं कि पर्ची एक रुपये की कटती है लेकिन सरकार डाक्टर के माध्यम से 50 रुपया हमसे ले लेती हैं। बस आप दवा उपलब्ध करा दीजिए तो कम से कम यह कलंक आपके माथे से बच जायेगा। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक पत्रावली आपके यहां पड़ी हुई है गोरखपुर में इंस्फ्लाइटिस से पूर्वान्चल में मौतें हो रही हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं एक प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यही मस्तिष्क ज्वर कहर मचाया था हजारों बच्चों की मौते वहां हो चुकी थी इसी होम्योपैथ वहां की सरकार ने इसको आगे किया। तीन दवायें हैं उसमें एक का नाम मुझे याद आ रहा है ब्लाडोना तथा दो और दवायें थी इन तीन दवाओं को उन्होंने एक एक सप्ताह तीन बार यानी 21 दिन तक दवाओं को पिलवाया और आज की तारीख में 2006 के बाद एक भी मौत मस्तिष्क ज्वर से आंध्र प्रदेश में नहीं हुई। गोरखपुर में इसके लिए एक शोध केन्द्र स्थापित किया गया है। मगर उसके लिए आपके विभाग के अधिकारी कभी एक पत्र भी नहीं लिखते कि आपने शोध क्या किया ? पत्र तो लिखते, जानकारी तो करते कम से कम इससे आपकी नकेल उस पर रहेगी। डाक्टर बैठा है वह कहता है कि कोई हमसे पूंछे तब तो हम बतायें हमें कोई सामान दे तब तो हम शोध करें। हालात यह है कि हम इस शोध से महामारी को खत्म कर सकते हैं वह आपके सरकार का यह हिस्सा है, शोध केन्द्र खुला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार इस पद्धति के लिए पैसा देना चाहती है बस आपको लेने की जरूरत है। मौतें 50 हजार बच्चों को जो मौतें पूर्वान्चल के लोग देख चुके है शायद हस बीमारी से हमें निजात मिल जाय। एलोपैथ के डाक्टर कहते हैं कि छोड़ो इसको, इससे क्या होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जरूर इसको रखे। बस एक बात कहकर बात समाप्त करूंगा। विभाग में पद बहुत खाली हैं इन पदों को भरने की कोशिश करें फार्मासिस्ट के लिए विज्ञापन हुआ है लगभग 3000 पद विज्ञापित हो चुके हैं। लोगों के अभ्यर्थियों के ड्राफ्ट पड़े हुए हैं आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं बहुत पहले से आया हुआ है आप उसको निस्तारित करायें, साथ ही विभाग की डी0पी0सी0 भी करायें। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट से ज्यादा बोलेगे तो नहीं लिखा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, होम्योपैथिक कटौती प्रस्ताव पर राजेश त्रिपाठी जी द्वारा जो बोला गया है उस पर बल देते हुए आपके माध्यम से सदन के बीच में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, आपने बोल दिया कि ज्यादा बोलना नहीं हैं मैं कहना चाहता हूं कि 2013-14 में यह आपने 2 लाख 240 करोड़ 66 हजार आपने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप क्या पढ़ रहे हैं, दो लाख 240 करोड़ इतना तो बजट भी नहीं है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, 240 करोड़ 66 लाख 5 हजार रुपया था, अध्यक्ष जी, जब आप जल्दी करोगे तो ऐसा ही होगा, जानते हो रेलगाड़ी इधर से उधर चली जायेगी। 240 करोड़ 66 लाख 5 हजार रुपये आपने दिये थे जब मा0 मुख्य मंत्री जी, इतना बड़ा बजट बनाते हैं और प्रदेश को देने का प्रयास करते हैं लेकिन मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो खर्च किये हैं वह किये हैं 229 करोड़ 10 लाख 67 हजार रुपए। इतनी सस्ती दवाएं आपके यहां हैं, जहां हम बैठे है उसके नीचे दवा देने के लिए सीसी नहीं है, सही ढंग से बैठने की जगह नहीं है और इसके बाद भी खर्च नहीं कर पा रहे है और अब जो बजट दिया गया वह बहुत कम है कम से कम 6 सौ करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, कुछ अपने क्षेत्र के बारे में तो बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वहां कौन होम्योपैथिक इलाज कराता है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, वहां बहुत गरीब लोग रहते है, यदि छोटी-छोटी जगहों पर छोटे-छोटे अस्पताल खुलवा दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अपनी विधायक निधि से खोलिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, हमारे यहां छावनी क्षेत्र के कोयला नगर, न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड, हंसमंदिर के पीछे, सी0ओ0डी0 कॉलोनी, शिवापुरम, राधापुरम, चर्च के पास, स्वर्ण जयन्ती विहार, मंगला विहार, प्रथम एवं द्वितीय के बीच में एक खुलवा दें। मानस विहार, भवानी नगर, राजपूत नगर, जवाहर पुरम, रामपुरम, तुलसीनगर, गिरिजा नगर, गदियाना, चाणक्यपुरी, नेताजी नगर, सुधल्लापुर, सिंघा टटिया, भल्ला टटिया, खेवरा गांव, डी-ब्लॉक, राजीव नगर के बीच में दूसरा खुलवा दें। ओम पुरवा, चन्द्र

नगर, चन्द्रनगर खलवा, पोखपुरवा, हरियाणा दाल मिल के पीछे, के0डी0ए0 कॉलोनी, गज्जू पुरवा, शीतलाबाजार के बीच में तीसरा खुलवा दें। बगाही, बाबू पुरवा, खटिकाना, आजाद नगर, बाकरगंज, बेगमपुरवा, अजीतगंज, चिड़ीनगर मोहल्ला तथा बाबू पुरवा में श्रमिक कॉलोनी के पीछे के इलाके में चौथा खुलवा दें। मान्यवर, छोटे-छोटे हॉस्पिटल खुलवा दें क्योंकि यह दवा सस्ती पड़ती है और गरीबों के लिए लाभकारी है और सबसे जरूरी बात तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां डाक्टर जरूर बैठें तभी गरीब जनता को इलाज मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 450 टेनरियां है वहां पर पांच लाख लोग काम करते हैं, गरीब काम करते है और परेशान व्यक्ति वहां काम करता है। मान्यवर, यहां जाजमऊ में भी एक अस्पताल खोला जाए और वहां पर डाक्टर बैठे जिससे कि वहां काम करने वाले लोगों को इलाज मिल सके। मान्यवर, इसके आधुनिकीकरण के लिए टेनरी समूह के लोग सलाहकार को 60 लाख रुपये देकर इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर वर्ष 2009 में सरकार को भेजी थी तब से टेनरी वाले प्रयासरत हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को सरकार स्वीकार कर ले। अभी आपने हमें बोलने नहीं दिया है। कानपुर में जो टेनरी उद्योग है वह सबसे ज्यादा विदेशी धन देता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह उद्योग कुछ अधिकारियों द्वारा बन्द कराया जा रहा है। मान्यवर, इन टेनरियों को बन्द न होने दिया जाए। आपने हमें बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री कैलाश-

मान्यवर, मा0 त्रिपाठी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, आपके सुझाव भी अच्छे आये हैं, जो समस्याएं है उन पर विचार चल रहा है और भारत सरकार से अधिक से अधिक पैसा लेने की बात चल रही है। यह अच्दी पैथी है इसका उपयोग भी देहातों में गरीबों के लिए होता है। इस पर सरकार बिल्कुल गम्भीर है और यह सरकार चाहती है कि इसको बढ़ावा मिले और इसको आगे बढ़ाया जाए जिससे जनता का भला हो सके। भदौरिया जी, आपके विषय में कहना चाहता हूं कि जितने हास्पिटल बनवाने हों, उन हास्पिटलों की लिस्ट भिजवा दीजिए, सरकार उस पर गम्भीरता से विचार कर लेगी। मा0 त्रिपाठी जी, आपके सुझावों को माना जायेगा, विचार किया जायेगा, अब आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लीजिए, यह अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी वापस नहीं ले रहे है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,13,78,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,64,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[6.28] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-06-2014 को नियम-51 के कुल 90 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमे निम्नलिखित सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री संजय कपूर, श्री गजराज सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दिलनवाज खां, श्री मो0 मुस्लिम, श्री राधेश्याम, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती उमाकान्ती, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कपूर, श्री ललितेशपति त्रिपाठी-बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में आये दिन किसानों द्वारा सूखे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तथा कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज-जनपद-कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किसानों की सिंचाई हेतु जोगापुर पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री रवि शर्मा-जनपद-झांसी में ग्वालियर रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री संजय कपूर-जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में स्थित रुद्र-विलास किसान सहकारी चीनी मिल के प्लाण्ट व वॉयलर का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह-जनपद-कानपुर देहात के सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत मुगल रोड से दुर्जापुर, अनवा होते हुए बेहमई तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री फेरनलाल अहिरवार-जनपद-ललितपुर के विकास खण्ड-महरौली में जर्जर विद्युत लाइन के टूटने से हुई मृत्यु में मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी दादा-जनपद- वाराणसी में नगर निगम द्वारा समय से आगणन तैयार न कराकर विकास कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला-भू-माफियों द्वारा जनपद गोण्डा के ग्राम सभा देवरिया में हरिजन आबादी की जमीन को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नवीं सूचना	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर से गंगोर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 3 3 के0वी0 के नये बिजली घरों को 132 के लाईनों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में तथा
दसवीं सूचना	श्री गयाचरण दिनकर	जनपद-बॉदा के अन्तर्गत स्टेट हाई-वे, फतेहपुर-बबेरु-अतर्रा-नरैनी के अधूरे मार्ग निर्माण को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैः-

क्र0	नाम
1	श्री ममतेश शाक्य
2	श्री रवीन्द्र मोल्हू
3	श्री राजबली जैसल
4	डा0 धर्म सिंह सैनी
5	श्री जगपाल सिंह
6	श्री गजराज सिंह
7	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
8	श्री राधेश्याम
9	श्री गेंदा लाल चौधरी
10	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
11	श्री अनीसुर्रहमान
12	श्री रविदास मेहरोत्रा
13	श्री जगन प्रसाद गर्ग
14	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
15	श्री विजय बहादुर यादव
16	श्री बावन सिंह
17	श्री संगीत सिंह सोम
18	श्री मनीष असीजा
19	श्री सतीश महाना
20	श्री धर्मपाल सिंह
21	श्री इन्द्रजीत सरोज
22	श्री दलवीर सिंह
23	श्री सुदेश शर्मा
24	श्री त्रिलोकी राम
25	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
26	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
27	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
28	श्री ओम कुमार
29	श्री दलजीत सिंह
30	डा0 अरूण कुमार
31	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव
32	श्री मनबोध प्रसाद
33	श्री रविन्द्र भड़ाना
34	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव
35	श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन
36	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
37	श्री विक्रम सिंह

38	श्री सुरेश राणा
39	श्री राजकुमार रावत
40	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
41	श्री अनिल कुमार
42	श्रीमती पूजा पाल
43	श्री सुशील सिंह
44	श्री रोशन लाल वर्मा
45	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
46	श्री सुरेश बंसल
47	श्री बृजेश कुमार
48	श्री गुटियारी लाल दुबेश
49	श्री सन्तराम कुशवाहा
50	श्री मुकेश श्रीवास्तव
51	श्री अमर पाल शर्मा
52	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
53	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
54	श्री रामहेत भारती
55	श्री संजय प्रताप जायसवाल
56	श्रीतमी रूबी प्रसाद
57	श्री आरिफ अनवर हाशमी
58	श्री जियाउद्दीन रिज़वी
59	श्री राम चन्द्र यादव
60	श्री गोरख पासवान

61	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज
62	श्री अगयश राम सरन वर्मा
63	श्री दिलनवाज खान
64	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
65	श्री पंकज मलिक
66	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
67	श्री भीम प्रसाद सोनकर
68	श्रीमती लालमुन्नी सिंह
69	श्री मो0 अलीम खां
70	श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर
71	श्री प्रदीप माथुर
72	श्री जाकिर अली
73	श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि
74	श्री राजेश त्रिपाठी
75	श्री पूरन प्रकाश एडवाकेट
76	श्री वीरपाल राठी
77	श्री दीपक वर्मा
78	श्रीमती रजनी तिवारी
79	श्री उमेश पाण्डेय
80	श्री राधे लाल रावत
81	श्री राजेश यादव

[6.28] जनपद मेरठ के हस्तिनापुर के गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद...

लोक निर्माण एवं सिचाई राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[मेरठ के हस्तिनापुर के गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान न हो पाने की वजह से हजारों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। कई परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं।

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की 05 चीनी मिलें यथा-मवाना, दौराला, सिम्भावली, टिकोला एवं नंगलामल द्वारा गन्ना पेराई की जाती है। दिनांक 25-06-2014 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2013-14 के अन्तर्गत उक्त चीनी मिलों पर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर (रु0 280.00 प्रति कु0) की दर से देय गन्ना मूल्य, भुगतान एवं अवशेष की स्थिति निम्नवत् है :

धनराशि करोड़ रु0

क्रम सं0	नाम चीनी मिल	कुल देय	भुगतान	अवशेष	भुगतान %
1	दौराला	415.78	306.89	108.89	73.81
2	मवाना	294.24	18.94	275.30	6.44
3	नंगलामल	154.90	15.61	139.29	10.08
4	सिम्भावली	309.81	151.58	158.24	48.93
5	टिकोला	182.46	149.88	32.58	82.15
कुल योग		**1357.19**	**642.90**	**714.30**	**47.36**

बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु दैनिक रूप से गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उपर्युक्त सभी चीनी मिलों को नोटिसें निर्गत की गयी है। गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर समय-समय पर चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठके करके अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु सम्बन्धित चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को भी अवशेष गन्ना एवं मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र/निर्देश निर्गत किये गये है। इसी क्रम में चीनी मिल मवाना, नंगलामल एवं सिम्भावली के विरुद्ध अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी के साथ-साथ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है।

राज्य सरकार गन्ना कृषकों की समस्याओं के प्रति संवदेनशील है तथा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के ग्राम छाऊ में दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, श्री रामहेत भारती, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 24-06-2014 को दी गयी सूचनों....

लोक निर्माण एवं सिचाई राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[कि ग्राम छाऊ, तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में ग्राम की सार्वजनिक आबादी जमींदारी के समय से बटवारा सुदा रही है। अतएवं जहां पर जिसकी आबादी थी वह नक्शे में बंटा था। उसी में से श्री वंशराज खेत के हक की आबादी एवं मकान श्रीमती सरवरी ने बैनामा किया है जिसकी चौहद्दी भी लिखी है। बाद में पूरे गांव की आबादी का नम्बर 1339 हो गया है। अभी दिनांक 16-06-2014 को गांव के दबंग व्यक्ति श्री मुनिम पुत्र श्री मुगनी ग्रामवासी व अन्य लोग श्रीमती सरवरी की जमीन में जबरन खुदाई करके खनन कर रहे हैं। इस विषय को लेकर ग्राम में काफी तनाव बन गया है। किसी भी क्षण स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय तथा अवैध खनन एवं खुदाई के प्रति दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ से आख्या प्राप्त कर यह अवगत कराया गया है कि ग्राम छाऊ की आराजी नं0-1289 रकबा 0.045 हे0 अभिलेख में पोखरी के खाते में अंकित है, जिसमें श्री जैनुअलआबदीन पुत्र श्री इस्लाम, निवासी-स्थानीय द्वारा 0.033 हे0 रकबे पर मिट्टी पाट कर व एक अस्थायी मड़ई रख कर अवैध अतिक्रमण किया गया था जिसके विरुद्ध तहसीलदार निजामाबाद के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 122 बी ज0वि00अधिनियम के तहत वेदखली का वाद संस्थित हुआ और तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 13-05-2013 को बेदखली का आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा पोखरी पर बनाये गये अस्थायी मड़ई को पूर्व में हटवा दिया गया था। दिनांक 18-6--20014 को ग्रामवासियों द्वारा उक्त पोखरी संख्या-1289 में 0.029 हे0 रकबे को खोद कर पोखरी का स्वरूप दे दिया गया हैं। जांच आख्या से स्पष्ट है कि आराजी नं0-1339/2.433 हे0 मिलाजुला नम्बर है जिसमें बटवाराशुदा आबादी व भूमिधरी की भूमि है, जिमसें श्री मुनिम पुत्र श्री मुगनि ग्रामवासी व अन्य लोगों द्वारा अवैध ढंग से कोई खुदाई नहीं की गयी है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वृहद कनहर सिंचाई परियोजना अमवार दुद्धी सोनभद्र को पूर्ण कराकर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद...

लोक निर्माण एवं सिचाई राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[सोनभद्र के दुद्धी तहसील में ग्राम अमवार के पास कनहर परियोजना का गठन किया गया था, जिसकी लागत वर्ष 1976 के दर अनुसूची के अनुसार रू0 27.75 करोड़ थी। इस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 29-1-1979 द्वारा प्रदान की गयी थी। वर्ष 1976 में कनहर सिंचाई परियोजना के कार्य का सुभारम्भ हुआ था परन्तु झारखण्ड (तत्कालीन बिहार) एवं छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्य प्रदेश) से सहमति प्राप्त न होने के कारण परियोजना का कार्य बन्द हो गया। तदोपरान्त वर्ष 2010 में इन राज्यों से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 16-9-2010 को केन्द्रीय जल आयोग की 106वीं बैठक में कनहर परियोजना को रू0 652.58 करोडत्र वर्ष 2008 की दरों पर अनुमोदित किया गया तथा योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 25-12-2010 द्वारा परियोजना का इन्वेस्टमेनट क्लीयरेन्स प्रदान किया गया। परियोजना के कार्यों हेतु वर्ष 2011-12 में रू0 88.00 करोड़ का बजट प्राविधान तथा वर्ष 2012-13 में रू0 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान ए0आई0बी0पी0 योजना के अन्तर्गत किया गया था। परन्तु इन वर्षों में ए0आई0बी0पी0 मद के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में रू0 8.8 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में रू0 10.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिससे पक्के कार्यों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये।

भारत सरकार द्वारा ए0आई0बी0पी0 मद में इस परियोजना को वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके कारण परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने के लिए वित्त पोषण का प्रस्ताव नाबार्ड को सन्दर्भित किया गया। नाबार्ड द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना को वर्ष 2013 की दर अनुसूची के आधार पर पुनरीक्षित किया गया, जिसकी पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 1761.8072 करोड़ है। शासनादेश दिनांक 17-2-2014 द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित लागत य0 1761.8072 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

कनहर परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 50.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। परियोजना के अन्तर्गत एक्वाडक्ट, टनल एवं अन्य पक्के कार्यों का निर्माण प्रगति पर है। पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कार्य हेतु रु0 25.00 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, सोनभद्र को उपलब्ध

करायी जा चुकी है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के 108 ग्राम लाभान्वित होंगे तथा 27898 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। कनहर परियोजना के अन्तर्गत कुल 4593.82 हे0 भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से 1754.38 हे0 कृषि भूमि तथा 980.40 हे0 वन भूमि अर्थात् कुल 2734.78 हे0 भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजट व्यवस्था के अनुरूप अवशेष भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा तथा परियोजना के अवशेष कार्यों को सम्पादित कराया जायेगा।]

मथुरा क्षेत्र के गोकुल बैराज के डब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-22 को स्थगित किया जाता है।

जनपद-जौनपुर के बादशाहपुर से तरेहअी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बनध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निार्मण मंत्री का केवल वक्तव्य ---- (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या सीमा द्विवेदी जी है ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डी0आई0आर0 तथा मीसा में बन्द रहे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाये जाने तथा बसों में सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, श्री रविदास मेहरोत्रा मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-6-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत..

लोक निर्माण एवं सिचााई राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[''25 जून, 1975 की अर्द्धरात्रि में देश मे आपातकाल लगाकरा तत्कालीन केन्द्र सरकार ने सभी संवैधानिक मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर प्रेस पर सेन्सरशिप लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। हम लोग 20 माह लगातार जेलों में डी0आई0आर0 एवं मीसा में बन्द रहे थे। आपातकाल के 29 वर्षों तक लगातार संघर्ष एवं प्रयास के बाद 26 जून, 2006 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने आपातकाल राजनैतिक बन्दियों को सम्मान पेंशन राशि तथा सहवर्ती के साथ निःशुल्क बस यात्रा तथा चिकित्सा सुविधायें दी थी तथा उन्हें लोकतंत्र सेनानी माना था। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पेंशन राशि 01-04-2006 से 31-03-2007 तक मिली लेकिन बाद में बसपा सरकार में पेंशन राशि तथा सुविधायें बन्द कर दी थी। समाजवादी पार्टी सरकार ने पुनः लोकतंत्र सेनानियों का तीन हजार रु0 मासिक सम्मान पेंशन राशि तथा सुविधायें बहाल कर दी थी, लेकिन प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी चाहते हैं कि पेंशन राशि तथा सुविधायें का सरकारी एक्ट बनाया जाय ताकि भविष्य में कभी भी कोई आलोकतांत्रिक सरकार सम्मान पेंशन राशि तथा सुविधायें समाप्त न कर पाये तथा लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान पेंशन राशि बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रु0 कर दी जाये तथा वोल्वों एवं प्लेटिनम बसों में भी अन्य राज्य परिवहन की बसों की तरह यात्रा सुविधा दी जायें।''

उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वार दिनांक 01-05-2012 को आपातकाल में बन्द राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि एक सहचर सहित परिवहन सुविधा एंव निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिये जाने की घोषणा की गयी थी। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में मा0 मंत्रि परिषद् के अनुमोदन से दिनांक 14-09-2012 को लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि (25-06-1975 से 21-03-1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुये संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे, ऐसे राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि एक सहचर सहित निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिये जाने हेतु नियमावली बनाई गयी है।

लोकतंत्र सेनानियों को शासनादेश संख्या-800 जेड/6-सा-1-2012-55जी/90, दिनांक 14-09-2012 द्वारा दिनांक 01-04-2012 से रू0 3000रु-मासिक सम्मान राशि तथा आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से एक सहयोगी सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा तथा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रदेश के कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत निरुद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं (जिनके अभिलेख कारागार में उपलब्ध नहीं हैं अथवा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं या नष्ट हो चुके हैं अथवा जिनके विरुद्ध क्रिमिनल धारायें लगी हैं अथवा जिन बन्दियों द्वारा एक से अधिक जिलों से आवेदन किया है अथवा लोकतंत्र सेनानियों को किस तिथि से सम्मान राशि दी जाय) मर मार्गदर्शन मांगा गया था। उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 30-12-2013 को लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि (प्रथम संशोधन) नियमावली 2013 निर्गत की गयी है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि दिये जाने सम्बन्धी वर्ष 2006 मे निर्गत नियमावली दिनांक 01-04-2006 से दिनांक 31-03-2007 तक के लिये थी, जबकि वर्तमान में दिनांक 14-09-2012 को निर्गत नियमावली में समय सीमा निर्धारित नहीं है। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा पहले से ही दी जा रही है। सम्यक् विचारोपरान्त प्लेटनम/वालवों बसों में लोकतंत्र सेनानियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान राशि बढ़ाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।]

यू0पी0 बोर्ड हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सही तथ्यों को छिपाकर शिक्षा माफिया के साथ मिलकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ठा0 दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य ठा0 दलवीर सिंह जी हैं ?

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

मान्यवर, नही हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

किसान इण्टर कालेज कंकर खेडा, मेरठ की अवैध प्रबन्ध समिति के कारण हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संगीत सिंह सोम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री संगीत सिंह सोम जी हैं ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, नही हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

हरदोई के बिलग्राम मल्लावा अन्तर्गत प्रधानाध्यापक श्री बृजलाल पुत्र स्व0 परसाद निवासी ग्राम रुकनापुर के सेवानिवृत्ति होने के उपरान्त उनके पेंशन सम्बन्धी भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री बृजेश कुमार जी हैं ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, नही हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर गम्भीर रोग से ग्रसित मरीजों की लापरवाही के कारण हुई मौतों के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 को स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते है सोमवार (30-06-2014) को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 34 मिनट पर सोमवार दिनांक 30 जून, 2014 के अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

दिनांक 27 जून, 2014।

पी0एस0यू0पी0-एल0 154 विधान सभा (275)-17-10-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।